उत्तर प्रदेश
की
आर्थिक समीक्षा

2019-20

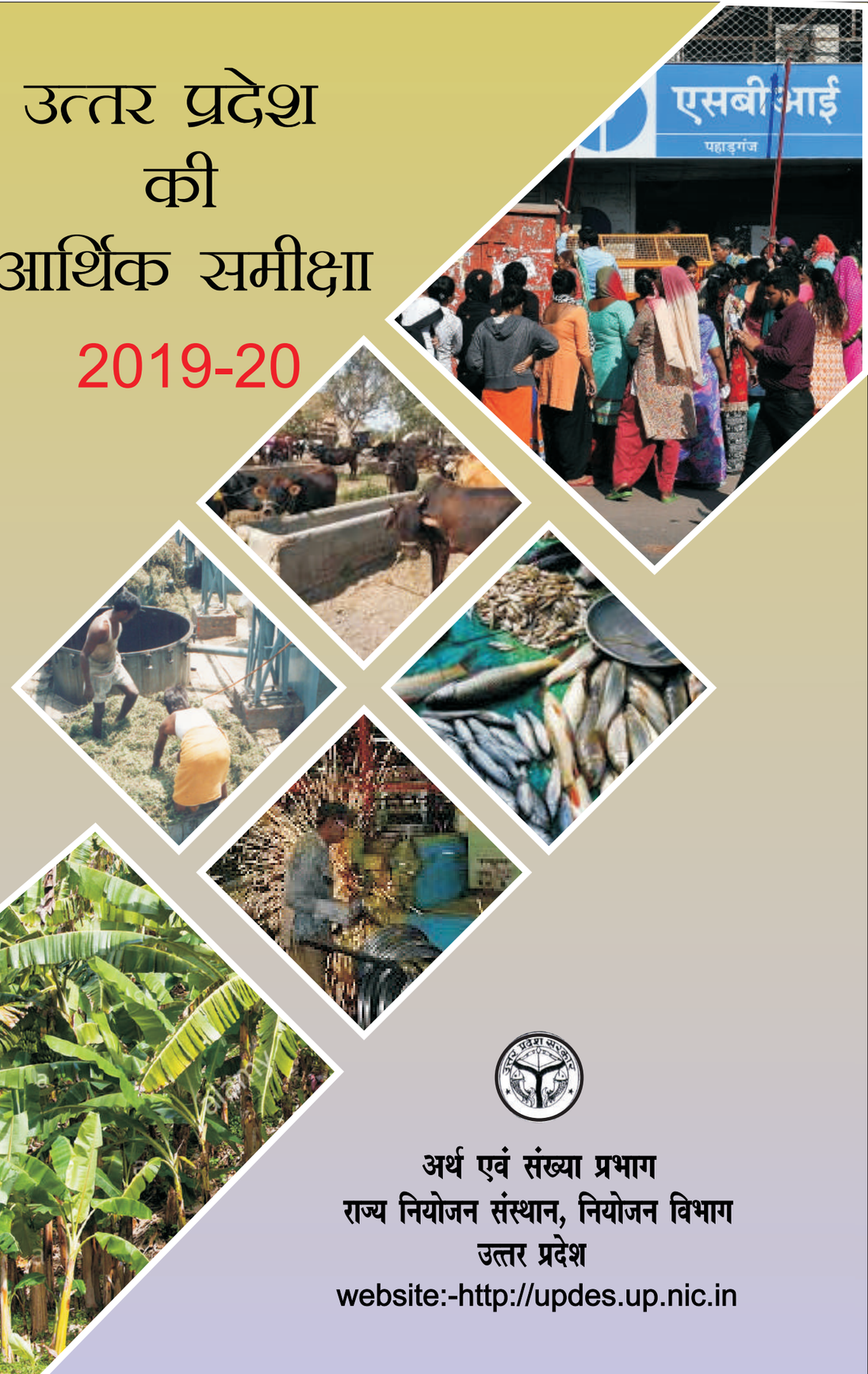

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश
website:-http://updes.up.nic.in

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश
website:-http://updes.up.nic.in

पत्रिका संख्या–537

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

2019-2020

अर्थ एवं संख्या प्रभाग

राज्य नियोजन संस्थान

नियोजन विभाग

उत्तर प्रदेश

प्राक्कथन

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक वर्ष **''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा''** प्रकाशित की जाती हैं। इसके अन्तर्गत प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यकलापों का तथ्यात्मक विश्लेषण किया जाता है।

2. प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा वर्ष 2019–20 को नये कलेवर में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विभागों/संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रदेश में संचालित की जा रही योजनाओं की अधुनान्त स्थिति स्पष्ट करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों यथा जनांकिकी, कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा, पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक प्रगति, सेवा क्षेत्र, अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार, श्रम शक्ति एवं सेवायोजन, प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति, पर्यटन, ग्राम्य विकास के कार्यक्रम तथा खनिज एवं विद्युत आदि का विस्तृत विश्लेषण अलग–अलग अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है। महत्वपूर्ण आंकड़ों को इस प्रकाशन में तालिका/ग्राफ के माध्यम से भी दर्शाया गया है।

3. मै इस संस्करण हेतु अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध कराकर इसे प्रकाशित करने में दिये गये सहयोग हेतु विभिन्न विभागों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

4. मुझे आशा है कि प्रस्तुत प्रकाशन नियोजकों, नीति निर्धारकों, योजना निर्माताओं, शोधकर्त्ताओं एवं प्रशासकों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रकाशन को और अधिक सार्थक बनाने हेतु सुझावों को विचारार्थ सहर्ष स्वीकार किया जायेगा।

लखनऊः

दिनांकः 23 जनवरी, 2020

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रस्तावना

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा वार्षिक प्रकाशन "उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2019–20" का प्रस्तुत संस्करण नये कलेवर में प्रकाशित किया जा रहा है।

2. इस प्रकाशन में उत्तर प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के साथ ही सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा प्रदेश में व्याप्त चुनौतियों एवं सरकार की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गयी है।

इस अंक में 16 अध्यायों में मुख्यतः प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुधन, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक प्रगति, अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, समाज कल्याण, रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति, पर्यटन, तथा ग्राम्य विकास के कार्यक्रम आदि पर सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े एवं तथ्य सम्मिलित हैं।

3. मै इस प्रकाशन को प्रकाशित करने में सम्बन्धित विभागों तथा संस्थाओं के अनवरत एवं उदार सहयोग के लिए कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

4. मुझे विश्वास है कि यह अंक योजनाकारों, नीति–निर्माताओं, अनुसन्धानकर्ताओं एवं शिक्षाविदों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रकाशन के विषय–विस्तार एवं गुणात्मक सुधार हेतु उपयोगकर्ताओं के सुझावों का सहर्ष स्वागत किया जायेगा।

लखनऊः

दिनांकः 23 जनवरी, 2020

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
निदेशक

प्रकाशन से सम्बन्धित अधिकारी एवं सहायक

1– श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	निदेशक

प्रावैधिक मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण

1– श्रीमती मालोविका घोषाल	संयुक्त निदेशक
2– श्रीमती शालू गोयल	उप निदेशक

पाण्डुलिपि संरचना, समन्वय, टंकण एवं परिनिरीक्षण कार्य

1– श्रीमती रेखा शुक्ला	अपर सांख्यिकीय अधिकारी
2–कु0 आरती गुप्ता	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी
3–श्रीमती आभा	कनिष्ठ सहायक

ग्राफ/चार्ट, नक्शा एवं कवर पृष्ठ के कार्य

1– श्री शिव शंकर यादव	चीफ आर्टिस्ट
2– श्री लक्ष्मी प्रसाद	वरिष्ठ कलाकार

विषय–सूची

अध्याय		पृष्ठ संख्या
1.	राज्य की अर्थव्यवस्था	1–11
2.	प्रदेश के विकास की चुनौतियां तथा रणनीति	12–19
3.	वित्त एवं बैंकिंग सेवायें	20–34
4.	कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा	35–62
5.	पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास	63–85
6.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	86–95
7.	ग्राम्य विकास के कार्यक्रम	96–105
8.	औद्योगिक प्रगति	106–121
9.	सेवा क्षेत्र	122–128
10	अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार	129–151
11.	पर्यटन	152–165
12	शिक्षा	166–187
13.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	188–207
14.	समाज कल्याण	208–229
15.	श्रमशक्ति एवं सेवायोजन	230–249
16.	सतत विकास	250–253

अध्याय–1
राज्य की अर्थव्यवस्था

मुख्य बिन्दु–

- स्थिर (2011–12) भावों पर वर्ष 2019–20 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रथम त्रैमासिक अनुमान में 6.5 प्रतिशत एवं द्वितीय त्रैमासिक अनुमान में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष 2018–19 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष रही है।
- वर्ष 2018–19 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक खण्ड का स्थायी (2011–12) भावों पर राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान क्रमशः वर्ष 2018–19 में 24.1 प्रतिशत, 30.1 प्रतिशत एवं 45.8 प्रतिशत रहा।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2017–18 तथा वर्ष 2018–19 में स्थायी भावों पर क्रमशः 7.2 प्रतिशत तथा 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर तथा प्रचलित भावों पर क्रमश 13.2 प्रतिशत तथा 14.2 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी।
- प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में प्राथमिक खण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2018–19 में 2.1% की वृद्धि हुई है।
- प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में द्वितीयक खण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2018–19 में 4.5% की वृद्धि हुई है।
- प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2018–19 में 7.6% की वृद्धि हुई है।
- प्रचलित भावों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) के संदर्भ में वर्ष 2018–19 की प्रति व्यक्ति आय रू० 66512 आंकलित हुई है जो गत वर्ष से 13.1% की वृद्धि दर को दर्शाता है।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य आय के वर्ष 2018–19 के जारी **त्वरित अनुमान** के अनुसार वर्ष 2018–19 में स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर 5.3% रही है। वर्ष 2018–19 में स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर क्रमशः 2.1%, 4.5%, 7.6% रही है। प्रचलित भावों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) के संदर्भ में वर्ष 2018–19 की प्रति व्यक्ति आय रू० 66512 आंकलित हुई है जो गत वर्ष से 13.1% की वृद्धि दर को दर्शाता है। वर्ष 2018–19 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) का खण्डवार वितरण इस प्रकार है–(क) प्राथमिक खण्ड–25.8% (ख) द्वितीयक खण्ड–27.0% तथा (ग) तृतीयक खण्ड–47.2%। प्रदेश के राज्य आय के वर्ष 2018–19 के जारी त्वरित अनुमानों का विस्तृत विवरण निम्नवत है–

सकल राज्य मूल्य वर्धन (स्थायी भावों पर)

आधार वर्ष 2011–12 पर जारी वर्ष 2018–19 के त्वरित अनुमानों के अनुसार बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12 में रू० 681895 करोड़, वर्ष 2012–13 में रू० 716339 करोड़, वर्ष 2013–14 में रू० 754331 करोड़, वर्ष 2014–15 में रू० 780937 करोड़, वर्ष 2015–16 में रू० 851574 करोड़, वर्ष 2016–17 में रू० 947623 करोड़, वर्ष 2017–18 में 1016074 करोड. तथा वर्ष 2018–19 में 1070751 करोड़ रहा है जो वर्ष 2012–13 में 5.1%, वर्ष 2013–14 में 5.3%, वर्ष 2014–15 में 3.5%, वर्ष 2015–16 में 9.0%, वर्ष 2016–17 में 11.3%, वर्ष 2017–18 में 7.2% तथा वर्ष 2018–19 में 5.4% की वृद्धि दर को दर्शाता है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर वर्ष 2012–13 में क्रमशः 4.4%, 2.8% तथा 6.8%, वर्ष 2013–14 में क्रमशः (–)0.1%, 7.9% तथा

7.1%, वर्ष 2014–15 में क्रमशः (–)0.9%, (–)2.0% तथा 9.2%, वर्ष 2015–16 में क्रमशः 5.6%, 15.3% तथा 7.6%, वर्ष 2016–17 में क्रमशः 7.1%, 27.9%, तथा 4.2%, वर्ष 2017–18 में क्रमशः 9.1%, 4.2% तथा 8.3% एवं वर्ष 2018–19 में क्रमशः 2.1%, 4.5% तथा 7.6% रही है।

खण्डवार विश्लेषण (स्थायी भावों पर)

प्राथमिक खण्ड

इसके अन्तर्गत कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन तथा खनन और उत्खनन उपखण्ड शामिल हैं। नवीन श्रृंखला में प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल तथा पशुपालन के अनुमान पृथक–पृथक आंकलित किये गये हैं जबकि पुरानी श्रृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र के अन्तर्गत एक साथ आंकलित किये जाते थे। प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशालय, उद्यान निदेशालय, राजस्व परिषद तथा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। स्थायी भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में फसल उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 तथा वर्ष 2018–19 में क्रमशः 5.0%, (-)2.3%, ,(-)5.4%, 4.9%, 6.6%, 6.0% तथा 5.5% की वृद्धि हुई है।

पशुपालन उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग, रेशम निदेशालय तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये दर एवं अनुपात के आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में पशुपालन उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 तथा वर्ष 2018–19 में क्रमशः 4.9%, 4.7%, 5.6%, 3.7%, 3.4%, 0.5% तथा 6.6% की वृद्धि हुई है।

वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना उपखण्ड के अनुमान उत्तर प्रदेश के वन विभाग तथा वन निगम एवं केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 तथा वर्ष 2018–19 में क्रमशः (–)1.2%, (–)1.9%, 1.2%, 0.6%, 22.3%, (–)0.9% तथा (–)0.4% की वृद्धि हुई है।

मत्स्य उपखण्ड के अनुमान मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का उपयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में मत्स्य उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 में क्रमशः 4.7%, 3.3%, 6.4%, 2.1%, 22.4% ,1.8% तथा 5.3%की वृद्धि हुई है।

खनन तथा पत्थर निकालना उपखण्ड के अनुमान भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, आई०बी०एम०, नागपुर तथा के0 सां0 कार्या0, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का उपयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में खनन एवं पत्थर निकालना उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17 ,वर्ष 2017–18 तथा वर्ष 2018–19 में क्रमशः (–)0.6%, 10.1%, 28.2%, 32.4%, 9.5% ,89.0% तथा (–)26.6% की वृद्धि हुई है।

माध्यमिक खण्ड

माध्यमिक खण्ड के अन्तर्गत विनिर्माण, विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति एवं निर्माण कार्य उपखण्ड शामिल है। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में द्वितीयक खण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 तथा वर्ष 2018–19 में क्रमशः 2.8%, 7.9%, (–)2.0%, 15.3%, 27.9% तथा 4.2% तथा 4.5% की वृद्धि हुई है।

विनिर्माण उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से अखिल भारतीय थोक भाव सूचकांक एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तथा एमसीए 21 डाटा बेस का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में विनिर्माण उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17,वर्ष 2017–18 तथा वर्ष 2018–19 में क्रमशः 4.1%, 13.7%, (–)10.0%, 26.4%, 47.0% , 2.9% तथा 3.9% की वृद्धि हुई है।

विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से विद्युत विभाग, उत्तर प्रदेश तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से उपलब्ध कराये गये आंकड़ों, स्थानीय निकायों के आय–व्ययक के खातों तथा प्रदेश में विद्युत उत्पादन एवं वितरण में संलग्न निगमों की बैलेन्स शीट का विश्लेषण कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 तथा वर्ष 2018–19 में क्रमशः 5.8%, 13.0%, 6.0%, 6.3%, 14.3% ,12.3% तथा 3.0% की वृद्धि हुई है।

प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में निर्माण उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 तथा वर्ष 2018–19 में क्रमशः 1.0%, 1.1%, 6.5%, 5.2% , 6.6%, 5.3% तथा 5.8% की वृद्धि हुई है।

तृतीयक खण्ड

अर्थव्यवस्था के तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत "परिवहन, संचार, व्यापार", "वित्त तथा स्थावर संपदा" एवं "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" उपखण्ड सम्मिलित हैं। तृतीयक खण्ड के अनुमान मुख्य रूप से केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों तथा राज्य की आय–व्ययक, स्थानीय निकायों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के लेखा खातों का विश्लेषण कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 तथा वर्ष 2018–19 में क्रमशः 6.8%, 7.1%, 9.2%, 7.6%, 4.2%, 8.3% तथा 7.6% की वृद्धि हुई है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन(प्रचलित भावों पर)

प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12 में रू० 681895 करोड़, वर्ष 2012–13 में रू० 777206 करोड़, वर्ष 2013–14 में रू० 885565 करोड़ तथा वर्ष 2014–15 में रू० 948993 करोड, वर्ष 2015–16 में रू० 1057651 करोड़, वर्ष 2016–17 में रू० 1198489 करोड़, वर्ष 2017–18 1338226 करोड़ तथा वर्ष 2018–19 में रू० 1475082 करोड़ रहा है। प्राथमिक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 तथा वर्ष 2018–19 में क्रमशः रू० 189787 करोड़, रू० 219964 करोड़, रू० 246724 करोड़, रू० 254845 करोड़, रू० 283769 करोड़, रू० 310503 करोड़, रू० 349848 करोड़ तथा रू० 380310 करोड़ रहा है। द्वितीयक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 तथा वर्ष 2018–19 में क्रमशः रू० 181781 करोड़, रू० 200719 करोड़, रू० 231544 करोड़, रू० 238000 करोड़, रू० 269234 करोड़, रू० 333993 करोड़, रू० 366435 करोड. तथा रू० 398526 करोड़ रहा है। तृतीयक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 में क्रमशः रू० 310326 करोड़, रू० 356522 करोड़, रू० 407297 करोड़, रू० 456148 करोड़, रू० 504649 करोड़, रू० 553994 करोड़, रू० 621943 करोड. तथा रू० 696246 करोड. अनुमानित रहा है।

सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष 2011–12 में प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद रू० 724050 करोड़ था जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर स्थायी भावों (2011–12) पर रू० 1137469 करोड़ तथा प्रचलित भावों पर रू० 1668229 करोड़ हो गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2017–18 तथा वर्ष 2018–19 में

स्थायी भावों पर क्रमशः 7.2 प्रतिशत तथा 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर तथा प्रचलित भावों पर क्रमश 13.2 प्रतिशत तथा 14.2 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है।

वर्ष 2011–12 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद रू० 645132 करोड़ था जो वर्ष 2018–19 में स्थायी भावों पर बढ़कर रू० 995999 करोड़ तथा प्रचलित भावों पर बढ़कर रू० 1491311 करोड़ हो गया है। निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2017–18 तथा वर्ष 2018–19 में स्थायी भावों पर क्रमशः 6.9 तथा 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर तथा प्रचलित भावों पर क्रमशः 13.2 तथा 14.8 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है।

तालिका–1.01
प्रदेश में सकल एवं निवल राज्य घरेलू उत्पाद

विवरण	करोड़ रू० में					वृद्धि दर (प्रतिशत में)			
	2011–12	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर)	724050	1137808	1290289	1460443	1668229	12.5	13.4	13.2	14.2
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थायी भाव पर)	724050	908241	1007010	1079879	1137469	8.8	10.9	7.2	5.3
निवल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर)	645132	1009386	1147209	1298980	1491311	13.2	13.7	13.2	14.8
निवल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थायी भाव पर)	645132	792049	883962	945141	995999	8.5	11.6	6.9	5.4

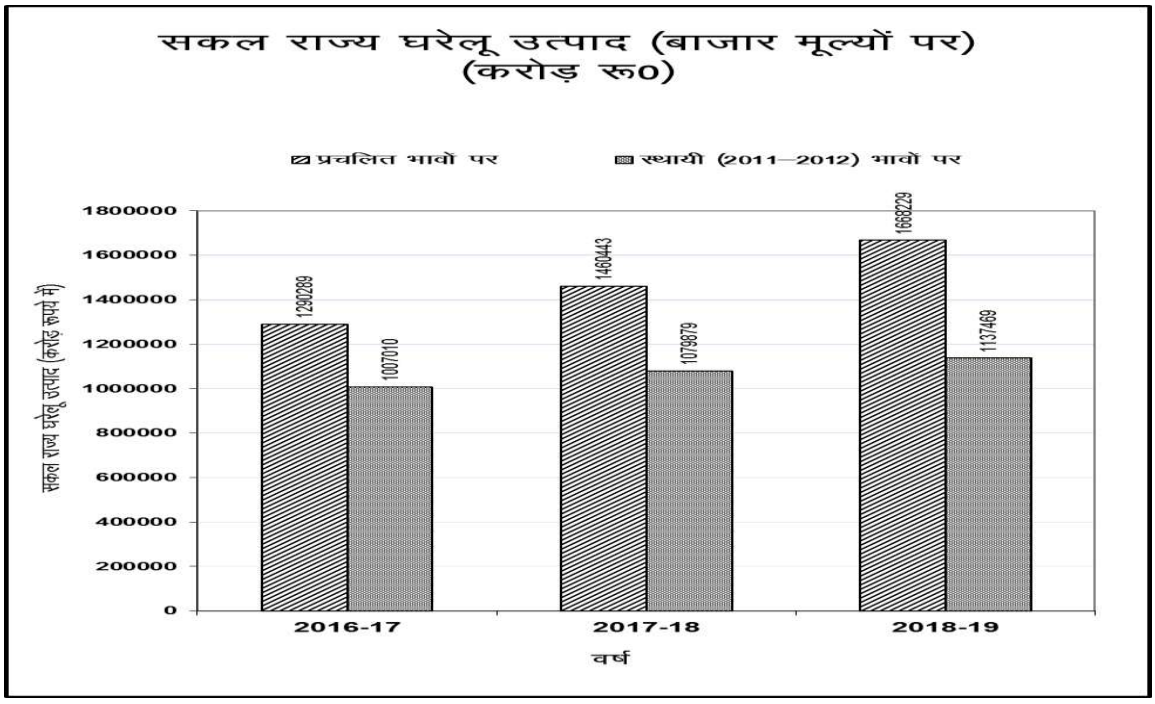

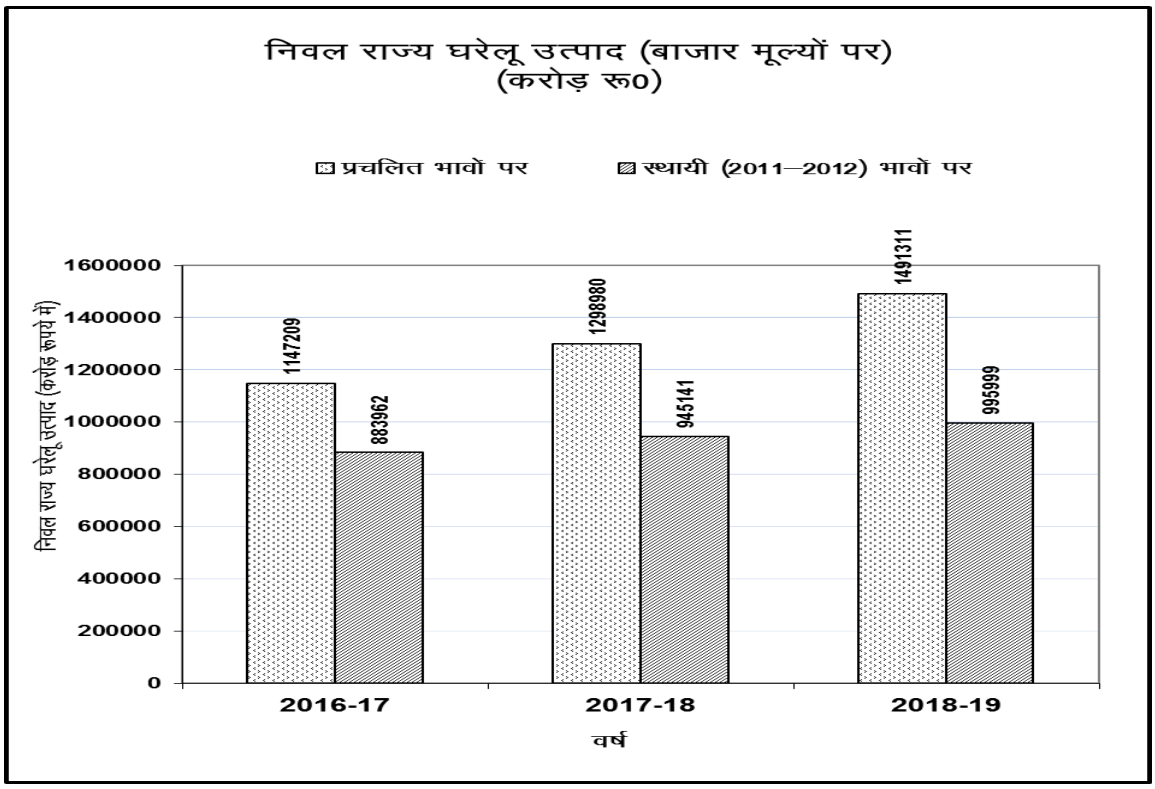

अर्थ–व्यवस्था की खण्डीय संरचना

राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न खण्डों के अंशदानों एवं निश्चित अवधि में हुए परिवर्तनों से यह बोध होता है कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्र किस प्रकार विकसित हो रहे हैं। वर्ष 2018–19 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्राथमिक खण्ड का स्थायी (2011–2012) भावों पर राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान जो वर्ष 2011–12 में 29.0 प्रतिशत था, घटकर वर्ष 2018–19 में 24.1 प्रतिशत रह गया है। इस अवधि में राज्य की अर्थ व्यवस्था के प्राथमिक खण्ड में कृषि (फसल) का योगदान 18.5 प्रतिशत से घटकर 14.1 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2018–19 में पशुपालन खण्ड का योगदान 6.2 प्रतिशत तथा वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना खण्ड का योगदान 1.6 प्रतिशत है। इस प्रकार प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल खण्ड का योगदान अभी भी सर्वाधिक है।

माध्यमिक खण्ड का राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011–12 में 25.9 प्रतिशत था जो वर्ष 2018–19 में भी 30.1 प्रतिशत है। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में विनिर्माण उप खण्ड का योगदान 17.8 प्रतिशत तथा निर्माण उपखण्ड का योगदान 11.5 प्रतिशत रहा है।

तृतीयक खण्ड का राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011–12 में 45.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 45.8 प्रतिशत हो गया है। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में सर्वाधिक योगदान स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक उपखण्ड का 12.5 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2018–19 में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का योगदान 10.4 प्रतिशत तथा परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान 7.7 प्रतिशत आंकलित हुआ है।

खण्डीय संरचना के इस परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि वर्ष 2011–12 से राज्य की अर्थव्यवस्था कृषीय से अकृषीय की ओर निरन्तर अग्रसर होती जा रही है तथापि राज्य की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है।

प्रतिव्यक्ति आय

वर्ष 2018–19 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में रू० 32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2017–18 व 2018–19 में क्रमशः रू० 58821 एवं रू० 66512 हो गयी है। वर्ष 2017–18 व वर्ष 2018–19 में प्रति

व्यक्ति आय में क्रमशः 11.5 तथा 13.1 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रदेश के निवल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में रू० 32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2017–18 व 2018–19 में क्रमशः रू० 42798 एवं रू० 44421 हो गयी है। वर्ष 2017–18 व वर्ष 2018–19 मे प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 5.3 प्रतिशत तथा 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है।

तालिका–1.02

प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रति व्यक्ति आय

(रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	स्थायी भावों पर	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
2011–12	32002	–	32002	–
2012–13	35812	11.9	32908	2.8
2013–14	40124	12.0	34044	3.5
2014–15	42267	5.3	34583	1.6
2015–16	47118	11.5	36973	6.9
2016–17	52744	11.9	40641	9.9
2017–18	58821	11.5	42798	5.3
2018–19	66512	13.1	44421	3.8

त्रैमासिक अनुमान– अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जारी राज्य आय के **वर्ष 2019–20 के प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास** के त्रैमासिक अनुमानों का विश्लेषण निम्नवत् हैः–

प्रथम त्रैमास के अनुमान (Q_1)(अप्रैल से जून)

स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) में वर्ष 2019–20 के राज्य आय के प्रथम त्रैमासिक अनुमान में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2018–19 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष रही है। राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 5.0 प्रतिशत की रही है। गत वर्ष के इसी त्रैमास में राज्य आय अनुमान में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई थी।

वर्ष 2019–20 के प्रथम त्रैमास में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की यह वृद्धि दर क्रमशः 10.5 प्रतिशत, 2.6 प्रतिशत तथा 7.9 प्रतिशत रही है। इस प्रकार प्रथम त्रैमास में प्राथमिक खण्ड में सर्वाधिक वृद्धि परिलक्षित हुई।

द्वितीय त्रैमास के अनुमान (Q_2)(जुलाई से सितम्बर)

स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) में वर्ष 2019–20 के राज्य आय के द्वितीय त्रैमासिक अनुमान में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2018–19 के तत्संबंधी त्रैमास के सापेक्ष रही है। राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 4.5 प्रतिशत की रही है। गत वर्ष के इसी त्रैमास में राज्य आय अनुमान में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई थी।

वर्ष 2019–20 के द्वितीय त्रैमास में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों में यह वृद्धि दर क्रमशः 3.5 प्रतिशत, 1.3 प्रतिशत तथा 6.2 प्रतिशत रही है। इस प्रकार द्वितीय त्रैमास में तृतीयक खण्ड में सर्वाधिक वृद्धि परिलक्षित हुई।

स्पष्ट है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर $Q1$ से Q_2 में कमी आयी है उसी के समतुल्य ही राज्य में भी $Q1$ के सापेक्ष Q_2 में कमी की प्रवृत्ति रही है।

प्रदेश के राज्य आय तथा अखिल भारतीय राष्ट्रीय अनुमानों का विश्लेषणः–

प्रदेश के वर्ष 2018–19 के त्वरित अनुमान तथा राष्ट्रीय आय के वर्ष 2018–19 के अनन्तिम अनुमान के अनुसार तुलनात्मक आंकड़े निम्नवत् हैं–

तालिका–1.03
उत्तर प्रदेश तथा भारत के तुलनात्मक आंकड़े

वर्ष		उत्तर प्रदेश					भारत				
		2011–12	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2011–12	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
सकल मूल्य वर्धन का प्रतिशत वितरण (प्रचलित भावों पर)	प्राथमिक खण्ड	27.8	26.8	25.9	26.1	25.8	21.7	20.1	20.2	19.5	18.5
	द्वितीयक खण्ड	26.7	25.5	27.9	27.4	27.0	29.3	27.6	27.1	27.0	27.2
	तृतीयक खण्ड	45.5	47.7	46.2	46.5	47.2	49.0	52.3	52.7	53.5	54.3
सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि (स्थायी भावों पर)	प्राथमिक	–	5.6	7.1	9.1	2.1	–	2.1	6.8	5.0	2.7
	द्वितीयक	–	15.3	27.9	4.2	4.5	–	9.5	7.5	6.0	7.5
	तृतीयक	–	7.6	4.2	8.3	7.6	–	9.4	8.4	8.1	7.5
	कुल	–	8.8	10.9	7.2	5.3	–	8.0	8.2	7.2	6.8
प्रति व्यक्ति आय (रू० में) (प्रचलित भावों पर)		32002	47118	52744	58821	66512	63462	94797	104659	114958	126406

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के वर्ष 2018–19 के अनन्तिम अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय सकल मूल्य वर्धन में प्रचलित भावों पर वर्ष 2011–12 में प्राथमिक तथा द्वितीयक खण्ड का योगदान क्रमशः 21.7 प्रतिशत व 29.3 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2018–19 में 18.5 प्रतिशत व 27.2 प्रतिशत हो गया है। इसके विपरीत तृतीयक खण्ड का योगदान वर्ष 2011–12 में 49.0 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2018–19 में 54.3 प्रतिशत हो गया है। उक्त अवधि में प्रदेश में भी प्राथमिक खण्ड के योगदान में कमी आयी है जबकि तृतीयक खण्ड का योगदान 45.5 प्रतिशत से बढ़कर 47.2 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2018–19 में राज्य की अर्थ व्यवस्था में अभी भी कृषि खण्ड की प्रधानता है।

वर्ष 2018–19 में स्थायी (2011–12) भावों पर सकल घरेलू उत्पाद में अखिल भारतीय स्तर पर 6.8 प्रतिशत तथा राज्य स्तर पर 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है।

वर्ष 2011–12 से वर्ष 2018–19 की अवधि में प्रचलित भावों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय निवल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में रू० 32002 से बढ़कर रू० 666512 हो गयी जबकि अखिल भारतीय स्तर पर रू० 63462 से बढ़कर रू० 126406 हो गयी है। वर्ष 2011–12 से वर्ष 2018–19 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय का लगभग 50 प्रतिशत रही है।

सकल मूल्य वर्धन (प्रचलित भावों पर) का प्रतिशत वितरण
उत्तर प्रदेश

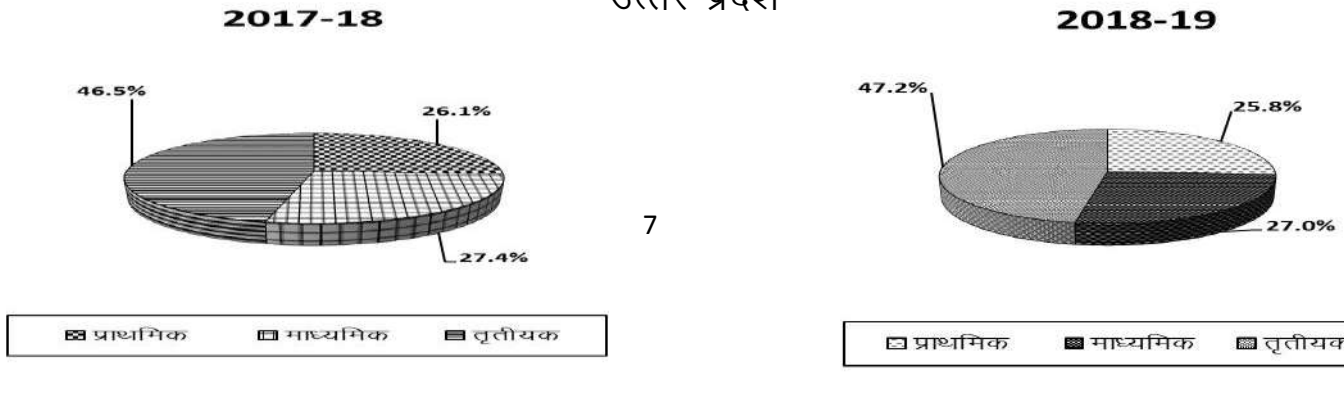

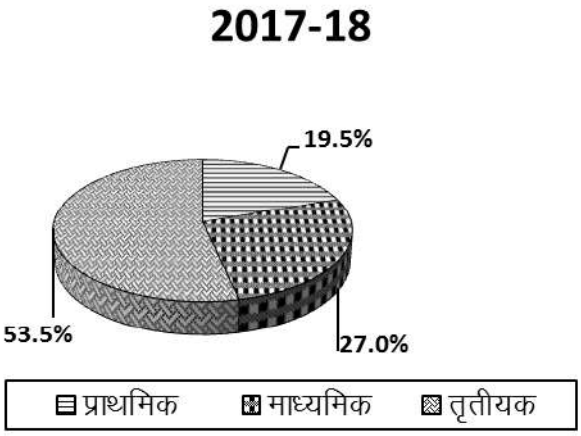

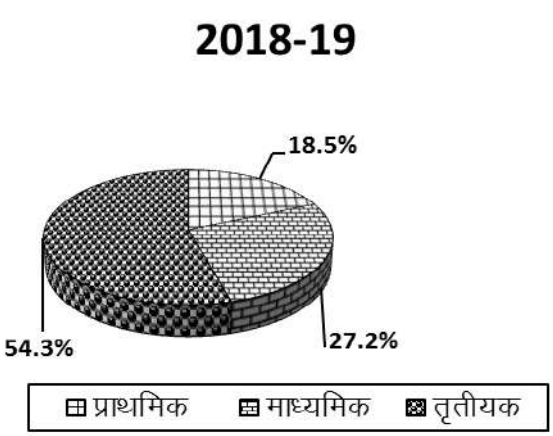

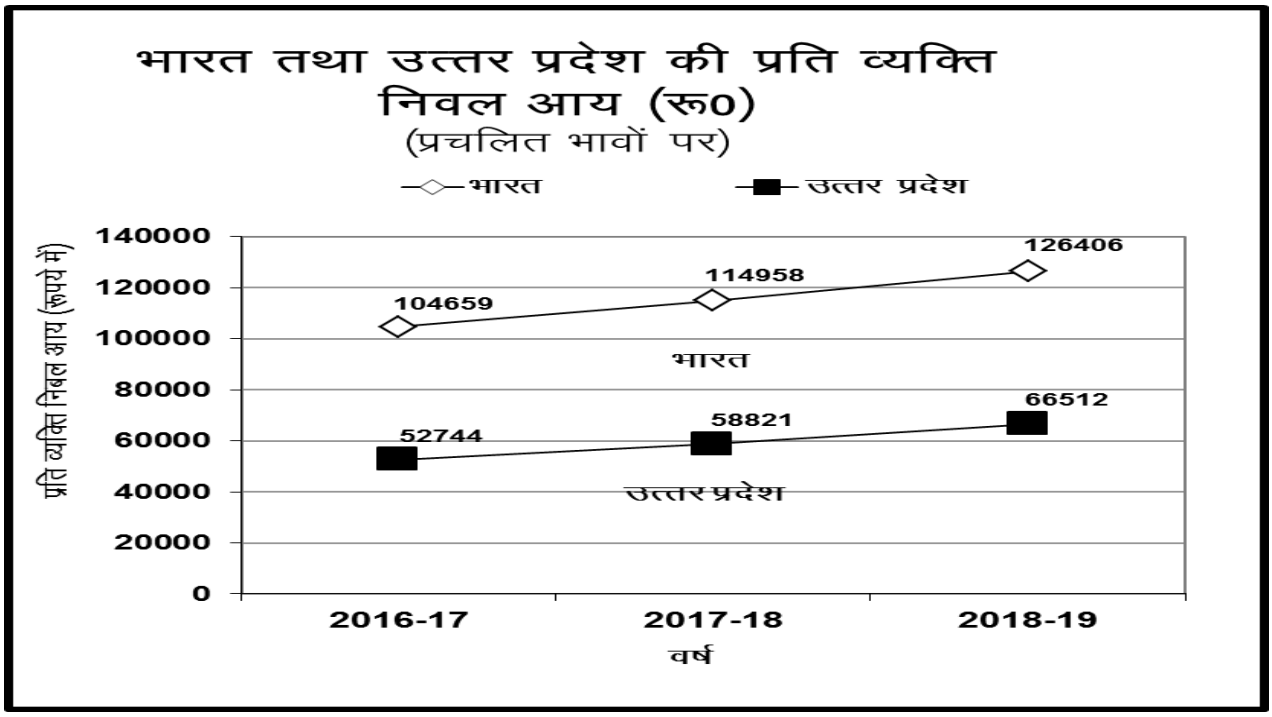

तालिका–1.04

निवल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य की प्रति व्यक्ति आय

(प्रचलित भावों पर)

क्रम सं0	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2011-12	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आन्ध प्रदेश	69000	108002	124401	143935	164025
2	अरूणाचल प्रदेश	73068	112046	115931	127748	अप्राप्त
3	असम	41142	60817	66430	74204	अप्राप्त
4	बिहार	21750	30404	34156	38631	43822
5	छत्तीसगढ़	55177	73590	81808	89813	96887
6	गोवा	259444	334576	382140	422149	467998
7	गुजरात	87481	139254	155149	174652	अप्राप्त
8	हरियाणा	106085	164868	183171	203340	226644
9	हिमाचल प्रदेश	87721	135512	150290	167044	179188
10	जम्मू कश्मीर	53173	73215	77023	83717	अप्राप्त

क्रम सं0	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2011-12	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	झारखण्ड	41254	52754	60018	69265	76019
12	कर्नाटक	90269	148108	170133	187649	210887
13	केरल	97912	148133	167632	184000	अप्राप्त
14	मध्य प्रदेश	38551	62616	74787	82941	90998
15	महाराष्ट्र	99564	146258	162005	176102	अप्राप्त
16	मणिपुर	39762	55447	59345	65411	अप्राप्त
17	मेघालय	60013	68836	73753	81098	अप्राप्त
18	मिजोरम	57654	114055	127107	141210	अप्राप्त
19	नागालैण्ड	53010	82466	92315	102581	अप्राप्त
20	ओडिशा	48370	64595	77311	84854	93352
21	पंजाब	85577	118858	128780	142644	154598
22	राजस्थान	57192	83427	91654	99487	109105
23	सिक्किम	158667	245987	280729	317134	357643
24	तमिलनाडु	92984	140441	154272	171583	193750
25	तेलंगाना	91121	140840	159584	180697	205696
26	त्रिपुरा	47079	83680	91266	105044	अप्राप्त
27	उत्तर प्रदेश	32002	47118	52744	58821	66512
28	उत्तराखण्ड	100305	147592	161172	182320	198738
29	पश्चिम बंगाल	51543	75992	82291	93711	109491
30	अन्डमान निकोबार	88177	126995	140335	159664	अप्राप्त
31	चंडीगढ़	159116	230459	254293	297313	अप्राप्त
32	दिल्ली	185361	273301	298832	328985	365529
33	पुडुचेरी	119649	172727	187357	203583	220461
अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय(NNI)		63462	94797	104659	114958	126406

अन्य राज्यों से तुलना

नये आधार वर्ष 2011–12 पर उपलब्ध अन्य राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना से स्पष्ट होता है कि प्रचलित भावों पर वर्ष 2015–16 से वर्ष 2018–19 तक प्रदेश का राष्ट्र में तीसरा स्थान है। केवल महाराष्ट्र का सकल घरेलू उत्पाद उत्तर प्रदेश से अधिक है। उपरोक्त अवधि में विभिन्न राज्यों की प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय के अनुमानों की तुलना से स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों के सापेक्ष उ0प्र0 की प्रति व्यक्ति आय कम रही है। केवल बिहार की प्रति व्यक्ति आय उ0प्र0 से कम रही है।

तालिका–1.05
प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद(जी0एस0डी0पी0)

(करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2011-12	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आन्ध प्रदेश	379402	604229	697508	809547	933402
2	अरूणाचल प्रदेश	11063	18509	19627	22045	अप्राप्त
3	असम	143175	227959	254478	288494	अप्राप्त
4	बिहार	247144	371602	422316	484740	557490

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2011-12	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	छत्तीसगढ़	158074	227383	254722	284194	311660
6	गोवा	42367	55054	63460	70493	77172
7	गुजरात	615606	1029010	1153327	1314680	अप्राप्त
8	हरियाणा	297539	495249	556325	626054	707126
9	हिमाचल प्रदेश	72720	114239	125634	140613	153181
10	जम्मू कश्मीर	78256	117168	125379	138488	अप्राप्त
11	झारखण्ड	150918	206613	236250	276243	307581
12	कर्नाटक	606048	1045168	1209136	1350257	1535224
13	केरल	364048	561994	634871	700532	अप्राप्त
14	मध्य प्रदेश	315562	541189	648849	728242	809327
15	महाराष्ट्र	1280369	1966147	2188532	2411600	अप्राप्त
16	मणिपुर	12915	19531	21294	23968	अप्राप्त
17	मेघालय	19918	25117	27439	30790	अप्राप्त
18	मिजोरम	7259	15139	17192	19457	अप्राप्त
19	नागालैण्ड	12177	19524	21722	24281	अप्राप्त
20	ओडिशा	230987	328550	393808	436374	485376
21	पंजाब	266628	390087	426988	479141	521861
22	राजस्थान	434837	681485	758809	835558	929124
23	सिक्किम	11165	18034	20687	23495	26786
24	तमिलनाडु	751486	1176500	1302639	1461841	1664159
25	तेलंगाना	359434	577902	659033	753811	865688
26	त्रिपुरा	19208	35938	39612	46133	अप्राप्त
27	उत्तर प्रदेश	724050	1137808	1290289	1460443	1668229
28	उत्तराखण्ड	115328	177163	195125	222836	245895
29	पश्चिम बंगाल	520485	797300	872527	999585	1177586
30	अन्डमान निकोबार	3978	6032	6836	7871	अप्राप्त
31	चंडीगढ़	18768	29280	32741	38806	अप्राप्त
32	दिल्ली	343798	550804	615605	690098	779652
33	पुडुचेरी	16818	26617	29573	32962	36656
भारत का सकल घरेलू उत्पाद		8736329	13771874	15362386	17095005	19010164

राज्य आय के अग्रिम अनुमान, वर्ष 2019–20

प्रदेश के वर्ष 2019–20 के अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रचलित एवं स्थिर (2011–12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वार्षिक वृद्धि दर एवं प्रति व्यक्ति आय के अनुमान निम्नवत हैं–

तालिका–1.06

सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वार्षिक वृद्धि दर एवं प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमान

क्र.सं.	खण्ड	जीएसडीपी (प्रचलित भावों पर)	प्रतिशत वितरण	जीएसडीपी (स्थायी 2011–12 भावों पर)	वृद्धि दर
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	380550.23	24.9	233223.37	2.1
1.1	फसलें	245358.34	15.4	153143.86	1.6
1.2	पशुधन	107189.88	7.6	60660.73	3.8

1.3	वानिकी और लट्ठा बनाना	19569.46	1.4	14892.63	0.1
1.4	मत्स्यन और जलीय कृषि	8432.55	0.6	4526.15	6.0
2.	खनन और उत्खनन	20436.28	1.2	18907.42	2.6
क–प्राथमिक (1+2)		400986.51	26.2	252130.79	2.2
3.	विनिर्माण	214349.22	13.5	182820.23	–1.5
4.	विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें	35535.95	1.8	17209.19	4.3
5	निर्माण कार्य	160839.68	10.8	120862.88	4.8
ख–माध्यमिक(3 से 5)		410724.85	26.1	320892.30	1.1
6	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह	153535.04	10.1	112769.99	6.7
7	परिवहन, संग्रहण तथा संचार	116039.86	6.8	93111.96	5.7
7.1	रेलवे	19360.80	0.9	15688.56	–2.9
7.2	अन्य साधनों द्वारा परिवहन	68929.62	4.4	55425.63	11.0
7.3	भण्डारण	1990.71	0.1	1379.14	3.1
7.4	संचार तथा प्रसारण सम्बन्धी सेवायें	25758.73	1.3	20618.63	0.4
8	वित्तीय सेवायें	53711.69	3.8	36420.27	5.8
9	स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें	237529.81	14.1	152225.62	5.7
10	लोक प्रशासन और रक्षा	120212.90	7.1	86005.39	13.2
11	अन्य सेवाएं	97349.06	5.9	63863.56	9.4
ग–तृतीयक (6 से 11)		778378.36	47.7	544396.79	7.5
सकल राज्य मूल्य वर्धन(बुनियादी मूल्यों पर)		1590089.72	100.00	1117419.88	4.4
सकल राज्य घरेलू उत्पाद(बाजार मूल्यों पर)		1794507.88	–	1187276.67	4.4
प्रति व्यक्ति आय रु0 – 2019–20		उत्तर प्रदेश		भारत*	
		70419		135050	

***प्रथम अग्रिम अनुमान वर्ष 2019–20 के अनुसार।**

****

अध्याय–2

प्रदेश के विकास की चुनौतियाँ तथा प्राथमिकतायें

मुख्य बिन्दु–

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन (एक हजार अरब) डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प व्यक्त किया है।
- भारत की जी0डी0पी0 में 8.8 प्रतिशत के योगदान के साथ महाराष्ट्र व तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है।
- सरकार द्वारा किये गये प्रयास यथा–इन्वेस्टर्स समिट, इन्फ्रास्टक्चर प्रोजेक्ट्स, डिफेन्स कॉरीडोर, ओ0डी0ओ0पी0, स्किल इण्डिया, स्टार्टअप इण्डिया इत्यादि ने आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का कार्य किया है। संभवतः इसी कारण वर्ष 2015–16 से राज्य की विकास दर अधिकांश वर्षों में राष्ट्रीय विकास दर से अधिक रही है।
- कृषि एवं एम0एस0एम0ई0 विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य तक पहुँचाने की क्षमता रखते हैं।
- "कौशल विकास मिशन" के माध्यम से युवा शक्ति को जोड़कर प्रदेश की बेरोजगारी की स्थिति को न्यूनतम कर बहुआयामी प्रतिभा को गतिमान किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश देश का असीम संभावनाओं वाला प्रदेश रहा है और विशाल भी इतना कि विकास का सफर तय करना प्रदेश के नेतृत्व के लिये हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है। समाज के सभी वर्गों और राज्य के प्रत्येक नागरिक व क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कृत संकल्प है। प्रदेश के विकास में समस्त जनता की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश वासियों को उत्कृष्ट एवं प्रभावी जन सेवाएं उपलब्ध कराना है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन (एक हजार अरब) डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश में एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। हालांकि यह एक बड़ा लक्ष्य है। लेकिन राज्य में अपेक्षित संसाधन और श्रमशक्ति होने के कारण असंभव नही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिनांक 21.02.2018 को प्रदेश में सम्पन्न इन्वेस्टर समिट में देश को 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा दिनांक 22.09.2019 को विश्वास दिलाया गया कि ''वर्ष 2024 तक देश को 5 ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था बनाने की कार्य योजना को मूर्त रूप देने हेतु उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। इस दिशा में प्रदेश के समग्र विकास और सुशासन का रोड मैप तैयार करना और एक टीम के रूप में उसे जमीन पर उतारना सरकार का लक्ष्य है।'' विकास की ओर अग्रसर विश्व में दस खरब डालर क्लब अर्थव्यवस्थाओं का वह समूह है जिनका वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद 10 खरब अमेरिकी डालर (एक ट्रिलियन डॉलर) से अधिक है। भारत 2007 में इस क्लब में सम्मिलित हुआ था।

उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान रखता है। भारत की जी0डी0पी0 में 8.8 प्रतिशत के योगदान के साथ महाराष्ट्र व तमिलनाडु के बाद प्रदेश तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2018–19 में उत्तर प्रदेश की जी0एस0डी0पी0 16.68 लाख करोड़ (0.234 ट्रिलियन डॉलर) अनुमानित है तथा प्रदेश की जी0डी0पी0 की विकास दर 5.3 प्रतिशत है जिसके सापेक्ष देश की जी0डी0पी0 में पिछले वर्ष की तुलना में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16 प्रतिशत अंश उत्तर प्रदेश में निवास करता है। जनसंख्या बाहुल्य होने के बावजूद प्रदेश में कार्य सहभागिता दर 32.9 प्रतिशत है जो कि देश की कार्य सहभागिता दर 39.8 प्रतिशत से कम है। संभवतः इसका मुख्य कारण प्रदेश में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर कम (16.7 प्रतिशत) होना है।

उक्त विषमताओं के बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में प्रदेश विगत दो वर्षों से उत्तरोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर है। सरकार द्वारा किये गये प्रयास यथा–इन्वेस्टर्स समिट, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डिफेन्स कॉरीडोर, ओ0डी0ओ0पी0, स्किल इण्डिया, स्टार्टअप इण्डिया इत्यादि ने आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का कार्य किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015–16 से राज्य की विकास दर अधिकांश वर्षों में राष्ट्रीय विकास दर से अधिक रही।

उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्र स्तर पर पी.एच.डी.सी.सी.आई. ने सितम्बर, 2019 में एक स्टेट पालिसी कान्क्लेव "Charting a transformational action agenda with National Ambition and Regional Aspiration" का आयोजन किया जो कि निम्न क्षेत्रों में विकास की संभावना दर्शाते हैं–

1. कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण
2. शिक्षा, कौशल विकास और नियोजनीयता
3. इंफ्रास्ट्रक्चर
4. इज ऑफ डूईग बिजनेस एवं एम0एस0एस0ई0
5. बायोटेक्नोलॉजी

वर्तमान परिदृश्य में राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक खण्ड का योगदान 25.8 प्रतिशत, माध्यमिक खण्ड का योगदान 27.0 प्रतिशत तथा तृतीयक खण्ड का योगदान 47.2 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि तृतीयक खण्ड का योगदान प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक है। खण्डवार वृद्धि दर की निम्न तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है–

तालिका–2.01
खण्डवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर

(प्रतिशत में)

क्रम संख्या	खण्ड	2017–18	2018–19
1.	प्राथमिक	9.1	2.1
2.	माध्यमिक	4.2	4.5
3.	तृतीयक	8.3	7.6
4.	जीएसडीपी	7.2	5.3

बहुआयामी विकास लक्ष्य

प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाना माननीय मुख्यमंत्री जी की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। वर्तमान परिदृश्य में उक्त लक्ष्य को वर्ष 2023–24 तक प्राप्त करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त लक्ष्य को अपेक्षाकृत तेज विकास दर से अगले पांच वर्षों में प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस क्रम में मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 08–11–19 को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं यथा–1. आई0आई0एम0, लखनऊ, 2. आई0आई0एम0, बंगलौर, 3.आई0आई0एम0, अहमदाबाद, 4. अर्नेस्ट एण्ड यंग, 5. ग्राण्ट थार्टन, 6. के0पी0एम0जी0, 7. जापान ग्रुप द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। इन संस्थाओं द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतीकरण कर राज्य की अर्थव्यवस्था को लक्ष्य तक पहुंचाने हेतु Thrust Areas को चिन्हित किया गया। उसके आधार पर उपयुक्त रोडमैप बनाने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास के उत्प्रेरक (ग्रोथ इंजन)

ग्रोथ इंजन अर्थव्यवस्था के सतत् विकास दर को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। भारत ग्रोथ के नए इंजन के रूप में वैश्विक विकास में योगदान करने को तैयार है। इस क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि ''प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का जो लक्ष्य तय किया है, उत्तर प्रदेश ही इसका ग्रोथ इंजन बनेगा।'' प्रदेश की 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक सेक्टर में अपेक्षित प्रयास किया जाना है।

प्रदेश में तकनीकी उन्नयन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलवमेंट, कृषि तथा विनिर्माण में विकास, कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार सृजन एवं निवेश इत्यादि के सम्बन्ध में उचित नीतिगत निर्णय द्वारा कम समय में लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ जा सकता हैं। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अधिकांश जनसंख्या कृषि तथा सम्वर्गीय क्रियाकलापों एवं सूक्ष्म व लघु उद्योगों में कार्यरत है। अतः कृषि एवं एम0एस0एम0एई0 प्रदेश के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में अर्थव्यवस्था को लक्ष्य तक पहुँचाने की क्षमता रखते हैं। समग्र विकास हेतु विभिन्न सेक्टरों के अंतर्गत चिन्हित चुनौतियाँ तथा प्रदेश के विकास की रणनीति निम्नवत प्रस्तुत है :–

1–कृषि एवं पशुपालन

उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में कृषि एवं पशुपालन खण्ड का योगदान लगभग 23 प्रतिशत है तथा कुल कर्मकरों का लगभग 50 प्रतिशत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ा हुआ है। प्रदेश में कृषि खण्ड असंगठित विनिर्माण क्षेत्र, सेवा खण्ड, परिवहन, भण्डारण एवं संचार खण्ड का मुख्य संचालक है। कृषि खण्ड के विकास में पशुधन, मत्स्य एवं खाद्य प्रसंस्करण की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त के अतिरिक्त कृषि खण्ड के सतत् विकास हेतु ड्रिप सिंचाई, यंत्रीकृत कृषि, ऑरगेनिक/कामर्शियल फार्मिंग, अधिक उपजदायी किस्म के उन्नतिशील बीजों का ससमय वितरण, मृदा स्वास्थ्य में गिरावट को रोकना, सौर ऊर्जा चालित ट्रैक्टर्स/पम्पसेट्स/ट्यूबवेल्स का प्रयोग, कृषि जलवायु क्षेत्र अनुकूल फसल चक्र अपनाना, अधिक से अधिक पशुचिकित्सालयों की स्थापना एवं मत्स्य विकास नीति का प्रभावी कार्यान्वयन इत्यादि को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

यद्यपि प्रदेश में कृषि उत्पादन प्रादेशिक जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उच्च स्तर पर है परन्तु अन्य प्रदेशों पंजाब व हरियाणा की तुलना में प्रदेश में उत्पादकता कम है जैसाकि निम्न सारणी से स्पष्ट है–

तालिका–2.02

प्रमुख फसलों की उत्पादकता वर्ष 2016–17 (क्रि0ग्रा0/हेक्टेयर)

क्र0सं0	राज्य/मद	गेहूँ	धान	तिलहन	गन्ना
1	पंजाब	4704	3998	1386	81273
2	हरियाणा	4514	3213	1832	80618
3	उत्तर प्रदेश	3113	2295	876	64893

स्रोत– कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कृषि खण्ड में जी0एस0डी0पी0 बढ़ाने तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा में निवेश के संबंध में प्रोफेसर अशोक गुलाटी (आइ.सी.आर.आई.ई.आर में कृषि के प्रोफेसर) व साक्षी गुप्ता के शोध–पत्र **''इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एण्ड सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चर जी.डी.पी. ग्रोथ एण्ड पावर्टी एलीविएशन''** से

यह निष्कर्ष निकला है कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर किये गये एक रूपये के निवेश से कृषि की जी0एस0डी0पी0 में रूपये 11.20 की वृद्धि होती है। यदि दस लाख रू0 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर व्यय किये जाये तो 382 लोगों को गरीबी रेखा के स्तर से ऊपर उठाया जा सकता है। स्पष्ट है कि प्रदेश में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर व्यय धनराशि को बढ़ाकर न केवल कृषि खण्ड का बल्कि समाज का भी विकास किया जा सकता है। इस क्रम में भारत व चीन के कृषि खण्ड का तुलनात्मक अध्ययन भी अवलोकनीय है–

क्रम संख्या	भारत व चीन की तुलनात्मक स्थिति		
	मद	भारत	चीन
1	2	3	4
1	कृषि योग्य भूमि (मि0है0)	156	120
2	सिंचित क्षेत्र	48%	41%
3	कृषीय उत्पादन	$407 बिलियन	$1367 बिलियन
4	राज्य की जी0एसडी0पी0 में अनुसंधान एवं विकास का योगदान	$1.4 बिलियन	$7.8 बिलियन

उक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि चीन का सिंचित क्षेत्रफल, कुल बोया गया क्षेत्रफल आदि भारत की तुलना में कम है तथापि कृषि उत्पादन भारत से लगभग तीन गुना से भी ज्यादा है। यदि कृषि क्षेत्र में चीन का मॉडल अपनाया जाए तो एक ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य की पूर्ति हेतु कृषि खण्ड का जी0डी0पी0 में योगदान बढ़ाया जा सकता है।

2–एम0एस0एम0ई0

देश के कुल विनिर्माण उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 8 प्रतिशत है एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। एमएसएमई सेक्टर कृषि के बाद सबसे कम पूंजी में रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। देश में सर्वाधिक अनुमानतः 14.2 प्रतिशत एमएसएमई उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। एमएसएमई क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात में उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्य है जिसमें–हस्तशिल्प उत्पाद, इंजिनियरिंग गुड्स, रेडीमेड गारमेंन्ट्स, जरदोजी, कालीन, चर्म उत्पाद, सिल्क उत्पाद इत्यादि सम्मिलित है। प्रदेश सरकार द्वारा ओडीओपी स्कीम की सहायता से अगले कुछ वर्षों में एमएसएमई उत्पादों के निर्यात को बढ़ाकर 5 ट्रिलियन रूपये तक करने का लक्ष्य है।

प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा दि0 24.01. 2018 को ''एक जनपद एक उत्पाद'' नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा हस्तशिल्प इकाईयों के माध्यम से प्रदेश के समावेशी एवं सतत् आर्थिक विकास हेतु प्रत्येक जनपद से विशिष्ट पहचान रखने वाले उत्पादों का चयन करते हुए उनके कुशलतापूर्वक उत्पादन एवं विपणन हेतु आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 15 से 49 आयु वर्ग की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत 49.74 था जो कि वर्तमान में कार्यकारी जनसंख्या के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। एक जनपद एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत 50,000 से ज्यादा शिल्पियों, बुनकरों एवं खादी कामगारों को वर्ष 2018–19 में कौशल उन्ननयन प्रशिक्षण दिया गया है। भविष्य में बाजार की मांग के आधार पर पाठयक्रम और व्यापार कौशल प्रदान करने हेतु कम एच0डी0आई0 वाले जनपदों में माध्यमिक और उच्च

शिक्षा संस्थानों के साथ डिप्लोमा स्तर के तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और कौशल विकास मिशन के माध्यम से दिव्यांग महिलाओं और व्यक्तियों के लिए कौशल/नौकरियों के नए सेट डिजाईन किये जाने का लक्ष्य है। कौशल विकास को शत–प्रतिशत रोजगार तथा स्वरोजगार से जोड़कर सभी के लिए काम की परिस्थितियां पैदा की जाएंगी। अगले 2.5 वर्षों में ओ0डी0ओ0पी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना एवं अन्य खादी कामगार, हस्तशिल्पी, बुनकर कौशल विकास योजनाओं से लगभग 1.00 लाख शिल्पियों, बुनकरों एवं अन्य कामगारों का कौशल उन्नयन किया जायेगा। वर्ष 2022 तक राज्य में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों द्वारा 14 लाख और वर्ष 2030 तक 65 लाख लोगों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देकर उनकी आय बढ़ाने और रोजगार के लिये तैयार करने का लक्ष्य है।

1. निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
2. कुशल मानव संसाधन का विकास करना।
3. औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
4. हस्त शिल्प तथा दस्तकारी इकाईयों को जीवनक्षम बनाना।

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 में विविधता की अधिक सम्भावना है। उपयुक्त मैथोडोलॉजी के अभाव में इस खण्ड को जी0एस0डी0पी0 में पूर्णतया समाहित नहीं किया जा रहा है। इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के उद्यमों की पहचान करने के लिए 1 अक्टूबर, 2019 से एक अल्प कालीन सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। उक्त सर्वेक्षण 1 अप्रैल, 2020 से समस्त राज्यों के सहयोग से कराया जाना प्रस्तावित है। इससे असंगठित क्षेत्र के उद्यमों में समाविष्ट श्रमशक्ति व जी0वी0ए0 प्रति कर्मकर का आंकलन किया जा सकेगा। परिणामतः प्रदेश की जी0एस0डी0पी में असंगठित क्षेत्र के योगदान का संकलन किया जाना संभव होगा जिससे जी0एस0डी0पी में निःसंदेह वृद्वि होगी।

3–अन्य खण्ड

एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उक्त प्राथमिकता प्राप्त सेक्टर के अतिरिक्त अन्य खण्डों में भी सतत विकास को बनाये रखना आवश्यक है।

प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं निवेश को बढ़ावा देने हेतु 21 एवं 22 फरवरी 2018 को इन्वेस्टर समिट–2018 का आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेश के प्रतिष्ठित उद्यमियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। समिट के दौरान रू0 4.68 लाख करोड़ के 1047 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुये। शासन के निर्देशानुसार एम0ओ0यू0 का निरन्तर फालोअप किया जा रहा है। तत्क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम एवं द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से क्रमशः लगभग 61,000 करोड़ एवं 65,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आये जिनके द्वारा क्रमशः 2.06 लाख एवं 2.65 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है।

- **पर्यटन**

वर्ष 2018 में आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या के अनुसार प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान था तथा विदेशी पर्यटको की संख्या के अनुसार देश में तृतीय स्थान रहा। पर्यटन खण्ड न केवल 2.28 लाख लोगो को रोजगार प्रदान करता है बल्कि विदेशी मुद्रा अर्जन का भी प्रमुख स्रोत है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु निम्न रणनीति अपनायी जा रही है–

- उत्तर प्रदेश को वर्ष 2023 तक भारत का सबसे पंसदीदा पर्यटन गंतव्य बनाना।
- पर्यटन में प्रति वर्ष रू0 5000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना।
- पर्यटन से प्रति वर्ष लगभग 5,00,000 व्यक्तियों का रोजगार सृजन।

- घरेलू पर्यटन एवं विदेशी पर्यटन में अगले पाँच वर्षों में क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रयास।
- प्रतिवर्ष 10 प्राचीन इमारतों को धरोहर होटलों में रूपांतारित करना ।
- अगले पाँच वर्षों में 10,000 पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान कराना।
- स्थानीय पर्व एवं आयोजन को बढ़ावा देना (जैसे–दीपोत्सव, गंगा महोत्सव, शिल्पोत्सव नोएडा आदि)।
- प्रतिवर्ष लगभग 1,00,000 पर्यटकों को उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य की तरफ आकर्षित करना ।
- प्रदेश में क्षेत्रीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल पर पहुँचने हेतु सड़क, रेल एवं वायुमार्गों की कनेक्टीविटी में सुधार।

• आई0टी0 एवं स्टार्टअप्स

आई0टी0 इन्ड्रस्ट्रीज, स्टार्टअप्स, अवस्थापना, मानव संसाधन विकास और प्रभावी नीतियों द्वारा उत्तर प्रदेश आई0टी0 सेक्टर के विकास हेतु निरंतर प्रयासरत है। उक्त के क्रम में पी0पी0पी0 माडल पर लखनऊ में आई0टी0 सिटी की स्थापना की गयी है। इसी प्रकार आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली आदि स्थानों पर आई0टी0 पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। प्रदेश में स्टार्टअप्स के प्रोत्साहन हेतु रूपये एक हजार करोड़ के स्टार्टअप फंड की स्थापना की गयी है। आईटी/इलेक्ट्रॉनिक सिटी, आईटी पार्क्स, स्टार्ट अप, इन्क्युवेटर इत्यदि की स्थापना एवं इलेक्ट्रानिक विनिर्माण क्लस्टर विकास की योजना द्वारा प्रदेश में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को बढ़ाने के साथ ही एक नई आईटी और स्टार्टअप नीति 2019 एवं नई इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2019 पर कार्य चल रहा है। स्टार्टअप पोर्टल को ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विकसित किया जायेगा।

• अवस्थापना विकास

अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत परिवहन, संचार, ऊर्जा तथा पेयजल विकास संबंधी भौतिक सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इन सुविधाओं की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था के बिना समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। अवस्थापना सुविधाओं पर किया जा रहा निवेश, कृषि, उद्योग तथा व्यापार के विकास हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है। राज्य में परिवहन एवं संचार व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाने की दृष्टि से प्रदेश में सड़क मार्गों, एक्सप्रेस वेज, रेल मार्गों, वायु मार्गों, जल मार्गों एवं मेट्रो रेल के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है। अवस्थापना विकास हेतु प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर, गंगा एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, स्मार्ट सिटी मिशन आदि परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे न केवल प्रदेश के अवध और पूर्वांचल क्षेत्रों को जोड़ेगा, बल्कि इसके निर्माण से पूर्वी क्षेत्र प्रदेश की राजधानी के साथ आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे तथा यमुना एक्सप्रेस–वे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से भी जुड़ जाएगा। उक्त एक्सप्रेस–वे के निर्माण से रोजगार सृजन के अतिरिक्त पर्यटन, व्यापार, विनिर्माण, निर्माण खण्ड, स्थानीय उत्पाद तथा अन्य सेवा क्षेत्रों में भी समग्र विकास होगा। इससे क्षेत्रीय विषमताओं में भी कमी आयेगी।

• स्मार्ट सिटी मिशन

केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में चयनित किए गए 12 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत रूपये 20 हजार करोड़ की परियोजनायें प्रगति

पर हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्मार्ट सिटी के विकास के लिए आय–व्ययक में 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

• रेशम उत्पादन

रेशम निदेशालय के प्रयासों से प्रदेश में कच्चे रेशम का कीट पालन क्षेत्र में विकास हो रहा है। वर्ष 2018–19 में प्रदेश का कुल कच्चा रेशम उत्पादन लगभग 300 मीट्रिक टन और कोया उत्पादन लगभग 26000 था। रेशम कीट विकास योजना, रेशम अनुसंधान एवं विकास योजना, उष्णकटिबंधीय टसर के लिए नर्सरी पौध उत्पादन की योजना एवं नील क्रांति मिशन के माध्यम से रेशम कीट पालन उद्योग को प्रोत्साहित करके राज्य में रेशम उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

• ऊर्जा

अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में उर्जा की आधारभूत आवश्यकता है। कृषि और औद्योगिक विकास में अभिवृद्धि के लिए विद्युत की उपलब्धता महत्वपूर्ण घटक है। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं आपूर्ति मे सुधार हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण निम्नवत् हैः–

- उ0प्र0 सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से 24X7 पावर फार आल योजना का क्रियान्वयन किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत सभी को 24 घण्टे बिजली दिये जाने हेतु दीन दयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सौभाग्य योजना, उजाला योजना एवं अन्य विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रयास किया जा रहा है।
- सुगम संयोजन योजना– गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कई परिवार के घरों में अब तक बिजली नहीं पहुंची है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वह बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। यह काम सुगम संयोजन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है।
- ऊर्जा के गैर–परंपरागत स्त्रोतों के उपयोग को प्रभावी बनाने की दिशा में यूपी नेडा द्वारा ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाए, मिनी–ग्रिड सोलर पावर प्लान्ट परियोजना कार्यक्रम, रूफटाप ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर प्लाण्ट का क्रियान्वयन, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, सोलर पावर पैक योजना एवं प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में आर.ओ.वाटर संयंत्र कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

उत्तर प्रदेश राज्य "स्वास्थ्य नीति" लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। प्रदेश में 6 करोड़ लोग आयुष्मान योजना से लाभान्वित हैं, इसके अतिरिक्त 55 लाख लोग मुख्यमंत्री जन–आरोग्य योजना से आच्छादित हैं। प्रदेश में फार्मास्यूटिकल के साथ ही हेल्थकेयर क्षेत्र के विकास के प्रति निवेशकों ने विशेष रूचि प्रदर्शित की है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उद्यमियों से 5378 करोड़ रूपये की आठ परियोजनाओं के प्रस्ताव ग्रेटर नोएडा, नोएडा व यमुना एक्सप्रेस–वे के पास लखनऊ, मथुरा, गाजियाबाद व मुरादाबाद के लिए प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में रेडियोलॉजी व पैथोलॉजी तथा डायग्नोस्टिक सेवाओं को विकसित किए जाने और ग्रेटर नोएडा व लखनऊ में मेडिकल सिटी विकसित करने के साथ सुपर–स्पेशिएलिटी अस्पताल व अन्य चिकित्सालय बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं से करीब 37 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

मील के पत्थर स्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों हेतु वर्तमान स्थिति, 2022 एवं 2024 का लक्ष्य निम्नवत् है–

क्रम सं0	गतिविधि	वर्तमान स्थिति	लक्ष्य (वर्ष 2022)	लक्ष्य (वर्ष 2024)
1	एम.एस.एम.ई. की संख्या (लाख)	42.00	45.00	55.00
2	कार्यबल का रोजगार (लाख)	105.00	118.00	130.00
3	निर्यात (करोड़ रूपये)	1,14,000	1,35,000	1,50,000
4	हस्तकला का निर्यात (करोड़ रूपये)	9,500	12,000	18,000
5	हथकरघा उत्पादन (मिलियन मीटर)	50.8	57.0	60.0
6	पावरलूम उत्पाद (मिलियन मीटर)	2,950.00	3,350.00	3,500.00
7	कच्चा रेशम उत्पादन (मीट्रिक टन)	330.00	410	510
8	नामित औद्योगिक भूमि प्रतिशत	0.06	0.07	0.09
9	कौशल उन्नयन (संख्या करोड़)	10.00	14.00	30.50
10	क्लस्टर विकास परियोजनाओं की संख्या	15	20	30
11	पर्यटन की आमद (लाख)	2,888.61	3,200.00	3,528.00
12	पर्यटन क्षेत्र में रोजगार (लाख)	2.28	3.75	4.50
13	आईटी सिटी की संख्या	1	1	1
14	इलेक्ट्रानिक सिटी की संख्या	0	1	1
15	आई0टी0 पार्क की संख्या	8	8	10
16	स्टार्ट अप की संख्या	200	1000	1500
17	इन्कयुबेटर की संख्या	25	75	100

स्रोतः– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 द्वारा एस0डी0जी0–8 हेतु विभिन्न विभागों से प्राप्त कार्ययोजना से संकलित।

स्पष्ट है कि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर किये बिना भारत सहित प्रदेश के चतुर्दिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस हेतु समस्त प्रशासनिक विभागों, अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों का वांछनीय सहयोग आवश्यक है ताकि इनमें समन्वय करके हर सेक्टर में विकास की अधिकतम सीमा का आंकलन किया जा सके और ''सकल विकास दर'' की अनुमन्य मदों में आनुपातिक वृद्धि की जा सके। वन ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य की प्राप्ति प्रथम दृष्टया चुनौतीपूर्ण है परन्तु असंभव नहीं है।

****

अध्याय–3

वित्त एवं बैंकिंग सेवायें

मुख्य बिन्दु–

- वर्ष 2018–19 (पु0अ0) के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश का कुल राजस्व आय 3,80,021.72 करोड़ रूपये तथा कुल राजस्व व्यय 3,32,774.06 करोड़ रूपये रहा।
- राज्य की राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश वर्ष 2018–19 में 42.9 प्रतिशत था अर्थात राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 57.1 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार से अंतरण के माध्यम से प्राप्त होता है।
- राजकोषीय घाटा का स.रा.घ.उ. से प्रतिशत वर्ष 2014–15 में 3.40 प्रतिशत था जो वर्ष 2017–18 में घटकर 2.02 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। वर्ष 2018–19 में यह 2.97 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2017–18 तक कुल ऋणग्रस्तता रू0 4,08,716.49 करोड़ थी जो वर्ष 2018–19 के अन्त तक इसके रू0 4,42,508.70 करोड़ तक होने का अनुमान है।
- प्रदेश में कुल 18394 बैंक शाखाओं एवं 29695 बैंक मित्रों तथा इण्डियन पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लि0 की 15416 शाखाओं एवं 17570 ए0टी0एम0 के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- प्रदेश में व्यवसायिक बैंकों (ग्रामीण बैंकों सहित) में मार्च, 2019 तक रू0 1030115.17 करोड़ की धनराशि जमा थी।
- वाणि0 बैंक एवं क्षे0 ग्रा0 बैंकों का ऋण जमा अनुपात मार्च, 2019 में 52.18 एवं जून, 2019 में 56.73 था।
- प्रदेश में **डिजिटल पेमेंट** को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजिटल इण्डिया अभियान के अंतर्गत बैंकों द्वारा जून, 2019 तक कुल 43.82 करोड़ ट्रांजेक्शन किये जा चुके हैं।

लोक निधि

उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है जहां 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 16.6 प्रतिशत निवास करती है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 77.7 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। विदित है कि राज्य का स्वयं का कर राजस्व मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों से ही प्राप्त होता है अर्थात मात्र 22.3 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या ही प्रमुखता से राज्य के कर में योगदान करती है। राज्य के संसाधनों के सीमित स्रोत का यह एक महत्वपूर्ण कारक है।

1. राजस्व प्राप्ति

राज्य के संसाधन मुख्य रूप से राज्य के अपने संसाधन तथा केन्द्र सरकार से अन्तरण के आधार पर प्राप्त होते हैं। राज्य के राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं– कर, करेत्तर राजस्व तथा केन्द्र सरकार से अन्तरण। केन्द्रीय अन्तरण के स्रोत हैं। केन्द्रीय करों के विभाज्य अंश में राज्य का अंश तथा केन्द्र से प्राप्त अनुदान। वर्ष 2017–18 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश को 2,78,775.45 करोड़ रूपये की कुल राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व से 1,17,187.86 करोड़ रूपये तथा केन्द्र से करों के विभाज्य अंश में तथा केन्द्रीय अनुदानों के रूप में रू0 1,61,587.99 करोड़ रूपया प्राप्त हुआ। राज्य के गत पांच वर्षों की राजस्व प्राप्तियों को तालिका–3.01 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.01– राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख स्रोत

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	राज्य का स्वयं का राजस्व		केन्द्रीय संक्रमण		कुल राजस्व प्राप्तियां
	राज्य कर तथा शुल्क	राज्य करेत्तर राजस्व	केन्द्रीय करों में अंश	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	
1	2	3	4	5	6
2014–15	74,172.98	19,934.80	66,622.35	32,691.48	1,93,421.61
2015–16	81,106.29	23,134.66	90,973.66	31,861.33	2,27,075.94
2016–17	85,966.25	28,944.07	1,09,427.96	32,536.87	2,56,875.15
2017–18	97,393.00	19,794.86	1,20,939.14	40,648.45	2,78,775.45
2018–19 (पु0अ0)	1,34,300.00	28,821.66	1,41,539.97	75,360.09	3,80,021.72

राज्य की राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश वर्ष 2018–19 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 42.9 प्रतिशत था अर्थात राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 57.1 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार से अंतरण के माध्यम से प्राप्त होता है। संसाधनों में वृद्धि के लिये राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति, 2019 में उल्लिखित संसाधन वृद्धि के राज्य सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्रयासों को बाक्स–1 में दर्शाया गया है।

बाक्स–1

1. वाणिज्यिक कर विभाग

- केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के समर्थन एवं सहयोग से दिनांक 01 जुलाई, 2017 से जी0एस0टी0 कर प्रणाली लागू की गयी। समय–समय पर जी0एस0टी0 काउन्सिल की सिफारिश पर अनेकों विज्ञप्तियां जारी की जा चुकीं हैं जिनमें अधिनियम, नियमावली तथा वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें निर्धारित करने से सम्बन्धित विज्ञप्तियां शामिल हैं। जी0एस0टी0 में कतिपय मदों में कर की दर पूर्व प्रचलित वैट की दर से काफी कम है जिस कारण प्रदेश का राजस्व प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। बावजूद इसके अधिक संख्या में व्यापारियों के जी0एस0टी0 व्यवस्था में भाग लेने तथा करापवंचन पर अंकुश से राज्य की आय में आने वाले वर्षों में वृद्धि के अथक प्रयास किये जा रहें है।

2. स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग

- जनपदों के द्विवार्षिक मूल्यांकन के स्थान पर वार्षिक मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण दिनांक 01–08–2014 से प्रभावी है। जिसके क्रम में सर्किल रेट का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पुनरीक्षण किया गया।

3. आबकारी विभाग

- वित्तीय वर्ष 2018–19 की आबकारी नीति निर्धारित की गयी थी।
- देशी शराब की प्रोसेसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस, एम0जी0क्यू0 आदि में वृद्धि की गयी।
- माडल शाप्स की प्रोसेसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस में वृद्धि की गयी।
- बीयर की प्रोसेसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस में वृद्धि की गयी।

4. भूतत्व एवं खनिकर्म

- खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु खनन पट्टों के विवरण एवं परिवहन प्रपत्रों का आनलाइन प्रबन्धन से करापवंचन पर अंकुश लगाया जा सका।

विदित है कि माह जुलाई, 2017 से देश में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) प्रणाली लागू हो गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 पूर्ण जी.एस.टी. वाला प्रथम वित्तीय वर्ष है। ज्ञातव्य है कि पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त होने वाले कर को छोड़ कर मूल्य संवर्द्धित कर (वैट) के सभी घटक जी.एस.टी. में समाहित हो गये हैं तथा मनोरंजन कर एवं लग्जरी कर भी जी.एस.टी. में शामिल हो गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राज्य के स्वयं के कर राजस्व में जी.एस.टी. की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है, जबकि वैट का अंश लगभग 18 प्रतिशत है। राज्य उत्पाद शुल्क का अंश बढ़कर 19 प्रतिशत हो गया है तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क का अंश लगभग 14 प्रतिशत है। राज्य का स्वयं का कर राजस्व इन्हीं मदों से प्राप्त होने वाले कर पर ही मुख्यतः निर्भर रहता है।

राज्य के स्वंय के कर राजस्व में अंश

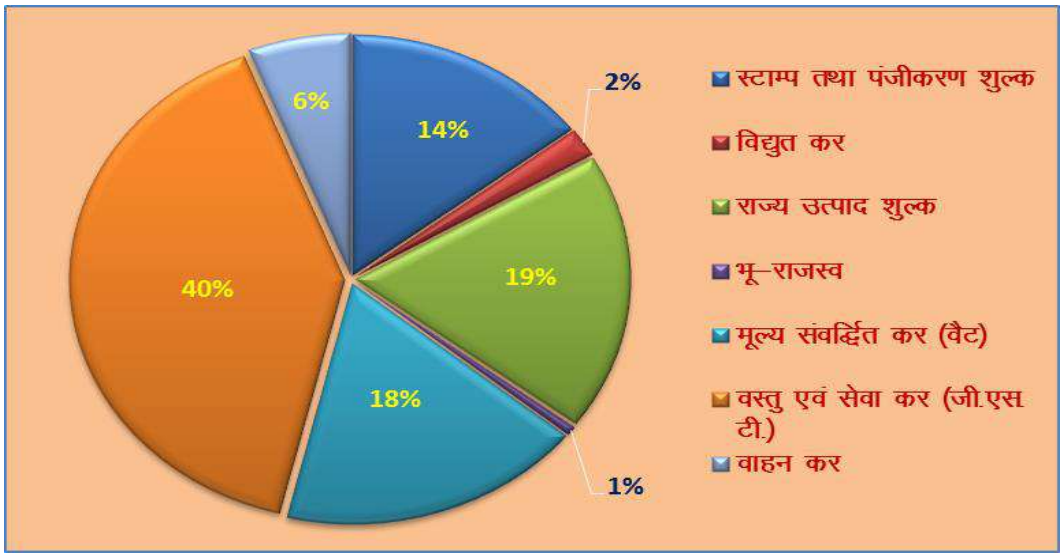

2. राजस्व व्यय

राजस्व व्यय के मुख्य भाग हैं– राज्य करों की वसूली पर व्यय, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय। वर्ष 2014–15 से वर्ष 2018–19 की अवधि में राजस्व **व्यय** तथा सामान्य, सामाजिक, आर्थिक सेवाओं एवं स्थानीय निकायों के अनुदान पर होने वाले राजस्व व्यय को तालिका–3.02 में दिया गया है।

तालिका 3.02– राजस्व व्यय के मुख्य घटक

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	कुल राजस्व व्यय	राजस्व व्यय के घटक			
		सामान्य सेवायें	सामाजिक सेवायें	आर्थिक सेवायें	स्थानीय निकायों को अनुदान
1	2	3	4	5	6
2014–15	1,71,027.33	64,305.73	60,905.78	34,885.24	10,930.58
2015–16	2,12,735.95	72,227.92	82,486.46	47,881.28	10,140.29
2016–17	2,36,592.26	88,254.82	91,861.12	45,834.16	10,642.16
2017–18	2,66,223.52	1,05,781.67	84,251.68	64,634.76	11,555.41
2018–19 (पु०अ०)	3,32,774.06	1,37,011.04	1,11,081.78	72,493.72	12,187.52

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर होने वाला व्यय, विकासात्मक श्रेणी में तथा सामान्य सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय, विकासेत्तर व्यय की श्रेणी में आता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 तक विकासेत्तर राजस्व व्यय का अंश कुल राजस्व व्यय में घट कर 34 प्रतिशत के स्तर तक आ गया था परन्तु इसके उपरान्त इसमें लगातार वृद्धि परिलक्षित हो रही है। उल्लेखनीय है कि विकासेत्तर राजस्व व्यय में मुख्य रूप से पेंशन एवं ब्याज की मद शामिल है तथा 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप दिनांक 01 जनवरी, 2017 (प्रभावी तिथि 01 जनवरी, 2016) से पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप आगे के वर्षों में यह प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। यद्यपि सरकार प्रयासरत है कि विकासात्मक मदों में राजस्व व्यय को बढ़ाया जाय।

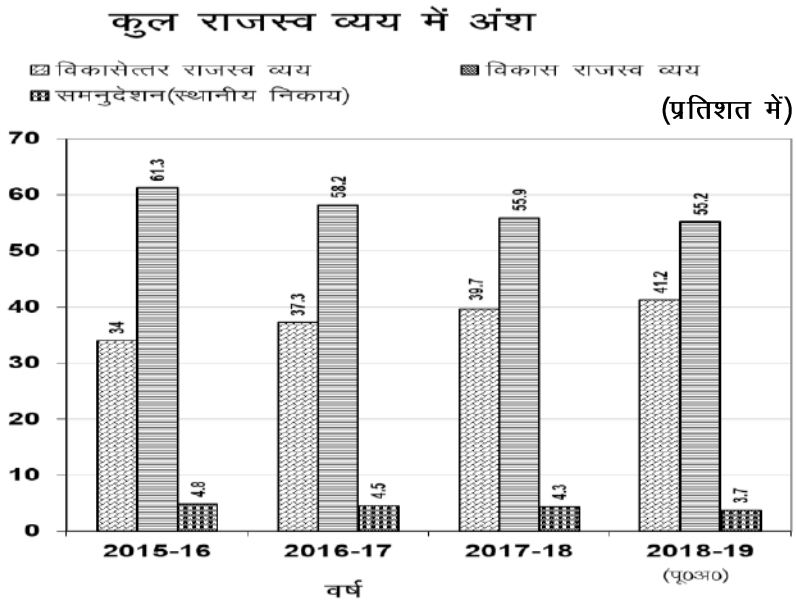

3. वेतन, पेंशन, ब्याज

राज्य के व्यय का एक बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में व्यय हो जाता है। यह राज्य सरकार का वचनबद्ध व्यय है जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य है। इन मदों में किये जाने वाले व्यय का विवरण तालिका–3.03 में दिया गया है।

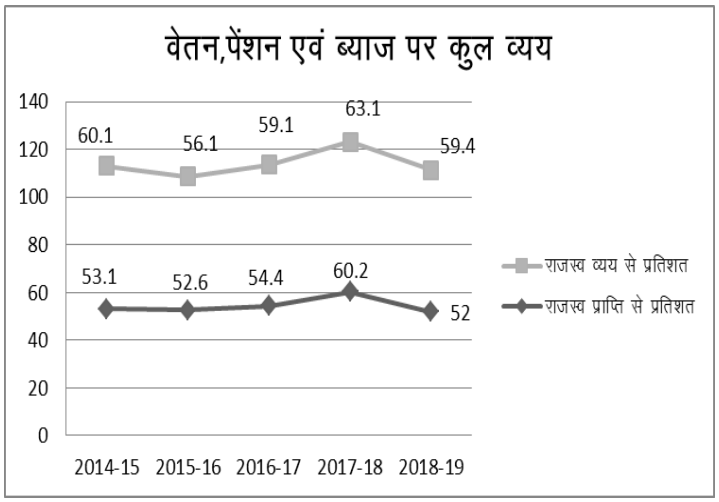

तालिका–3.03 वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर राजस्व व्यय

(रू0 करोड़ में)

	वेतन	पेंशन	ब्याज	वेतन+पेंशन+ब्याज
1	**2**	**3**	**4**	**5**
2014-15	61,557.74	22,304.61	18,864.44	1,02,726.79
2015-16	73,795.79	24,149.57	21,447.87	1,19,393.23
2016-17	84,591.85	28,226.94	26,935.67	1,39,754.46
2017-18	1,00,260.43	38,476.49	29135.83	1,67,872.75
2018-19 (पु०अ०)	1,18,170.85	47,617.49	31870.70	1,97,659.04

वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर होने वाले कुल व्यय का राज्य की राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व व्यय के साथ प्रतिशत ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार इन वचनबद्ध व्ययों को नियन्त्रण में रखने के सार्थक प्रयास कर रही है। वर्ष 2014–15 में यह राजस्व व्यय का 60.1 प्रतिशत था जो 2016–17 में घट कर 59.1 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। यद्यपि 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में वेतन एवं पेंशन का जनवरी, 2016 की प्रभावी तिथि से पुनरीक्षण के फलस्वरूप आगे के वर्षों में इसका प्रभाव परिलक्षित हो रहा है।

पूंजीगत परिव्यय का स.रा.घ.उ. से प्रतिशत

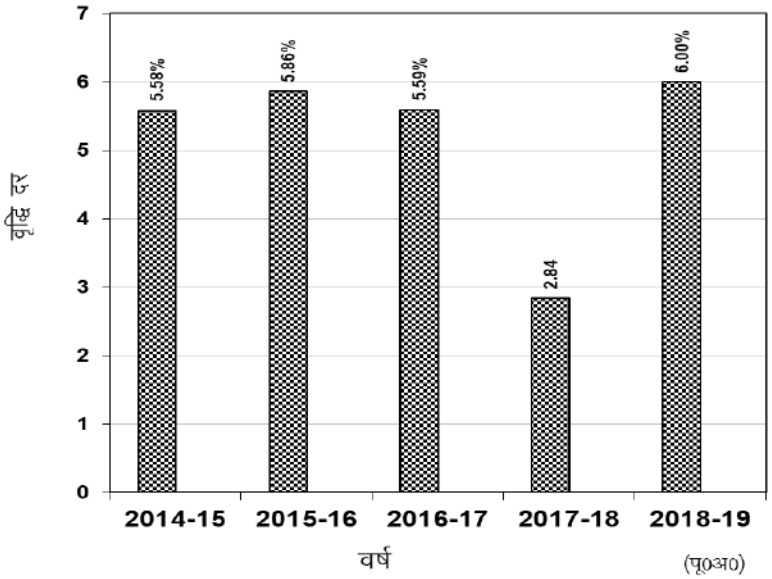

4. पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत परिव्यय राज्य की विकासात्मक गतिविधि को प्रदर्शित करने वाला व्यय है। यद्यपि पूंजीगत परिव्यय का कोई मानक निर्धारित नहीं है फिर भी यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जितना अधिक होगा, राज्य के लिये बेहतर माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानों की वर्षों से चली आ रही ऋण की समस्या के दृष्टिगत ऋण मोचन किया गया जिसके कारण पूंजीगत परिव्यय में वर्ष 2017–18 में कमी परिलक्षित हो रही है। राज्य सरकार का यह कदम वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दुगुनी करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है तथा इसका दीर्घकालीन अनुकूल प्रभाव प्रदेश की वृद्धि दर पर पड़ेगा।

5. ऋण का उपयोग

विकासशील व्यवस्था में ऋण का महत्वपूर्ण योगदान होता है परन्तु वित्तीय अनुशासन के अभाव में लिया जाने वाला ऋण अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। प्रदेश की जनोपयोगी परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा कतिपय माध्यमों से ऋण लिया जाता है। लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत व्यय को वहन करने के लिये ऋण लेना बुरा नहीं है बशर्ते उस ऋण का उपयोग परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये किया जाय। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2002–03 में लिये गये ऋण का मात्र 46 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय में उपयोग

ऋण का उपयोग
(प्रतिशत में)

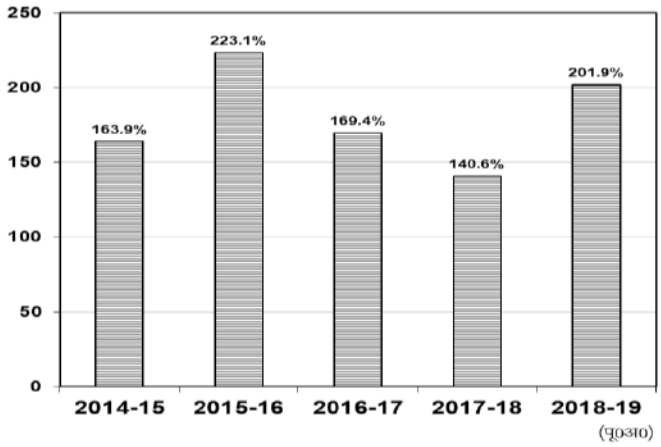

हुआ था जिसका अर्थ है कि ऋण के आधे से अधिक अंश का उपयोग पूंजीगत कार्यों में नहीं किया जा रहा था जो एक अव्यस्थित अर्थव्यवस्था को इंगित करता है यद्यपि आगे के वर्षों में स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। वर्ष 2014–15 से 2018–19 की अवधि में यह 100 प्रतिशत के स्तर से ऊपर है। जिसका आशय है कि न सिर्फ शतप्रतिशत ऋण का उपयोग विकास कार्यों के लिये किया गया बल्कि राजस्व बचत के बड़े अंश का उपयोग भी पूंजीगत कार्यों के लिये किया जा रहा है जो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का द्योतक है।

6. वित्तीय संकेतक

वर्ष 1988–89 से वर्ष 2005–06 तक राज्य में राजस्व घाटे की स्थिति बनी रही। वर्ष 2004 में एफ.आर.बी.एम. अधिनियम पारित किये जाने के उपरान्त वर्ष 2006–07 में राजस्व अधिशेष (सरप्लस) की स्थिति प्राप्त की जा सकी तथा तब से लगातार राजस्व अधिशेष की स्थिति बनी हुयी है। राजकोषीय घाटे को भी नियन्त्रित किया गया। विगत पांच वर्षों में राज्य के वित्तीय संकेतकों को तालिका–3.04 से समझा जा सकता है।

तलिका 3.04: राजकोषीय स्थिति के प्रमुख संकेतक

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	राजस्व अधिशेष	राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा
2014-15	22,394.28	32,513.17	13,648.72
2015-16	14,339.99	58,475.01 *(28,872.41)*	37,027.14
2016-17	20,282.89	*55,988.53* *(41,187.24)*	29,052.86
2017-18	12,551.93	27,809.56	-1,326.27
2018-19 (पु०अ०)	47,247.66	43,839.75	11,969.05

नोट–कोष्ठक में दिये गये आंकड़े, राजकोषीय घाटा में उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्संरचना के लिये वर्ष 2015–16 में रू0 28872.41 करोड़ तथा वर्ष 2016–17 में रू0 41187.24 करोड़ के बाण्ड्स को केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ.आर.बी.एम. एक्ट में संगत वर्ष के लिये निर्धारित वार्षिक ऋण सीमा से बाहर रख कर प्रदर्शित किया गया है।

6.1 राजस्व घाटा/अधिशेष

वर्ष 2006–07 में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये राजस्व अधिशेष की स्थिति को, इसके बाद के वर्षों में भी लगातार बनाये रखा गया है, साथ ही यह प्रयास भी किया जाता रहा है कि राजस्व बचत के कुल आकार में भी वृद्धि की हो सके।

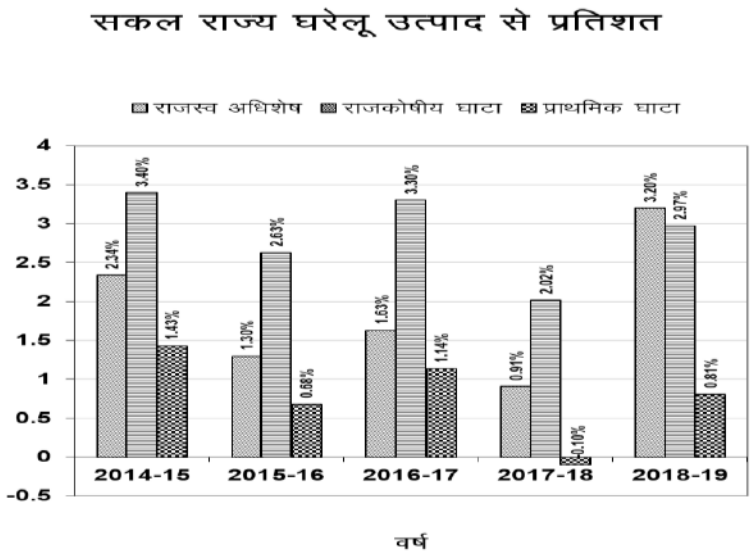

6.2 राजकोषीय घाटा

किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिति को आंकने का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक राजकोषीय घाटा का स.रा.घ.उ. से प्रतिशत होता है। वर्ष

2014–15 में यह 3.40 प्रतिशत के स्तर पर था जो वर्ष 2017–18 में घटकर 2.02 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। उल्लेखनीय है कि 13वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 की अवधि के लिए 3.0 प्रतिशत की सीमा राज्य के लिए निर्धारित की गयी थी। आयोग की संस्तुति के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उक्त वर्षों में राजकोषीय घाटे को निर्धारित 3 प्रतिशत के स्तर से नीचे बनाये रखे जाने का प्रयास किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से 14वें वित्त आयोग की संस्तुति लागू हो गयी तथा पुनः 3 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गयी परन्तु दो शर्तों यथा ऋण/स.रा.घ.उ. के 25 प्रतिशत से कम होने तथा ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति के 10 प्रतिशत से कम होने पर आगामी वर्ष में क्रमशः 0.25–0.25 प्रतिशत की लोचनीयता भी प्रदान की गयी अर्थात दोनों शर्त पूर्ण करने की स्थिति में राज्य अधिकतम 3.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की सीमा तक जा सकते हैं। यहॉ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015–16 में राज्य की ब्याज अदायगी सम्बन्धी शर्त पूर्ण होने के कारण राज्य को वित्तीय वर्ष 2016–17 में 3.25 प्रतिशत की सीमा अनुमन्य थी। ग्राफ में उल्लिखित राजकोषीय घाटे के आंकड़ों में केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उज्जवल डिस्काम एश्योरेन्स योजना 'उदय' के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्संरचना के भार को शामिल न करते हुये राजकोषीय घाटे का आगणन किया गया है।

6.3 प्राथमिक घाटा

राजकोषीय घाटे की राशि में से ब्याज अदायगियों का कुल व्यय भार घटाने से जो राशि निकलती है वह प्राथमिक घाटा दर्शाती है। राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2018–19 में लगभग 0.81 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान है।

7. राज्य की कुल ऋणग्रस्तता

प्रदेश में विकासात्मक योजनाओं एवं सामाजिक उत्थान के अनेकों कार्यों हेतु राज्य सरकार को अपने सीमित संसाधनों के दृष्टिगत ऋण लेने की आवश्यकता होती है। जैसा पूर्व में भी कहा गया है कि लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत विकासात्मक एवं पूंजीगत निवेश जैसे कार्यों हेतु ऋण लिया जाना पूर्णतया उचित है। स्पष्ट है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में विकास हेतु ऋण लिया जाना अपरिहार्य है परन्तु ऋण का उचित प्रबन्धन अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसके अभाव में पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है तथा राज्य ऋण जाल में फंस सकता है।

तलिका 3.05 राज्य की कुल ऋणग्रस्तता

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण	अल्प बचत	भविष्य एवं पेंशन निधियां	ऊर्जा बन्धपत्र	अन्य*	कुल ऋणग्रस्तता
2014-15	1,02,666.91	65,444.26	45,480.38	5,857.32	47,371.82	**2,66,820.69**
2015-16	1,27,967.87	69,782.94	47,014.66	34,872.73	44,297.46	**3,23,935.66**
2016-17	1,64,872.26	65,251.36	48,733.64	49,674.02	44,886.05	**3,73,417.33**
2017-18	2,02,050.26	60,608.32	51,263.76	49,674.02	45,120.13	**4,08,716.49**
2018-19 (पु०अ०)	2,37,356.93	55,736.67	54,020.36	49,674.02	45,720.72	**4,42,508.70**

नोट–*अन्य में वित्तीय संस्थाओं से ऋण, भारत सरकार से ऋण, जमा एवं अग्रिम अन्य देयतायें शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था विकासशील है जिस कारण अनेकों स्रोतों से राज्य सरकार द्वारा ऋण की उगाही की जाती है। राज्य सरकार की कुल ऋणग्रस्तता को तालिका–3.05 से समझा जा सकता है जिसके अनुसार वर्ष 2017–18 तक कुल ऋणग्रस्तता रू0 4,08,716.49 करोड़ तक पहुंच गयी है तथा वर्ष 2018–19 के अन्त तक इसके रू0 4,42,508.70 करोड़ तक होने का अनुमान है।

तालिका से स्पष्ट है कि राज्य की कुल ऋणग्रस्तता लगातार बढ़ती जा रही है परन्तु किसी भी राज्य की ऋणग्रस्तता का आंकलन उसकी कुल ऋणग्रस्तता से नहीं अपितु सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में किये जाने पर ही राज्य के ऋणग्रस्तता का सही आंकलन किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कतिपय केन्द्रीय वित्त आयोगों द्वारा राज्य एवं संघ के लिये कुल ऋणग्रस्तता एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिये निर्धारित अनुपात की संस्तुति की जाती रही है। यदि राज्य अपने निर्धारित प्रतिशत अनुपात की सीमा के अन्दर हैं तो राज्य की ऋण स्थिति नियन्त्रित मानी जाती है। 13वें वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में 'उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004' में समय–समय पर संशोधन कर राज्य का ऋण प्रतिशत निर्धारित किया गया है तथा ग्राफ को देखने से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य का ऋण/स.रा.घ.उ. अनुपात, अधिनियम में निर्धारित अनुपात से प्रत्येक वर्ष कम रहा है जो इस तथ्य का द्योतक है कि राज्य के सकल ऋण उत्तरदायित्व की स्थिति पूर्णतया नियन्त्रण में है।

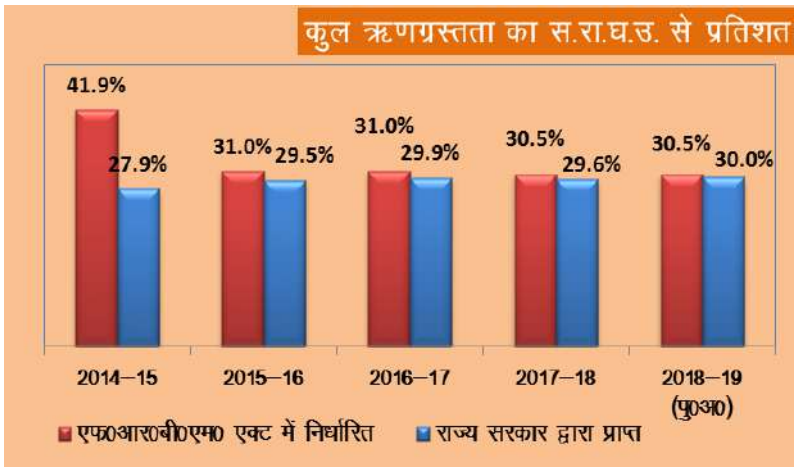

8. ऋण के स्रोत

राज्य की ऋण की संरचना में सर्वाधिक अंश बाजार ऋण का है। वर्ष 2018–19 तक के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल ऋणग्रस्तता का लगभग आधा से अधिक अंश अर्थात 53.7 प्रतिशत अंश बाजार ऋण से ही प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात् अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से लिया गया ऋण लगभग 12.6 प्रतिशत है तथा 14वें वित्त आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में एन.एस.एस.एफ. से राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने की प्रक्रिया समाप्त होने से इसमें लगातार

कुल ऋणग्रस्तता की प्रतिशत संरचना
(31 मार्च, 2018 तक अनुमानित)

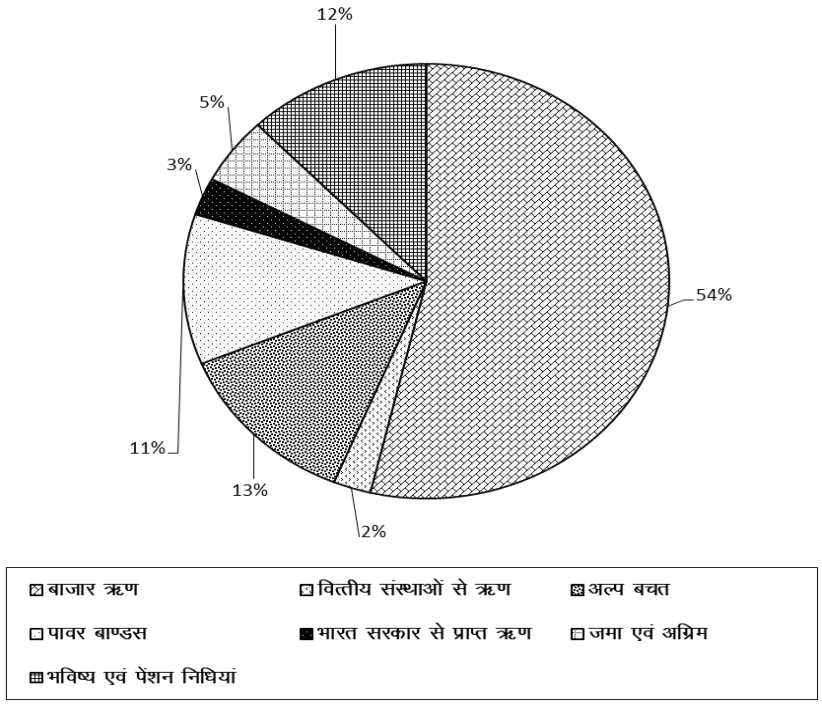

कमी हो रही है। भविष्य एवं पेंशन निधियॉ भी राज्य के ऋण में समुचित योगदान करती हैं। वित्तीय वर्ष 2005–06 से 12वें वित्त आयोग की अवधि लागू होने पर आयोग द्वारा बाजार ऋण को अधिक महत्ता देते हुये केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले ऋण को हतोत्साहित किया गया जिसके उपरान्त यह लगातार घटते हुये अब मात्र 2.8 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। विदित है कि राज्यों को भिन्न–भिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले ऋण की अदायगी की अवधि एवं ब्याज दर, ऋण की शर्तों के अनुसार अलग–अलग होते हैं।

9. ऋण सीमा एवं ऋण सेवा

13वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की ऋण सीमा अवार्ड अवधि 2010–15 हेतु निर्धारित की गयी थी जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्यों की मौद्रिक रूप में ऋण सीमा निर्धारित की जाती है तथा राज्यों का यह दायित्व है कि इस ऋण सीमा के अन्दर ही ऋण लिया जाये। 14वें वित्त आयोग द्वारा भी 3 प्रतिशत ऋण सीमा लागू की गयी है यद्यपि राज्यों में 0.25–0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त लोचनीयता प्रदान की गयी है यदि उनका ऋण–जीएसडीपी अनुपात उसके पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम है अथवा ब्याज भुगतान एवं राजस्व प्राप्ति का अनुपात 10 प्रतिशत से कम है। यह लोचनीयता अलग– अलग अथवा एक साथ राज्यों को प्राप्त हो सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा विगत कई वर्षों से निर्धारित सीमा के अधीन ही प्रत्येक वर्ष ऋण लिया जा रहा है।

ऋण सेवा
(राजस्व प्राप्ति से प्रतिशत)

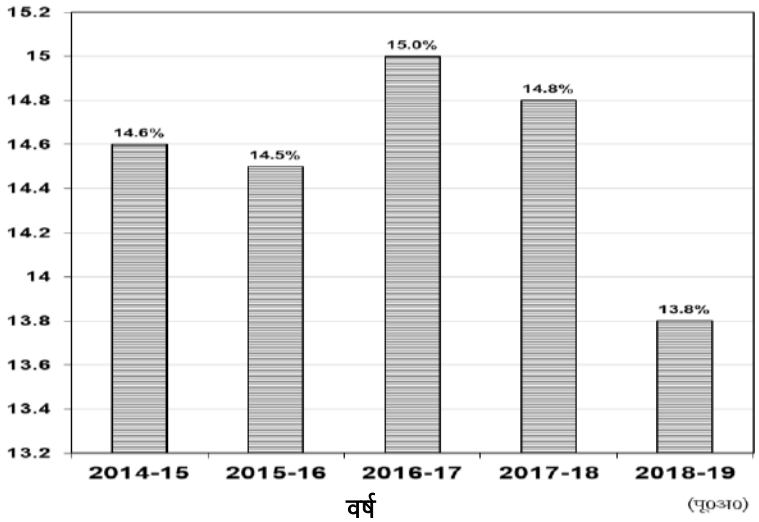

राज्य सरकार की ऋण सेवा के दो घटक हैं, ऋणों का प्रतिसंदाय एवं ब्याज अदायगी जिसमें विगत वर्षों में लगातार कमी हुयी है। एक दशक पूर्व ऋण सेवा का राजस्व प्राप्ति से अनुपात 26 प्रतिशत से अधिक था जो वर्ष 2014–15 तक घटते हुये 14.6 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। इसके उपरान्त भी ऋण सेवा में कमी जारी रही है तथा वर्ष 2017–18 में यह 14.8 प्रतिशत के स्तर पर आ गया एवं वर्ष 2018–19 तक इसके और भी घटकर 13.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यहॉ उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के आंकड़ों में अर्थोपाय अग्रिम की धनराशि सम्मिलित नहीं की गयी है।

विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट में विकासोपयोगी योजनाओं एवं किसानों को प्राथमिकता प्रदान की गयी है। राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानों को वित्तीय सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु फसली ऋणों में एक लाख तक ऋण मोचन की सुविधा प्रदान की गयी। वर्ष 2018–19 में अवशेष किसानों को यह सुविधा प्रदान की गयी। 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किये जाने से राज्य के वेतन एवं पेंशन पर व्यय भार बढ़ गया है। उदय योजना में प्रतिभाग किये जाने से भी राज्य के कर्ज में बढ़ोत्तरी हुयी है तथा वर्ष 2018–19 से ब्याज के साथ–साथ मूल ऋण का प्रतिदान भी प्रारम्भ कर दिया गया है। राज्य पर आने वाले इन व्यय भार के बावजूद विकासात्मक

गतिविधियों से समझौता किये बिना वित्तीय अनुशासन से एफ0आर0बी0एम0 एक्ट में निर्धारित राजकोषीय घाटा तथा कुल ऋणग्रस्तता को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के निर्धारित अनुपात को भी नियन्त्रण में बनाये रखा गया। राज्य में 'इन्वेस्टर समिट', ग्राउन्ड ब्रेकिंग सेरेमनी जैसे सफल आयोजन किये गये जिससे प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल बना है इससे रोजगार सृजन के भी व्यापक अवसर सृजित होंगे। राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों से राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है जिसका सीधा लाभ समाज के वंचित वर्ग को प्राप्त होगा।

प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं की स्थिति

1—प्रदेश में बैंकिंग नेटवर्क

प्रदेश में कुल 18394 बैंक शाखाओं एवं 29695 बैंक मित्रों तथा इण्डियन पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लि0 की 15416 शाखाओं एवं 17570 ए0टी0एम0 के माध्यम से प्रदे'k के समस्त नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदेश में जून, 2019 तक 17570 ए0टी0एम0 कार्यरत हैं।

उत्तर प्रदेश में मार्च, 2019 तक कुल कार्यरत बैंक शाखाओं का विवरण निम्नवत् हैः—

तालिका 3.06

प्रदेश में बैंकिंग नेटवर्क

क्र0सं0	बैंक का प्रकार	बैंक शाखाओं की संख्या	
		2018—19	2019—20 (30—06—19 तक)
1	सार्वजनिक बैंक	11154	11022
2	निजी बैंक	1337	1861
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4314	4286
4	सहकारी बैंक	1589	1583
5	लघु वित्तीय बैंक	—	117
कुल		**18394**	**18869**

2—बैंकों की वार्षिक जमा

प्रदेश में व्यवसायिक बैंकों (ग्रामीण बैंकों सहित) में मार्च, 2019 तक रू0 1030115.17 करोड़ की धनराशि जमा है।

3—ऋण जमा अनुपात—

जून, 2018 एवं मार्च, 2019 की स्थिति के सापेक्ष जून, 2019 तक की एजेन्सीवार ऋण जमा अनुपात एवं ऋण निवेश जमा अनुपात की प्रगति निम्नानुसार है—

विवरण	संस्था	त्रैमास		अंतर (जून, 2018 से जून, 2019)	मार्च, 2019	अंतर (मार्च, 2019 से जून, 2019)
		जून 2018	जून 2019			
ऋण जमा अनुपात	वाणि0 बैंक+ क्षे0 ग्रा0 बैं0+ सहकारी बैंक	51.20	57.24	6.04	52.67	4.57
ऋण + निवेश जमा अनुपात	वाणि0 बैंक + क्षे0 ग्रा0 बैं0 + सहकारी बैंक	61.16	65.46	4.3	61.59	3.87

आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वाणिज्यिक + क्षेत्रीण ग्रामीण बैंकों का जून, 2019 तक का ऋण जमा अनुपात विगत वर्ष की आलोच्य अवधि के सापेक्ष 6.10 प्रतिशत बढ़ा है साथ ही ऋण निवेश जमा अनुपात में भी 4.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

बैंकवार/सेक्टरवार अग्रिमों की स्थिति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वाणिज्यिक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कृषि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कमजोर वर्गों हेतु ऋण क्रमशः रू0 140543.37 करोड़ (24.47 प्रतिशत), रू0 311649.03 करोड़ (54.26 प्रतिशत) एवं रू0 102970.14 करोड़ (17.93 प्रतिशत) है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के सापेक्ष अच्छा है।

4–वार्षिक ऋण योजना–

प्रदेश के एक समान विकास की अवधारणा से विभिन्न रोजगारपरक् योजनाओं जैसे–प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों यथा– कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, गृह, ऊर्जा आदि क्षेत्रों के अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण कराये जाने हेतु प्रत्येक जनपद के लिए प्रति वर्ष वार्षिक ऋण योजना तैयार की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान योजनान्तर्गत रू0 174110.34 करोड़ का ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया गया।

वर्ष 2019–20 हेतु वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत रू0 256389.01 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसके सापेक्ष 30.06.2019 तक उपलब्धि रू0 46105.13 करोड़ (17.98 प्रतिशत) रही है। सेक्टवार ऋण वितरण की स्थिति निम्नानुसार है–

क्षेत्र	लक्ष्य		उपलब्धि	% उपलब्धि
	2018–19	2019–20	जून, 2019	जून, 2019
कृषि	158425.56	170201.06	23972.23	14.08
लघु उद्यम	41401.85	51808.81	18380.76	35.48
सेवायें (शिक्षा+गृह+अन्य)	29829.00	34379.12	3752.14	10.91
कुल	229656.41	256388.99	46105.13	17.98

5–प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऋणों की वसूली

बैंकवार कृषि व प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत जून, 2019 में ऋण वसूली की स्थिति निम्नानुसार हैः–

विवरण	मांग	वसूली	अतिदेय	वसूली प्रतिशत (जून, 2019)	वसूली प्रतिशत (जून, 2018)
कृषि	64793.37	41131.61	23661.75	63.48	66.00
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	59593.17	37225.95	22367.21	62.47	64.04

उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कृषि व प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत जून, 2019 तक क्रमशः 63.48 प्रतिशत व 62.47 प्रतिशत वसूली रही है जो गत वर्ष की समान अवधि के सापेक्ष कम हुई है।

6–प्रदेश में वित्तीय सेवाओं से संबंधित योजनाओं की प्रगति –

(क) प्रधानमंत्री जन–धन योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रत्येक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के संबंध में भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रधानमंत्री जन–धन योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में जून, 2019 तक लगभग 5.62 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें रू0 18235.09 करोड़ की धनराशि जमा है। सक्रिय 5.09 करोड़ खातों के सापेक्ष 4.46 करोड़ खातों को रूपे डेबिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं। इनमें से 4.27 करोड़ (82.81%) खातों को जून, 2019 तक आधार से जोड़ा जा चुका है।

(ख) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी0एम0एस0बी0वाई0) के अन्तर्गत बैंक खाता धारकों जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष है, को वार्षिक प्रीमियम रू0 12 में रू0 2.00 लाख के दुर्घटना बीमा का कवरेज उपलब्ध होगा जो विकलांगता की स्थिति में भी उपलब्ध होगा। योजनान्तर्गत 31 मार्च, 2019 तक 1.95 करोड़ लोगों को पंजीकरण किया जा चुका है। योजनान्तर्गत जून, 2019 तक 2.19 करोड़ नामांकन के साथ **उ0प्र0 का देश में प्रथम स्थान है।**

(ग) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी0एम0जे0जे0बी0वाई0) के अन्तर्गत बैंक के खाता धारकों जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष है, को रू0 2.00 लाख का जीवन बीमा वार्षिक प्रीमियम रू0 330/– पर उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 तक 50.45 लाख लोगों के पंजीकरण किये जा चुके हैं। योजनान्तर्गत 30–06–2019 तक 52.90 लाख नामांकन के साथ **उ0प्र0 का देश में द्वितीय स्थान है।**

(घ) अटल पेंशन योजना (ए0पी0वाई0) वृद्धावस्था में आय का स्रोत प्रदान करने के उद्देश्य से 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु यह योजना लागू की गयी है ताकि न्यूनतम 20 वर्ष तक अंशदान का भुगतान करने पर 60 वर्ष की आयु से उन्हें मासिक पेंशन का लाभ मिल सके। इसका उद्देश्य नागरिकों को विशेषकर असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाना है। योजना आरम्भ से **वित्तीय वर्ष 2018–19** तक 22.33 लाख लोगों को इस **योजनांतर्गत** पंजीकृत किया जा चुका है। **योजनांतर्गत प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।**

वित्तीय वर्ष 2019–20 में 30.06.2019 तक कुल 2,87,877 नये लोगों को **योजनांतर्गत** जोड़ा गया है जो कि पूरे भारत वर्ष का 16.47 प्रतिशत है। प्रदेश में योजना आरम्भ से अब तक 25,21,514 लोग जुड़ चुके हैं जोकि पूरे भारतवर्ष का 14.86 प्रतिशत है।

7–बैंक मित्रों द्वारा प्रदत्त वित्तीय सेवायें–

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार वित्तीय सेवायें सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाने हेतु समस्त उत्तर प्रदेश को 27,628 सब सर्विस एरिया में बॉटा गया। सब सर्विस एरिया 4 से 6 हजार की आबादी व 5 कि0मी0 की दूरी को ध्यान में रखकर बनाया गया। प्रदेश में कुल 18,869 बैंक शाखाओं एवं 29,726 बैंक मित्रों द्वारा इन सब सर्विस एरिया में सेवाएं प्रदान की जा रही है। सभी बैंक मित्र उत्तर प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में आधार आधारित एवं रूपे कार्ड आधारित ट्रांजेक्शन के माध्यम से भी वित्तीय सेवायें प्रदान कर रहें हैं।

8–शिक्षा ऋण

शिक्षा मानव संसाधन और देश में विकास व सशक्तिकरण के लिये आवश्यक है। यद्यपि सरकारी प्रयासों के द्वारा सभी के लिये प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है तथापि उच्च शिक्षा महंगी होने के कारण अनेक गरीब एवं मेधावी छात्र इससे वंचित रह जाते हैं। इसके मद्देनजर वर्ष 2001–02 से सरकार ने शिक्षा ऋण योजना पर जोर दिया।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जून, 2019 तक सभी बैंकों द्वारा कुल 7,355 विद्यार्थियों को रू0 192.17 करोड़ की धनराशि वितरित की गयी है।

9–डिजिटल बैंकिंग–

विमुद्रीकरण के पश्चात कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु बैंकों ने आधार आधारित एवं रूपे कार्ड आधारित जमा/भुगतान शुरू किया है। साथ ही ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंको द्वारा मोबाइल बैंकिंग, यू0पी0आई0, भीम एप इत्यादि सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। **डिजिटल पेमेंट** को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजिटल इण्डिया अभियान के अंतर्गत बैंकों द्वारा जून, 2019 तक कुल 43.82 करोड़ ट्रांजेक्शन किये जा चुके हैं।

10–प्रत्यक्ष बेनिफिट हस्तांतरण (डी0बी0टी0) की स्थिति–

भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में बैंकिंग सेक्टर के सहयोग से डी0बी0टी0 के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में सम्बन्धित लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ पहुंचाया जा रहा है जिसका विस्तृत विवरण सम्बन्धित अध्यायों में दिया गया है। इस सम्बन्ध में कृषि विभाग की प्रगति उल्लेखनीय रही। डी0बी0टी0 के माध्यम से फसली ऋण के भुगतान में प्रदेश का प्रथम स्थान रहा। ग्राम विकास की प्रधानमंत्री आवास, शौचालय निर्माण, पेंशन एवं छात्रवृत्ति आदि योजनाओं हेतु लाभार्थियों के खाते में धनराशि के सीधे हस्तांतरण में प्रदेश की उल्लेखनीय प्रगति रही।

11–वित्तीय साक्षरता–

वित्तीय साक्षरता की पृष्ठभूमि में स्कूल विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता से अवगत कराने एवं वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय बैंक संघ ने **स्कूल बैंक चैम्प्स प्रोग्राम** का शुभारम्भ किया है। इस पहल के अंतर्गत बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा एक एक विद्यालय को अंगीकृत किया जाना है। तत्पश्चात विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस क्रम में प्रदेश में अंगीकृत 9,649 स्कूलों में 12015 प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर 5,62,691 विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की गयी।

12–प्रधानमंत्री मुद्रा योजना–

भारत सरकार द्वारा अति लघु इकाइयों के विकास तथा पुनर्वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों हेतु एक नयी संस्था का गठन दिनांक 08.04.2015 को किया गया है जिसका नाम मुद्रा (MUDRA-Micro Units Development & Refinancing Agency Ltd.) है। इस योजना की शुरूआत गैर कार्पोरेट, गैर–कृषि लघु/लघु उद्यमों को रू0 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत ऋण वाणिज्यिक बैंक, आर.आर.वी, लघु वित्त बैंक सहकारी बैंक,एम.एफ.आई और एन.बी.एफ.सी द्वारा प्रदान किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने हेतु निम्न प्राविधान किया गया है–

शिशु : रू0 50,000 तक के ऋण

किशोर : 50,000 से अधिक तथा रू0 5 लाख तक के ऋण

तरूण : रू0 5 लाख से रू0 10 लाख तक के ऋण

वित्तीय वर्ष 2019–20 में समीक्षा अवधि के दौरान रू0 5811.82 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

13–स्वयं सहायता समूह–

स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म उद्यमियों का एक ऐसा पंजीकृत अथवा अपंजीकृत समूह है जिनकी सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि एक समान होती है तथा जो एक साथ एकत्र होकर स्वेच्छा

से एवं नियमित रूप से छोटी छोटी बचत द्वारा एक कोर्पस तैयार करते हैं जिसके द्वारा समूह के किसी सदस्य की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आन्तरिक लेन–देन किया जा सके।

प्रदेश में विभिन्न बैंक, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना तथा नाबार्ड के सहयोग से समूह गठन व उनके वित्त पोषण हेतु निरंतर कार्यरत है।

जून, 2019 को समाप्त अवधि में बैंकवार संकलित सूचना निम्नवत् है–

संस्था	कुल गठित समूह (प्रारम्भ से)	वित्त–पोषित समूह			
		संख्या		धनराशि	
	संख्या	अप्रैल, 2019 से जून, 2019	कुल बकाया समूह संख्या	अप्रैल, 2019 से जून, 2019	कुल बकाया धनराशि
वाणिज्यिक बैंक	171806	2257	137919	1236.39	137216.80
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	301473	3969	184743	3376.00	70023.12
कुल योग	473279	6226	322662	4612.39	207239.92

14– "100 दिवसीय एम0एस0एम0ई0 सहयोग एवं सम्पर्क अभियान")

भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा उसमे नई ऊर्जा का संचरण करने हेतु देश में 02 नवम्बर, 2018 से "सहयोग एवं सम्पर्क अभियान"(100 दिन) शुरू किया गया। इस अभियान में देश के 104 जनपद चिन्हित किये गये जिसमें प्रदेश के 09 जनपद यथा–वाराणसी, आगरा, भदोही, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद तथा उन्नाव सम्मिलित किये गये जिनमें 260623 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों से सम्पर्क किये जाने के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि 131 प्रतिशत रही। अभियान से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रमों में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु बैंकर्स एवं विभागों के साथ अनुश्रवण/अनुसरण के फलस्वरूप विभिन्न पैरामीटर्स में उ0प्र0 ने सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। अभियान की निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के उपरांत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में उपलब्धि निम्नवत् रही :–

- **59 मिनट ऋण** पोर्टल पर दर्शायी गयी सूचना के अनुसार अभियान के दौरान 1806 इकाईयों को ऋण अनुमोदित किये गये हैं जिनमें से 1042 इकाईयों को स्वीकृति भी प्राप्त है।
- **ऋणों के पुनर्गठन कार्यक्रम** में उक्त अवधि तक 17514 लाभार्थियों के ऋणों का पुनर्गठन किया गया।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना** के अन्तर्गत 3.48 लाख लाभार्थियों को रू0 1784 करोड़ के ऋण बॉटे गये।
- **सिडबी की सी.जी.टी.एस.एम.ई. योजना** का लाभ भी 2308 लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया।

- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत अभियान के दौरान 120 इकाईयों को ऋण उपलब्ध कराया गया।
- **ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों** से प्रशिक्षण प्राप्त 384 लाभार्थियों को अभियान के दौरान ऋण उपलब्ध कराया गया।
- **प्रधानमंत्री जन धन योजना** के अन्तर्गत 2.06 लाख नये खाते खोले गये।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना** के अन्तर्गत अभियान की अवधि के दौरान 85709 एवं **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना** के अन्तर्गत 2.68 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों के कार्मिकों को पंजीकृत किया गया।

उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण देश में उत्तर प्रदेश 13 पैरामीटर्स में से 07 पैरामीटर्स में प्रथम, 02 पैरामीटर्स में तृतीय एवं 04 पैरामीटर्स में चतुर्थ स्थान पर रहा।

15–आंकाक्षी जनपदों में बैंकिंग–

विकास सूचंकाक में महत्वपूर्ण अंतर–राज्य और अंतर जनपदीय विविधताओं को कम करने के लिए नीति आयोग ने देशभर के 115 पिछड़े जिलों की पहचान की है। उत्तर प्रदेश में इन 115 जिलों में से 8 जनपद यथा बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर एवं सोनभद्र है। इन जिलों में बैकिंग से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचकांकों को समीक्षा हेतु शामिल किया गया है–

- प्रति लाख आबादी पर मुद्रा ऋण का कुल वितरण–(धनराशि करोड़ रूपए में)
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी0एम0जे0जे0बी0आई) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी0एम0एस0बी0वाई0)–(प्रति लाख आबादी पर नामांकन की संख्या)
- अटल पेंशन योजना (ए0पी0वाई0)–(प्रति लाख आबादी पर लाभार्थियों की संख्या)
- कुल बैंक खातों में आधार लिंक खातों का प्रतिशत।
- प्रति लाख जनसंख्या पर प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या।

उपरोक्त मानकों के तहत इन अति पिछड़े जिलों की प्रगति अनुश्रवण देश तथा राज्य के तय मानकों पर सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले जिलों से की जाती है। नीति आयोग द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि वर्ष 2022 तक इन अति पिछड़ें जिलों को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले तक ले जाया जाये। इन जिलों की उक्त मानकों पर निगरानी करने हेतु नीति आयोग द्वारा एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है जिस पर प्रत्येक आकांक्षी जनपदों के आंकड़ें उपलब्ध हैं।

****

अध्याय–4

कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा

मुख्य बिन्दु–

- 2018–19 में प्रचलित भावों पर राज्य के सकल घरेलू मूल्य वर्धन 1668229.24 करोड़ रू० में कुल कृषीय फसलों का अंश 233674.61 करोड़ रू० था।
- स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में फसलों की वृद्धि दर वर्ष 2018–19 में 5.5 प्रतिशत रही।
- वर्ष 2015–16 की कृषि गणना के आधार पर प्रदेश में कुल कृषि जोतों की संख्या 238.22 लाख है जिसमें से 221.08 लाख (92.8 प्रतिशत) कृषि जोत लघु एवं सीमान्त श्रेणी की हैं। उनके पास प्रदेश के कुल कृषित क्षेत्रफल का 65.7 प्रतिशत कृषि क्षेत्रफल है।
- वर्ष 2018–19 में खाद्यान्न का उत्पादन 604.00 लाख मी0टन रहा जो वर्ष 2017–18 की तुलना में 5.26 प्रतिशत अधिक रहा।
- प्रदेश का गेहूँ तथा खाद्यान्न उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है।
- प्रदेश में वर्ष 2014–15 में कुल बोया गया क्षेत्रफल 26147 लाख हेक्टेयर था जो वर्ष 2015–16 में 0.21 प्रतिशत बढ़कर 26203 लाख हेक्टेयर हो गया।
- प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्धता 746.64 ग्राम/व्यक्ति/दिन है, जो आवश्यकता 539.00 ग्राम/व्यक्ति/दिन से अधिक है।

कृषि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है। प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने, जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने, राज्य को राष्ट्र के खाद्य भण्डार के रूप में सम्पन्न बनाने तथा ग्रामीण जनता की आर्थिक उन्नति एवं सम्पन्नता सुनिश्चित कर ग्राम्य जीवन में गुणवत्तायुक्त सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। सरकार का उद्देश्य कृषि विकास की दर को गति प्रदान करने के साथ–साथ फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर कर क्षेत्र विशेष हेतु उपर्युक्त विशिष्ट योजनाओं का क्रियान्वयन तथा कृषकों को रोजगार के नये अवसर सृजित करना है जिससे प्रदेश के कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर उनके जीवन–स्तर को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से ऊपर उठाया जा सके।

कृषि विकास हेतु नवीन संकल्प–

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सभी इच्छुक एवं जरूरतमंद किसानों तक पहुँचाना।
- आगामी वित्तीय वर्ष के अन्त तक सभी कृषकों को स्वायल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराना।
- 50 लाख किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई से लाभान्वित कराना।
- प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में गठित राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से पंजीकृत कृषकों को मानक के अनुसार उनके उत्पादों का प्रमाणन कराना।
- वर्मी कम्पोस्ट तथा गोबर गैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विशेष अनुदान उपलब्ध कराना।
- कृषि उत्पादन की विकास दर प्रति वर्ष 5.1 प्रतिशत बनाये रखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृषि की नवीन तकनीकी का प्रचार–प्रसार तथा कृषकों की कृषि से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान।

- **वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दो गुना करने** के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार करना, जिसमें ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, विपणन एवं कृषि विविधीकरण पर फोकस करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना। इस दिशा में निम्न **रणनीति** अपनायी जा रही हैं–
- **एकीकृत फसल प्रणाली–** दो या दो से अधिक फसलें एक साथ (इन्टर–क्रापिंग), मिश्रित फसलें, एक साथ बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन करना। इससे कम लागत में अधिकतम लाभ होता है तथा वर्ष के बारह महीने रोजगार भी मिलता है।
- **अन्तः फसली खेती (इन्टर–क्रापिंग):–** खरीफ में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अरहर/उर्द/मूंग के साथ मक्का, ज्वार, बाजरा तथा सांवा, कोदों एवं तिलहनी फसलों की अन्तः फसली खेती।
- **कृषि विविधीकरणः–** वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगना करने हेतु खेती के साथ–साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, शाकभाजी की खेती, उद्यानीकरण, वनीकरण, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, रेशम पालन आदि आवश्यक है ताकि वे कृषि विविधीकरण अपनाते हुए विभिन्न स्रोतों से अपनी आय में वृद्धि कर सकें। इसके अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित किये जाने पर जोर दिया जा रहा है–
- **कृषि वानिकीः–** मेड़ पर पेड़ लगाना। पापुलर, युकेलिप्ट्स, कीकर बबूल, करौंदा आदि पौधों का रोपण खरीफ में किया जाये। इससे अतिरिक्त आय मिलती है।
- **दुग्ध उत्पादनः–** डेयरी योजना आय वृद्धि का प्रमुख स्रोत है। दुग्ध उत्पादन के साथ–साथ पशुओं के गोबर एवं मूत्र का प्रयोग कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट/नाडेप कम्पोस्ट के लिए अत्यन्त उपयोगी है।
- **मुर्गी पालनः–**लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) के किसानों के लिए मुर्गी पालन/अण्डा उत्पादन गांव स्तर पर लाभकारी व्यवसाय है।
- **मत्स्य पालनः–** छोटे तालाबों/पोखरों में मछली पालन करने से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है।
- **सब्जी की खेती एवं बागवानीः–** सब्जी उत्पादन प्रतिदिन आय का स्रोत सिद्ध है। खरीफ में तोरई, लौकी, कद्दू, करेला, परवल, टिण्डा, पालक/चौलाई, लोबिया, बैंगन, टमाटर आदि सब्जियों की वैज्ञानिक खेती तथा फूलों की खेती लाभदायक है।
- **मधुमक्खी पालनः–** छोटी जोत तथा बागवानी के किसान के लिए मधुमक्खी पालन को अपनाना उपयुक्त है। इसमें मधुमक्खी के 50 डिब्बे से 2 लाख रू0 आमदनी आसानी से प्राप्त हो जाती है।
- **बिना पैसा लगाये, उपज बढ़ाने वाले कार्य–** समय पर बुआई, सिंचाई, उर्वरक का प्रयोग, रोग/कीट नियंत्रण, कटाई, मड़ाई एवं भण्डारण पर लगभग 25–30 प्रतिशत अधिक उपज होती है। घर के बीज को प्रयोग करने के पहले सफाई/छंटाई तथा बीज शोधन करने के उपरान्त बुआई करने से बचत होती है।
- **पैसा लगने वाले निवेशों का प्रबन्धनः– 1.** राजकीय बीज भण्डार/शोध केन्द्रों से बीज क्रय कर, अपने खेतों में उत्पादन कर, दूसरे वर्ष बीज के लिए तैयार करना। सीड ड्रिल का प्रयोग करना। **2.** मृदा परीक्षण के परिणामों के आधार पर फसल की आवश्यकतानुसार उर्वरकों का प्रयोग करना। **3.**दलहनी फसलों की सिंचाई स्प्रिंकलर द्वारा करना इससे उपज में वृद्धि होती है।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जारी राज्य आय के **त्वरित अनुमान** के अनुसार वर्ष 2018–19 में प्रचलित भावों पर राज्य के सकल घरेलू मूल्य वर्धन 1668229.24 करोड़ रू० में कुल कृषीय फसलों का अंश 233674.61 करोड़ रू० था। वर्ष 2018–19 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू

मूल्य वर्धन में कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन क्षेत्र का योगदान 24.6 प्रतिशत रहा जिसमें कृषीय फसलों का योगदान 15.8 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2017–18 में स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 4.0 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2018–19 में 5.4 प्रतिशत हो गयी है। इसी प्रकार फसलों की वृद्धि दर जो कि वर्ष 2017–18 में 6.0 प्रतिशत थी, वर्ष 2018–19 में 5.5 प्रतिशत हो गयी।

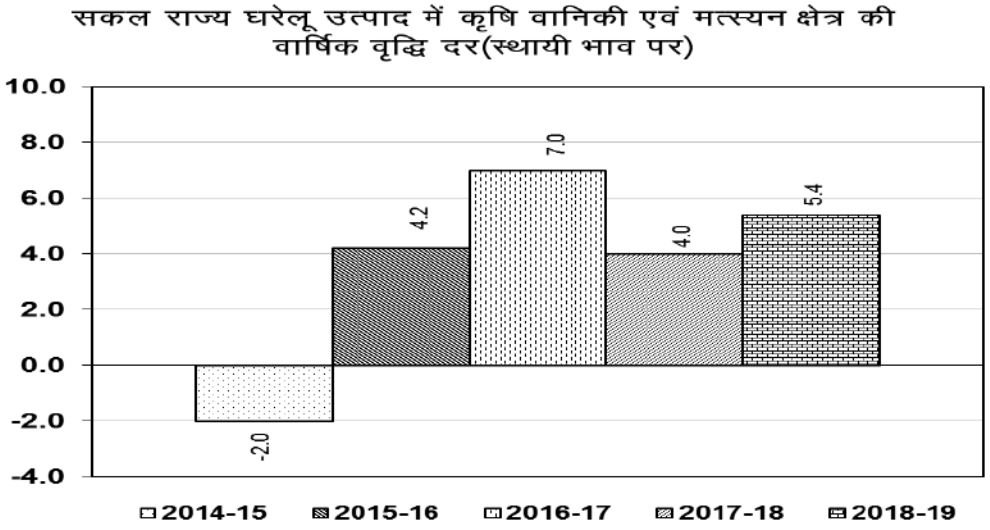

जोतों का आकार

कृषि गणना 2010–11 के आंकड़ों से विदित होता है कि उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में एक हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत 79.5 था जोकि वर्ष 2015–16 में बढ़कर 80.2 प्रतिशत हो गया। स्पष्ट है कि प्रदेश में जोतों का औसत आकार घटता जा रहा है। वर्ष 2015–16 की कृषि गणना के आधार पर प्रदेश में कुल कृषि जोतों की संख्या 238.22 लाख है जिसमें से 221.08 लाख (92.8 प्रतिशत) कृषि जोत लघु एवं सीमान्त श्रेणी के हैं जो प्रदेश के कुल कृषित क्षेत्रफल का 65.7 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि प्रदेश के कृषि विकास का भविष्य प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है किन्तु इन कृषि जोतों का आकार छोटा है अतः गहन खेती को बढ़ावा देकर कृषि को लाभप्रद बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2010–11 एवं 2015–16 में आकार वर्गानुसार क्रियात्मक जोतों की संख्या व क्षेत्रफल तालिका–4.01 में दर्शाया गया है–

तालिका–4.01

उत्तर प्रदेश में आकार वर्गानुसार क्रियात्मक जोतों की संख्या व क्षेत्रफल

आकार वर्ग (हेक्टे0में)	2010–11		2015–16	
	क्रियात्मक जोतों की सं0(हजार में)	कुल क्षेत्रफल (हजार में)	क्रियात्मक जोतों की सं0(हजार में)	कुल क्षेत्रफल (हजार हेक्टे0में)
1	2	3	4	5
1.0 से कम	18532.3 (79.5)	7170.8 (40.7)	19100 (80.2)	7298 (41.8)
1.0–2.0	3035.3 (13.0)	4243.3 (24.1)	3008 (12.6)	4175 (23.9)
2.0–4.0	1334.3 (5.7)	3628.9 (20.6)	1314 (5.5)	3560 (20.4)

आकार वर्ग (हेक्टे0में)	2010–11		2015–16	
	क्रियात्मक जोतों की सं0(हजार में)	कुल क्षेत्रफल (हजार में)	क्रियात्मक जोतों की सं0(हजार में)	कुल क्षेत्रफल (हजार हेक्टे0में)
1	2	3	4	5
4.0–10.0	398.3 (1.7)	2198.8 (12.5)	377 (1.6)	2075 (11.9)
10.0 और अधिक	25.3 (0.1)	379.8 (2.1)	23 (0.1)	343 (2.0)
योग	**23325.5 (100.0)**	**17621.6 (100.0)**	**23822 (100.0)**	**17450 (100.0)**

स्रोतः राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

नोटः–कोष्ठक में दी गयी सूचनायें प्रतिशत वितरण से सम्बंधित हैं।

कृषि में कार्यरत कर्मकरों की स्थिति

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल 658.15 लाख कर्मकर थे, जिसमें 190.58 लाख कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। कुल कर्मकरों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अंश 59.3 था। वर्ष 2001 एवं 2011 की भारतीय जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों का विवरण तालिका–4.02 में दर्शाया गया हैः–

तालिका–4.02

उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों की संख्या तथा उनका प्रतिशत वितरण

मद	इकाई	कर्मकरों की संख्या		कर्मकरों का प्रतिशत	
		2001	2011	2001	2011
1	2	3	4	5	6
1– कृषक	लाख	221.68	190.58	41.1	29.0
2– कृषि श्रमिक	,,	134.01	199.39	24.8	30.3
3– पारिवारिक उद्योग	,,	30.31	38.99	5.6	5.9
4– अन्य	,,	153.84	229.19	28.5	34.8
योग		539.84	658.15	100.0	100.0

तालिका में दो जनगणना वर्षों के आंकड़ों की तुलना से स्पष्ट है कि कृषकों की संख्या घट रही है तथा कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है।

प्रदेश में वर्ष 2014–15 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 165.98 लाख हेक्टेयर था जो वर्ष 2015–16 में 0.78 प्रतिशत घटकर 164.69 लाख हेक्टेयर हो गया। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षों में भूमि उपयोग के आंकड़े तालिका–4.03 में दर्शाये गये हैंः–

तालिका–4.03

उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग के आंकड़े

(हजार हेक्टेयर में)

मद	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
1	2	3	4	5
1.कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	24170	24170	24170	24170
2. वन	1658	1658	1659	1666
3.ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि	479	464	462	453
4. खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि	2893	3027	3046	3123
5. कृष्य बेकार भूमि	423	410	405	395
6. स्थायी चारागाह एवं अन्य चराई की भूमि	66	65	65	65
7.अन्य वृक्षों, झाड़ियों आदि की भूमि	350	325	305	291
8. वर्तमान परती	1201	1135	1122	1161
9. अन्य परती	537	539	509	547
10. वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	**16564**	**16546**	**16598**	**16469**
11. एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	9257	9350	9549	9734
12.कुल बोया गया क्षेत्रफल	**25821**	**25896**	**26147**	**26203**

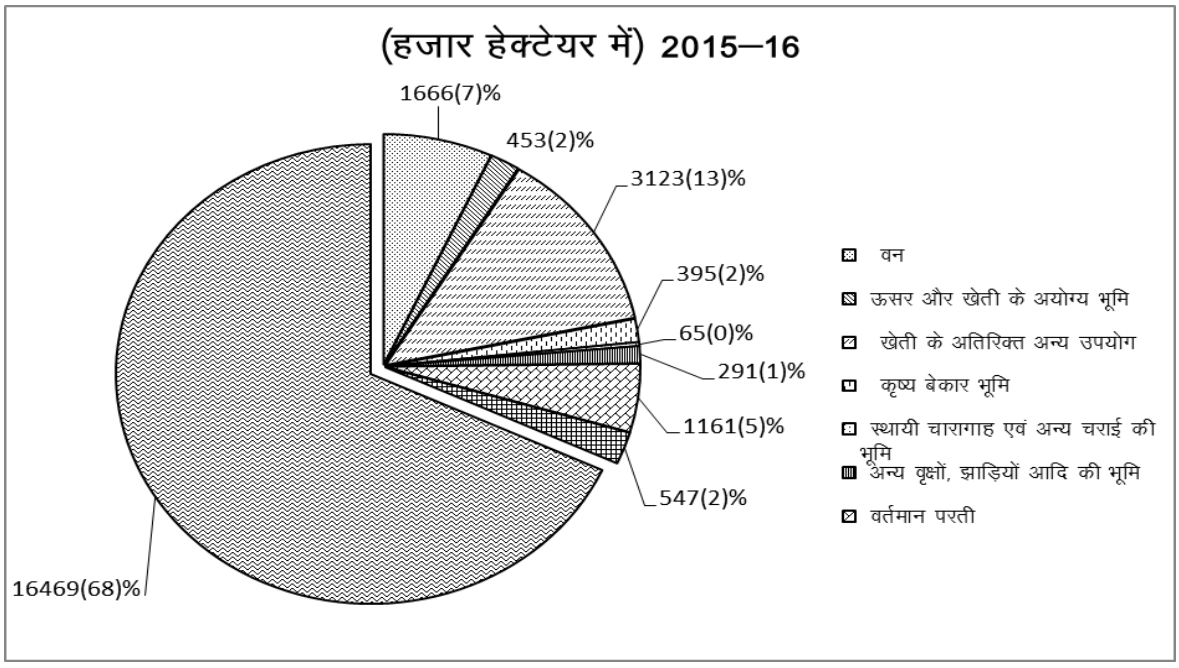

प्रदेश में कृषक परिवार तथा उनके अधीन जोतों का क्षेत्रफल की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत् हैः–

तालिका–4.04

प्रदेश में कृषक परिवार तथा उनके अधीन जोतों का क्षेत्रफल

क्र0 सं0	वर्गीकरण	कृषक परिवार (लाख)	क्षेत्रफल (लाख हे0 में)	क्षेत्रफल प्रति परिवार (हे0)
01	सीमान्त कृषक	191.00	72.98	0.38
	कुल योग से प्रतिशत	80.2	41.8	
02	लघु कृषक (01 हे0 से 02 हे0 तक)	30.08	41.75	1.39
	कुल योग से प्रतिशत	12.6	23.9	
	लघु एवं सीमान्त कृषक (02 हे0 तक)	221.08	114.73	
	कुल योग से प्रतिशत	92.8	65.7	0.52
03	अन्य कृषक (02 हे0 व उससे अधिक)	17.14	59.78	3.49
	कुल योग से प्रतिशत	7.2	34.3	
	कुल योग	238.22	174.51	0.73

गत अट्ठारह वर्षो (2000–01 से 2018–19 तक) में फसलों के अन्तर्गत आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति निम्नवत् रही है–

तालिका–4.05

प्रदेश में फसलों के अन्तर्गत आच्छादन,उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति

फसल	आच्छादन (लाख हे0 में)					
	2000–01	अधिकतम		न्यूनतम		2018–19
		वर्ष	आच्छादन	वर्ष	आच्छादन	
चावल	59.04	2014–15	61.09	2002–03	52.09	58.95
गेहूँ	92.39	2014–15	100.47	2002–03	91.64	98.56
धान्य फसलें	176.16	2014–15	181.74	2002–03	165.23	176.91
दलहन फसलें	26.92	2004–05	28.17	2015–16	18.81	22.95
खाद्यान्न फसलें	203.08	2016–17	204.61	2002–03	191.66	199.86
तिलहन	8.92	2015–16	12.91	2003–04	7.70	12.34
फसल	**उत्पादन (लाख मी0टन में)**					
	2000–01	**अधिकतम**		**न्यूनतम**		**2018–19**
		वर्ष	**उत्पादन**	**वर्ष**	**उत्पादन**	
चावल	**116.72**	2018–19	159.32	**2002–03**	95.87	159.32
गेहूँ	**251.68**	2018–19	380.40	**2014–15**	203.65	380.40
धान्य	**405.76**	2018–19	580.03	**2014–15**	360.97	580.03

फसल	उत्पादन (लाख मी0टन में)					
	2000–01	अधिकतम		न्यूनतम		2018–19
		वर्ष	उत्पादन	वर्ष	उत्पादन	
दलहन	21.61	2003–04	24.48	2015–16	11.12	23.97
खाद्यान्न	427.37	2018–19	604.00	2014–15	382.79	604.00
तिलहन	7.10	2010–11	13.91	2000–01	7.10	13.62
फसल	उत्पादकता (कु0/हे0)					
	2000–01	अधिकतम		न्यूनतम		2018–19
			वर्ष	उत्पादकता	वर्ष	उत्पादकता
धान	19.77	2018–19	27.03	2004–05	18.11	27.03
गेहूँ	27.24	2018–19	38.60	2014–15	20.27	38.60
धान्य	23.03	2018–19	32.79	2014–15	20.77	32.79
दलहन	8.03	2018–19	10.44	2014–15	5.25	10.44
खाद्यान्न	21.04	2018–19	30.22	2014–15	19.05	30.22
तिलहन	8.25	2018–19	10.79	2014–15	5.83	10.79

तालिका 4.05 से स्पष्ट है कि धान्य फसलों का कुल आच्छादन वर्ष 2000–2001 में 176.16 लाख हे0 था जो वर्ष 2018–19 में बढ़ कर 176.91 लाख हे0 हो गया। दलहनी फसलों का आच्छादन वर्ष 2000–2001 के 26.92 लाख हे0 से घटकर वर्ष 2018–19 में 22.95 लाख हे0 हो गया जबकि तिलहन के अन्तर्गत आच्छादन 8.92 से बढ़कर 12.34 लाख हे0 हो गया।

इन फसलों के उत्पादन की स्थिति का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि धान्य फसलों का उत्पादन वर्ष 2000–01 के 405.76 लाख मी0 टन से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 580.03 लाख मी0 टन हो गया। दलहन के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और यह वर्ष 2000–01 के 21.61 लाख मी0 टन से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 23.97 लाख मी0 टन हो गया। तिलहन के अन्तर्गत उत्पादन विगत अट्ठारह वर्षो में बढ़ा है। उत्पादकता की दृष्टि से धान्य फसलों, दलहन एवं तिलहन की प्रति हे0 उत्पादकता में विगत अट्ठारह वर्षो में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही है। इस स्थिति को प्रमुख फसलों के आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की रेखीय वृद्धि दर से भी समझा जा सकता है।

2000–01 से 2018–19 के बीच प्रमुख फसलों के आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की रेखीय वृद्धि दर निम्नवत् रही है–

तालिका–4.06

प्रमुख फसलों के आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की रेखीय वृद्धि दर

फसल	रेखीय वृद्धि दर (%)		
	आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता
धान	0.108	2.3413	0.3607
गेहूँ	0.4047	5.5811	0.4592
धान्य फसलें	0.2862	8.3893	0.4377
दलहन	-0.2999	–0.2046	0.0146
खाद्यान्न	0.0136	8.1848	0.4106
तिलहन	0.2366	0.1628	0.0463

वर्ष 2016–17 के उत्पादन के ऑकड़ों के आधार पर प्रमुख फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में भारत सरकार स्तर पर योगदान एवं इनके उत्पादन में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आवंटित राज्य निम्नानुसार है–

तालिका–4.07

उत्पादन **(लाख मी0 टन में)**

फसल	उत्तर प्रदेश	भारत	योगदान प्रतिशत	श्रेणी	प्रथम तीन स्थान पर आवंटित राज्य
चावल	154.42	1101.50	14.02	द्वितीय	1.प0 बंगााल 2. उत्तर प्रदेश 3. पंजाब
गेहूँ	349.71	983.80	35.55	प्रथम	1.उत्तर प्रदेश 2.मध्य प्रदेश 3. पंजाब
दलहन	23.94	229.50	10.43	चतुर्थ	1.मध्य प्रदेश 2. महाराष्ट्र 3. राजस्थान
खाद्यान्न	557.46	2756.80	20.22	प्रथम	1.उत्तर प्रदेश 2.मध्य प्रदेश 3. पंजाब
तिलहन	10.29	321.00	3.21	पांचवां	1.मध्य प्रदेश 2.राजस्थान 3. महाराष्ट्र

तालिका–4.08

उत्पादकता **(कु0/हे0)**

फसल	उत्तर प्रदेश	भारत	श्रेणी	प्रथम तीन स्थान पर आवण्टित राज्य
चावल	24.19	25.50	10वॉ	1. पंजाब 2. आन्ध्र प्रदेश 3. तमिलनाडु
गेहूँ	35.38	32.16	4था	1. पंजाब 2. हरियाणा 3. राजस्थान
दलहन	9.54	7.79	6ठॉ	1. झारखण्ड 2.प0 बंगााल 3. मध्य प्रदेश
खाद्यान्न	27.25	21.53	6ठॉ	1. पंजाब 2. हरियाणा 3. प0 बंगााल
तिलहन	9.35	12.25	11वॉ	1.तमिलनाडु 2. गुजरात 3. हरियाणा

तालिका 4.07 एवं 4.08 से स्पष्ट है कि प्रदेश का गेहूँ तथा खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है किन्तु उत्पादकता की दृष्टि से प्रदेश की स्थिति देश के अन्य राज्यों से पीछे है। वर्ष 2018–19 में उत्पादन, खपत व अधिशेष निम्नवत् रहा –

तालिका–4.09

उत्पादन, खपत व अधिशेष की स्थिति

फसल	उत्पादन (लाख मी0टन)	खपत (लाख मी0टन)	अधिक/कमी (लाख मी0टन)	आवश्यक (ग्राम/व्यक्ति/दिन)	उपलब्धता (ग्राम/व्यक्ति/दिन)
चावल	**160.09**	**108.74**	**51.35**	**125.31**	**197.90**
गेहूँ	**380.40**	**258.39**	**122.01**	**297.75**	**470.23**
धान्य	**580.03**	**394.00**	**186.03**	**454.00**	**717.01**
दाल	**23.97**	**64.11**	**–40.14**	**85.00**	**29.63**
खाद्यान्न	**604.00**	**457.41**	**146.59**	**539.00**	**746.64**
तिलहन	**15.56**	**40.36**	**–26.74**	**19.18**	**6.47**

तालिका 4.09 से स्पष्ट है कि प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्धता आवश्यकता से अधिक है किन्तु दलहन एवं तिलहन की उपलब्धता आवश्यकता से क्रमशः 65.14 प्रतिशत एवं 66.27 प्रतिशत कम है।

वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2018–19 में प्रदेश में प्रमुख फसलों का आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता निम्नवत् रही –

तालिका–4.10

प्रदेश में प्रमुख फसलों का आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता

(इकाई–आच्छादन–लाख हे0, उत्पादन– लाख मी0 टन एवं उत्पादकता– कु0/हे0)

क्र0सं0	फसल	2017–18			2018–19		
		आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता	आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता
01	चावल	58.98	154.42	26.18	58.95	159.32	27.03
02	गेहूँ	97.53	356.47	36.55	98.56	380.40	38.60
03	धान्य फसलें	176.49	551.83	31.27	176.91	580.03	32.79
04	दलहन	22.62	22.01	9.73	22.95	23.97	10.44
05	खाद्यान्न फसलें	199.11	573.84	28.82	199.86	604.00	30.22
06	तिलहन	10.87	13.62	10.54	12.34	13.32	10.79

तालिका–4.11

गत वर्ष (2017–18) के सापेक्ष वर्तमान वर्ष (2018–19) में वृद्धि/कमी प्रतिशत में

क्र0सं0	फसल	आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता
01	धान	–8.05	3.17	3.25
02	गेहूँ	1.06	6.71	5.61
03	धान्य फसलें	0.24	5.11	4.86
04	दलहन	1.46	8.91	7.30
05	खाद्यान्न फसलें	0.38	5.26	4.86
06	तिलहन	13.52	16.23	2.37

वर्षा की स्थिति

मौसम की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता का प्रभाव सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में पड़ता है। इससे फसलों का आच्छादन एवं उत्पादकता सबसे अधिक प्रभावित होती है और उत्पादन अपेक्षानुसार नहीं होता है।

वर्ष 2017–18 में वर्षा की स्थिति सामान्य रही, परिणामतः खाद्यान्न के उत्पादन में रिकार्ड वार्षिक वृद्धि 26.8% दर्ज की गयी। इस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन 573.84 लाख मी0टन रहा जो गत वर्ष से 117.99 लाख मी0 टन अधिक था।

वर्ष 2018–19 में भी सामान्य वर्षा होने के कारण पुनः रिकार्ड स्थिति में खाद्यान्न उत्पादन हुआ। इस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन 604.00 लाख मी0टन रहा जो वर्ष 2017–18 की तुलना में 5.26 प्रतिशत अधिक है। वर्षवार वर्षा की स्थिति निम्नवत् रही–

तालिका–4.12

(मानसून अवधि, जून से सितम्बर तक)

(वर्षा – मिमी0 में)

मौसम	अवधि	सामान्य वर्षा	वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19	
			वास्तविक वर्षा	सामान्य से प्रतिशत	वास्तविक वर्षा	सामान्य से प्रतिशत	वास्तविक वर्षा	सामान्य से प्रतिशत
मानसून अवधि	जून से सितम्बर	829.8	692.4	83.4	585.6	70.6	742.2	89.4
मानसून अवधि के बाद	अक्टूबर से दिसम्बर	47.5	17.1	36.0	2.8	5.9	2.6	5.5
जाड़े की वर्षा	जनवरी से फरवरी	37.5	13.5	36.0	4.4	11.8	35.8	95.4
मानसून के पूर्व	मार्च से मई	32.6	23.1	70.9	27.8	84.0	12.6	38.7
वर्ष 2018–19		947.5	746.2	78.8	620.2	65.5	793.2	83.7

खरीफ 2019 में कृषि की स्थिति :–

खरीफ 2018 में मानसून अवधि में वर्षा सामान्य रही। मानसून अवधि में सामान्य वर्षा का 83.4 प्रतिशत वर्षा प्राप्त हुई। फसलों का आच्छादन लक्ष्य के अनुरूप रहा। उत्पादन एवं उत्पादकता गत वर्ष के सापेक्ष अच्छी है। खरीफ 2018 का आच्छादन, लक्ष्य एवं पूर्ति की स्थिति निम्नवत् है :–

तालिका–4.13

खरीफ 2018 का आच्छादन, लक्ष्य एवं पूर्ति

फसल	लक्ष्य	पूर्ति (*)	आच्छादन – लाख हे0 में पूर्ति %
धान	59.89	58.95	98.4
ज्वार	1.99	1.47	73.9
बाजरा	9.40	8.77	93.3
मक्का	7.35	6.74	91.7
उर्द	6.90	5.21	75.5
अरहर	3.54	2.51	70.9
तिल	3.24	3.27	100.9
मूँगफली	1.03	1.01	98.1

*पूर्ति के ऑकड़ें tentative हैं, ऑकड़ें परिवर्तनीय हैं।

उर्वरक

कृषि उपज बढ़ाने के लिये सिंचाई के साधनों की पर्याप्त आवश्यकता के साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग वांछित है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015–16 में कुल 9147 हजार मी0 टन रासायनिक उर्वरकों की खपत का लक्ष्य था जिसके सापेक्ष 10834 हजार मी0 टन रासायनिक उर्वरक की आपूर्ति की गयी। वर्ष 2018–19 में लक्ष्य बढ़कर 9265 हजार मी0 टन एवं पूर्ति 9614 हजार मी0 टन हो गया। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत रासायनिक उर्वरकों की खपत के लक्ष्य एवं पूर्ति का विवरण निम्नवत हैः–

तालिका–4.14

रासायनिक उर्वरकों की खपत

उर्वरक (000मी0 टन में) कृषि रक्षा रसायन (मी0 टन/कि0ली0 में)

कार्यक्रम	2015–16		2016–17		2017–18		2018–19	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1. खरीफ	3950.00	4767.00	4000.00	4575.00	3850.00	4124.00	4100.00	4131.00
2. रबी	5197.00	6067.00	4950.00	5816.00	5200	5203.00	5165.00	5483.00
कुल योग (खरीफ+रबी)	9147.00	10834.00	8950.00	10391.00	9050.00	9327.00	9265.00	9614.00
कृषि रक्षा रसायनों का वितरण	17360.00	13448.00	17870.00	15362.31	18140.00	18466.92	18440	16703.33

रासायनिक उर्वरकों का वितरण – विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग वांछित है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017–18 में 46.55 लाख मी0 टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर 47.22 लाख मी0 टन हो गया। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत रासायनिक उर्वरकों का वितरण तालिका–4.15 में दर्शाया गया हैः–

तालिका–4.15

उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का वितरण

(हजार मी0 टन में)

मद	नाइट्रोजन(एन0)	फास्फेट(पी0)	पोटाश(के0)	योग
1	2	3	4	5
2014–15	3169	915	187	4272
2015–16	2930	1098	202	4230
2016–17	2890	1134	238	4261
2017–18	3224	1192	239	4655
2018–19	3481	1051	190	4722

*अनन्तिम

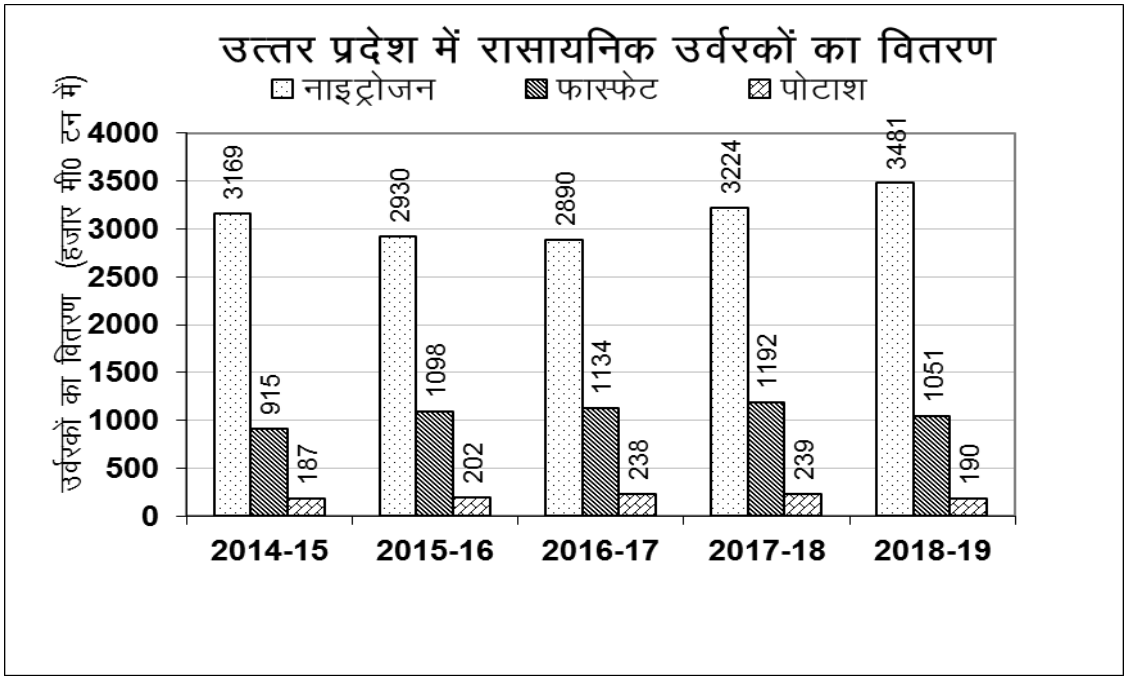

बीज वितरण–

कृषि उत्पादन में वृद्धि उन्नतिशील बीजों पर निर्भर करती है। उन्नतिशील बीजों के उत्पादन के साथ–साथ इनका ससमय वितरण भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015–16 में 6310.0 हजार कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 4812.80 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया, वहीं वर्ष 2016–17 में 5553.00 हजार कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 5093.59 हजार कुन्तल, वर्ष 2017–18 में 5614.08 हजार कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 5468.17 हजार कुन्तल एवं वर्ष 2018–19 में 5622.17 हजार कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 57415.54 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया। प्रमुख कृषि निवेशों के लक्ष्य एवं आपूर्ति का विवरण निम्नलिखित हैः–

तालिका–4.16

उत्तर प्रदेश में बीज वितरण

(हजार कु0 में)

कार्यक्रम	2014–15		2015–16		2016–17		2017–18		2018–19	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1. धान	840-00	827-57	882-00	792-00	887-00	843-42	681-00	683-44	690-00	698-464
2. अन्य खरीफ	207-93	175-84	218-00	193-34	216-00	193-20	121-07	113-88	120-17	115-681
3. कुल खरीफ	**1047-93**	**1003-41**	**1100-00**	**985-34**	**1103-00**	**1040-60**	**802-07**	**797-32**	**810-170**	**814-145**
4. गेहूँ	3980-00	3900-94	3990-00	3476-40	3990-00	3646-16	4350-00	4218-78	4350-00	4487-607
5. अन्य रबी	471-40	451-98	1220-00	351-06	460-00	406-83	462-01	452-07	462-01	439-786
6. कुल रबी	**4451-40**	**4352-92**	**5210-00**	**3827-46**	**4450-00**	**4052-99**	**4812-01**	**4670-85**	**4812-01**	**4927-393**
योग(खरीफ+रबी	**5499-33**	**5356-33**	**6310-00**	**4812-80**	**5553-00**	**5093-59**	**5614-08**	**5468-17**	**5622-12**	**5741-538**

गत वर्ष में किये गये प्रमुख कार्यो का संक्षिप्त विवरण–

- वर्ष 2018–19 में कुल 57.42 लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया है जिसमें खरीफ 2018 में 8.14 लाख कुन्तल एवं रबी में 49.28 लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया।
- वर्ष 2018–19 में कुल 70.25 लाख मै0टन उर्वरकों के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष खरीफ 2018 में 27.54 लाख मै0टन एवं रबी 2018–19 में 42.71 लाख मैं0 टन उर्वरक का वितरण किया गया है। वर्ष 2019–20 में उर्वरक वितरण का 70.25 लाख मैं0 टन का लक्ष्य रखा गया है। वॉछित उत्पादन प्राप्त करने एवं मृदा स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए नत्रजन के साथ–साथ फास्फोरस एवं पोटाश के उपयोग पर विशेष बल दिया गया इससे संतुलित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा मिला है।
- वर्ष 2018–19 में कुल 117663.94 करोड़ रु0 फसली ऋण वितरण का लक्ष्य है जिसमें खरीफ में रु0 35885.53 करोड़ का फसली ऋण वितरण किया गया एवं रबी के अन्तर्गत रु0 57865.47 करोड़ एवं कुल रु0 93751.00 करोड़ का फसली ऋण वितरण किया गया, जो लक्ष्य का 79.62 प्रतिशत है। वर्ष 2019–20 में कुल रु0 118792.04 करोड़ का फसली ऋण वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- वर्ष 2018–19 में 39.00 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 36.70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गए। वर्ष 2019–20 में कुल 44.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित हैं।

लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान–

प्रदेश के लगभग 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक लिये गये फसली ऋण के सापेक्ष दिनांक 31.03.2017 तक की अवशेष राशि में से रू0 एक लाख तक की अदायगी राज्य सरकार द्वारा किये जाने हेतु कुल रू0 36000.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया। योजना का उद्देश्य कृषकों के कन्धे से बकाया बोझ को उतारने के साथ–साथ उनकी साख को बढ़ाकर उन्हें भविष्य में बैंकों से ऋण प्राप्त करने में मदद करते हुए साहूकारों के दुश्चक्र से बचाना है। जुलाई, 2019 तक कुल 4454064 अर्ह कृषकों के बैंक खातों में डी.बी.टी. के माध्यम से कुल रू0 24821.3 करोड़ की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है।

कृषि के क्षेत्र में निरन्तर हो रहे अनुसंधानों से यह संज्ञान में आया है कि प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट हो रही है। इस समस्या के स्थायी निदान हेतु जनपद/तहसील स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करके इसके माध्यम से कृषकों के खेतों की मिट्टी की जॉच करने के उपरान्त संतुलित उर्वरक प्रयोग की संस्तुति प्रदान किये जाने की सतत व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। वर्ष 2015–16 से नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन0एम0एस0ए0) के अन्तर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के द्वारा प्रदेश के प्रत्येक कृषक को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया गया। योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2018 तक कुल 315.83 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषकों को उपलब्ध कराये गये।

प्रदेश में कृषि विकास हेतु संचालित योजना एवं उनकी प्रगति

प्रदेश में कृषि के विकास हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजना, नेशनल मिशन ऑन आयलसीड एवं नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी, नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल क्राप इन्श्योरेन्स

प्रोग्राम, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स, सोलर फोटो वोल्टिक इरीगेशन पम्प की स्थापना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना आदि योजनाएं संचालित की जा रही है।

1.राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–

भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन के आधार पर जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर कृषि विकास की योजनायें तैयार कर महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन क्षमता एवं उसके वास्तविक उपज के अन्तर को कम करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजनान्तर्गत पश्चिमी उ0प्र0 के जनपदों में फसल विविधीकरण कार्यक्रम, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम, पशुपालन, सिंचाई, मत्स्य, उद्यान, गन्ना, डास्प, रेशम, कृषि शोध इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रदेश की आवश्यकतानुसार संचालित किया जा रहा है।

2.पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति

हरित क्रान्ति के विस्तार की उप योजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से पोषित) वर्ष 2010–11 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य चावल एवं गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, सिंचाई क्षमता सृजन एवं जल के कुशल उपयोग, कृषि यंत्रीकरण, ऊसर क्षेत्रों में जिप्सम का प्रयोग, सामुदायिक भण्डारण योजना तथा खेती की लागत को कम करने हेतु उन्नत कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाना है। चयनित जनपदों में फसलों की उत्पादकता में उत्साहवर्द्धक वृद्धि के आँकड़ें प्राप्त हो रहे है।

3.नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड एण्ड ऑयलपाम–

इस योजना के संचालन का मुख्य उद्देश्य तिलहनी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना तथा प्रदेश को खाद्यान्न तेलों में आत्मनिर्भर बनाने का सतत् प्रयास करना है।

4.नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन–

प्रदेश में गेहूँ, चावल एवं दलहन के उत्पादन की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चलायी जा रही है। इस योजनान्तर्गत **वर्ष 2015–16 से जूट, कपास एवं गन्ना** जैसी व्यवसायिक फसलों को भी सम्मिलित किया गया है।

5.नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी–

इस योजनान्तर्गत चार सब मिशन यथा–सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल एवं स्ट्रेन्थनिंग एण्ड मार्डनाइजेशन आफ पेस्ट मैनेजमेन्ट एप्रोच, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं नेशनल ई–गवर्नेंस प्लान एग्रीकल्चर भी इस मिशन से संचालित किये जा रहे है।

6.नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर–

नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न मुख्य घटक है :

अ– रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट (आर0ए0डी0)

ब– मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एस0एच0एम0)–कृषि के क्षेत्र में निरन्तर हो रहे अनुसंधानों से यह संज्ञान में आया है कि प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट हो रही है। इस समस्या के

स्थायी निदान हेतु जनपद/तहसील स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करके इसके माध्यम से कृषकों के खेतों की मिट्टी की जाँच करने के उपरान्त संतुलित उर्वरक प्रयोग की संस्तुति प्रदान किये जाने की सतत व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। वर्ष 2015–16 से नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन0एम0एस0ए0) के अन्तर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के द्वारा प्रदेश के प्रत्येक कृषक को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया गया। योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2018 तक कुल 315.83 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषकों को उपलब्ध कराये गये।

स– परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0के0वी0वाई0)

7. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना–

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2016–17 से प्रदेश के सभी जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना खरीफ एवं रबी की अधिसूचित फसलों को दैवीय आपदा के विरूद्ध बीमा कवर प्रदान करने, कृषि में नयी तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देने, फसली ऋण के प्रभाव को बनाये रखने एवं आपदा वर्षों में कृषकों की आय को स्थिर रखने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

8. पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना–

प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से फसलों के नष्ट होने की सम्भावना के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित जनपदों में चयनित औधानिक फसलों–केला एवं मिर्च फसल को अधिसूचित करते हुए योजना संचालित की जा रही है।

तालिका–4.17

फसल बीमा योजनाओं (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना) का प्रगति विवरण

क्र0 सं0	विवरण	इकाई	वर्ष		
			2018-19		
			खरीफ	रबी	योग
1	**बीमित कृषक**	लाख	31.44	29.68	61.12
2	**बीमित क्षेत्रफल**	लाख हे0	26.85	24.22	51.07
3	**बीमित धनराशि**	करोड़ रू0	10297.61	11529.87	21827.48
4	**प्रीमियम**	करोड़ रू0			
	कृषक		206.72	202.22	408.94
	राज्यांश		284.34	251.86	536.21
	केन्द्रांश		284.34	251.86	536.21
	योग		**775.40**	**705.94**	**1481.36**
5	**लाभान्वित कृषक**	लाख	**5.60**	**0.37**	**5.97**
6	**क्षतिपूर्ति**	करोड़ रू0	**421.49**	**16.94**	**438.44**

9. **इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स–**भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप पूर्व में संचालित **इम्प्रूवमेन्ट आफ एग्रीकल्चर स्टेटिसटिक्स** स्कीम के अन्तर्गत टी0आर0एस0 एवं आई0सी0एस0 योजना का संचालन किया जा रहा था। उक्त दोनों योजनाओं को **इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स** में विलीन कर संचालित किया जा रहा है।

- **प्रमाणित बीजों पर अनुदान सम्बन्धी योजना**– इस योजना के माध्यम से कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वहन किया जाता है।

- **संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना–**देश एवं प्रदेश की खाद्य सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाये रखने, अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पादन को प्राप्त करने के साथ–साथ प्रदेश के 90 प्रतिशत से अधिक लघु एवं सीमान्त कृषकों के आय में वृद्धि को लक्षित करते हुए प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से अधिक उपज देने वाली हाईब्रिड बीजों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करा रही है।

- रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से दृष्टिगोचर हो रहे दुष्प्रभावों को कम करने हेतु **विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण की योजना** चलायी जा रही है। योजना के अंतर्गत बायो एजेन्ट्स, बायो पेस्टीसाइड्स एवं एकीकृत नाशी जीव प्रबन्धन जैसी तकनीकों के प्रयोग से कीट/रोग नियंत्रण किये जाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

- **कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि प्रसार, कृषि निवेश तथा तकनीकी प्रबन्धन योजना**– कृषि की नवीनतम जानकारियों, नवीनतम वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों तथा विभिन्न तकनीकी प्रबन्धनों को प्रचार–प्रसार के माध्यम से कृषकों तक पहुंचाये जाने हेतु यह योजना चलाई जा रही है।

- **किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण–** दिनाँक 28.01.2019 तक 202.44 लाख किसानों का आनलाइन पंजीकरण कराया गया।

- **मोबाइल एप–** मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 05.11.2017 द्वारा पारदर्शी किसान सेवा योजना के लिए **''यू0पी0 पारदर्शी''** मोबाइल एप लांच किया गया जिससे किसान कृषि विभाग की योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी तथा ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।

- **ऑनलाइन लाइसेंस व्यवस्था–** प्रदेश में उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायनों की बिक्री हेतु उद्यमियों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गयी है।

- **अटल सोलर फोटो वोल्टिक इरीगेशन पम्प की स्थापना–**वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने, पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के साथ–साथ पर्यावरणीय अनुकूलता के दृष्टिगत इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

किसान पाठशाला (द मिलियन फार्मर्स स्कूल)

वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के कृषकों की आय वर्ष 2022 तक की अवधि में दो गुना किये जाने के संकल्प के दृष्टिगत प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों की दो–दो ग्राम सभाओं में किसानों को ''किसान पाठशाला'' (द मिलियन फार्मर्स स्कूल) रबी 2017–18 से एक अनूठी **किसान पाठशाला (द मिलियन फार्मर्स स्कूल)** के आयोजन के माध्यम से प्रशिक्षण का समन्वित माड्यूल तैयार कर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें 10 लाख से अधिक कृषकों को 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दो सत्रों में मृदा स्वास्थ्य के संरक्षण, फसलोत्पादन, खाद्यान्न फसलों की उन्नत खेती, उद्यान, पशु–पालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, सूकर पालन, गन्ना की खेती, रेशम, विपणन, खाद्य प्रसंस्करण, स्टोरेज तथा मूल्य संवर्द्धन की विभिन्न विधाओं से परिचित कराया गया।

- **कृषि प्रशिक्षित उद्यमी स्वावलम्बन (एग्री जंक्शन) योजना–** कृषि स्नातकों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए किसानों को उनके फसल उत्पादों एवं कृषि निवेशों के लिए कृषि केन्द्र (एग्री जंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधाएं ''वन स्टाप शॉप'' के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करायी जा रही हैं।

- **क्राप रेज्ड्यू मैनेजमेण्ट–** एन0जी0टी0 भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में वर्ष 2018–19 में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन–सीटू मेनेजमेण्ट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू योजनान्तर्गत 2044 फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग की स्थापना करायी गयी तथा 16442 उन्नत कृषि यंत्रों का वितरण किया गया।

- **डी0बी0टी0–** वित्तीय वर्ष 2017–18 में समस्त योजनाओं के अंतर्गत डी0बी0टी0 के माध्यम से 23.29 लाख किसानों के खातों में रू0 **456.14** करोड़ की धनराशि स्थानान्तरित करायी गयी। वित्तीय **वर्ष 2018–19** में समस्त योजनाओं के अंतर्गत जनवरी, **2019** तक **17.49** लाख कृषकों के खातों में रू0 **362.70** करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की गयी। इसके अतिरिक्त प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन–सीटू मेनेजमेण्ट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू योजनान्तर्गत रू0 **118.67** करोड़ की धनराशि कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गयी।

- **कृषि कुंभ 2018**–उत्तर प्रदेश में पहली बार अंर्तराष्ट्रीय स्तर के कृषि कुंभ–2018 का आयोजन दिनांक 26–28 अक्टूबर तक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन, कृषि एवं सम्बन्धित विभागों की तकनीकी प्रदर्शनी, सजीव प्रदर्शन तथा फसल अवशेष एवं 14 विभिन्न तकनीकी आयामों पर आधारित सेमिनार आयोजित किये गये। इस कुंभ में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग एक लाख कृषकों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के अधिकारियों, विदेशी राजनयिकों, विधायकों, सांसदों सहित भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगणों द्वारा सहभागिता की गयी। इस अवसर पर जापान और इजराइल ने सहयोगी देशों के रूप में प्रतिभाग किया। इजराइल की राजदूत द्वारा प्रदेश में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना तथा जापान के उप सहायक मंत्री (कृषि वन एवं मत्स्य मंत्रालय) द्वारा कृषि क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना में सहयोग के सम्बन्ध में एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया।

➢ **भूमि एवं जल संरक्षण मद के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं संचालित की जा रही हैं जो मुख्यतः इस प्रकार है– :**

- भविष्य की चुनौतियों एवं घटते जल स्रोत के दृष्टिगत भूमि एवं जल संरक्षण के अंतर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 (इन्टीग्रेटेड रेन वाटर मैनेजमेंट ''वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट'') योजनान्तर्गत कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

- प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु मृदा स्वास्थ्य का सुदृढ़ीकरण योजना, मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम के वितरण की योजना एवं जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्षा जल को संचित कर सिंचाई के उपयोग हेतु **खेत–तालाब योजना** संचालित की जा रही है।

- **अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी–क्रिटिकल विकासखण्डों में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण की योजना–** अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी–क्रिटिकल विकासखण्डों में जल की समस्या के

दृष्टिगत उपलब्ध जल का समुचित उपयोग करते हुए सिंचाई की लागत को कम करने तथा कम जल से अधिक क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध कराते हुए फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 से संचालित की जा रही है।

- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना–**राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने तथा कृषकों को वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के प्रति जागरूक करने के लिए, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना सम्बन्धी योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 से चलायी जा रही है।

- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना–** प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपद एवं विन्ध्य क्षेत्र के मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चंदौली जनपद को छोड़कर शेष 65 जनपदों में समस्याग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जल भराव क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों की आवंटित भूमि का उपचार कराने तथा उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 से संचालित की जा रही है।

➢ नई प्रस्तावित योजनायेंः–

1. **वैज्ञानिकी कृषि एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाव का प्रबन्धन**–''वैज्ञानिकी कृषि एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाव का प्रबन्धन'' योजनान्तर्गत प्रदेश के कृषि विकास हेतु प्रत्येक जनपद में एक एग्रोक्लाईमेटिक जोन के लिए पायलेट साइट, मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशाला, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, क्षमता विकास, कृषि उत्पादों के विपणन के लिए एकीकृत विकास तथा समग्र कृषि विकास की रणनीति तैयार करने तथा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट आयोजित करने आदि कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 15.07 करोड़ की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है।
2. **नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ओ0एस0/टी0बी0ओ0)**–प्रदेश में तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ओ0एस0/टी0बी0ओ0) हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 18.4 करोड़ की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है।
3. **उत्तर प्रदेश में गंगा बेसिन में आर्गेनिक फार्म क्लस्टर्स की स्थापना**– उत्तर प्रदेश में गंगा बेसिन में आर्गेनिक फार्म क्लस्टर्स की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 21.44 करोड़ की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है।

➢ **उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद के कार्य**– प्रदेश में विभिन्न कृषि जलवायुवीय परिस्थितियों में कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्न पांच कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हैंः–

1. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या।
3. सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ।
4. बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय।
5. सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, नैनी, प्रयागराज।

कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में अनुसंधान हेतु विभिन्न स्रोतों से शोध परियोजनायें संचालित की जा रही है, जिनके माध्यम से विश्वविद्यालयों में फसल सुधार, शस्य व पौध सुरक्षा तकनीक, बीज उत्पादन कर सम्यक कृषि उपयोग तकनीकी के विकास को गति

दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न फसलों की शस्य विधियॉ, उर्वरक प्रबन्धन, फसल सुरक्षा, फसल पद्धति, बारानी खेती, दियारा व ऊसर भूमि सुधार, सब्जी एवं उद्यान के क्षेत्र में तकनीक विकसित की गई है। कृषि शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के उपयोगार्थ शासकीय संस्थाओं यथा फैजाबाद, बांदा एवं कानपुर में छात्रावासों के निर्माण एवं प्रदेश की 27 मण्डियों को अत्याधुनिक बनाये जाने का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।

कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना– उन्नतशील फसल प्रजातियों एवं तकनीकों के प्रचार–प्रसार हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक जनपद में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये जाने का प्राविधान है। प्रदेश के कुल 75 जनपदों में से वर्तमान में 67 जनपदों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित है।

महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधाान परिषद की अध्यक्षता में गठित **क्राप वेदर वॉच ग्रुप** की बैठके आयोजित कर ग्रुप की संस्तुतियों को कृषकों के उपयोगार्थ समाचार पत्रों, आकाशवाणी, दूरदर्शन, एस0एम0एस0 एवं सम्बन्धित विभागों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है।

- **राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद**–कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 के अधीन 251 मुख्य मण्डियॉ एवं 381 उप मण्डियॉ विनियमित हैं। प्रत्येक विनियमित मण्डी के लिए एक मण्डी समिति की स्थापना है। मण्डी समितियों द्वारा मण्डियों के विनियमन के साथ–साथ किसानों एवं व्यापारियों हेतु सुख–सुविधा युक्त नवीन मण्डी स्थलों का निर्माण कराया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 220 मुख्य मण्डी स्थलों, 94 उपमण्डी स्थलों, 72 फल/सब्जी मण्डी स्थलों, 05 दुग्ध मण्डी स्थल, 05 मत्स्य बाजार, 225 हाट–पैठ, 238 ग्रामीण गोदाम, 87 कृषक सेवा केन्द्र, 04 किसान बाजार, 132 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र, 06 विशिष्ट मण्डी स्थल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 20149 कि0मी0 लम्बाई के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।
- **उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम**– अच्छे बीजों का उत्पादन कर कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए दिनाँक 29.06.2001 को उ0प्र0 बीज विकास निगम की स्थापना का निर्णय हुआ तथा दिनांक 10.12.2002 से निगम द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ किया गया। निगम द्वारा प्रदेश में बीजों का उत्पादन/वितरण/बीज व्यवस्था के उद्देश्य से 09 परियोजना कार्यालयों, 23 शाखा कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश के 72 जनपदों में लगभग 16200 बीज उत्पादकों के माध्यम से बीज उत्पादन के कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।
- **उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था**– भारतीय बीज अधिनियम–1966 के अधीन दिनांक 05.10.1976 को बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की गयी तथा संस्था द्वारा खरीफ 1977 से बीज प्रमाणीकरण कार्य प्रारम्भ किया गया। संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्रमाणित बीजों की अनुवांशिक व भौतिक शुद्धता, अंकुरण क्षमता को मानक के अनुरूप रखते हुए बीज जनित बीमारियों को नियंत्रित कर प्रदेश के कृषकों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज सुलभ कराना है। संस्था द्वारा अपने 18 सम्भागीय कार्यालयों के माध्यम से बीज प्रमाणीकरण हेतु प्रदेश के कृषि, उद्यान, पशुपालन विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम, बीज विकास निगम, सहकारी तथा निजी बीज उत्पादक संस्थाओं का पंजीयन कराकर बीज प्रमाणीकरण का कार्य कराया जा रहा है।
- **राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ**– संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा खोजी गयी कृषि की नवीनतम तकनीक को प्रदेश में कृषि एंव सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कृषकों को अवगत कराकर उन्हें प्रशिक्षित करना है।

- **यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड–** प्रदेश के कृषकों को रासायनिक उर्वरकों, प्रमाणित बीज, कीटनाशक दवाओं, विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र एवं कृषि रक्षा उपकरण आदि को उचित मूल्य पर आसानी से उपलब्ध कराने तथा कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए दिनांक 29 मार्च 1967 को निगम की स्थापना की गयी। वर्तमान में निगम द्वारा कृषि निवेशों का वितरण, उन्नत कृषि यंत्रों/उपकरणों का निर्माण, मरम्मत एवं वितरण, संतुलित पशु आहारों का उत्पादन एवं वितरण, **खाद्यान्नों का क्रय, जिप्सम/माइक्रोन्यूट्रियन्ट की आपूर्ति तथा ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत हैण्डपम्प के रिबोर का कार्य कराया जा रहा है।**

वित्तीय वर्ष 2019–20 का लक्ष्य एवं कार्यक्रम

वर्ष 2019–20 में 632.43 लाख मै0 टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत खरीफ में 212.68 लाख मै0 टन एवं रबी में 419.45 लाख मै0 टन का लक्ष्य निर्धारण के साथ 16.73 लाख मै0 टन तिलहन (शुद्ध) उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

वर्ष 2019–20 के लक्ष्य एवं वर्ष 2018–19 के अनुमानित उत्पादन का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

तालिका–4.18

(लाख मी0टन)

क्र0 सं0	फसल का नाम	2018–19 उत्पादन*	2019–20 लक्ष्य
1	चावल	160.09	164.29
2	ज्वार	1.84	2.84
3	बाजरा	17.79	19.87
4	मक्का	13.92	18.09
5	खरीफ दालें	3.70	7.51
6	अन्य	0.05	0.08
**कुल खरीफ खाद्यान्न		198.40	**212.68**
7	गेहूँ	380.40	386.50
8	जौ	4.55	5.10
9	रबी मक्का	0.38	0.94
10	चना	7.28	8.25
11	मटर	5.39	7.35
12	अरहर	2.72	4.44
13	मसूर	4.88	7.17
कुल रबी खाद्यान्न		**405.60**	419.75
कुल खाद्यान्न		**604.00**	632.43
14	कुल तिलहन (शुद्ध)	13.32	16.73

*आँकड़े परिवर्तनीय है।

** जायद का उत्पादन भी शामिल है।

कृषि उत्पाद का विपणन

कृषि के विकास के लिए यह आवश्यक है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, व्यापारियों को उनकी सेवाओं का उचित प्रतिफल, उपभोक्ताओं को मिलावट रहित शुद्ध वर्गीकृत कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने, किसानों को विपणन, मण्डी विनियमन एवं मण्डी विकास की विभिन्न योजनाओं की जानकारी करके, उनके निदान हेतु सुझाव देने, कृषि उपज के वर्गीकरण तथा सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के कार्यों हेतु वर्ष 1964 में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम पारित किया गया। उक्त कार्य प्रदेश में कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा आयोजनेत्तर पक्ष की निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से कराये जा रहे हैं–

क– कृषि उत्पादन का क्रय–विक्रय संगठन।

ख– बाजार विनियमन एवं प्रशिक्षण केन्द्र।

कृषि उपजों/उत्पादों के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने, किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य दिलाने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने आदि के उद्देश्य से निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य कराये जा रहें हैं–

क– निर्यातकों एवं उत्पादकों की विभिन्न सुविधाओं हेतु समन्वय स्थापित करना।

ख–कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यातकों की गोष्ठियॉ एवं सेमिनार आदि आयोजित करना।

ग– निर्यात को बढ़ावा देने हेतु फील्ड स्तर पर निर्यात योग्य आधिक्य की संभावनाओं का पता लगाना एवं समय–समय पर आने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतु समुचित सुझाव देना।

कृषि उत्पाद के विपणन हेतु संचालित योजनायें–

कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब (ए0एम0एच0) का निर्माण, किसान बाजार का निर्माण, मण्डी स्थलों का निर्माण, इलेक्ट्रानिक वे–ब्रिज की स्थापना, भण्डारण सुविधा का विकास आदि कार्य किये जा रहे हैं। कृषि उत्पाद के विपणन सम्बन्धी कुछ प्रमुख योजनाये निम्नवत् हैः–

- कृषि उपज मण्डियों के कार्य संचालन हेतु सम्पूर्ण प्रदेश को मण्डी क्षेत्रों में बॉटा गया है। प्रत्येक मण्डी क्षेत्र हेतु एक **मण्डी समिति का गठन** किया गया है। मण्डी समितियों द्वारा मण्डियों के विनियमन के साथ–साथ किसानों एवं व्यापारियों हेतु सुख–सुविधा युक्त मुख्य मण्डी स्थलों का निर्माण कराया जा रहा है। मण्डी समितियों में व्यापार की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने व किसानों–व्यापारियों को उन्नत सुख–सुविधाएं उपलब्ध कराने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019–20 (माह–जून, 2019 तक) में मण्डियों में कुल आवक 161.52 लाख मी0 टन हुई जो कि विगत वर्ष 2018–19 की समान अवधि की कुल आवक से 5.83 लाख मी0टन अधिक है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में **गड्ढामुक्तिकरण योजना** अन्तर्गत मण्डी परिषद द्वारा 2410.82 कि0मी0 सम्पर्क मार्गों को रू0 301.00 करोड़ की लागत से गड्ढामुक्त करने का कार्य गत वर्ष से किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत माह मई, 2019 तक 2127 कि0मी0 लम्बाई के मार्गो में मरम्मत/नवीनीकरण/रेस्टोरेशन का कार्य किया गया।
- भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना **राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नैम)** के अन्तर्गत कृषकों को उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की 100 मण्डियों के अन्तर्गत रू0 73342.00 लाख का व्यापार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 25 अन्य मण्डियों को ई–नैम पोर्टल से जोड़े जाने की कार्यवाही की जा रही है।

- वर्ष 2018–19 में **गेहूँ कृषकों को छनाई उतराई** के मद में दी जा रही रू0 10.00 प्रति कुन्तल को दो गुना बढ़ा कर वर्ष 2019–20 में रू0 20.00 प्रति कुन्तल कर दिया गया है।
- कृषकों एवं व्यापारियों की सुविधा **हेल्प लाइन नं0 "155241"** स्थापित है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में उक्त सुविधा का उपयोग प्रदेश के लगभग 2422 कृषकों/व्यापारियों व आमजनों द्वारा सभी मण्डियों में कृषि उपजों के अद्यतन बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए और कृषक संबंधी अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए किया गया है।
- प्रदेश के कृषि उत्पादों के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश में व प्रदेश के बाहर कृषि आधारित **किसान गोष्ठियों, आम महोत्सवों/प्रदर्शनियों एवं बायर–सेलर मीट** में प्रतिभाग करने के साथ ही आर्गेनिक मेला जैसे आयोजनों के संचालन की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।
- आम, आम उत्पाद एवं अन्य फल–सब्जी के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु मण्डी परिषद एवं एपीडा नई दिल्ली द्वारा प्रथम बार दिनांक 26 जून, 2019 को **अर्न्तराष्ट्रीय रिवर्स बायर सेलर मीट** का आयोजन किया गया जिसमें 16 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- कृषि निर्यात को बढ़ावा देने एवं कृषि निर्यात हेतु प्रदेश में अवस्थापना सुविधाऐं उपलब्ध कराने की दिशा में मैंगो पैक हाउस, रहमानखेड़ा, लखनऊ में रू0 456.00 लाख की लागत से **पैक हाउस के अपग्रेडेशन** के साथ 2.5 मी0 टन की क्षमता के **भाप उष्मा उपचार (वी0एच0टी0)** सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
- मैगों पैक हाउस रहमान खेड़ा से वेपर हीट प्लान्ट (प्रथम स्वदेश निर्मित) में उपचारित आम **पहली बार जलमार्ग से विदेश में निर्यात** की शुरूआत की गयी।
- **"मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजनाओं"** (मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, मुख्यमंत्री खेत–खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना, मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 (माह जून, 2019 तक) में रू0 12.00 करोड़ से भी अधिक की धनराशि आवंटित करते हुए 8773 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।
- कृषि शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के उपयोगार्थ शासकीय संस्थाओं यथा फैजाबाद, बांदा एवं कानपुर में छात्रावासों के निर्माण एवं प्रदेश की 27 मण्डियों को अत्याधुनिक बनाये जाने का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।
- प्रदेश सरकार व मण्डी परिषद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा ई–नैम, मुख्यंमत्री कृषक कल्याणकारी योजनाओं, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, कृषक हेल्प लाइन जैसी अन्य योजनाओं का व्यापाक प्रचार–प्रसार इलेक्ट्रानिक, पोस्टर, पैम्फलेट व अन्य माध्यमों से किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 में मण्डियों की साफ–सफाई की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु मण्डी समितियों की सफाई दिनचर्या का आवश्यक अंग बनाये जाने तथा उत्तम सफाई वर्ष–पर्यन्त सुनिश्चित किये जाने एवं साथ ही मण्डी समितियों को आकर्षक एवं उपयुक्त बनाये जाने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।
- मण्डी समितियों के आन्तरिक कार्यों को भी आनलाइन करने की दिशा में **ई–मण्डी योजना** अन्तर्गत **17941 ई–लाईसेन्स** निर्गत किये गये हैं। इसी प्रकार ई–मण्डियों में 2.00 लाख से अधिक प्रवेश पर्ची, 6 आर, 9 आर तथा अन्य आनलाईन पर्चियां निर्गत/काटी गयी।

वन एवं वन्य जीव संरक्षण

वृक्षों से ही भूमि संरक्षण, जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वन दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियों का प्राकृतिक वास है। उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल 22,121 वर्ग कि0मी0 है जो कि कुल भौगौलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग कि0मी0 के सापेक्ष मात्र 9.18 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के मानक स्तर 33.33 प्रतिशत से कम है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र, वनावरण तथा वृक्षावरण निम्न प्रकार हैः–

तालिका–4.19

उत्तर प्रदेश के वन–एक दृष्टि

(क्षेत्रफल वर्ग किमी0 में)

अः वन क्षेत्र	
1–उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	2,40,928
2–अभिलिखित वन क्षेत्र	16,582
क–आरक्षित वन क्षेत्र	12,071
ख–संरक्षित वन क्षेत्र	1,157
ग–अवर्गीकृत वन क्षेत्र	3,354
3–वनावरण	14,679
क–अति घना वन क्षेत्र	2,617
ख–घना वन क्षेत्र	4,069
ग–खुला वन क्षेत्र	7,993
4–वृक्षावरण	7,442
5–वनावरण एवं वृक्षावरण	22,121
6–भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत	9.18
बः वन्य जीव परिरक्षण	
1–प्रदेश में वन्य जीव विहारों की संख्या	26
2–प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क	1
3–प्रदेश में प्राणि उद्यान '	3

स्रोतः– स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2017

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015–16 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 241.70 लाख हेक्टेयर था, जिसमें वनों का क्षेत्रफल 16.66 लाख हेक्टेयर था। वनों का क्षेत्रफल प्रदेश के प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 6.9 प्रतिशत है जबकि भारत में यह लगभग 23 प्रतिशत है। सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2018–19 (**त्वरित अनुमानो** के अनुसार) में वनों का अंश प्रचलित भावों पर रु0 19092.16 करोड़ है, जो कि सकल राज्य आय का 1.3 प्रतिशत है। वर्ष 2018–19 में वन क्षेत्र की विकास दर 2.8 प्रतिशत रही।

जैव विविधता

राज्य सरकार जैव विविधता के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए सतत् प्रयासरत है। जैव विविधता के संरक्षण और संवर्द्धन के दृष्टिकोण से जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है।

प्रदेश की विविधतापूर्ण भौगोलिक संरचना एवं जलवायु में पाये जाने वाले वन्य जीवों एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य जीव विहारों, 1 आरक्षित संरक्षण क्षेत्र तथा 3 प्राणि उद्यानों की स्थापना की गयी है। वन्य जीवों के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद **गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणि उद्यान** का निर्माण, इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास किया गया है।

गौरैया व अन्य पक्षियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन सामान्य को वनों एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(क) वानिकी एवं वन्य जीव योजनाएं

प्रदेश में कार्यान्वित हो रही वृक्षारोपण की मुख्य योजनाओं का विवरण निम्न हैः–

1. सामाजिक वानिकी

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाष्ठ, ईधन एवं चारा पत्ती तथा लघु वन उपज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की भूमि यथा अवनत वन क्षेत्र सामुदायिक भूमि, नहर, रेल तथा सड़क के किनारे उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाता है। वर्ष 2018–19 में रू0 165.56 करोड़ व्यय कर 6269 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कराया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में रू0 255.40 करोड़ व्यय कर 28754 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कराये जाने का अनुमान है।

2. शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण एवं सौन्दर्य को दृष्टिगत रखते हुए सड़कों के किनारे खाली पड़ी भूमि एवं पार्कों की भूमि पर इस योजना के अन्तर्गत पर्यावरण के दृष्टिकोण से उपयोगी तथा शोभाकार वृक्षों का रोपण किया जाता है। वर्ष 2018–19 में रू0 100.00 लाख व्यय कर 9 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कराया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में रू0 500.00 लाख व्यय का अनुमान है।

3. हरित पट्टी विकास योजना

यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में पर्यावरण सुधार हेतु क्रियान्वित की जा रही है। पर्यावरण सुधार से समस्त प्रदेशवासियों को शुद्ध एवं स्वस्थ पर्यावरण का लाभ प्राप्त होगा।

वर्ष 2018–19 में सामाजिक वानिकी के अंतर्गत रू0 16556.43 लाख, हरित पटटी विकास योजना के अन्तर्गत रू0 171.06 लाख व्यय किये गये।

4–टोटल फारेस्ट कवर योजना

यह योजना जनपद मैनपुरी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, बदायूँ, रामपुर, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, फैजाबाद, आजमगढ़, ललितपुर तथा चित्रकूट को पूर्ण रूप से हरा–भरा किये जाने हेतु कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2018–19 में रू0 948 लाख वृक्षारोपण हेतु व्यय किये गये। योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में रू0 251.13 लाख के व्यय का अनुमान है।

5–वनावरण सम्बर्द्धन परियोजना–

अवनत वन एवं खुले वन क्षेत्रों में वनावरण संवर्द्धन के उद्देश्य से प्रदेश के 18 जनपदों में नाबार्ड के वित्त पोषण से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2018–19 में इस योजना में रू0 307.97 लाख व्यय कर पौध रोपण किया गया है। वर्ष 2019–20 में योजनान्तर्गत रू0 16.90 लाख के व्यय का अनुमान है।

6–राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम–

यह योजना वर्ष 2000–01 से कार्यान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत जन मानस को वनों की सुरक्षा एवं संवर्द्धन के कार्य से जोड़ने हेतु प्रदेश के प्रत्येक प्रभाग में भारत सरकार से प्राप्त मार्ग निर्देश के अनुसार जनपद स्तर पर गठित वन विकास अभिकरण (एफ0डी0ए0) के द्वारा अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर जनसहभागिता के माध्यम से वानिकी कार्य सम्पादित किया जाता रहा है। योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में रू0 111.81 लाख व्यय किया गया है जिससे 314 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 से यह योजना ग्रीन इण्डिया मिशन में समायोजित कर दी गयी है।

7–गौरा हरदो आजमगढ़ में वन विहार पार्क का विकास–

जनपद आजमगढ़ में बूढ़नपुर तहसील के गौरा हरदो में वन विहार (पार्क) के निर्माण हेतु ''गौरा हरदो आजमगढ़ में वन विहार पार्क का विकास'' योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में वर्ष 2018–19 में अनुमानतः रू0 100.93 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2019–20 में रू0 56.49 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

8–जनपद मऊ में वन देवी जैव विविधता क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास व वन देवी पार्क का जीर्णोद्धार तथा वन देवी में गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य की योजना

मऊ जनपद के एक मात्र वन मनोरंजन पार्क का जीर्णोद्धार करके यहां की जनता को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने, जनपद के स्कूली बच्चों को पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने तथा विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने हेतु यह योजना प्रारम्भ की गयी।

इस योजना हेतु वर्ष 2018–19 में अनुमानतः रू0 100.00 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2019–20 में रू0 100.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

9–नेशनल प्लान फार कन्जर्वेशन आफ एक्वेटिक ईको सिस्टम

यह योजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नेशनल वेटलैण्ड कन्जर्वेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत चलाई जा रही है। योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य संरक्षित तथा गैर संरक्षित वेटलैण्ड की सुरक्षा, प्राकृत वास सुधार, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, शोध, स्थानीय समुदायों के साथ भागीदारी प्रबंध एवं जल गुणवत्ता अनुश्रवण आदि मदों में सहायता पहुँचाना है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में अनुमानतः रू0 183.21 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2019–20 में रू0 457.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

10–वेटलैण्डस का पारिस्थितिकीय एवं अवस्थापना विकास

प्रदेश के विभिन्न वेटलैण्ड्स के पारिस्थितिकीय विकास हेतु वेटलैण्ड्स की सफाई, हानिकारक खर–पतवार निकालना, पौधा रोपण एवं बीज बुआन, बन्धों का निर्माण तथा अवस्थापना का विकास सम्बन्धी कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं। इस योजना में वर्ष 2017–18 में रू0 4.00 लाख एवं वर्ष 2018–19 में अनुमानतः रू0 50.00 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2019–20 में रू0 50.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

(ख) वन्य जीव परिरक्षण योजनाएं

1–प्रोजेक्ट टाइगर–

केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1987 में आच्छादित किया गया। कालान्तर में किशनपुर वन्यजीव विहार, कतर्नियाघाट वन्यजीव

विहार, आजमगढ़ टाइगर रिजर्व, बिजनौर तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी संयुक्त रूप से ''प्रोजेक्ट टाइगर'' योजनान्तर्गत लाया गया।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 1394.77 लाख एवं वर्ष 2018–19 में अनुमानतः रू0 775.52 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2019–20 में रू0 2289.15 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

2–इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट आफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स–

यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से प्रदेश के समस्त पक्षी विहारों एवं वन्यजीव विहारों के विकास हेतु क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना हेतु वर्ष 2017–18 में रू0 162.54 लाख एवं वर्ष 2018–19 में अनुमानतः रू0 471.28 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2019–20 में रू0 811.22 लाख आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

3–प्रोजेक्ट एलीफैन्ट–

यह योजना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार की संयुक्त सहायता से ''उत्तर प्रदेश एलीफैन्ट रिजर्व'' हेतु चलाई जा रही है। योजनान्तर्गत हाथी के प्राकृतवास की सुरक्षा व संरक्षण, अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों, मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों के अल्पीकरण, स्थानीय समुदायों में वन्यजीव संरक्षण के प्रति चेतना व जागरूकता उत्पन्न करना आदि कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में रू0 52.32 लाख एवं वर्ष 2018–19 में अनुमानतः रू0 75.62 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2019–20 में रू0 76.95 लाख आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

4–जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क की विकास योजना

वर्तमान में एशियन बब्बर शेर का अस्तित्व खतरे में है तथा इनके प्राकृतवास मात्र गिर फारेस्ट, गुजरात तक सीमित रह गये हैं। अतः इन्हें उपयुक्त वासस्थल का विकास करके संरक्षण प्रदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इटावा जनपद में लायन सफारी की स्थापना से बब्बर शेरों के लिए वैकल्पिक वास स्थल विकसित होगा। क्षेत्र की स्थानीय जलवायु के अनुसार वनस्पतियों का संरक्षण एवं सम्वर्द्धन कर क्षेत्र को बब्बर शेरों के प्राकृतिक वासस्थल के रूप में विकसित करना है। इस योजना में वर्ष 2017–18 में रू0 257.08 लाख एवं वर्ष 2018–19 में अनुमानतः रू0 329.41 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2019–20 में रू0 1243.90 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

5–मयूर संरक्षण केन्द्र का विकास

वृन्दावन जनपद मथुरा में राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए एक मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है। योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 दोनो वर्षों में रू0 19.54 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2019–20 में रू0 19.54 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

6–ईको पर्यटन का विकास–

इस योजना के माध्यम से प्रदेश में ईको पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। यह योजना प्रदेश के उन क्षेत्रों में लागू की जा रही है जहां प्राकृतिक सौन्दर्य की छटा हो, वन एवं वन्य जीवों की बहुतायत हो और पर्यटकों के लिए क्षेत्र आकर्षक हो।

इस योजना में वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 दोनो वर्षों में रू0 10.29 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2019–20 में रू0 10.29 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

7–गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना–

इस योजना के अन्तर्गत वन्य जीवों के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान का निर्माण किया जा रहा है।

इस योजना में वर्ष 2017–18 में रू0 5000.00 लाख तथा वर्ष 2018–19 में अनुमानतः रू0 2498.82 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2019–20 में रू0 5000.0 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

8–बर्ड फेस्टिवल का आयोजन–

पक्षियों के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने एवं विद्यार्थियों को इन जीवों के वास स्थल, क्रियाकलाप तथा विदेशी पक्षियों के माइग्रेशन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में प्रतिवर्ष माह दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस हेतु वर्ष 2018–19 में अनुमानतः रू0 92.00 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2019–20 में रू0 100.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

9–नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ एवं कानपुर प्राणी उद्यान में तितली पार्क का निर्माण –

तितलियों का पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। यह फूलों के परागण एवं बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तितलियों की संख्या कम होती जा रही है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ एवं कानपुर प्राणी उद्यान में इस तितली पार्क के माध्यम से जन–मानस में तितलियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जायेगी। इस योजना में लखनऊ प्राणि उद्यान में वर्ष 2017–18 में रू0 24.76 लाख एवं वर्ष 2018–19 में अनुमानतः रू0 19.87 लाख व्यय किया गया।

इस योजना हेतु कानपुर प्राणि उद्यान में वर्ष 2018–19 में अनुमानतः रू0 40.00 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2019–20 में रू0 40.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018–19 में 173 हजार घनमीटर इमारती लकड़ी, 1 हजार घन मी0 चट्टा जलाने की लकड़ी 16 हजार कौड़ी बांस, 265 हजार मानक बोरी तेंदू पत्ता तथा 1 हजार कुन्तल भाभड़ घास का उत्पादन हुआ। इमारती लकड़ियों में साल, सागौन, शीशम, खैर, यूकेलिप्टस आदि प्रमुख है। विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज का विवरण तालिका–4.20 में दर्शाया गया है –

तालिका–4.20

उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

मद	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19#
1	2	3	4	5
1–**इमारती लकड़ी (हजार घन मी0)**	228	174	159	173
(क) साल	32	18	15	16
(ख) सागौन	8	7	6	8
(ग) शीशम	14	16	20	22

मद	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19#
1	2	3	4	5
(घ) खैर	3	3	3	3
(च) असना	1	1	1	1
(छ) यूकेलिप्टस	112	71	68	72
(ज) विविध	58	58	46	51
2–**जलाने की लकड़ी (हजार घनमी0 चट्टा)**	4	1	0	1
3–**बांस (हजार कौड़ी)**	25	52	12	16
4–**तेंदू पत्ता (हजार मानक बोरी)**	186	180	253	265
5–**भाभड़ घास (हजार कुन्तल)**	1	1	1	1

अनन्तिम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2017–18 की अपेक्षा वर्ष 2018–19 में खैर, असना को छोड़कर इमारती लकड़ियों का उत्पादन बढ़ा है। खैर एवं असना का उत्पादन यथावत रहा है। इसी प्रकार वर्ष 2018–19 में गत वर्ष 2017–18 की अपेक्षा बांस तथा तेंदू पत्ता का उत्पादन भी बढ़ा है।

प्रदेश में नगरीकरण के तीव्र विकास के साथ वन क्षेत्र का विस्तार तथा वृक्षारोपण का आच्छादन बढ़ाना इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौती है।

प्रदेश में वनीकरण सम्बंधी चुनौतियां –

1. प्रदेश में नगरीकरण के तीव्र विकास के साथ वन क्षेत्र का विस्तार तथा वृक्षारोपण का आच्छादन बढ़ाना इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौती है।

2. अवैध कटान–

प्रदेश में वनों के अवैध कटान की रोकथाम चुनौती पूर्ण कार्य है। अधिक जनसंख्या एवं अल्प प्राकृतिक संसाधन (वन) होने के कारण वनों पर जैविक दबाव अधिक रहता है। आरक्षित/संरक्षित वनों के अवैध कटान पर नियंत्रण करने हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927, उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 व वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 2018–19 में माह नवम्बर, 2018 तक सम्पूर्ण प्रदेश में 1135 अवैध कटान के मामले प्रकाश में आये, जिनमें 2054 वृक्ष अवैध रूप से काटे गये जिनका कुल अनुमानित मूल्य लगभग रू0 108.66 लाख आंकलित है।

****

अध्याय–5

पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास

मुख्य बिन्दु–

- उत्तर प्रदेश पशुधन संख्या (कुक्कुट को छोड़कर) के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है जो देश के कुल पशुधन का 13.4 प्रतिशत है।
- कृषि क्षेत्र में पशुधन का सकल मूल्य वर्धन 26 प्रतिशत है।
- वर्ष 2018–19 में प्रचलित भावों पर राज्य के सकल मूल्य वर्धन में पशुधन क्षेत्र का योगदान 6.9 प्रतिशत हो गया।
- आन्ध्रप्रदेश व प0 बंगाल के पश्चात मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है।
- प्रदेश में वर्ष 2018–19 में अनुमानतः 6.62 लाख मी0टन0 मत्स्य उत्पादन हुआ।
- प्रदेश में वर्ष 2018–19 में 103333 एवं वर्ष 2019–20 में 1,34,014 सक्रिय मत्स्य पालकों का बीमा आच्छादन किया गया।
- वर्ष 2017–18 में भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 375 ग्राम तथा उत्तर प्रदेश में 359 ग्राम थी।
- प्रदेश में वर्ष 2018–19 में 3.31 लाख किग्रा. प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन हुआ।

क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान रखने वाला उत्तर प्रदेश पशुधन संख्या (कुक्कुट को छोड़कर) के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है जो देश के कुल पशुधन का 13.4 प्रतिशत है जबकि कुक्कुट के क्षेत्र में प्रदेश का योगदान मात्र 2.56 प्रतिशत है। पशुधन संख्या में राजस्थान द्वितीय (11.3 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश तृतीय (10.9 प्रतिशत) व मध्य प्रदेश चतुर्थ (7.17 प्रतिशत) स्थान पर हैं, जबकि पशुधन व कुक्कुट को मिलाकर सर्वाधिक संख्या आन्ध्र प्रदेश (17.52 प्रतिशत) में है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि क्षेत्र के कुल योगदान में पशुपालन का योगदान 33 प्रतिशत है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 9 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में पशुधन का सकल मूल्य वर्धन 26 प्रतिशत है। उ0प्र0 की जी.एस.डी.पी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 23 प्रतिशत है जिसमें पशुधन की हिस्सेदारी 27 प्रतिशत है जो प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत है। वैश्विक स्तर पर भी कृषि क्षेत्र रोजगार उपलब्ध कराने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है जो कुल आबादी के लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराता है।

पशु सम्पदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक समृद्ध राज्य है। देश के कुल पशुधन का 13.4 प्रतिशत पशु सम्पदा उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश की लगभग 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण अंचल में निवास करती है जिसके

फ़सल–पशुधन एकीकरण

नीति आयोग द्वारा तय किये गये बिन्दु –

1. हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिये चुनिंदा हरे चारे का उगाने के लिये संभावित अजोत भूमि और अवक्रमित भूमि का चित्रण।
2. छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का विकास, पक्षियों की छंटाई, मवेशियों के नस्ल सुधार और कौशल विकास की नीतियाँ।
3. सामुदायिक डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्लस्टर आधारित ग्रामीण डेयरी उद्योग और राष्ट्रीय कृषि बाजार से दुग्ध विपणन का एकीकरण।
4. पशुपालन, डेयरी विकास व मुर्गीपालन का एकीकृत डेटा बेस।

(स्रोत :–नीति आयोग वार्षिक रिपोर्ट 2017–18)

जीवकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। वर्ष 2018–19 के **त्वरित अनुमान** के अनुसार वर्ष 2018–19 में स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन में पशुपालन खण्ड की वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रही है जबकि वर्ष 2017–18 मे यह 0.5 प्रतिशत थी। वर्ष 2011–12 में प्रचलित भावों पर राज्य के सकल मूल्य वर्धन में पशुधन क्षेत्र का योगदान 6.4 प्रतिशत था जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गया। आर्थिक क्रिया कलापों के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा क्षेत्र के योगदान को तालिका–5.01 में दर्शाया गया है।

तालिका–5.01

सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र के खण्डवार प्रतिशत वितरण के आंकड़े

क्रम सं०	मद	वर्ष					
		2011–12	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
(प्रचलित भावों पर)							
1	फसलें	18.2	16.5	16.7	16.0	15.6	15.8
2	पशुधन	6.4	7.5	7.5	7.0	7.0	6.9
3	वानिकी और लट्ठा बनाना	1.8	1.5	1.3	1.5	1.4	1.3
4	मत्स्यन और जलीय कृषि	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
(स्थायी भावों पर)							
1	फसलें	18.2	15.4	14.8	14.2	14.1	14.1
2	पशुधन	6.4	6.5	6.2	5.8	5.4	5.5
3	वानिकी और लट्ठा बनाना	1.8	1.6	1.4	1.6	1.5	1.4
4	मत्स्यन और जलीय कृषि	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

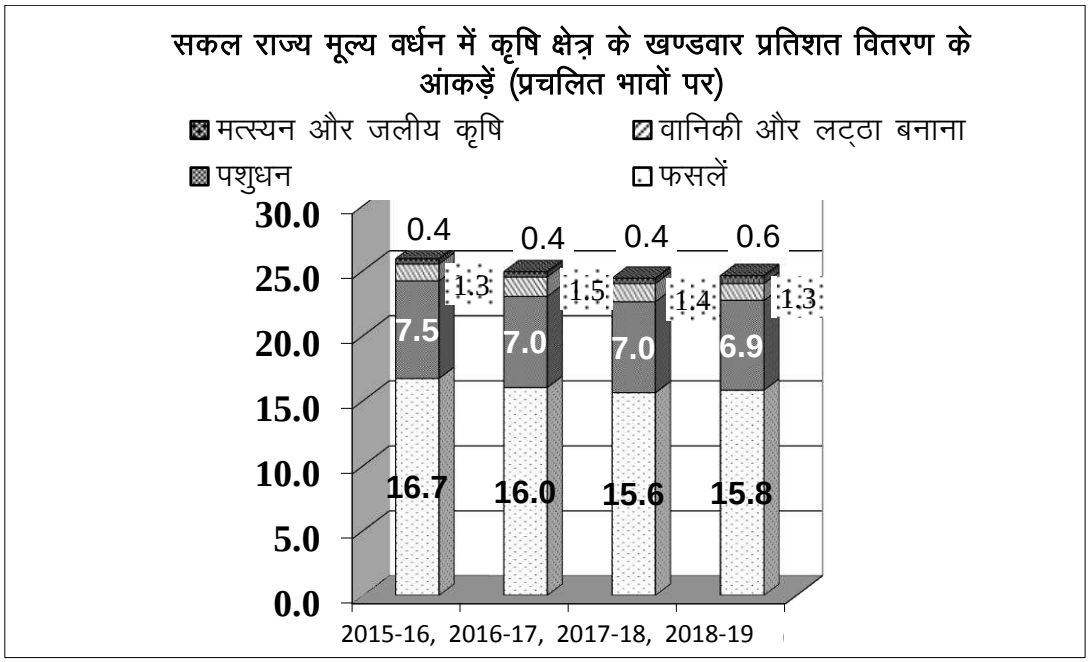

पशुधन

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 की पशुगणनानुसार कुल पशुओं की संख्या 687.16 लाख थी। इसमें गायों की संख्या 90.69 लाख तथा भैसों की संख्या 154.32 लाख थी, जो कुल पशुधन का क्रमशः 13.2 प्रतिशत व 22.5 प्रतिशत है। कुल गायों एवं भैसों की संख्या में दूध देने वाली गायों एवं भैसों की संख्या क्रमशः 64.9 प्रतिशत तथा 68.3 प्रतिशत रही। 2007 एवं 2012 की पशुगणनानुसार उत्तर प्रदेश में पशुधन तालिका–5.02 में दर्शाया गया हैः–

तालिका–5.02

उत्तर प्रदेश में पशुधन संख्या

(हजार में)

मद	2007	2012	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4
1–**कुल गोजातीय**	**19097**	**19557**	2.41
(क) गाय*	**6558**	**9069**	38.29
(1) दूध दे रही	4546	5883	29.41
(2) दूध न दे रही	1404	2372	68.95
2–**कुल महिष जातीय**	**26440**	**30625**	15.83
(ख) भैंस*	**12869**	**15432**	19.92
(1) दूध दे रही	9186	10538	14.72
(2) दूध न दे रही	2575	3412	32.50
3– भेड़	1400	1354	(–)3.29
4– बकरी	14829	15586	5.10
5– सूकर	1987	1334	(–)32.86
6– अन्य पशुधन	212	260	22.64
कुल पशुधन	**63966**	**68716**	7.43
कुल कुक्कुट	**17880**	**18668**	4.41

******इसमें दुधारू, एक बार न ब्यायी तथा अन्य मादाएं सम्मिलित हैं।***

गोवंशीय पशु (गाय, सांड़, बैल), महिषवंशीय पशु (भैंस, भैंसे, सांड़), बकरी, भेड़, सूकर, कुक्कुट (मुर्गा, मुर्गी, बतख) व अन्य पशुधन (घोड़े, ट्टटू व खच्चर, गधे, ऊँट) आदि के स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, टीकाकारण आदि कार्य प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे हैं जिससे कि उच्च प्रजनन क्षमता व उत्पादन में बढ़ोत्तरी से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को व्यापक गति मिल सके। पशुपालन सीधे किसानों के हित से जुड़ा है अतः पशुओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यवसाय किये जा सकते हैं और इससे 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

पशु क्षेत्र के प्रमुख व्यवसाय– व्यवसायिक बटेर पालन, व्यवसायिक ब्रायलर पालन, चारा उत्पादन हेतु बाजरे व बरसीम की खेती, कुक्कुट पालन (कमर्शियल लेयर फार्मिंग), भेड़, बकरी व सूकर पालन, ऊन उत्पादन, दूध, अण्डा व मांस उत्पादन।

प्रदेश में 2202 पशुचिकित्सालय, 2575 पशु सेवा केन्द्र, 267 डी श्रेणी पशु औषधालय, 25 सचल पशु चिकित्सालय, 05 पालीक्लीनिक, 01 केन्द्रीय प्रयोगशाला, 10 मण्डलीय प्रयोगशाला, 5043 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 03 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र एवं 01 पशु जैविक औषधि उत्पादन संस्थान पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालकों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

प्रजनन सेवाएं–

- **कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन में वृद्धि**– प्रदेश में उ0प्र पशु प्रजनन नीति–2018 क्रियान्वित की जा रही है। प्रदेश में उच्च प्रजनन क्षमता के वीर्य स्ट्रॉज के प्रयोग से प्राप्त संतति की दुग्ध उत्पादन क्षमता में प्रति ब्यांत औसतन 1000 ली0 की अतिरिक्त वृद्धि की जा सकती है। पांच वर्ष की अवधि में यदि पशुपालक को एक दुधारू गाय/भैंस से औसत दो मादा संतति भी प्राप्त होती हैं तो पांच वर्ष पश्चात् लगभग प्रति ब्यांत/प्रति पशु औसतन रु0 25000 तक की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त अपने पशुओं के प्रजनन रिकार्ड्स को उचित प्रकार से रखते हुए प्रजनन योग्य अच्छे नर सांड़ों की अच्छी कीमत भी पशुपालकों को प्राप्त हो सकती है। प्रदेश में वर्तमान में 168 लाख कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य है। वर्ष 2022 तक 180 लाख प्रजनन योग्य पशुओं को कृ0ग0 से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। देसी गायों की साहीवाल, थारपारकर, हरियाना, गंगातीरी प्रजातियों से शत प्रतिशत उन्नत प्रजनन आच्छादन सुनिश्चित किया जायेगा।
- **गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत (सेक्सड) सीमेन का उपयोग**–वर्तमान में यह योजना पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद लखीमपुर खीरी, बाराबंकी एवं इटावा में संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत राजकीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को संसाधन से युक्त किये जाने हेतु कन्टेनर्स, ए0आई0 किट, ईयर टैग, एप्लीकेटर एवं सेक्स्ड सीमेन व तरल नत्रजन आदि सामग्रियों का वितरण किया जाता है। इसमें क्रासब्रीड गोवंशीय पशुओं में सेक्स्ड सीमन के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा जिसके अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 7.5 लाख पशुओं को आच्छादित किया जायेगा। सेक्स्ड सीमेन के उपयोग से उच्च आनुवांशिक गुणवत्तायुक्त गोवंशीय मादा संतति की संख्या में सामान्य वीर्य स्ट्राज की तुलना में 40 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि होती है जिससे सामान्य से 40 प्रतिशत अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकता बढ़ने से पशुपालकों की आय में बढ़ोत्तरी होगी।
- **भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक को बढ़ावा (पशु उत्थान वर्ण संकर केन्द्र)–** भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक को बढ़ावा देते हुए स्वदेशी प्रजाति के उच्च उत्पादक गोवंषीय पशुओं की संख्या में त्वरित वृद्धि हेतु सांड़ो का उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद बरेली में स्थापित पशु उत्थान वर्ण संकर केन्द्र के माध्यम से उच्च प्रजनन क्षमता के स्वदेशी मादा पशुओं में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का प्रयोग करते हुए 1000 भ्रूण उत्पादन किया जाना है जिससे वर्ष 2022 तक लगभग 400 संतति प्राप्त होंगी जिनकी औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता 4000 ली0 प्रति ब्यांत होगी। पशु उत्थान वर्ण संकर केन्द्र पर स्वदेशी प्रजाति के 200 उच्च जनन क्षमता के सांड़ों का उत्पादन सम्भव होगा जिनको अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र पर उपयोग करते हुए प्रत्येक सांड़ से प्रतिवर्ष औसतन 20 हजार वीर्य स्ट्रॉज का उत्पादन सम्भव होगा जिसके प्रयोग से स्वदेशी प्रजाति के उत्पन्न गौवंशीय संतति के पशुओं के दुग्ध उत्पादन में औसतन 1000 ली0 प्रति ब्यांत की अतिरिक्त वृद्धि अर्थात् रु0 25000.00 प्रति ब्यांत तक की आय पशुपालक को सीधे तौर पर प्राप्त होगी।

तालिका–5.03
विभिन्न योजनओं की भौतिक प्रगति

(लाख में)

कार्यक्रम	2017-18		2018-19		2019-20 (अगस्त, 2019 तक)	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
कृत्रिम गर्भाधान	160.00	126.59	160.00	133.60	168.00	41.39
टीकाकरण	1655.80	1485.46	1613.44	1434.01	1613.44	657.82
चिकित्सा	318.08	370.88	333.98	375.45	333.98	148.85
बधियाकरण	15.03	17.43	27.50	23.51	29.83	8.01
दूध (lac MT)	303.32	290.52	340.32	304.94	369.55	108.00
अण्डा (lac nos)	25327	24398	29187	26050	32105	8900
ऊन (lac kg)	14.04	12.99	14.30	13.16	-	-
मंस (thosand Ton)	1715.63	1151.12	1887.20	1227.09	1475.45	390.00

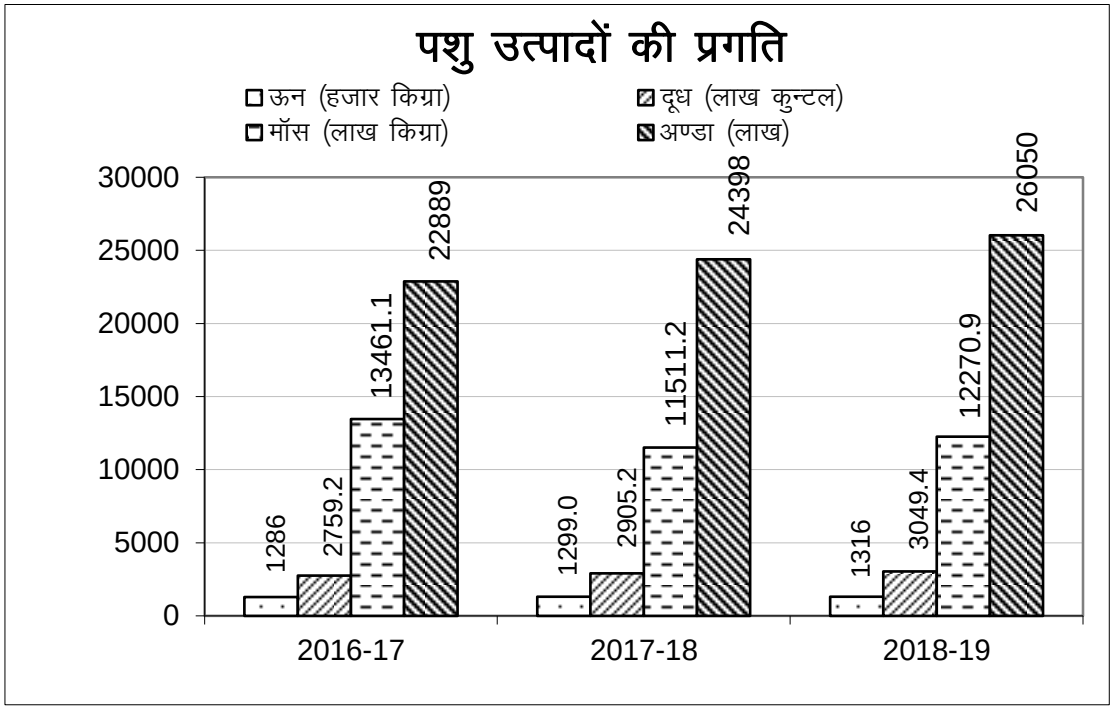

पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण –

- **पेस्टडिस् पेट्टिस रूमिनेन्ट्स कण्ट्रोल प्रोग्राम–** भूमिहीन कृषक/पशुपालकों द्वारा जीवकोपार्जन/लघु व्यवसाय हेतु बकरियों एवं भेड़ों का पालन किया जाता है। इन पशुओं में प्रबल सम्भावना वाली विषाणु जनित पी0पी0आर0 बीमारी को महामारी के रूप में फैलने से रोकने हेतु पी0पी0आर0सी0पी0 कार्यक्रम चलाया जाना अपरिहार्य होता है। 19वीं पशुगणना के अनुसार प्रदेश में अन्य पशुधन के साथ साथ 13.54 लाख भेड़ एवं 155.86 लाख बकरियां हैं।

उक्त बीमारी से 90–95 प्रतिशत पशु प्रभावित होते हैं जिनके सापेक्ष 75 प्रतिशत पशुओं की मृत्यू होने की प्रबल सम्भावना होती है। ऐसी परिस्थिति में वर्णित बीमारी के प्रकोप से पशुपालकों को आर्थिक रूप से नुकसान होता है। प्रदेश के लक्षित पशुओं (भेड़ एवं बकरियों) में उक्त रोग के कारण होने वाली उच्च मृत्युदर का संज्ञान लेते हुए उन्हें रोग मुक्त रखने के उद्देश्य से भारत सरकार के 60 प्रतिशत वित्त पोषण से उक्त योजना चलायी जा रही है।

- **पारिश्रमिक आधारित वृहद् टीकाकरण योजना–** विभिन्न बीमारियों के बचाव हेतु प्रदेश में सभी पशुओं का शत–प्रतिशत टीकाकरण पशु स्वामी के द्वार पर ही करने को मूर्त रूप देने की योजना है। प्रदेश के लगभग 9 करोड़ पशुओं का टीकाकरण के किये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं यथा ले–मैन इन्सीमिनेटर/पैरावेट/पशुमित्र को प्राथमिक पशु उपचार, कृत्रिम गर्भाधान एवं टीकाकरण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- **पशुओं को कृमिनाशक एवं मिनरल मिक्सचर सप्लीमेन्ट उपलब्ध कराना–** पशुओं को समय से कृमिनाशक एवं मिनरल मिक्सचर सप्लीमेन्ट उपलब्ध कराने से दुग्ध उत्पादकता में तात्कालिक रूप से लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि सम्भावित होती है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, नर एवं मादा संतति की मृत्यु दर में कमी तथा बकरियों में शरीर भार में त्वरित बढ़ोत्तरी सुनिश्चित करने में कृमिनाशक एवं मिनरल मिक्सचर सप्लीमेन्ट अति महत्वपूर्ण होता है। कार्य योजनान्तर्गत कृमिनाशक की 2 खुराक एवं 3 कि0ग्रा0 मिनरल मिक्सचर सप्लीमेन्ट उपलब्ध कराया जायेगा। वर्ष 2022 तक चरणबद्ध रूप से 250 लाख पशुओं को आच्छादित किया जायेगा।
- **पशुचिकित्सालयों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण–** दिनांक 14.08.2018 को मा0 मुख्यमन्त्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 40.17 लाख प्रति चिकित्सालय की दर से जनपद बरेली, झांसी, बांदा, गोण्डा व आगरा में 1–1 नवीन पशुचिकित्सालयों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।
- **बहुद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवा–** प्रदेश के सीमित आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत वर्तमान में 15000 बड़े पशुओं के आधार पर एक पशुचिकित्सालय स्थापित किया जा रहा है। चिकित्सालयों पर पदस्थ पशुचिकित्सा अधिकारियों को मोबिलिटी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान एवं अशक्त पशु को किसी बीमारी में त्वरित आकस्मिक सेवाएं उपलब्ध कराने में प्रायः कठिनाई होती है। परिणाम स्वरूप पशुओं को रोगमुक्त रखना एवं इनसे वांछित मात्रा में पशुजन्य उत्पाद प्राप्त करना प्रभावित होता है। उक्त के दृष्टिगत 774 विकास खण्डों (बुन्देलखण्ड को छोड़कर जहाँ बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत ये पूर्व से स्थापित हैं) में विकासखण्ड स्तर के पशुचिकित्सालय पर बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवाएं (राज्य योजना) के अर्न्तगत आवश्यक निवेशों यथा–तरल नत्रजन लघु पात्र (BA-3), पशुचिकित्सा उपकरण किट/इन्स्ट्रूमेण्ट, वैक्सीन कैरियर, मेडिसिन किट, कोल्डचेन की व्यवस्था एवं अन्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री से युक्त एक–एक मोबाइल वैन/वाहन उपलब्ध है।
- **पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर मेलों का आयोजन–** सचल पशु चिकित्सा क्लीनिक हेतु संचालित वाहनों द्वारा उन्नत पशुपालन एवं पशुचिकित्सा सेवाएं गावों में शिविर लगाकर दी जा रही हैं। 10000 पशुचिकित्सा शिविर अयोजित करने के लक्ष्य के सापेक्ष माह अगस्त 2019 तक 1866 शिविर आयोजित किये गये हैं। इसका उद्देश्य सरकार की लाभकारी

योजनाओं से अवगत कराते हुए उन्नत पशुपालन की क्षमता में विकास कर कृषकों की आय में वृद्धि करना है।

- **पशुरोग अनुसंधान तथा निदान सेवाओं का विस्तार–** नवीन वैज्ञानिक तकनीक से पशुधन की सुरक्षा हेतु आवश्यक है कि विभिन्न रोगों के शोध व त्वरित जांच की व्यवस्था हो। उ0प्र0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा तथा भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर बरेली में पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल एवं पशु रोगों के नियंत्रण से सम्बन्धित विषयों पर प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

चारागाह क्षेत्र

क्र0सं0	जोनवार क्षेत्र	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	पश्चिमी क्षेत्र	17985.00
2.	केन्द्रीय क्षेत्र	24521.00
3.	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	5105.00
4.	पूर्वी क्षेत्र	17838.00
	योग	65389.00

प्रस्तावित योजनान्तर्गत प्रदेश में 65 जनपदों के सदर क्षेत्र में पशुचिकित्सालयों (जनपद–वाराणसी, आगरा, फैजाबाद, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, झांसी, इलाहाबाद व गोरखपुर को छोड़कर, जहां पूर्व से ही मण्डलीय रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित है) की स्थापना के फलस्वरूप पशुओं को नवीन वैज्ञानिक तकनीक आधारित पशुचिकित्सा, क्षेत्र में प्रभावी रोग नियंत्रण, क्षेत्र में किसी संक्रामक/महामारी के फैलने की स्थिति में तत्काल रोक आदि लाभ होंगे। उक्त के दृष्टिगत **जिला स्तर पर रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना** योजनान्तर्गत इकाई लागत रु0 41.33 लाख की दर से कुल रु0 छब्बीस करोड़ छियासी लाख पैतालीस हजार की धनराशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में स्वीकृत की गयी है।

चारा एवं चारागाह विकास –

- **चारागाह क्षेत्र**– प्रदेश में वर्ष 2013–14 में गोचर/स्थायी चारागाह एवं अन्य चराई की भूमि का विवरण निम्नवत् है–

  पश्चिमी क्षेत्र (30 जनपद) एवं पूर्वी क्षेत्र (28 जनपद) में गोचर भूमि लगभग बराबर है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र (7 जनपद) में मात्र 5105 हेक्टेयर भूमि है। सबसे अधिक गोचर भूमि केन्द्रीय क्षेत्र (10 जनपद) में उपलब्ध है। प्रदेश के 75 जनपदों में कुल 65389 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गोचर भूमि अभिलेखों में अंकित है।

  प्रदेश में कृषकों की भूमि पर एक वर्ष में कुल 774375.00 हे0 क्षेत्रफल में लगभग 359.46 लाख मी0टन हरा चारा ही उत्पादित किया जाता है। प्रदेश में बोयी जा रही चारा फसलों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों जैसे गन्ने का अगोला, वन आच्छादित क्षेत्र, कृषि बेकार भूमि, स्थायी चारागाह एवं अन्य चराई की भूमि आदि से लगभग 538.24 लाख मी0टन हरा चारा प्राप्त होता है। इस प्रकार सभी स्रोतों से प्राप्त हरे चारे, सूखे चारे एवं दाने की आपूर्ति के बाद भी प्रदेश में पशुओं को खिलाने हेतु लगभग 740.37 लाख मी0टन हरा चारा (46.64 प्रतिशत), 141 लाख मी0टन सूखा चारा(17.26 प्रतिशत) एवं 348.82 लाख मी0टन दाने (82.78 प्रतिशत) की कमी रह जाती है। उक्त हरे एवं सूखे चारे की कमी को पूरा करने हेतु लगभग 13.76 लाख हे0 अतिरिक्त क्षेत्रफल बोये जाने की आवश्यकता है जिस के लिए लगभग 4.60 लाख कु0 चारा बीज की आवश्यकता है।

- **चारा आच्छादन क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु पशुपालकों को चारा उत्पादन पैकेज–** चारा आच्छादन क्षेत्रफल बढ़ाने में प्रमुख समस्या कृषि योग्य भूमि पर खाद्यान्न उत्पादन एवं चारा उत्पादन में प्रतिस्पर्धा का होना है। चारा उत्पादन बढ़ाने हेतु पशुपालकों को **"चारा उत्पादन पैकेज"**

अनुदान सहायता के रूप में दिये जाने की कार्य योजना है जिससे प्रत्येक वर्ष 8000 हे0 अतिरिक्त भूमि पर चारा आच्छादन बढ़ाया जायेगा।

- **पशुधन प्रक्षेत्रों पर चारा बीज उत्पादन को बढ़ाना–** 10 पशुधन प्रक्षेत्रों पर एक वर्ष में कुल 2576.00 हे0 भूमि पर लगभग 227282.00 कु0 हरा चारा, 20944.00 कु0 सूखा चारा तथा 9046.00 कु0 चारा बीज उत्पादन होता है। पशुधन प्रक्षेत्रों पर उन्नत चारा बीज उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना है जिससे पशुपालकों को समय पर उन्नत चारा बीज उपलब्ध हो सकेगा। पशुधन प्रक्षेत्रों पर चारा बीज उत्पादन हेतु आच्छादित 1718 हे0 को अगले 5 वर्षों में बढ़ाकर 2056 हे0 करने का लक्ष्य है जिससे 23310 कु0 चारा बीज का उत्पादन सुनिश्चित हो सकेगा।
- **केन्द्रीय आहार प्रयोगशाला का संचालन–** हरे चारे की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित हैं। पशुओं को दाने की उपलब्धता प्राइवेट क्षेत्र में स्थापित निर्माता फर्मों के उत्पादों से होती है। पशुपालक अपनी सुविधा के अनुसार उनका क्रय कर उपयोग करता है परन्तु पशु स्वामी द्वारा क्रय किये गये दाने में किस प्रकार के आवश्यक अवयव कितनी मात्रा में हैं इसके परीक्षण की समुचित व्यवस्था नहीं है। अतः पशुपालन में स्थापित नवीन तकनीकी से सुसज्जित आहार प्रयोगशाला द्वारा संदर्भित परीक्षण की व्यवस्था/सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है।
- **पशु संरक्षण एवं संवर्धन –**

प्रदेश में देशी गोवंशीय प्रजातियों यथा साहीवाल, हरियाणा, थारपारकर, गंगातीरी गायों का संरक्षण एवं संवर्द्धन किया जाना अति आवश्यक है। देशी गोवंशीय प्रजातियां ग्लोबल क्लाईमेट चेन्ज की स्थिति में भी अधिक अनुकूलित होती हैं एवं कठिन परिस्थितियों में भी उत्पादन बहुत प्रभावित नहीं होता। इसी के दृष्टिगत पशुपालकों को इन प्रजातियों को पालने हेतु **'देशी गोवंश संरक्षण एवं संवर्द्धन पैकेज'** दिये जाने का कार्यक्रम है। देसी गायों का इन्हीं पशु प्रजातियों के उच्च गुणवत्ता सीमेन से शत–प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन सुनिश्चित किया जायेगा।

उ0प्र0 गो संरक्षण एवं संवर्द्धन कोष

उ0प्र0 में गो संरक्षण एवं संवर्धन कोष के गठन हेतु उ0प्र0 गो संरक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली–2019 प्रख्यापित की गयी है जिसके अन्तर्गत–

- गोवंश आश्रय स्थलों में आवासित गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पालन पोषण, विकास कार्यों एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने की योजनाओं में सहयोग किया जायेगा।
- गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये प्रदेश के गोवंश आश्रय स्थलों में अस्थायी/अति आवश्यक प्रकृति की परिसम्पत्तियों का निर्माण तथा उत्पादन इकाईयों/योजनाओं हेतु सहयोग किया जायेगा।
- दान व चन्दे, से सरकारी/गैर सरकारी संगठन से, मण्डी शुल्क/सेस की 2 प्रतिशत धनराशि, आबकारी विभाग द्वारा लगायी गयी 'स्पेशल फीस' या अन्य किसी स्रोत से नियमानुसार प्राप्त धनराशि से कोष की आय होगी।
- कोष में रु0 50 लाख की धनराशि आरक्षित रखी जाएगी जिसका उपयोग आपदाग्रस्त घोषित होने पर जिले में गोवंश के पालन पोषण के प्रयोजन हेतु किया जा सकेगा।

- **गौ–संरक्षण की योजना–** निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों को छोड़कर शेष 68 जनपदों में एक–एक वृहद् गो–संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिये रु0 120.00 लाख प्रति जनपद की दर से कुल रु0 8160.00 लाख धनराशि की व्यवस्था की गयी है। बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों में ''गोवंश वन्य विहार'' की स्थापना के लिये रु0 120.00 लाख प्रति जनपद की दर से कुल रु0 840.00 लाख धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

- **गोवंश आश्रय स्थल–** निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी निकायों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन की नीति प्रख्यापित की गयी है। आश्रय स्थल पर भरण पोषण, टीकाकरण, नर गोवंश का बंध्याकरण तथा मादा गोवंश को प्रजनन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अतिरिक्त उत्पादित दूध, गोबर, कम्पोस्ट आदि के विक्रय व्यवस्था से आश्रय स्थल को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी बनाया जाएगा।
- **मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना–** निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश के संरक्षण एवं भरण पोषण हेतु अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल, वृहद् गोसंरक्षण केन्द्र/गोवंश वन्य विहार संचालित कर उनका संरक्षण एवं भरण पोषण किया जा रहा है। पूर्ण रूप से संरक्षण एवं भरण पोषण के दृष्टिगत गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित/बेसहारा गोवंश को स्थापित प्रक्रिया द्वारा इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द करते हुए इस योजना के क्रियान्वयन में जनसहभागिता बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत रु0 30/– प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से भरण पोषण हेतु धनराशि सम्बन्धित कृषक/ पशुपालक/अन्य व्यक्ति के बैंकखाते में प्रतिमाह डी0बी0टी0 प्रक्रिया द्वारा हस्तान्तरित की जाएगी।
- **क्षेत्र विशेष हेतु कार्यक्रम–बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अन्ना प्रथा उन्मूलन की योजना–**
  बुन्देलखण्ड में पशुपालकों द्वारा गोवंशीय पशुओं को छुट्टा छोड़ दिया जाता है जो फसलों के लिए हानिकारक है जिसे अन्ना प्रथा कहते हैं। अन्ना प्रथा का मुख्य कारण क्षेत्र के गोवंशीय पशुओं का निम्न आनुवंशिक गुणवत्तायुक्त होना है जिनकी दुग्ध उत्पादकता अत्यन्त कम होती है। पशुपालकों के द्वारा/गौशालाओं में उपलब्ध निम्नकोटि के पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान तथा उन्नतिशील सांड़ों द्वारा नैसर्गिक अभिजनन के माध्यम से नस्ल सुधार किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों यथा झाँसी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर एवं जालौन में अन्ना प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत निम्न कोटि के बछड़ों का बधियाकरण, उच्चगुणवत्तायुक्त सांड़ों की उपलब्धता व उच्चगुणवत्तायुक्त वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जा रहा है।

व्यवसाय परक योजनाएं–

• कामधेनु योजना –

प्रदेश में 100 दुधारू पशुओं की कामधेनु योजना तथा 50 दुधारू पशुओं की मिनी कामधेनु योजना क्रियान्वित की जा रही है। कामधेनु की 300 इकाईयों का ऋण स्वीकृत कराकर 288 इकाईयां क्रियाशील की जा चुकी हैं। मिनी कामधेनु योजना में 1500 इकाईयों का ऋण स्वीकृत कराकर 1460 इकाईयां क्रियाशील करायी जा चुकी हैं। 25 दुधारू पशुओं की माईक्रो कामधेनु योजना वर्ष 2015 से प्रारम्भ की गयी है। 2500 इकाईयां स्थापित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 2241 इकाईयों का ऋण स्वीकृत कराकर 1761 इकाईयां क्रियाशील की जा चुकी हैं।

• कुक्कुट पालन–

कुक्कट उत्पादन के क्रिटिकल गैप को देखते हुए प्रदेश में कुक्कुट विकास के उद्देश्य से कामर्शियल लेयर्स पक्षियों के फार्म की स्थापना तथा प्रदेश को ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की अवस्थापना हेतु कुक्कुट उद्यमियों को वित्तीय संसाधनों में राहत एवं लाभकारी नीतिगत व्यवस्था की गयी है। कुक्कुट पालन योजनान्तर्गत प्रदेश में 30,000 कामर्शियल लेयर्स पक्षी की 238 इकाइयों के लक्ष्य के सापेक्ष 697 इकाइयों की एल0ओ0सी0 जारी की गयी है। प्रदेश में 10,000 पक्षी की कामर्शियल लेयर्स फार्म की स्थापना माह जनवरी, 2016 में शुरू की गयी। 510 इकाईयों के लक्ष्य के सापेक्ष 733 इकाइयों की एल0ओ0सी0 जारी की गयी हैं एवं वर्तमान में 156 इकाइयाँ स्थापित हो गयी हैं।

प्रदेश में बैकयार्ड कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2022 तक भारत सरकार सहायतित रूरल बैकयार्ड योजनान्तर्गत 2500 मदर यूनिट स्थापित की जायेंगी।

• बकरी इकाईयों की स्थापना–

बकरी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। बकरियों को ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः गरीब व्यक्तियों द्वारा पाला जाता है जो उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। गरीब पशुपालको को 5 बकरी एवं 1 नर बकरा उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना है जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।

• जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा–

जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा के माध्यम से ऐसे पशुपालक जिनके परिवार की आजीविका पशुधन पर निर्भर है एवं ऐसे लघु एवं सीमांत किसान जो कृषि एवं पशुपालन को अपनाये हुए हैं उन्हें पशु बीमा कराने के फलस्वरूप पशु मुत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम के विरूद्ध एक सुरक्षा तंत्र प्राप्त होता है। पशु

उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013

उ0प्र0 में 108 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष उत्पादित होते हैं जबकि 473 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष उपभोग किये जाते हैं। प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के व्यवसायी लगभग 365 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष अन्य प्रदेशों से आयात करते हैं। कुक्कुट मांस उत्पादन हेतु वर्तमान में लगभग 1082 लाख ब्रायलर के चूजे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रतिवर्ष पाले जा रहे हैं जिसमें 972 लाख ब्रायलर चूजे अन्य प्रदेशों से आयात होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि 365 करोड़ अण्डे तथा 972 लाख ब्रायलर चूजे प्रतिवर्ष अन्य प्रदेशों से आयात होने के कारण प्रदेश से अन्य प्रदेशों को भारी मुद्रा प्रवाह होता है।

अतः प्रदेश को अण्डा उत्पादन एवं ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कामर्शियल लेयर पालन तथा ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना हेतु कुक्कुट विकास नीति–2013 लागू की गयी जिसकी अवधि 31 मार्च 2018 को समाप्त हो गयी। वर्तमान सरकार द्वारा उक्त नीति को 2022 तक बढ़ाया गया है। इसमें उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करने तथा इनवेस्टर फ्रेन्डली वातावरण सृजित करने हेतु नीतिगत व्यवस्था की गयी है।

परियोजनान्तर्गत कुक्कुट विकास नीति के तहत कामर्शियल लेयर्स फार्मिंग की (30,000 पक्षी की एक इकाई) 298 इकाईयां क्रियाशील है। कामर्शियल लेयर्स फार्मिंग की (10,000 पक्षी की एक इकाई) 268 इकाईयां क्रियाशील है। ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की (10,000 पक्षी की एक इकाई) 23 इकाईयां क्रियाशील है जिनसे कुल 100.58 लाख अतिरिक्त अण्डों का प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है तथा 78260 व्यक्तियों को स्वरोजगार मिला है। नीति अन्तर्गत अद्यतन प्रदेश में रू0 961.65 करोड़ का निवेश हुआ है एवं 24.60 लाख अतिरिक्त चूजे प्रति माह उत्पादित हो रहे हैं।

मृत्यु की दशा में बीमा कम्पनी से प्राप्त होने वाले जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा के माध्यम से ऐसे पशुपालक जिनके परिवार की आजीविका पशुधन पर निर्भर है एवं ऐसे लघु एवं सीमांत किसान जो कृषि एवं पशुपालन को अपनाये हुए हैं उन्हें पशु बीमा कराने के फलस्वरूप पशु मुत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम के विरूद्ध एक सुरक्षा तंत्र प्राप्त होता है। पशु मृत्यु की दशा में बीमा कम्पनी से प्राप्त होने वाले भुगतान से पशुपालक/किसान पुनः पशु क्रय कर अपनी आजीविका चलाने में समर्थ बना रहता है। योजनान्तर्गत पशु के बीमा प्रीमियम का बड़ा अंश, औसतन 75 प्रतिशत तक केन्द्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है जबकि अवशेष हिस्सा पशुपालक द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार प्रीमियम अंशदान की छोटी सी राशि का भुगतान कर पशुपालक पशु मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम के विरूद्ध सुरक्षित हो जाता है। पशुधन बीमा आच्छादन अन्तर्गत वर्तमान में 1.00 लाख पशुओं के आच्छादन का लक्ष्य है। बीमा आच्छादन को 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ाया जाएगा।

तालिका–5.04

पशुपालन हेतु संचालित योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था (रू0 लाख में)			
वर्ष	**बजट**	**स्वीकृति**	**व्यय**
2014–15	21990.86	17728.42	16425.75
2015–16	28592.790	23892.705	22012.997
2016–17	62958.66	45075.61	43889.45
2017–18	151623.22	137423.53	122148.16
2018–19	180869.84	121956.44	34744.15
2019–20 (माह 15 सितम्बर तक)	200222.86	167712.58	64557.99

मत्स्य उत्पादन व उत्पादकता

संपूर्ण आहार और बायोइण्डीकेटर के रूप में मछली हमारे जैविक पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है, विश्व भर में लगभग 20000, भारतवर्ष में 2200 तथा उ0प्र0 में गंगा नदी प्रणाली में मछलियों की लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं।

स्वतन्त्रता से पूर्व 1926 में 'Royal commision on Agriculture' ने मत्स्य संसाधनों पर विशेष बल दिया जिसमें 1944 में 'मत्स्य विकास कार्यक्रम' के अन्तर्गत 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना में युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तालाब से मछली निकालकर सेना के जवानों को भेजने का कार्य किया गया। स्वतन्त्रता पश्चात 1948 में मत्स्य संसाधनों के उपभोग तथा उपलब्ध पौषणिक जल सम्पदा में मत्स्य संरक्षण की दृष्टि से 'UP Fisheries Act 1948' बनाया गया। 1966 से मत्स्य विभाग स्वतंत्र रूप से मत्स्य पालन के संवर्धन हेतु कार्य कर रहा है।

विश्व में भारत का मत्स्य उत्पादन में द्वितीय स्थान है (झींगा उत्पादन में प्रथम) जहां कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 6.30 प्रतिशत उत्पादन होता है। भारत वर्ष की जी.डी.पी में मत्स्य पालन का लगभग 01 प्रतिशत योगदान है। उ0प्र0 की जी.एस.डी.पी में मत्स्य उद्योग का योगदान लगभग 0.4% है जबकि कृषि सेक्टर में मत्स्यिकी का 1.73 प्रतिशत योगदान है। आन्ध्रप्रदेश व प0बंगाल के पश्चात मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है।

तालिका–5.05

अनुमानित मत्स्य उत्पादन एवं औसत मत्स्य उत्पादकता

वर्ष	अनुमानित मत्स्य उत्पादन (लाख मी0टन0)	औसत मत्स्य उत्पादकता (किग्रा0/है0/वर्ष)	अंगुलिका/मत्स्य बीज वितरण (लाख में)	अंगुलिका/मत्स्य बीज संचय (लाख में)	अंगुलिका/मत्स्य बीज उत्पादन (लाख में)
	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि
2011–12	4.30	3335	14136.42	627.57	14763.99
2012–13	4.50	3402	15322.02	629.10	15951.12
2013–14	4.64	3600	15652.87	724.76	16377.63
2014–15	4.94	4140	15964.75	650.66	16615.41
2015–16	5.04	4140	17653.23	646.03	18299.26
2016–17	6.18	4155	26272.46	762.67	27035.13
2017–18	6.29	4375	26333.92	786.95	27120.87
2018–19	6.62	4455	29442.13	347.22	29789.35

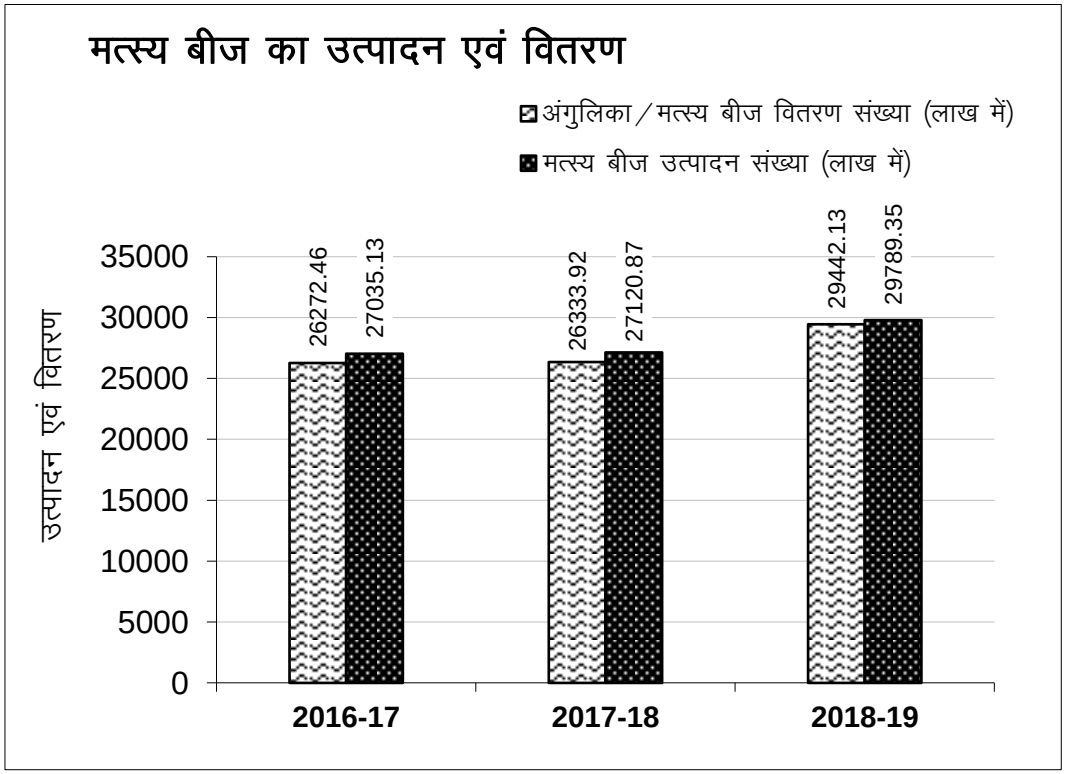

मत्स्य पालन को रोजगारोन्मुख (विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में) करने के लिये केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016–2017 में 'नीलीक्रान्ति मिशन' के माध्यम से पूर्व संचालित केन्द्र पोषित व केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं को एक अम्ब्रेला के अन्तर्गत लाते हुये नई केन्द्र पुरोनिधानित योजना **"ब्लू रिवोलुशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज"** के अन्तर्गत इन योजनाओं को प्रदेश में लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत जल संसाधनों का मत्स्य क्षमता के अनुसार दोहन करते हुये मत्स्यिकी को

आधुनिक उद्योग के रूप में परिवर्तित करने, मछुआरों व मत्स्य पालकों की आय दोगुना करने, प्रदेश की खाद्य व पौषणिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, मत्स्य विपणन व पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना का विकास तथा नदियों में मत्स्य संपदा के संरक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिन्हें वर्ष 2022 तक प्राप्त करना है।

प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु शासन द्वारा **'विजन एण्ड पर्सपेक्टिव प्लान फार द डेवलेपमेन्ट आफ फिशरीज सेक्टर 2013'** का अवधारण करते हुए दस वर्षीय कार्यक्रमों को लागू कराने का संकल्प लिया है। मत्स्य पालन कृषि का ही एक अंग है अतः सरकार द्वारा दिनांक 30.06.2014 को मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया तथा कृषि से मिलने वाली सुविधाओं को मत्स्य पालकों को भी समान रूप से उपलब्ध करायी जा रही है। इसी क्रम में मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रदेश में वृहद एवं मध्यमाकार जलाशयों, प्राकृतिक झीलों तथा ग्रामीण अंचलों के तालाबों का कुल 5.34 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है। इन जल संसाधनों की उपलब्धता तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाये गये जल क्षेत्र से सम्बन्धित विवरण निम्नवत है –

तालिका–5.06

बंधा हुआ जल संसाधन	कुल उपलब्ध जलक्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	मत्स्य पालन के अन्तर्गत उपयोग में लाया गया जलक्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	प्रतिशत
वृहद एवं मध्यमाकार	2.28	2.26	99.12
जलाशय प्राकृतिक झीलें	1.33	0.20	15.03
ग्रामीण अंचल के तालाब	1.73	1.20	69.36
योग	5.34	3.66	68.53

मत्स्य विभाग के अतिरिक्त उ0प्र0 में निम्न संस्थाएं भी मत्स्य पालन व संवर्धन में योगदान कर रही हैं :–

1–उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लिमिटेड
2–मत्स्य जीवी सहकारी संघ
3–राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो (फिश जेनेटिक रिर्सोसेज का संग्रहण)
4–केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (प्रशिक्षण कार्य)
5–केन्द्रीय अन्तर्स्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज (मत्स्यिकी से सम्बन्धित अध्ययन)

विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश में जनपदों की आवश्यकतानुसार निम्न योजनाए संचालित हैं :–

1– नीली क्रान्ति योजना –

वर्ष 2016–17 में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मद, जो लाभार्थी परक हैं, में परियोजना लागत (इकाई लागत व अधिकतम सीमा) के आधार पर 50 प्रतिशत पोषण केन्द्रीय सहायता अंश तथा शेष 50 प्रतिशत राज्यांश सहायता/लाभार्थी अंश निर्धारित था। वर्ष 2017–18 में सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत (केन्द्रांश 24 प्रतिशत + राज्यांश 16 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला लाभार्थियों को 60 प्रतिशत (केन्द्रांश 36 प्रतिशत + राज्यांश 24 प्रतिशत) अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस योजना में प्रशिक्षण, स्ट्रेंथनिंग आफ डाटा बेस एण्ड जियोग्राफिकल इन्फार्मेशन सिस्टम आफ द फिशरीज सेक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि मदों हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से अधिकतम सीमान्तर्गत वित्तीय सहायता निर्धारित है।

2– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना –

योजनान्तर्गत अतिरिक्त जलक्षेत्र आच्छादित कर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि योजना में (पट्टे पर ग्राम सभा के तालाब सुधार एवं प्रथम वर्ष निवेश उपलब्धता), मत्स्य बीज रियरिंग यूनिट निर्माण व उसके निवेश, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में पंगेशियस पालन हेतु इच्छुक व पात्र व्यक्तियों से योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। योजना में निम्न प्रकार अनुदान धनराशि लाभार्थी को डी.बी.टी. के माध्यम से प्रदान की जाती है–

(i) अतिरिक्त जलक्षेत्र आच्छादित कर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि – परियोजना की कुल लागत तालाब सुधार हेतु रुपये 3.50 लाख तथा प्रथम वर्ष निवेश हेतु रुपये 1.50 लाख प्रति हेक्टयर है जिस पर कुल 40 प्रतिशत अधिकतम रुपये 2 लाख प्रति हेक्टयर अनुदान की धनराशि 03 किश्तों में डी.बी.टी. के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

(ii) मत्स्य बीज रियरिंग यूनिट निर्माण – परियोजना की कुल लागत रुपये 7.50 लाख (निर्माण कार्य एवं प्रथम वर्ष निवेश हेतु) प्रति हेक्टयर है, जिस पर कुल 40 प्रतिशत अनुदान राशि रुपये 3.0 लाख देय है जो 03 किश्तो में डी.बी.टी. के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

(iii) रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आर.ए.एस.) – यह परियोजना 8 टैंकों की है जिसकी इकाई लागत रुपये 50 लाख है जिस पर 40 प्रतिशत अनुदान राशि रुपये 20 लाख देय है।

3– मत्स्य बीज उत्पादन –

मत्स्य विकास निगम द्वारा निर्मित 09 बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य विभाग के 37 प्रक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकार की 251 हैचरियों द्वारा मत्स्य बीज उत्पादन किया जा रहा है। प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में भी मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में एक 10 मिलियन क्षमता की हैचरी की स्थापना हेतु रु0 25.00 लाख इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान राशि अधिकतम रु0 10.00 लाख तथा अनुसूचित जाति/महिला वर्ग को 60 प्रतिशत अधिकतम् रु0 15.00 लाख अनुदान धनराशि देय है। शेष 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत लाभार्थी का स्वयं का संसाधन या बैंक ऋण के रूप में लाभार्थी अंश है। मछली उत्पादन में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से उत्तम प्रजाति का मत्स्य बीज मत्स्य पालकों को उनकी मांग पर निर्धारित मूल्य पर वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागीय जलाशयों में मत्स्य बीज का संचय भी किया जाता है।

4–मत्स्य सहकारिता –

प्रदेश में मत्स्य पालकों की सामाजिक स्थिति सुदृढ करने के उद्देश्य से उ0प्र0 शासन ने मत्स्य पालकों की सहकारी समितियां गठित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के माध्यम से मत्स्य विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाता है। प्रदेश में 1099 प्राथमिक समितियां, 22 जनपद स्तरीय संघ एवं एक प्रदेशीय संघ की स्थापना की गयी है।

संघ के व्यवसाय परक कार्य–मत्स्य सहकारी एक्वा शाप मछुवा समुदाय की सहकारी समितियों, मत्स्य पालकों, हैचरियों एवं मत्स्य व्यवसायियों को उनके कार्य व्यवसाय को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें एक छत के नीचे उनके व्यवसाय से सम्बन्धित समस्त आवश्यक सामग्रियों को

उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ द्वारा मत्स्य सहकारी एक्वा शाप, लखनऊ में खोली गयी है जिसके अन्तर्गत यू.पी. एग्रो द्वारा निर्मित मत्स्य आहार, पोल्ट्री एवं पशु आहार, प्रोबायोटिक्स एवं फीड एडीटिव्स, सीफैक्स तथा जाल, कांटा, डोर इत्यादि की सहकारी समितियों को डीलरशिप देकर एवं सीधे बिक्री की जा रही है।

5– मछुआ आवास योजना –

आवास विहीन मछुआरों को आवास निर्माण हेतु रु0 1 लाख 20 हजार की धनराशि दो किश्तों में देय होती है।

मत्स्य विपणन

तालाबों में मत्स्य संवर्धन से 54 प्रतिशत, जलाशय/झीलों से 43.80 प्रतिशत एवं नदियों से 2.20 प्रतिशत मछलियां बिक्री के लिए बाजार में आती है। प्रदेश के बाहर से लगभग 1.45 लाख टन मछली का आयात हो रहा है।

ब्लू रिवोल्यूशन की गाइडलाइन्स के अनुसार निर्मित किये जाने वाले आवास का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होगा। वर्ष 2016–17 के 666 मछुआ आवास वर्ष 2017–18 में निर्मित कराये गये। वर्ष 2018–19 में 353 आवासों हेतु प्रथम किश्त के रूप में रु0 199.20 लाख की धनराशि वितरित की गयी। वर्ष 2018–19 के उक्त आवासों को वर्ष 2019–20 में पूर्ण किये जाने के साथ साथ 100 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा 52 अनुसूचित जनजाति के आवास दिये जाने का भी लक्ष्य है।

6– मछुआ दुर्घटना बीमा योजना –

पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों तथा सक्रिय मत्स्य पालकों की दुर्घटना में मृत्यु/स्थायी अपंगता होने पर रु0 2 लाख तथा स्थायी आंशिक अपंग होने पर रु0 1 लाख की धनराशि देने का प्रावधान है।

7– जल प्लावित योजना –

जल प्लावित भूमि में तालाब निर्माण हेतु रु0 1,25,000 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देय है।

किसान क्रेडिट कार्ड

ग्रामसभा के तालाबों के पट्टा धारक, निजी भूमि पर तालाब निर्माण कराने वाले व्यक्ति, निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन करने वाले हैचरियों के स्वामी तथा मत्स्य बीज रियरिंग इकाईयों के स्वामी को किसान क्रेडिट कार्ड हेतु लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रदेश में विगत वर्ष तक कुल 75,112 व्यक्ति ग्राम सभा के तालाब, पट्टे पर प्राप्त कर चुके हैं। अतः वर्ष 2019–20 में उक्त के सापेक्ष प्रथम चरण में जनपदवार कुल 10,753 लाभार्थियों को मत्स्य पालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का तहसीलवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

8–तालाबों का पट्टा –

उत्तर प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों में मुख्यतः ग्रामसभा के अन्तर्गत आने वाले तालाब एवं झीलें हैं। ग्रामसभा में निहित तालाबों का पट्टा मछुआ समुदाय एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को ही दिया जाता है जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।

वर्ष 2019–20 में मत्स्य विकास कार्यक्रमों की अद्यतन प्रगति एवं कराये जाने वाले कार्यः–

- मत्स्य उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य 7.00 लाख मी0टन के सापेक्ष द्वितीय त्रैमास तक 2.85 लाख मी0 टन मत्स्य उत्पादन किया गया।
- ग्राम सभा के तालाबों के पट्टे के वार्षिक लक्ष्य 5294.00 है0 के सापेक्ष 1620.89 है0 जलक्षेत्र का पट्टा आवंटित कराते हुए 1592 परिवारों को मत्स्य पालन से आच्छादित किया गया।
- मत्स्य बीज वितरण के वार्षिक लक्ष्य 30869.68 लाख के सापेक्ष 21425.10 लाख गुणवत्तायुक्त बीज वितरित कराया गया।
- 1,34,014 मत्स्य पालकों को बीमा से आच्छादित किया गया।
- सामान्य वर्ग के 448 तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 100 मछुआ आवास निर्माणाधीन हैं।
- 156 फिश सीड रियरिंग यूनिटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- 01 फिश फीड मिल के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

कम लागत का उद्योग होने के कारण मछली पालन में रोजगार के अवसर असीमित है। पर्यावरणीय पर्यटन के रूप में भी मत्स्य उद्योग में असीम सम्भावनायें हैं। सजावटी मछलियों की बढ़ती मांग के चलते भी इस उद्योग में सीमा से अधिक विस्तार की सम्भावना है। इसके लिए आवश्यक है कि गुणवत्तायुक्त बीज मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया जाये तथा स्थानीय स्तर पर ही उत्पादकता के अनुरूप विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इस हेतु बहुउद्देशीय कोल्ड स्टोरेज, जो फल, फूल, सब्जी, दूध, मांस आदि के लिए भी प्रयुक्त हो सके, की स्थापना से उत्पादों को रखने की समस्या दूर होगी। मत्स्य पालन के साथ–साथ मत्स्य प्रसंस्करण को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसके अन्तर्गत मछली का अचार, तेल, फिश मील (खाद) आटा, ग्लू आदि का निर्माण छोटे स्तर पर भी किया जा सके।

उचित निगरानी के अभाव में नदियों व नहरों में होने वाले अवैध मत्स्य पालन के कारण अनेक प्रकार की मछलियों की प्रजाति खतरे के कगार पर है। इसके लिए आवश्यक है कि लाइसेंसिंग व्यवस्था को दुरूस्त किया जाये तथा प्रजनन काल के समय क्लोजर सीजन घोषित किया जाये।

पर्यावरण प्रदूषण के असर से ताल तलाब और नदियां भी अछूती नहीं बची हैं। इसके लिए आवश्यक है कि मुहानों/किनारों पर आवश्यक रूप से सदाबहार वृक्ष/पौधे लगाये जाएं। वृक्ष व मत्स्य उत्पादन के बीच एक सकारात्मक सम्बन्ध है। पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति होने के कारण न केवल पानी पोषक तत्वों से समृद्ध होता है बल्कि मत्स्य उत्पादन में भी वृद्धि होती है। अतः नहरों, तालाबों और अन्य जल निकायों के किनारे वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

दुग्ध विकास

उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दुग्घ उत्पादन करने वाला प्रदेश है तो भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है। वर्ष 2017–18 में उत्तर प्रदेश में 29052 हजार टन सर्वाधिक, राजस्थान 22427, मध्य प्रदेश 14713, आन्ध्र प्रदेश 13725 तथा गुजरात में 13569 हजार टन दूध का उत्पादन हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत में 176347 हजार टन, यू0एस0ए0 में 9776, पाकिस्तान में 4429, चीन में 3487 तथा ब्राजील में 3374 हजार टन दुग्ध उत्पादन हुआ। वर्ष 2018–19 में भारत में 187.749 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन हुआ है। उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत लगभग 2 दशक से विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है। वर्ष 2017–18 में भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 375 ग्राम तथा उत्तर प्रदेश में 359 ग्राम है। वर्ष 2017–18 में राज्यवार खपत के अनुसार पंजाब में 1120 ग्राम, हरियाण में 1005 ग्राम, राजस्थान में 834 ग्राम प्रतिदिन खपत है जबकि दुग्ध उत्पादन में इनका स्थान क्रमशः छठा, सातवां व दूसरा है।

'सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य होने के उपरान्त भी संगठित क्षेत्रों द्वारा दुग्ध प्रसंस्करण 12 प्रतिशत से भी कम हो पा रहा है जबकि भारत का औसत दुग्ध प्रसंस्करण 17 प्रतिशत है। सर्वाधित दुग्ध प्रसंस्करण गुजरात में 49 प्रतिशत है।'' *(स्रोत–एन.डी.डी.बी.)*

वर्तमान में दुग्ध विकास कार्यक्रमों हेतु प्रदेश में पीसीडीएफ (प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन) लखनऊ क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्यरत है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में 20 क्षेत्रीय दुग्ध संघों (जनपद शाहजहाँपुर में एक नवीन महिला मिल्क यूनियन की स्थापना की गयी है) के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पीसीडीएफ के सुदृढ़ीकरण के तहत इसके 08 डेयरी प्लांटों (आजमगढ, गोरखपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी व अलीगढ) को पट्टे पर दिया जायेगा। 07 डेयरी प्लान्ट (मेरठ, बरेली, लखनऊ, अयोध्या, मथुरा, कन्नौज व नोएडा) तथा 09 क्लस्टर दुग्ध संघों (मुज्जफरनगर, मेरठ, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद बरेली, लखनऊ, अयोध्या, गोण्डा व बस्ती) में विशेष ध्यान देते हुए दुग्ध उपार्जन का कार्य दुग्ध संघों द्वारा संपादित किया जायेगा। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उददेश्य में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं लागू की गयी हैं जो निम्न हैं–

(क) राज्य सेक्टर :–

1. आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट व बटर मिल्क कूलर की स्थापना –

वर्तमान में 166996 किग्रा0 प्रतिदिन के उर्पाजन को वर्ष 2022–23 तक 1360000 किग्रा0 प्रतिदिन किये जाने का लक्ष्य है। प्रत्येक दुग्ध समिति में दूध की सही माप तौल, दूध की सही कीमत की सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में 2767 डाटा मिल्क कलेक्शन यूनिट स्थापित हैं जिन्हें आगामी 2 वर्षो में 6156 करने का लक्ष्य है।

5–10 समितियों के क्लस्टर यूनिट बनाने के लिए बटर मिल्क कूलर (बीएमसी) लगाये जा रहे हैं। इसमें दूध की तत्काल चिलिंग की प्रक्रिया होने से दूध की गुणवत्ता बनी रहेगी। वर्तमान में 574 बीएमसी के लक्ष्य के सापेक्ष 160 की स्थापना कर आनलाइन संचालन किया जा रहा है।

2. ई–गर्वनेन्स–सूचना तकनीकी व कम्प्यूटरीकरण योजनाः दुग्ध संघों के क्रियाकलापों को आधुनिक पद्धति पर एकरूपता लाने हेतु बेव आधारित साफ्टवेयर की स्थापना एवं उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 150 लाख की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गयी है। दुग्ध मूल्य भुगतान, गुणवत्ता, विपणन आदि की शिकायतों हेतु कॉल सेन्टर (1800 843 6455) स्थापित किया गया है।

विकास क्रम

1. 1917–कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद की स्थापना से देश में प्रथम बार दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में सहकारिता का प्रादुर्भाव।
2. 1938–देश के प्रथम दुग्ध संघ, लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 की लखनऊ में स्थापना।
3. 1941 इलाहाबाद, 1947 वाराणसी, 1948 कानपुर, 1949 नैनीताल तथा 1951 मेरठ में सहकारी दुग्ध संघों की स्थापना। उपरोक्त सभी में पाश्चुराइजेशन प्लाण्ट स्थापित किये गये।
4. 1954–अल्मोड़ा दुग्ध संघ की स्थापना।
5. 1962–प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0 की तकनीकी सलाहकार संस्था के रूप में स्थापना जिसके द्वारा शिशु दुग्ध आहार निर्माणशाला मुरादाबाद की स्थापना कर उसका संचालन किया गया।
6. 1970–71– 8 जनपदों में आपरेशन फ्लड–I लागू। मेरठ व वाराणसी में 1–1 लाख ली0 दैनिक दुग्ध हैण्डलिंग क्षमता की दो फीडर बैलेन्सिंग दुग्धशालाएं एवं 100–100 मीट्रिक क्षमता की 2 पशु आहार निर्माणशालाएं तथा रायबरेली में जर्सी गौ प्रजनन इकाई की स्थापना।
7. 1975–गायों की नस्ल में सुधार एवं दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु **'फ्रीडम फ्राम हंगर कैम्पेन'** ब्रिटेन एवं प्रदेश सरकार के आर्थिक सहयोग से **पीसीडीएफ** द्वारा संकर पशु प्रजनन परियोजना आरम्भ।
8. 1976–दुग्ध विकास विभाग की स्वतन्त्र रूप से स्थापना। उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद का गठन।
9. दुग्ध नीति 2018 का सृजन।

पीसीडीएफ *की नई परियोजनाएं*

1. वाराणसी व मेरठ में 4 लाख ली0 क्षमता के प्लाण्ट की स्थापना ।

2. लखनऊ में 3 लाख ली0 क्षमता के प्लाण्ट की स्थापना।

3. बरेली,गोरखपुर, फिरोजाबाद व मुरादाबाद में 1 लाख ली0 क्षमता के प्लाण्ट की स्थापना।

4. अयोध्या में 0.5 लाख ली0 क्षमता के प्लाण्ट की स्थापना ।

5.झांसी, नोएडा, अलीगढ़ व प्रयागराज डेरी का उच्चीकरण।

6. 15 संकर डेरी की प्रयोगशालाएं एवं पीसीडीएफ की केन्द्रीय प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण।

7.ट्रांजिट हानि ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम (सोलर बेस्ड पीएमसीयू) की स्थापना।

8.बटर मिल्क कूलर कूल चेन नेटवर्क की स्थापना।

3. गोकुल पुरस्कार 2018–19:

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा व दुधारू पशुओं के अच्छे रख रखाव हेतु दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सर्वाधिक दूध उत्पादित कर दुग्ध समिति के माध्यम से दुग्ध संघों को सर्वाधिक दूध विक्रय करने वाले दुग्ध उत्पादक को जनपद स्तर पर 51 हजार रु0, प्रदेश स्तर पर दो उत्पादकों को रु0 2.00 लाख व रु0 1.50 लाख नकद, गाय बछड़ा के साथ श्री कृष्ण की मूर्ति व एक शील्ड प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।

4. पीसीडीएफ को ऋण :

- कानपुर में 20 मी0 टन दैनिक क्षमता के पाउडर प्लाण्ट की स्थापना हेतु।
- 08 नयी डेयरियों (दुग्ध प्लाण्टों) की स्थापना हेतु।
- जनपद कन्नौज में 1 लाख लीटर क्षमता के गाय के दूध के प्लान्ट की स्थापना हेतु।
- विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित पराग केन्द्र के आधुनिकीकरण हेतु।

5. सी.जी. सिटी लखनऊ में 05 एकड़ क्षेत्र में नवनिर्मित प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर लैब की स्थापना का कार्य प्रक्रियारत है।

6. नवीन योजनाएं: वर्ष 2018–19 से बहुउद्देशीय योजनाओं का शुभारम्भ किया गया है, जो निम्न हैं–

I. ***नन्द बाबा पुरस्कार*** – देसी नस्ल की गाय के माध्यम से दुग्ध उत्पादन करने हेतु दुग्ध उत्पादक सदस्यों को सहकारिता के अन्तर्गत प्रोत्साहित करने हेतु सहकारी दुग्ध समितियों को सर्वाधिक देसी नस्ल की गाय के दूध की आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादक को प्रदेश स्तर पर रु0 51000/–जनपद स्तर पर रु0 21000/– व विकास खण्ड स्तर पर रु0 5100/–का पुरूस्कार दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक लाभार्थी को एक प्रमाण–पत्र व प्रतीक चिन्ह भी दिया जाएगा।

II. ***डेरी विकास फण्ड की स्थापना*** – दुग्ध विकास के उत्थान हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर दुग्ध व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु रू. 15 करोड़ की धनराशि से 'डेरी विकास फण्ड' प्रस्तावित है जिसमें आगामी 05 वर्षो में दुग्ध उत्पादक/विक्रेताओं के बीमा प्रीमियम, दुग्ध समिति में 180 दिन कार्यरत सचिव व हेड लोडर का बीमा प्रीमियम, दैवीय आपदा से क्षति, पूर्ण व आंशिक अपंगता, वैवाहिक सहायता, शिक्षा सहायता, वृद्धावस्था सहायता आदि कार्य प्रस्तावित है।

(ख) जिला सेक्टर :–

1. **दुग्ध संघों/समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तार** – इसके अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक संघों को वित्तीय सहायता के अन्तर्गत कार्यशील पूंजी, प्रबन्धकीय अनुदान, यातायात अनुदान, हेडलोन अनुदान, दुग्धशाला/अवशीतन केन्द्रों की स्थापना, विस्तार एवं भूमि क्रय आदि की व्यवस्था है।
2. **दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजना** – तकनीकी निवेश कार्यक्रम के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों के दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखने व बीमारियों से बचाने हेतु डिवर्मर, मैस्टाइटिस एवं टिक कन्ट्रोल की दवाएं वितरित की जाती हैं।
3. **कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम**– ए.आई कार्यकर्ता, प्रबन्ध कमेटी सदस्य, ए.आई रिफ्रेशर, प्रोग्रेसिव प्रोड्यूसर, क्लीन मिल्क प्रोड्यूसर, मार्केटिंग स्टाफ, ए.एम.सी.यू. व बी.एम.सी. आपरेटर के प्रशिक्षण कार्य व उपभोक्ताओं तथा दुग्ध उत्पादकों की जागरूकता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

तालिका–5.07

वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 हेतु कार्य क्रमवार भौतिक लक्ष्य एवं प्रगति

क्र. सं.	मद का नाम	इकाई	वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19		वर्ष 2019–20	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि माह जून 2019 तक
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	कार्यरत समिति	संख्या क्रमिक	16748	6710	10911	7293	8554	6517
2	समिति सदस्यता	लाख में क्रमिक	6.99	3.01	4.70	3.33	3.74	3.07
3	दुग्ध उपार्जन	लाख किग्रा. प्रतिदिन	7.63	3.62	10.01	3.31	7.00	2.07
4	तरल दुग्ध बिक्री	लाख लीटर प्रतिदिन	4.30	1.69	5.07	1.73	2.06	1.81

(ग) केन्द्र पोषित योजनाएं :–

1. **दुग्ध विकास की राष्ट्रीय योजना –** गुणवत्ता युक्त दुग्ध उत्पादन, प्रसंस्करण व विपणन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण; कृषकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने हेतु कोल्ड चेन की स्थापना; गांव स्तर पर दुग्ध सहकारी समितियों/उत्पादक कम्पनियों का सुदृढ़ीकरण, तकनीकी निवेश सुविधाओं यथा–पशु आहार, मिनरल मिक्सचर उपलब्ध कराते हुए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, दक्ष/योग्य दुग्ध संघों/फेडरेशन के पुनर्जीविकरण में सहयोग प्रदान करना।

इसके अन्तर्गत 20 दुग्ध संघों में कार्यरत अवशीतन केन्द्रों व 390 बीएमसी केन्द्रों के स्तर पर दुग्ध अपमिश्रण व जांच उपकरण/संयंत्र की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा 20.37 करोड़ के सापेक्ष रू. 12.32 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इसके अतिरिक्त नवीन योजनाओं

(शाहजहांपुर व सीतापुर) हेतु क्रमशः रु0 10.00 करोड़ व 10.96 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

तालिका–5.08

वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 की वित्तीय प्रगति

(रू0 लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट प्राविधान		जारी स्वीकृतियां		व्यय	
		2018–19	2019–20	2018–19	2019–20	2018–19	2019–20
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राज्य सेक्टर	11488.84	22046.94	6245.04	472.06	5896.633	279.00
2	जिला सेक्टर	6298.88	7195.53	6298.88	3899.16	6277.225	1820.07
	योग	17787.72	29242.47	12543.92	4371.22	12146.858	2099.07
3	केन्द्र प्रायोजित योजनायें	0.020	2422.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	महायोग	17787.74	31664.77	12543.92	4371.22	12146.858	2099.07

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना –

(1) वर्ष 2017–18 में प्रस्तावित मिर्जापुर, इलाहाबाद, अलीगढ़, नोएडा, झांसी, फैजाबाद, बरेली, आजमगढ़, फरूर्खाबाद, शाहजहांपुर, जौनपुर, बुलन्दशहर, अम्बेडकर नगर, इटावा, बिजनौर, सुल्तानपुर, गाजीपुर, बहराइच, बस्ती में डेयरी अवस्थापना कार्य; समिति पुर्नगठन व पशु आहार निर्माणशाला वाराणसी; मेरठ में मिनरल मिक्सचर प्लान्ट व विभिन्न डेयरियों में स्थापित मिल्क पैकिंग मशीन में फोटो आई सेल मार्कर की स्थापना तथा प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत राज्यांश रु0 1222.875 लाख तथा केन्द्रांश रु0 1218.805 लाख पीसीडीएफ को प्राप्त हो चुके हैं तथा योजना के कार्य एवं क्रय सम्बन्धी प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है।

(2) वर्ष 2018–19 में एसएलएससी की बैठक में पराग डेयरी नोएडा के सुदृढीकरण हेतु रु0 7.60 करोड़ के प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त हुई है। राज्य दुग्ध सहकारी संघों के सुदृढ़ीकरण हेतु एसएलएससी की बैठक में रु0 1468.41 लाख का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। शेष 50 प्रतिशत राज्यांश हेतु अनुपूरक वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत अधियाचन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

कार्य योजना 2019–20 की विशेष योजनाएं

1–बाल विकास एवं पुष्टाहार की अम्ब्रेला योजना आईसीडीएस के अन्तर्गत 11 से 14 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को प्रदेश के 53 जनपदों में प्रत्येक 4 माह में 450 ग्राम (500 मिली) पराग घी उपलब्ध कराना। 1,30,582.5 किग्रा0 पराग घी 2,61,165 किशोरी बालिकाओं को उपलब्ध कराने के लक्ष्य के सापेक्ष माह अप्रैल, 2019 से जुलाई, 2019 के मध्य 1,20,622.5 किग्रा0 घी 2,41,245 किशोरी बालिकाओं को आपूर्ति किया जा चुका है।

2–मिड डे मील के अन्तर्गत दुग्ध चूर्ण की आपूर्ति।

3– क्षेत्र स्तर पर कोल्ड चेन डीपीएमसीयू/बीएमसी की स्थापना के अन्तर्गत 574 डीपीएमसीयू विद टैबलेट की स्थापना।

4– व्हीकिल ट्रैकिंग सिस्टम – 618 के लक्ष्य के सापेक्ष 435 की आपूर्ति व स्थापना का कार्य पूर्ण, शेष गतिमान।

5– मथुरा में नवीन दुग्धशाला की स्थापना व संचालन।

6– बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत बांदा मे नवीन डेरी की स्थापना।

7– दुग्ध एवं पशु आहार में गुणवत्ता आश्वासन हेतु बीआईएस के अन्तर्गत इन्ट्रीग्रेटेड मिल्क सर्टिफिकेशन सिस्टम को अंगीकृत किया जाना।

8– एफएसएसएआई के अन्तर्गत प्लाण्ट्स में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस को अंगीकृत किया जाना।

9– 440 मिल्क एडल्ट्रेशन इक्यूपमेन्ट्स एण्ड 50 बी.आर. मीटर्स के माध्यम से क्षेत्र स्तर पर अपमिश्रण जांच व्यवस्था की स्थापना।

10–दूध में मिलावट की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय डेरी विकास योजना के 390 बी एम सी केन्द्रों व 20 अवशीतन केन्द्रों में अपमिश्रण जांच संयत्रों की स्थापना, जिसके लिए आईडीएमसी को प्रोक्योरमेन्ट कन्सल्टेन्ट नियुक्ति किया गया है।

कार्य योजना वर्ष 2020–21

1–क्षेत्र आच्छादन विस्तार के अन्तर्गत मूल्य वर्धित उत्पादों के क्षेत्र में पदार्पण जिसमे हॉर्टिकल्चर उत्पाद (फल एवं सब्जियां) आधारित डेयरी ड्रिंक्स का उत्पादन व विपणन प्रस्तावित है। उदाहरण– बनाना मिल्क शेक

मिल्क फोर्टिफिकेशन – डब्ल्यूएचओ तथा यूनीसेफ की 2009 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के विटामिन 'ए' की कमी वाले प्री–स्कूल बच्चों में से एक चौथाई बच्चे हमारे देश के हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 05 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 38.4 प्रतिशत बौने, 21.0 प्रतिशत कमजोर और 35.7 प्रतिशत कम वजन वाले हैं जो माइक्रो न्यूट्रिऐंट जैसे–आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी–12, जिंक व विटामिन डी की कमी के कारण है। इसके लिए खाद्य फोर्टिफिकेशन के अन्तर्गत दूध श्रेष्ठ विकल्प हो सकता है क्योंकि स्वास्थ्य के लिए पोषण की अधिक मात्रा के बजाय अधिक गुणवत्ता ज्यादा सहायक होती है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 68वें दौर (जुलाई 2011–जून 2012) के अनुसार 'कुल खाद्य उपभोग' व्यय में से 'दूध और दूध के उत्पाद' पर प्रति माह व्यापक समूहों पर प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 18.7 प्रतिशत व 20.3 प्रतिशत है। अतः दूध व इसके उत्पाद खाद्य पदार्थ के रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

उपलब्धियां

- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा डिटेकशन ऑफ सोयाबीन इन मिल्क पाउडर हेतु पीसीडीएफ व एनडीडीबी द्वारा विकसित टेस्टिंग स्ट्रिप का शुभारम्भ किया गया है। पीसीडीएफ द्वारा विकसित इस जांच प्रणाली को एनडीडीबी द्वारा मिल्क डे (1 जून, 2018) पर इनोवेशन एवार्ड दिया गया।
- मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद व झांसी में विटामिन ए व डी युक्त फोर्टीफाइड पराग दुध का विक्रय प्रारम्भ कराया गया है।
- प्रदेश के 5 जनपदों में पायलट बेस पर दुग्ध पट्टी पर पशु चिकित्सा सुविधा, दवाई आदि हेतु सी0 एस0 आर0 कॉल सेन्टर (1800 102 2017) स्थापित किये गये हैं।
- प्रदेश में प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 शाहजहांपुर में स्थापित किया गया है।

दूध की गुणवत्ता में वृद्धि होने से **'सतत् विकास लक्ष्य'** के गोल '2' के अन्तर्गत **'खाद्य सुरक्षा एवं पोषण संवर्धन'** के लक्ष्य की प्राप्ति भी सम्भव हो सकेगी।

ध्यानाकर्षण क्षेत्र :

1. वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर पशु प्रजनन और पोषण के माध्यम से गोजातीय उत्पादकता बढ़ाना।
2. दुधारू पशुओं के पोषण में सुधार कर उनकी अनुवांशिक क्षमता के अनुरूप दुग्ध उत्पादन कर मिथेन उर्त्सजन में कमी करना।
3. गांव आधारित दूध अधिप्राप्ति प्रणाली विकसित कर गांव स्तर के मूलभूत ढ़ाचे में निवेश कर दूध कैन, गांव समूह के लिए थोक दूध शीतक, संबंधित मापन व परीक्षण उपकरण उपलब्ध कराना।
4. पशुओं का आहार खर्च दुग्ध उत्पादन की कुल लागत का लगभग 70 प्रतिशत है। आमतौर पर दुधारू पशुओं को एक या दो कंसट्रेंट पशु खाद्य पदार्थ, घास या सूखा चारा ही खिलाया जाता है जिससे आहार प्रायः असंतुलित रहता है। अतः उत्पादकों को संतुलित आहार के बारे में शिक्षित करने की अत्यन्त आवश्यकता है जिससे दुधारू पशुओं की पोषक तत्वों की आवश्यकता सही रूप से पूर्ण हो सके तथा उत्पादन क्षमता में सुधार के साथ–साथ शुद्ध आय में बढ़ोत्तरी हो सके।
5. डेयरी उद्योग – देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था में दुग्ध उत्पादन का विशेष महत्व है। विज्ञान व प्रौधौगिकी में नयी–नयी तकनीकों के फलस्वरूप डेयरी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य क्षेत्र बढ़ा है जिसमें रोजगार की अपार सम्भावनाएं हैं। आवश्यकता है कि डेयरी टेक्नोलॉजी के मुख्य क्षेत्र जैसे– डेयरी इंजीनियरिंग, डेयरी केमिस्ट्री, डेयरी बैक्टिरियोलॉजी, डेयरी इकोनॉमिक्स आदि के कोर्स हेतु बढ़े पैमाने पर संस्थान खोले जाएं।

भविष्य की सम्भावनाएंः–

(i) प्रदेश में कुल ग्रामों की संख्या–97941 है। वर्तमान में सहकारी दुग्ध समितियों का आच्छादन मात्र 7 प्रतिशत ग्रामों तक है। वर्ष 2022–23 तक समितियों की वर्तमान संख्या को 12960 तक ले जाने का लक्ष्य है।

(ii) शहरी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने हेतु अत्याधुनिक व लान्ग शेल्फ लाइफ स्वभाव के नवीन उत्पाद यथा–यू.एच.टी. मिल्क, योगार्ट, फ्लेवर्ड मिल्क, बटर बिल्सिटर पैक, रायपेन्ड क्रीम के प्लान्ट्स वर्ष 2019–20 में क्रियाशील हो जायेगें।

(iii) वर्तमान में पीसीडीएफ के स्तर पर कुल प्रसंस्करण क्षमता 17. 70 लाख किग्रा0 प्रतिदिन है जिसे उपरोक्त कार्यों से बढ़ाकर 25.90 लाख किग्रा0 प्रतिदिन किया जाना है।

(iv) दुग्ध परिवहन में ट्रांजिट हानि को नियंत्रित करने के दृष्टिगत ''**व्हीकिल ट्रेकिंग सिस्टम**'' की स्थापना का कार्य गतिमान है।

उ0 प्र0 में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय
साहिवाल गाय

भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय
गिर गाय.

विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय –
होल्स्टीन फीजियन

दूध की रानी –
सानेन बकरी

(V) बुन्देलखण्ड पैकेज– जनपद बांदा में 1.00 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के दुग्ध प्लान्ट हेतु रु0 107.71 करोड़ के प्रस्ताव की स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष रु0 87.145 करोड़ का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुपूरक मांग के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

भारत के साथ–साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है जो सामान्यतः मानसून पर आधारित है। भारत में छोटे मझोले किसान, भूमिहीन किसान और मजदूर वैकल्पिक रूप से स्वयं को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में भी संलिप्त रखते हैं जिससे वे कृषि कार्य के बाद के समय का सदुपयोग करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके।

****

अध्याय–6
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

मुख्य बिन्दु–

- **वर्ष 2019–20 में** औद्यानिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम हेतु 72072.06 **लाख रू0 का** बजट प्राविधान किया गया है जो प्रदेश सरकार के कुल बजट 4,79,701,10 लाख रू0 का 0.15 प्रतिशत है।
- **वर्ष 2018–19 में** प्रदेश में कुल 10651.26 हजार मी0 टन **फलों का उत्पादन हुआ।**
- प्रदेश में औद्यानिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों हेतु **वर्ष 2018–19 में 49588.36 लाख रू0 व्यय किया गया।**
- वर्ष 2017–18 में आलू, आम एवं अमरुद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रहा।
- देश के कुल आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 30.3 प्रतिशत था।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2017** प्राख्यापित की गई है।
- प्रदेश में वर्तमान में 21 राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान संचालित है।

बागवानी फसलों का कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश की विविधतापूर्ण जलवायु सभी प्रकार की बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी फसलों का व्यवसायीकरण एवं कृषि का विविधीकरण, महत्वपूर्ण बागवानी फसलों के क्षेत्रफल में विस्तार, पुराने आम, अमरूद एवं आंवला के अनुत्पादक बागों के जीर्णोद्धार, गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन, फसल तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन एवं अन्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित कराकर प्रदेश में बागवानी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।

वर्ष 2017–18 के उत्पादन के ऑकड़ों के आधार पर प्रमुख बागवानी फसलों के उत्पादन में भारत स्तर पर योगदान एवं इनके उत्पादन में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आवंटित राज्य निम्नानुसार है–

तालिका–6.01
बागवानी फसलों का उत्पादन

(हजार मी0 टन में)

क्र0 सं0	फसल	उत्तर प्रदेश	भारत	योगदान प्रतिशत	प्रथम तीन स्थान पर आवंटित राज्य
1	आलू	15555.53	51310.01	30.32	1.उत्तर प्रदेश 2.पश्चिम बंगाल 3. बिहार
2	आम	4551.83	21822.32	20.86	1.उत्तर प्रदेश 2.आन्ध्र प्रदेश 3. बिहार
3	केला	3172.33	30807.5	10.30	1.आन्ध्र प्रदेश 2. गुजरात 3. महाराष्ट्र
4	अमरुद	928.44	4053.51	22.90	1.उत्तर प्रदेश 2.मध्य प्रदेश 3. बिहार
5	पुष्प	111.62	2784.78	4.01	1.तमिलनाडु 2.आन्ध्र प्रदेश 3. कर्नाटक

स्रोत–औद्यानिक सांख्यिकी 2018, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

प्रदेश की आबादी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा कृषि उत्पादन से जुड़ा है जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक लघु एवं सीमान्त कृषक हैं। बागवानी फसलों के उत्पादन से लघु एवं सीमान्त

कृषकों की आय में वृद्धि एवं तुड़ाई उपरान्त होने वाले क्रियाकलापों यथा–विपणन, प्रसंस्करण, भण्डारण आदि से अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। प्रदेश में फल, शाकभाजी, आलू, मसाले, पुष्प, औषधीय एवं सुगन्ध फसलों के साथ–साथ सहायक उद्यम के रूप में मौन पालन, मशरूम उत्पादन, पान की खेती एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर सतत विकास हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के फलस्वरुप प्रदेश में बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2017–18 में उत्तर प्रदेश में कुल 10539.77 हजार मी0 टन फल का उत्पादन हुआ, जो भारत के कुल उत्पादन का 10.8 प्रतिशत है। **सब्जी** उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है।

तालिका–6.02

वर्ष 2017–18 में प्रमुख फल एवं सब्जी उत्पादक राज्यों का कुल उत्पादन में अंशदान

(हजार मी0 टन में)

क्र0 सं0	फल			सब्जी		
	उत्पादक राज्य	उत्पादन	प्रतिशत अंश	उत्पादक राज्य	उत्पादन	प्रतिशत अंश
1	आन्ध्र प्रदेश	15215.85	15.63	उत्तर प्रदेश	28316.45	15.36
2	महाराष्ट्र	11728.66	12.05	पश्चिम बंगाल	27695.29	15.02
3	उत्तर प्रदेश	10539.77	10.82	मध्य प्रदेश	17545.48	9.52
4	गुजरात	8996.02	9.24	बिहार	15863.21	8.60
5	मध्य प्रदेश	7416.91	7.62	गुजरात	12254.29	6.65
6	कर्नाटक	7133.94	7.33	महाराष्ट्र	12306.96	6.67
7	तमिलनाडु	5680.52	5.83	ओडिशा	8766.82	4.75
8	बिहार	5117.12	5.26	कर्नाटक	8394.15	4.55
9	पश्चिम बंगाल	3850.56	3.95	हरियाणा	7151.66	3.88
10	छत्तीसगढ़	2666.20	2.74	छत्तीसगढ़	7003.25	3.80
11.	अन्य	19011.45	19.53	अन्य	39096.96	21.20
भारत		97357.51	100.00	**भारत**	184394.51	100.00

स्रोत– औद्यानिक सांख्यिकी 2018, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जनवरी, 1974 को तत्कालीन उ0प्र0 में औद्यानिक क्रियाकलापों, आलू उत्पादन, फल संरक्षण एवं डिब्बाबन्द पदार्थों के निर्माण इत्यादि कार्यों के कुशल सम्पादन के उद्देश्य से उद्यान एवं फल उपयोग विभाग की स्थापना की गयी, जो कालान्तर में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के रूप में स्थापित हुआ। प्रदेश में बागवानी विकास हेतु संचालित क्रियाकलापों के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं–

1–औद्यानिक फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु नवीनतम तकनीकी को कृषकों तक पहुंचाना तथा उनको अपनाने हेतु प्रेरित करना।

2–औद्यानिक फसलों के सघनीकरण एवं फसल–चक्र में परिवर्तन कर उत्पादकों को उनके श्रम एवं कम निवेश पर अधिक लाभ पहुंचाना।

3–वैज्ञानिक संस्तुतियों के अनुसार आवश्यक निवेशों का सामयिक एवं वैज्ञानिक उपयोग कराना।

4–औद्यानिक फसलों का उचित मूल्य दिलाने तथा सतत् आपूर्ति हेतु भण्डारण, विधायन एवं विपणन की सुविधाओं का विकास कराना, प्राथमिक औद्यानिक सहकारी समितियों का गठन कराकर उन्हें प्रभावी बनाना।

5–फल एवं सब्जी संरक्षण, कुकरी, बेकरी, खाद्य प्रसंस्करण, मशरूम तथा मौन पालन में अल्पकालिक एवं दीर्घकालीन प्रशिक्षण देकर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना तथा पान विकास के लिए कार्यक्रम चलाना।

6–बागवानों की तकनीकी समस्याओं का समाधान ढूंढना तथा प्रयोगिक परिणामों को जन साधारण तक पहुॅचाना।

7–क्षेत्र आधारित रणनीति के माध्यम से जिसमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रोन्नति, विस्तार, फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन शामिल है, बागवानी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास प्रदान करना।

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के सुनियोजित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2017** प्राख्यापित की गई है जिसके द्वारा पूंजीगत अनुदान, ब्याज उत्पादन, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण बाजार विकास अनुसंधान एवं विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन के साथ–साथ प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हेतु अनेक रियायतें एवं छूट प्रदान की गई है। उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2017 के अंतर्गत वर्तमान में उद्यमियों द्वारा 336 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ है जिससे 1691.19 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश सम्भावित हैं। आनॅलाइन वेब पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को राज्य सरकार की राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी (एस0एल0ई0सी0) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। अब तक एस0एल0ई0सी0 द्वारा 112 परियोजनाओं जिनका कुल पूंजी निवेश 415.13 करोड़ रूपये है, को स्वीकृति प्रदान किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समेकित विकास हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, ढाबा/फास्ट फूड रेस्टोरेन्ट प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण/हाईजीन प्रशिक्षण, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण/विधायन आदि योजनाएँ लागू की गयीं हैं।

प्रदेश में बागवानी फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता निम्नवत् है–

तालिका–6.03

बागवानी फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता

क्षेत्रफल ('000 हेक्ट. में), उत्पादन ('000 मी0 टन में), **उत्पादकता** (मी. टन/हेक्ट.)

वर्ष		बागवानी फसलें			
		कुल फल	कुल सब्जियां	कुल मसालें	कुल पुष्प
2014–15	**क्षेत्रफल**	425.34	1163.24	72.69	20.65
	उत्पादन	8903.12	23683.09	282.38	44.73
	उत्पादकता	20.93	20.36	3.89	6033 (लाख में)
2015–16	**क्षेत्रफल**	468.89	1234.58	86.63	20.75
	उत्पादन	10296.14	25840.43	289.82	45.34
	उत्पादकता	21.96	20.93	3.35	6087 (लाख में)
2016–17	**क्षेत्रफल**	474.89	1255.70	87.70	20.99
	उत्पादन	10504.05	27801.53	293.76	45.97

वर्ष		बागवानी फसलें			
		कुल फल	कुल सब्जियां	कुल मसालें	कुल पुष्प
	उत्पादकता	22.12	22.14	3.35	6191 (लाख में)
2017–18	क्षेत्रफल	476.64	1259.23	88.04	21.22
	उत्पादन	10541.07	27887.98	295.58	46.42
	उत्पादकता	22.12	22.15	3.36	6304 (लाख में)
2018–19	क्षेत्रफल	480.53	1256.27	88.29	21.33
	उत्पादन	10651.26	27694.12	296.54	46.70
	उत्पादकता	22.17	22.05	3.36	6341 (लाख में)

स्रोत– उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

बजट व्यवस्था :–

प्रदेश के समन्वित बागवानी विकास हेतु संचालित औद्यानिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि एवं व्यय का विवरण निम्नवत् है :–

तालिका–6.04

औद्यानिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि एवं व्यय

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2018–19			वर्ष 2019–20 (जून, 2019 तक)		
		आय व्ययक प्राविधान	अवमुक्त धनराशि	व्यय	आय व्ययक प्राविधान	अवमुक्त धनराशि	व्यय
1.	उद्यान सेक्टर	56379.91	46753.14	44667.70	64403.56	25379.87	6926.81
2.	खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर	8537.16	52898.31	4920.66	7668.50	6668.50	1144.05
	योग (उद्यान+खाद्य प्रसंस्करण)	64917.07	99651.45	49588.36	72072.06	32048.37	8070.86

प्रदेश में संचालित उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम निम्नवत् है :–

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (राज्य औद्यानिक मिशन) –

बागवानी विकास के दृष्टि से एकीकृत बागवानी विकास मिशन एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके सफल कार्यान्वयन से व्यवसायिक औद्यानिक विकास को नयी दिशा प्राप्त हुयी है, जिसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत है। यह योजना प्रदेश के 45 जनपदों में संचालित की जा रही है, जिसके लाभार्थी कृषकों को अनुमन्य राज सहायता (अनुदान) देय है।

योजनान्तर्गत पेरीनियल एवं नॉन पेरीनियल फलों के नवीन उद्यान रोपण, शाकभाजी बीज उत्पादन, पुष्प क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, पुराने बागों का जीर्णोद्धार, आई0पी0एम0 प्रोत्साहन, कृषकों को नवीन तकनीकों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के साथ बुनियादी सुविधाओं का विकास एवं रोजगार सृजन सम्बन्धी कार्यक्रम यथा मॉडल एवं लघु पौधशालाओं की स्थापना, सीड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, संरक्षित खेती के अन्तर्गत ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस की स्थापना, एच0डी0पी0ई0 वर्मी बेड, बागवानी में मशीनीकरण, समेकित मशरूम इकाई की स्थापना तथा पोस्ट हार्वेस्ट के अन्तर्गत पैक हाउस का निर्माण, प्री–कूलिंग यूनिट, मोबाइल प्री–कूलिंग यूनिट/रिफर वैन, कोल्ड स्टोरेज एवं राइपेनिंग चैम्बर की स्थापना, प्रसंस्करण इकाईयों एवं प्याज भण्डार गृह की

स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्मिलित हैं। वर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत प्रमुख उपलब्धियाँ तथा 2019–20 में प्रस्तावित लक्ष्य निम्नवत् हैं –

तालिका–6.05

विभिन्न औद्यानिक कार्यक्रमों की प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2018–19		2019–20
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
1	नवीन उद्यान रोपण	हे0	2300	2199.61	2300
2	मसाला क्षेत्र विस्तार	हे0	1900	1948	2100
3	पुष्प क्षेत्र विस्तार	हे0	200	190	200
4	मौनपालन	हे0	18180	16559	20200
5	द्वितीय व तृतीय वर्ष के बागों का अनुरक्षण	वर्ग मी0	2562	1756	2960
6	संरक्षित खेती	सं0	45.90	44.16	84.00
7	पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट (पैक हाउस, कोल्ड रूम, शीतगृह, रिफर वैन, प्रोसेसिंग यूनिट, प्याज भण्डारगृह, राइपेनिंग चैम्बर)	सं0	85	49	79
8	राज्य/जिला स्तरीय किसान मेला/गोष्ठियाँ	सं0	75	64	60
9	मानव संसाधन विकास	सं0	8400	8400	5400
10	बागवानी में मशीनीकरण	सं0	162	131	155

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का संचालन वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ किया गया। योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए कृषि क्षेत्र में अपेक्षित वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है।

प्रदेश के 30–नॉन एन.एच.एम. जनपदों में उक्त योजनान्तर्गत नवीन उद्यान रोपण, पुष्प विकास, मसाला विकास, मौनपालन तथा 6000 कृषकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालित हैं। वर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत प्रमुख उपलब्धियाँ तथा 2019–20 में प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नवत् हैं –

तालिका–6.06

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2018–19		2019–20
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
1	नवीन उद्यान रोपण	हे0	2375	2322	2930
2	मसाला क्षेत्र विस्तार	हे0	4844	4604	4500
3	पुष्प क्षेत्र विस्तार	हे0	925	819	800
4	मधुमक्खी पालन	सं0	100	88	220
5	प्रशिक्षण	सं0	6000	5600	6600

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रोइरीगेशन)–

प्रदेश में माइक्रोइरीगेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू है जिसके उपघटक ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप–माइक्रोइरीगेशन'' का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कार्यक्रम के उपघटक में

ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई एवं प्रशिक्षण सम्मिलित है। यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का कार्य अधिक लागत जन्य होने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त राज्यांश अनुदान (टॉप–अप) की व्यवस्था करते हुए लघु सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

तालिका–6.07

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2018–19		2019–20
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
1	ड्रिप सिंचाई	हे0	11198	3620	14103
2	स्प्रिंकलर सिंचाई	हे0	44320	51454	43297
3	दो दिवसीय प्रशिक्षण	बैच	75	69	75

4. आलू बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम–

प्रदेश में भारत सरकार के केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला (हिमाचल प्रदेश) से ब्रीडर आलू बीज प्राप्त करके उसका संवर्धन करके उत्पादित आलू बीज का वितरण आलू उत्पादकों में जनपदीय उद्यान अधिकारियों के माध्यम से कराया जाता है। योजनांतर्गत प्रदेश के 16 राजकीय प्रक्षेत्रों पर वर्ष 2019–20 में कुफरी बहार, कुफरी चिपसोना–1, 3 व 4 कुफरी बादशाह, कुफरी आनन्द, कुफरी पुखराज, कुफरी सूर्या, कुफरी फाईसोना इत्यादि प्रजातियों में आलू बीज सम्बर्द्धन कार्यक्रम कराया जा रहा है।

वर्ष 2018–19 में प्रदेश के राजकीय प्रक्षेत्रों पर उत्पादित 43328.50 कुन्तल आधारित श्रेणी का आलू बीज रबी 2019 में किसानों के मध्य वितरित किया गया।

आलू विकास नीति 2014 के अंतर्गत प्रदेश के निजी क्षेत्र में 500 हैक्टेयर क्षेत्रफल में प्रसंस्कृत प्रजाति के आलू बीज उत्पादन की योजना स्वीकृत है। उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से पंजीकरण, निरीक्षण, ग्रेडिंग, पैकिंग एवं टैगिंग कराने के उपरान्त उत्पादित मात्रा के अनुसार रू0 25000/– प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान किसानों को उनके बैंक खातों में सीधे ट्रान्सफर (डी.बी.टी.) किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में 64 हैक्टेयर क्षेत्रफल में प्रसंस्कृत प्रजाति के आलू बीज उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है। प्रदेश में वर्ष 2019–20 में लगभग 6.15 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 150 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन सम्भावित है। वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में आलू बीज उत्पादन एवं प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्रगतिशील आलू उत्पादक कृषकों के मध्य वितरित आलू बीज का विवरण निम्नवत् है :–

तालिका–6.08

आलू बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम की प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2018–19		2019–20
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
1	भारत सरकार द्वारा प्राप्त ब्रीडर आलू बीज	कुन्तल	11500	9567.80	11400
2	उत्पादित आलू बीज	कुन्तल	45000	39508	38000
3	आलू बीज उत्पादकों के मध्य वितरित आलू बीज	कुन्तल	35688.50	35688.55	40000

5. नवीन योजनाएं–

(अ) लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु संकर शाकभाजी का उत्पादन, प्रबन्धन की योजना–

प्रदेश में 92 प्रतिशत से अधिक कृषक लघु एवं सीमान्त कोटि के हैं। इन कृषकों के लिए खरीफ, रबी एवं जायद मौसम में शाकभाजी की फसल सघनता में वृद्धि अधिक उत्पादन प्राप्त कर प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आय प्राप्त करने में लाभकारी है। योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवीन मांग के माध्यम से धनराशि रू 25.0 करोड़ की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वित इस योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों को न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर से अधिकतम 2.0 हेक्टेयर सीमा के अन्तर्गत अनुदान अनुमन्य है।

(ब) फल पट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा दिये जाने की योजना–

प्रदेश में तीन फलों आम, अमरूद एवं आंवला के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा फल पट्टी विकसित की गयी हैं। आम फल पट्टी के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, अमरोहा, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, फैजाबाद तथा बाराबंकी के 31 विकास खण्ड आच्छादित है। अमरूद फल पट्टी हेतु जनपद कौशाम्बी एवं बदायूं के 6 विकास खण्ड लिये गये हैं तथा आंवला फल पट्टी के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के दो विकास खण्ड अंगीकृत किये गये हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन के माध्यम से फल विशेष के गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं क्षेत्र विस्तार, पुराने अनुत्पादक बागों का जीर्णोद्धार, प्लास्टिक क्रेट्स, मैंगों हार्वेस्टर, आई.पी.एम./आई.एन.एम., कृषक प्रशिक्षण एवं गोष्ठी का आयोजन प्रस्तावित है।

(स) शीतगृह रहित विकास खण्डों में शीतगृहों की स्थापना किये जाने पर अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था–

यद्यपि शीतगृहों की संख्या एवं उनकी क्षमता की दृष्टि से प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है तथापि प्रदेश में शीतगृह रहित विकास खण्डों में आवश्यकतानुसार शीतगृह की स्थापना हेतु सरकार कृतसंकल्प है। प्रदेश के 27 चिन्हित जनपदों के 58 ऐसे विकास खण्ड जिसमें आलू एवं शाकभाजी का उत्पादन अधिक होता है, उन विकास खण्डों में प्रथम शीतगृह की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत पूर्व से अनुमन्य 5000 मी. टन क्षमता हेतु इकाई लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.4 करोड़ के अतिरिक्त 15 प्रतिशत अधिकतम रू0 60 लाख का अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

तालिका–6.09

देश में राज्यवार शीतगृहों की संख्या

(31–03–2018 की स्थिति)

क्र0सं0	राज्य	शीतगृहों की संख्या	क्षमता (मी. टन में)
1	उत्तर प्रदेश	2368	14500773
2	गुजरात	890	3515976
3	पंजाब	672	2201386
4	महाराष्ट्र	603	979607
5	पश्चिम बंगाल	511	5940511
6	आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	452	1836366
7	अन्य	2420	7255056
भारत		7916	36229675

स्रोत– औद्यानिक सांख्यिकी 2018, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित योजनाएं–

(अ) राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ द्वारा निरन्तर शोध कार्य किया जा रहा है तथा नवीनतम स्थापित हो रहे उद्योगों तथा स्थापित उद्योगों हेतु तकनीकी रूप से दक्ष कर्मी उपलब्ध कराने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठयक्रम संचाालित है।

(ब) राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना–

- प्रदेश में वर्ष भर कृषि एवं औद्यानिक उत्पाद की उपलब्धता एवं जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगीकरण तथा पर्यटन उद्योग के विकास की पृष्ठभूमि में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित हो रहे हैं। कैटरिंग संस्थानों एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 10 मण्डलों (वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, कानपुर, अयोध्या, आगरा, बरेली तथा मुरादाबाद) में स्थापित राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को खाद्य विज्ञान सम्बन्धी विधाओं में प्रशिक्षण देकर वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। इन केन्द्रों पर एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा खाद्य प्रसंस्करण, एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा बेकरी एवं कन्फैक्शनरी, एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा पाक कला, एक मासीय अंशकालीन बेकरी एवं कन्फैक्शनरी, एक मासीय अंशकालीन पाक कला, एक मासीय सम्मिलित पाठ्यक्रम कुकरी, बेकरी एवं कन्फैक्शनरी तथा खाद्य संरक्षण संचालित किये जाते हैं।

- **राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र–**

प्रदेश के 75 जनपदों में घरेलू क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण की सुविधाओं के लिए राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन फल संरक्षण केन्द्रों द्वारा विभिन्न जनपदों/ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

- **खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम–**

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यमिता विकास की असीम सम्भावनाएँ हैं। अतः इस कार्यक्रम में बेरोजगार नवयुवक–युवतियों का खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें उद्योग स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जाता है ताकि उन्हें आय का स्त्रोत सुलभ हो सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से जन सामान्य को रोजगार उपलब्ध कराना, पोस्ट हार्वेस्ट क्षतियों को कम करना तथा किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाना, कृषि औद्यानिक उत्पादों को नष्ट होने से बचाना है।

- **महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना**

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017 के अन्तर्गत ''महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना'' प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 03 दिवसीय न्याय पंचायत स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण जागरूकता शिविर आयोजित कर एक माह का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके फलस्वरूप लाभार्थियों को लघु इकाई (यथा–मसाला, बड़ी, पापड़, तेल, आटा चक्की, दुग्ध से तैयार किये जाने वाले उत्पाद आदि हेतु) स्थापित करायी जा सके, जिसमें परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम (प्लांट मशीनरी पर) धनराशि रू0 1.00 लाख का अनुदान देय है।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के अन्तर्गत किसान सम्पदा योजनान्तर्गत मेगा फूड पार्क के 3 प्रस्तावों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

तालिका–6.10

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित योजनाओं की प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2018–19		2019–20
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
(अ)	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान	संख्या	40	21	40
(ब)	**राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजनाएं**				
1	एक वर्षीय खाद्य प्रसंस्करण ट्रेड कोर्स डिप्लोमा	संख्या	150	150	150
2	एक वर्षीय बेकरी एवं कन्फेक्शनरी ट्रेड कोर्स डिप्लोमा	संख्या	150	150	150
3	एक वर्षीय कुकरी ट्रेड कोर्स डिप्लोमा	संख्या	150	150	150
4	अंश कालीन बेकरी एवं कन्फेक्शनरी	संख्या	310	302	310
5	अंश कालीन कुकरी (पाक कला)	संख्या	250	242	250
6	एक माह सम्मिलित प्रशिक्षण	संख्या	500	491	500
7	15 दिवसीय अंश कालीन खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण	संख्या	25450	25664	25450
8	ग्रामीण शिविर	संख्या	154	152	154
9	सामुदायिक कार्य द्वारा उत्पादन	कुन्तल	201	184.27	201
10	खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण	संख्या	48	48	17
11	ढाबा फास्ट फूड/ रेस्टोरेंट प्रशिक्षण	संख्या	60	60	00
12	गुणवत्ता नियंत्रण एवं हाईजीन सम्बन्धी जागरूकता प्रशिक्षण	संख्या	120	120	–
13	महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना				
	03 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण जागरूकता शिविर	संख्या	400	400	400
	एक माह का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण	संख्या	50	49	50

रणनीति–

फल सब्जियाँ अति संवेदनशील उत्पाद हैं, जिनके तुड़ाई उपरान्त प्रबंधन, उचित एवं त्वरित विपणन हेतु सुविधाओं का विकास एवं मार्केट फेसिलिटी आवश्यक पहलू है। प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 राज्य उत्पादन मण्डी परिषद एवं कृषि विपणन विभाग के माध्यम से बागवानों की तकनीकी समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने तथा औद्यानिक फसलों के विपणन को संगठित कर बागवानों एवं कृषकों को उनका उचित मूल्य दिलवाने का प्रयास करना अति आवश्यक है। इसके लिए कृषकों तथा बागवानों को क्षेत्र स्तर पर नवीनतम् विकसित तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे औद्यानिक फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हो तथा कृषकों को उनका उचित मूल्य मिल सके। औद्यानिक फसलों के विपणन हेतु प्राथमिक औद्यानिक विपणन सहकारी समितियों को भी क्रियाशील बनाना एक आवश्यक कदम है।

1. फल, शाकभाजी तथा आलू की खेती में प्रति इकाई क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि।

2. उन्नत, शुद्ध तथा रोगमुक्त फलदार पौधे, उन्नतशील एवं प्रमाणित शाकभाजी बीज, आधारीय एवं प्रमाणित आलू बीज के उत्पादन में वृद्धि तथा इसमें कृषकों एवं बागवानों को भागीदार बनाना।

3. प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में इस कोटि के कृषकों एवं लघु–सीमान्त कृषकों के खेतों में फल, शाकभाजी एवं पुष्प विकास को बढ़ावा देकर उनकी आय में वृद्धि करना।

4. अधिक मूल्यवान फलों (आम, अमरूद, केला, आंवला, लीची, नींबू प्रजाति आदि) तथा शाकभाजी एवं अन्य प्रमुख सब्जियों के उत्पादन पर समयबद्ध कार्यक्रमों द्वारा विशेष बल।

5. निर्यात योग्य फलों, पुष्पों, मसाले तथा शाकभाजी का संदर्भित क्षेत्रों में विकास।

6. जल संचयन एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादन की दृष्टि से ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को अधिक ग्राहय बनाना।

7. औद्यानिक फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषकों तथा बागवानों को क्षेत्र स्तर पर नवीनतम विकसित तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।

8. फल एवं सब्जी का संरक्षण, मशरूम एवं पान उत्पादन, मौनपालन, कुकरी व बेकरी में प्रशिक्षण देकर कुटीर उद्योगों की स्थापना में वृद्धि करना।

9. पुराने, अल्पोत्पादक तथा अनुत्पादक बागों का जीर्णोद्धार कराना।

10. संरक्षित खेती, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तथा एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन प्रणाली की व्यापक रूप से ग्राहयता बढ़ाने के कार्यक्रम नियेाजित कराना ताकि पर्यावरण, मृदा एवं उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

11. औद्यानिक फसलों के विपणन हेतु सहकारिता के सिद्धान्त पर प्राथमिक औद्यानिक विपणन सहकारी समितियों का गठन कर उन्हें क्रियाशील बनाना।

****

अध्याय–7

ग्राम्य विकास के कार्यक्रम

मुख्य बिन्दु–

- उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार) 19.9812 करोड़ के सापेक्ष 15.5317 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश की 77.73 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 हेतु कुल रूपये 174671.13 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष 1744269 शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है।
- प्रदेश में मनरेगा अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में रोजगार प्राप्त परिवारों की संख्या 50.56 लाख रही।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के परफॉरमेंस इन्डेक्स के मानकों के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है।
- फरवरी, 2018 से प्रारम्भ मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में कुल 16770 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 260018 बस्तियां हैं जिसमें जून, 2019 तक कुल 2845936 हैंड पम्प आदि स्थापित कराये जा चुके हैं।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 401 ग्रामीण अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया गया।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास, समृद्धि व खुशहाली के लिये प्रमुखता से ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार) 19.9812 करोड़ है, जिसके सापेक्ष 15.5317 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। अर्थात् उत्तर प्रदेश की 77.73 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। उक्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि उत्तर प्रदेश व देश का विकास ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बिना संभव नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास व खुशहाली के लिये विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख समस्यायें जैसे–गरीबी, बेराजगारी, दूषित पेयजल, कनेक्टीविटी, साक्षरता आदि से निपटा जा सके।

सरकार द्वारा Sustainable Development Goal (SDG) के अन्तर्गत 2030 तक गरीबी हटाने, सभी को जल, स्वच्छता, शिक्षा, भोजन की उपलब्धता तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जो प्रदेश व देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने हेतु महत्वपूर्ण कदम है। एस0डी0जी0 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के निम्न संकेतकों को शामिल किया गया है :–

1. स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत।
2. मनरेगा अन्तर्गत रोजगार प्राप्त परिवारों का प्रतिशत।
3. आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों की संख्या।
4. स्वच्छ जल के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत।
5. व्यक्तिगत शौचालय योजना के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों का प्रतिशत।
6. पाइपलाइन पेयजल के अन्तर्गत आच्छादित बस्तियां।

वर्तमान में ग्राम्य विकास हेतु चलाये जा रहे प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :–

(1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा)

उद्देश्य–

इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है।

योजना के मुख्य बिन्दु–

1. उक्त योजना हेतु धनराशि की व्यवस्था में भारत सरकार द्वारा अकुशल मजदूरी पर शत–प्रतिशत अंश तथा सामग्री अंश में 75 प्रतिशत अंश एवं राज्य सरकार द्वारा सामग्री अंश में 25 प्रतिशत अंश दिया जाता है।
2. आजीविका में वृद्धि के व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों का निर्माण ।
3. ग्रामीण अवस्थापना के लिए सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण।
4. उक्त योजना माँग आधारित है। इच्छुक परिवारों का पंजीकरण ग्राम पंचायत में किया जाता है।
5. ग्राम पंचायतें/कार्यक्रम अधिकारी रोजगार आवंटित करने के लिए उत्तरदायी हैं।
6. प्रदेश में प्रति मानव दिवस औसत मजदूरी 1.4.2019 से रू0 182/– निर्धारित है।
7. उत्तर प्रदेश में कुल क्रियाशील श्रमिक लगभग 100.78 लाख है।
8. पारदर्शिता बनाये रखने के लिये आधार पेमेन्ट ब्रिज सिस्टम तथा जियो टैगिंग को अपनाया गया है।

मनरेगा अन्तर्गत गत तीन वर्षों में लाभान्वित परिवार तथा व्यय धनराशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका–7.01

मनरेगा अन्तर्गत लाभान्वित परिवार तथा व्यय धनराशि का विवरण

क्र0 सं0	वर्ष	रोजगार प्राप्त परिवारों की संख्या (लाख)	सृजित मानव दिवस (लाख)	व्यय धनराशि (लाख)
1	2	3	4	5
1	2016–17	50.16	1577	424872
2	2017–18	48.60	1815	450298
3	2018–19	50.56	2125	583226
4	2019–20 (01–08–2019 तक)	29.59	785	151770

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिनांक 01.08.2019 तक कुल 29.59 लाख परिवारों को 785 लाख मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराते हुए रू0 151770 लाख धनराशि व्यय की गयी है।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)

उद्देश्य–

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरन्तर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाते हुए गरीबी को दूर करना है।

योजना के मुख्य बिन्दु–

1. प्रत्येक ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवार को स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) के दायरे में लाना।
2. आर्थिक कियाकलापों के प्रोत्साहन हेतु ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों को आसानी से ब्याज की कम दरों पर बैंकों से विभिन्न चरणों में ऋण प्राप्त कराना।
3. स्वयं सहायता समूह फेडरेशन्स का विभिन्न स्तरों पर गठन एवं सुदृढ़ीकरण।
4. .क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन के लिये प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वतः रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर0एस0ई0टी0आई0) की स्थापना की जा रही है।
5. एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत वित्तीय सहायता भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन की जा रही है।
6. वर्तमान वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के 52 जनपदों के 453 विकास खण्डों में इन्टेन्सिव स्ट्रेटजी के तहत योजना कियान्वित है।
7. उक्त योजना अन्तर्गत प्रदेश में मुख्यतः डेयरी, मुर्गी पालन, टेण्ट हाउस तथा जनरल मर्चेन्ट की दुकानें पायी जाती हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में गठित समूह का विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है :–

तालिका–7.02

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित समूह का विवरण

क्र0सं0	वर्ष	वर्ष में गठित समूह	रिवॉलविंग फण्ड प्राप्त समूह	बैंक से लिंक समूह	व्यय धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	2016–17	48078	36475	12273	20666
2	2017–18	61700	50225	29210	40508
3	2018–19	65157	40091	25305	59579

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 93379 समूह गठन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 01.08.2019 तक कुल 15255 समूह गठित किये गये हैं तथा 69000 लक्ष्य के सापेक्ष 7867 समूहों को रिवॉलविंग फण्ड उपलब्ध कराया गया है।

(3)– प्रधानमंत्री आवास योजना

उद्देश्य–

प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य आवासहीन को तथा कच्चे व जीर्ण–शीर्ण मकानों में रह रहे ग्रामीण परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है।

योजना के मुख्य बिन्दु

1. आवास की इकाई लागत सामान्य क्षेत्रों के लिए रू0 120000 तथा नक्सल प्रभावित जनपदों के लिए रू0 130000 निर्धारित है।
2. निर्मित आवास का क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर निर्धारित किया गया है जिसमें रसोई का क्षेत्रफल भी सम्मिलित है। आवास में शौचालय हेतु धनराशि स्वच्छता मिशन अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।
3. योजना के अन्तर्गत धनराशि केन्द्र एवं राज्य द्वारा 60:40 अनुपात में उपलब्ध करायी जाती है।
4. योजनान्तर्गत सभी को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। एस0ई0सी0सी0 डाटा 2011 के आधार पर सत्यापन के उपरांत 16.97 लाख लाभार्थी स्थायी पात्रता सूची में सम्मिलित हैं।
5. भारत सरकार के परफॉरमेंस इन्डेक्स के मानकों के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है।
6. उक्त योजना नवम्बर 2016 से प्रारम्भ की गई है। इससे पूर्व उक्त योजना इन्दिरा आवास के नाम से संचालित थी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत गत दो वर्षों में बनाये गये आवासों का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका–7.03

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये आवास

क्र0सं	वर्ष	निर्मित आवास (लाख)	व्यय धनराशि (लाख)
1	2	3	4
1	2017–18	7.71	1036211
2	2018–19	4.73	371823.78

वर्ष 2019–20 हेतु 1.54 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है।

(4) मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

उद्देश्य–

मुख्यमत्री आवास योजना ग्रामीण पूर्णतः राज्य सहायतित योजना है जो फरवरी, 2018 से प्रारम्भ की गयी है। उक्त योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कालाजार से प्रभावित, वनटंगिया एवं मुसहर वर्ग के परिवार, जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित, कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवार एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित परंतु एस0ई0सी0सी 2011 के आधार पर तैयार पात्रता सूची में न सम्मिलित होने वाले छतविहीन एवं आश्रयविहीन, कच्चे/जर्जर आवासों में रह रहे परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है।

योजना के मुख्य बिन्दु–

1. रूरलसाफ्ट पर उपलब्ध डेटा के अनुसार 60563 पात्र लाभार्थियों में प्राकृतिक आपदा के 15521, वनटंगिया के 4941, मुसहर के 34162, कालाजार प्रभावित परिवार 123, जे0ई/ए0ई0एस0 प्रभावित 1919 तथा कुष्ठरोग से प्रभावित 3897 परिवार हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 16770 लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।
3. वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 34017 लाभार्थियों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य है।
4. मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत एक आवास हेतु रू0 एक लाख बीस हजार धनराशि तथा 90 दिवस का श्रमिक भुगतान (मनरेगा के द्वारा) प्रदान किया जाता है।

(5) – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

उद्देश्य

उक्त योजना 25 दिसम्बर, 2000 से शत प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के रूप में प्रारंभ की गयी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2001 की गणना के अनुसार 500 या उससे अधिक आबादी वर्ग की योजना की नीति के अनुसार अर्ह समस्त गैर जुड़ी बसावटों को एकल संपर्क मार्ग के आधार पर पक्के मार्गों से जोड़ना है। नक्सल प्रभावित जनपदों में उक्त मानक को 250 या उससे अधिक आबादी वर्ग की बसावटों को पक्के मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित है।

योजना के मुख्य बिन्दु–

1. योजना के मानकों के अनुसार 2001 की जनगणना के आधार पर प्रदेश की समस्त बसावटों का आच्छादन कर लिया गया है।
2. वर्ष 2015–16 से योजनान्तर्गत धनराशि उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात क्रमशः 60:40 कर दिया गया है।
3. प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों का निमार्णोपरांत पांच वर्ष तक सुनिश्चित रख–रखाव भी है।
4. प्रदेश की समस्त अर्ह बसावटों के आच्छादन का लक्ष्य पूर्ण कर वर्ष 2013–14 से पी0एम0जी0एस0वाई0–2 का कियान्वयन प्रारंभ किया गया है, जिसके अन्तर्गत केवल पूर्व निर्मित मार्गों के उच्चीकरण/सुधार के कार्य ही अनुमन्य हैं।
5. सड़कों के निर्माण एवं रख–रखाव में गुणवक्ता बनाये रखने हेतु त्रिस्तरीय गुणवक्ता नियत्रंण प्रणाली प्रभावी है।
6. वर्ष 2017–18 से प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजनान्तर्गत प्रथम बार नई तकनीकों (वेस्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स, नैनो टैक्नोलॉजी, फ्लाई ऍस, सी0सी0ब्लाक आदि) का प्रयोग कर 17141.60 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रस्तावित किया गया जिसके सापेक्ष 1694.20 कि0मी0 सड़कों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।
7. प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना में प्रदेश द्वारा अच्छा कार्य किये जाने से वित्तीय वर्ष 2018–19 में फाईनेन्सियल इन्सेंटिव के रूप में रू0 116.63 करोड़ भारत सरकार द्वारा प्रदान किये गये जिसके सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा रू0 77.75 करोड़ धनराशि उपलब्ध करायी गयी इस धनराशि से लगभग 2,000 कि0मी0 पीरियाडिक रिन्यूवल का कार्य कराया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 एवं वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत सड़क निर्माण की महत्वपूर्ण उपलब्धि निम्नानुसार है :–

1. वर्ष 2018–19 में 430 सड़कों को पूर्ण किया गया तथा 1688.27 कि0मी0 सड़को का निर्माण किया गया। उक्त हेतु कुल रू0 1134.80 करोड़ धनराशि व्यय की गयी।
2. पांच वर्षीय अनुरक्षणाधीन संपर्क मार्गों को गड्ढ़ामुक्त रखने हेतु 13848.89 कि0मी0 सड़कों का सुधार किया गया।
3. वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु 66 मार्ग कुल लम्बाई 700.16 कि0मी0 सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है जिस हेतु 515.3 करोड़ की धनराशि व्यय किये जाने का लक्ष्य है। उक्त के सापेक्ष दिनांक 31.7.2019 तक 31 मार्ग कुल लम्बाई 211.88 कि0मी0 का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
4. वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु कुल रू0 1357.46 करोड़ का बजट प्राविधान है।

यह पूर्णतया स्पष्ट है कि सम्पर्क मार्ग निर्माण से ग्रामों की कनेक्टीविटी बेहतर होगी तथा आय के स्रोत एवं उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होगा जो प्रदेश की आर्थिक स्थति को मजबूती प्रदान करेगा।

(6) पेयजल उपलब्धता

उद्देश्य –

सभी ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना तथा पेयजल से होने वाली बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य है।

योजना के मुख्य बिन्दु–

1. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 260018 बस्तियां हैं जिसमें जून, 2019 तक कुल 2845936 हैंड पम्प आदि स्थापित कराये जा चुके हैं। मानक के अनुसार सभी बस्तियां हैंड पम्प अथवा पाइप लाइन पेयजल द्वारा आच्छादित हैं।

2. प्रदेश में आर्सेनिक एवं फ्लोराइड से प्रभावित 3830 बस्तियां चिन्हित की गयी हैं जिसमें से 2105 पाइप लाइन से आच्छादित तथा 841 निर्माणाधीन हैं। 1181 बस्तियों में शोधन संयंत्र से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

3. राज्य ग्रामीण पेयजल योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, बार्डर एरिया डेवलपमेंट, बुन्देलखण्ड विशेष निधि के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में निर्माणाधीन 403 परियोजनाओं में से 51 परियोजनाएं पूर्ण की गयी।

स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था से बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सकेगा जिससे ग्रामीण परिवारों का स्वास्थ्य बेहतर होगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्वस्थ श्रमिक उपलब्ध रहेंगे।

(7) विधायक निधि

उद्देश्य –

विधानमंडल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों के द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संतुलित विकास कराये जाने हेतु उक्त योजना का प्रारंभ किया गया है।

योजना के मुख्य बिन्दु–

1. वित्तीय संसाधन व्यवस्था शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
2. विधायक निधि योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मा0 सदस्य को उनके क्षेत्र के विकास हेतु रू0 2.40 करोड़ धनराशि प्रतिवर्ष उपलब्ध करायी जा रही है जिसमें विकास कार्यों हेतु रू0 दो करोड़ तथा जी0एस0टी0 हेतु 0.4 करोड़ निर्धारित है।
3. विधायक निधि योजना के अन्तर्गत सड़क, पुल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, शिक्षण संस्थाओं में कक्ष निर्माण, पुस्तकालय, सरकारी अस्पतालों के लिए एक्सरे मशीन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड हेतु वाहन एवं अन्य उपकरण क्रय किया जाना अनुमन्य है।

उक्त योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें स्थानीय आवश्कताओं के अनुसार तत्काल कार्य कराते हुए प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 में रू0 1004.75 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी। उक्त के सापेक्ष 31 मार्च, 2019 तक रू0 732.86 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी।

वर्ष 2019–20 में उक्त योजनान्तर्गत विकास कार्य हेतु कुल रु० 1008 करोड़ धनराशि की व्यवस्था की गयी। उक्त के सापेक्ष 31.07.2019 तक रू0 117.88 करोड़ की धनराशि व्यय कर विकास कार्य कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

(1) ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल

उद्देश्य–

उक्त योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास एवं अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

गत तीन वर्षों में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल के विकास की स्थिति निम्न तालिका में प्रस्तुत की गयी है।

तालिका–7.04

ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल के विकास की स्थिति

क्र0सं0	वर्ष	विकसित की गयी अंत्येष्टि स्थलों की संख्या	व्यय धनराशि (लाख)
1	2016–17	521	12692
2	2017–18	41	998.73
3	2018–19	401	9768.36

वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु उक्त योजनान्तर्गत कुल 410 ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। एक अंत्येष्टि स्थल की लागत रू0 24.36 लाख निर्धारित है।

अंत्येष्टि स्थल के विकास से ग्रामीणों को इस असहनीय दुख के क्षण में दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा जिससे उनकी भावानात्मक स्थिति में सुधार के साथ व्यय होने वाली धनराशि में भी बचत होगी जिसे ग्रामीण अन्य कार्यों में व्यय कर सकेंगे।

(2) राष्ट्रीय ग्राम्य स्वराज्य अभियान

उद्देश्य –

1. पंचायतों और ग्राम्य सभाओं की क्षमता को बढ़ाना।
2. पंचायतों के ज्ञान सृजन और क्षमता निर्माण हेतु संस्थागत संरचना को मजबूत करना।
3. पंचायतों के विकास हेतु लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देना ।
4. पंचायती व्यवस्था के अन्तर्गत पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल मंच को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाना।
5. संवैधानिक रूप से अनिवार्य रूपरेखा को मजबूत करना जिस पर पंचायतों की स्थापना की जाती है।
6. ऐसे क्षेत्रों में जहां पंचायत मौजूद नहीं है, में लोकतांत्रिक स्थानीय स्वशासन का निर्माण और सुदृढ़ीकरण करना।

योजना के मुख्य बिन्दु–

1. योजना का वित्त पोषण केन्द्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत किया गया है।
2. ग्रामीण विकास के लिए कई जिम्मेदारियां ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को दी जाती है जो राज्य सरकार के साथ सम्पर्क बनाये रखने का काम करते हैं।
3. ग्राम पंचायत स्तर, ब्लाक स्तर, जिला स्तर जैसे कई स्तरों पर ग्राम पंचायतों के प्रशिक्षण के लिए कई क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण केन्द्र बनाये जायेंगे।

वर्ष 2018–19 में योजना का कियान्वयनः–

1. वर्ष 2018–19 में ग्राम पंचायत स्तर तक नियोजन की प्रकिया प्रारंभ किये जाने हेतु 3975 डिस्ट्रिक रिर्सोस ग्रुप के सदस्यों, 241 स्टेट रिर्सोस ग्रुप के सदस्यों का प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया। ग्राम पंचायतों में 90169 टास्क फोर्स के सदस्यों, 18326 ग्राम प्रधानों एवं 3029 ग्राम सचिव को प्रशिक्षित किया गया।
2. पंचायतों के क्षमता संवर्धन हेतु 20 पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना की गयी।
3. ग्राम पंचायत विकास योजना पर प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया गया।
4. 25 जनपदों में जिला पंचायत रिर्सोस सेंटर(डी0पी0आर0सी) का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है तथा 7 जनपदों में जिला पंचायत रिर्सोस सेंटर के निर्माण हेतु धनराशि निर्गत की गयी।
5. राज्य स्तर पर कार्य से सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन 1 नवम्बर, 2018 में किया गया।
6. जन योजना अभियान के अन्तर्गत 2019–20 की योजना हेतु 30584 विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया।
7. सामाजिक, आर्थिक विषय पर इन्डो गैंगेटिक प्लेंस के 6 राज्यों (पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश) की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 7 एवं 8 दिसम्बर, 2018 को आयोजित किया गया।

वर्ष 2019–20 में प्रस्तावित गतिविधियां :–

1. 6 पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना।

2. 3.30 लाख पंचायत प्रतिनिधियों/कर्मियों की क्षमता वृद्वि एवं प्रशिक्षण का आयोजन ।

3. 1200 नए पंचायत भवनों का निर्माण ।

4. 500 पूर्व निर्मित पंचायत भवनों की मरम्मत का कार्य।

5. 500 कॉमन सर्विस सेंटरों की स्थापना ।

6. 4788 ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर प्रिंटर एवं स्कैनर की स्थापना।

राष्ट्रीय ग्राम्य स्वराज्य अभियान एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने से कार्य क्षमता तथा सहभागिता में वृद्वि होगी, जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी।

(3) निर्मल भारत अभियान/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

उद्देश्यः–

उक्त योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त किया जाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक व्यक्तिगत शौचालय हेतु रू0 12000 की धनराशि प्रदान की जाती है। उक्त योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की बी0पी0एल0 परिवार, गरीबी रेखा के ऊपर निम्न श्रेणी के परिवार, समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार, समस्त लघु एवं सीमान्त कृषक परिवार, समस्त भूमिहीन खेतिहर मजदूर परिवार, विकलांग सदस्य वाला परिवार, महिला मुखिया वाला परिवार आच्छादित रहते है।

गत तीन वर्षों में निर्मित शौचालयों का विवरण निम्नानुसार है :

तालिका–7.05

क्र0 सं0	वर्ष	निर्मित शौचालय	व्यय धनराशि (लाभ)
1	2016–17	1741169	164780
2	2017–18	4410903	496804.05
3	2018–19	10648419	1246097.74

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 हेतु कुल रूपये 174671.13 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष 1744269 शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है।

शौचालय के निर्माण तथा स्चच्छता अभियान से ग्रामीण क्षेत्र में बीमारियों में कमी आयेगी तथा ग्रामीणों का स्वास्थ्य बेहतर होगा जिससे कार्य हेतु स्वस्थ श्रमिक एवं कार्य करने वाले ग्रामीण उपलब्ध रहेंगे जिससे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

(4) मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

उद्देश्य –

उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जाना है। उक्त योजना से पंचायतों में प्रतिस्पर्धा की भावना आने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

योजना के मुख्य बिन्दु–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत रू 2000 लाख धनराशि का प्राविधान किया गया जिसके सापेक्ष प्रत्येक जनपद में पांच सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को क्रमशः आठ लाख, सात लाख, पांच लाख, तीन लाख एवं दो लाख की धनराशि से पुरस्कृत किया गया।

वर्ष 2019–20 हेतु उक्त योजनान्तर्गत रू0 2500 लाख धनराशि का प्राविधान किया गया है।

ग्राम्य विकास कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य गरीबी हटाना, रोजगार के अवसर सृजित करना तथा ग्रामीणों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ हो रहे पलायन को रोका जा सके तथा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।

इस क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं तथा प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या को मूलभूत सुविधाओं के साथ रोजगार परक प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने के पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

****

अध्याय–8

औद्योगिक प्रगति

मुख्य बिन्दु–

- प्रदेश के जनपदों के कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों के कौशल विकास एवं उत्पादों की ब्रांडिंग के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु सरकार द्वारा **''एक जनपद एक उत्पाद''** (ओडीओपी) योजना 24–01–2018 को प्रारम्भ की गयी है। इस योजना हेतु वर्ष 2019–20 में रू0 250.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया।
- उत्तर प्रदेश वर्ष 2017–18 में देश का सर्वाधिक (89.99 लाख) एस0एस0एम0ई0 वाला राज्य बना। देश की कुल एस0एस0एम0ई0 का 14.2 प्रतिशत प्रदेश में कार्यरत थे।
- प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं निवेश को बढ़ावा देने हेतु 21 एवं 22 फरवरी, 2018 को **इन्वेस्टर समिट–2018** का आयोजन किया गया। इन्वेस्टर्स समिट में रू0 4.68 लाख करोड़ के एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुए। तत्क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी एव द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया।
- वर्ष 2018–19 में स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 3.9 प्रतिशत एवं 5.8 प्रतिशत रही है।
- खनन और उत्खनन क्षेत्र का जीवीए में योगदान प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2018–19 के लिए लगभग 1.7 प्रतिशत रहा।
- देश में कुल खनिज उत्पादन के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में राष्ट्रीय उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 5 प्रतिशत का योगदान है।

वर्तमान सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ–साथ प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास, हस्तशिल्पियों के विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन हेतु सतत् प्रयत्नशील है, ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो सकें।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी राज्य आय के वर्ष 2018–19 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 में स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 4.1 प्रतिशत, 13.7 प्रतिशत, (–)10.0 प्रतिशत, 26.4 प्रतिशत, 47.0 प्रतिशत, 2.9 तथा 3.9 प्रतिशत रही है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12, वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 में क्रमशः 12.9 प्रतिशत, 12.3 प्रतिशत, 12.8 प्रतिशत, 11.1 प्रतिशत, 12.4 प्रतिशत, 15.1 प्रतिशत, 14.6 प्रतिशत तथा 14.5 प्रतिशत रहा है जबकि खनन क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2018–19 में योगदान क्रमशः 1.2 प्रतिशत तथा 10.2 प्रतिशत दृष्टिगोचर हुआ है। स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनन क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 में क्रमशः (–)0.6, 10.1, 28.2, 32.4, 9.5, 89.0 तथा (–)26.6 प्रतिशत रही है, वहीं निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 में क्रमशः 1.0 प्रतिशत, 1.1 प्रतिशत, 6.5 प्रतिशत, 5.2 प्रतिशत, 6.6 प्रतिशत, 5.3 प्रतिशत तथा 5.8 प्रतिशत रही है।

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति–

सीमेन्ट, चीनी, वनस्पति एवं वस्त्र उद्योगों आदि की गिनती प्रदेश के अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योगों में की जाती है। ये उद्योग लोगों को रोजगार तो सुलभ कराते ही हैं साथ ही इनके उत्पाद से दैनिक जीवन की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन उद्योगों का सुदृढ़ होना उस प्रदेश के आर्थिक स्तर को ऊंचा करता है। इन मदों से सम्बंधित आंकड़े तालिका–8.01 में दिये जा रहे हैं :–

तालिका–8.01

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति

वर्ष	चीनी	सीमेन्ट	वनस्पति तेल**	सूती कपड़ा+	सूत
	(हजार मी0टन)#	(हजार मी0टन)	(हजार मी0टन)	(लाख वर्ग मी)	(हजार मी0टन)
1	2	3	4	5	6
2010–11	5887	7052	145	–	–
2011–12	6974	7021	113	–	–
2012–13	7485	–	–	51	40
2013–14	6495	–	–	49	40
2014–15	7100	–	–	30	39
2015–16	6855	–	–	43	42
2016–17	8773	–	68	30R	35
2017–18	12050	–	60	16	29

+केवल मिल क्षेत्र। – अप्राप्त **R** *संशोधित*

#अक्टूबर से सितम्बर तक।** *नवम्बर से अक्टूबर तक।*

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि चीनी के उत्पादन में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही है। चीनी के उत्पादन में वर्ष 2017–18 (12050 हजार मी० टन) में 2016–17 (8773 हजार मी० टन) की तुलना में 37.35 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वनस्पति तेल के उत्पादन में वर्ष 2017–18 (60 हजार मी० टन) में वर्ष 2016–17 (68 हजार मी० टन) की तुलना में 11.76 प्रतिशत की कमी हुई है। प्रदेश में सूत के उत्पादन में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही है। सूत के उत्पादन में वर्ष 2017–18 (29 हजार मी० टन) में 2016–17 (35 हजार मी० टन) की तुलना में 17.14 प्रतिशत कमी हुई है।

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों में औद्योगिक विकास की प्रगति का बोध कराने के लिए वर्ष 2017–18 में प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत कारखानों की संख्या एवं उनमें कार्यरत दैनिक श्रमिकों की संख्या तथा प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य के आंकड़े तालिका–8.02 में दिये जा रहे हैं :

तालिका–8.02

औद्योगिक विकास सम्बन्धी उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य प्रमुख राज्यों के संकेतक

(वर्ष 2017–18)

राज्य	कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	शुद्ध आवर्धित मूल्य (लाख रु0)	प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य (हजार रु0)
1	2	3	4	5	6	7
1–आन्ध्र प्रदेश	16296	597292	3593370	32	1170	602
2–असम	4538	217155	1364876	13	640	629

राज्य	कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	शुद्ध आवर्धित मूल्य (लाख रु0)	प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत पंजीकृत कारखानों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	प्रति कर्मचारी शुद्ध आवर्धित मूल्य (हजार रु0)
1	2	3	4	5	6	7
3–बिहार	3461	121772	640408	2	79	526
4–झारखण्ड	2866	192282	2334453	8	524	1214
5–गुजरात	26586	1826748	18130698	41	2808	993
6–हरियाणा	8891	858313	6368005	32	3086	742
7–हिमाचल प्रदेश	2671	205781	2964376	37	2829	1441
8–कर्नाटक	13518	1065346	8721853	21	1624	819
9–केरल	7649	310326	1937909	22	900	624
10–मध्य प्रदेश	4533	378022	3991800	6	473	1056
11–छत्तीसगढ़	3352	185805	1449542	12	655	780
12–महाराष्ट्र	26393	2007794	22999569	22	1672	1146
13–ओडिशा	3066	279496	2698449	7	623	965
14–पंजाब	12726	708232	2679446	42	2343	378
15–राजस्थान	9212	556103	4246017	12	738	764
16–तमिलनाडु	37787	2523483	13713990	49	3291	543
17–उत्तर प्रदेश	15830	1070841	7360712	7	485	687
18–उत्तराखण्ड	2998	426587	4388321	27	3872	1029
19–प0 बंगाल	9534	663751	3699113	10	681	557
20–गोवा	715	76214	1411722	47	4994	1852
भारत	**237684**	**15614598**	**123812856**	**18**	**1202**	**793**

स्रोत– उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, 2017–18 (P) खण्ड–1, भारत सरकार।

प्रदेश में औद्योगिक विकास में तीव्र गति लाने के लिये अनेक औद्योगिक संस्थायें कार्यरत् हैं जिनमें से पिकअप, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम इत्यादि उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया तथा इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एवं इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया जैसी अखिल भारतीय संस्थायें भी उद्योगों के विकास में सहयोग प्रदान कर रही हैं।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी मदों में हुई प्रगति का आंकलन करने के लिए तालिका 8.03 दी जा रही है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश का विनिर्माण औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011–12=100) वर्ष 2017–18 में 117.15 था जो 5.5 प्रतिशत अधिक होकर वर्ष 2018–19 में 123.62 हो गया। सर्वाधिक वृद्धि (10.6 प्रतिशत) रसायन (पेट्रोलियम तथा कोयला के अतिरिक्त) के उत्पाद वर्ग में हुई।

तालिका–8.03

उत्तर प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011–12 = 100)

क्रमांक	उद्योग वर्ग	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2017–18	2018–19	
1	2	3	4	5
1	खाद्य विनिर्माण	98.97	108.73	9.9
2	पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद	62.98	65.76	4.4
3	सूती कपड़ा	129.86	132.04	1.7
4	रसायन (पेट्रोलियम तथा कोयला के अतिरिक्त)	119.71	132.42	10.6
5	मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग	133.62	138.16	3.4
6	यातायात उपकरण एवं पुर्जे	123.84	125.88	1.6
7	अन्य	122.68	128.79	5.0
	विनिर्माण सूचकांक	**117.15**	**123.62**	**5.5**

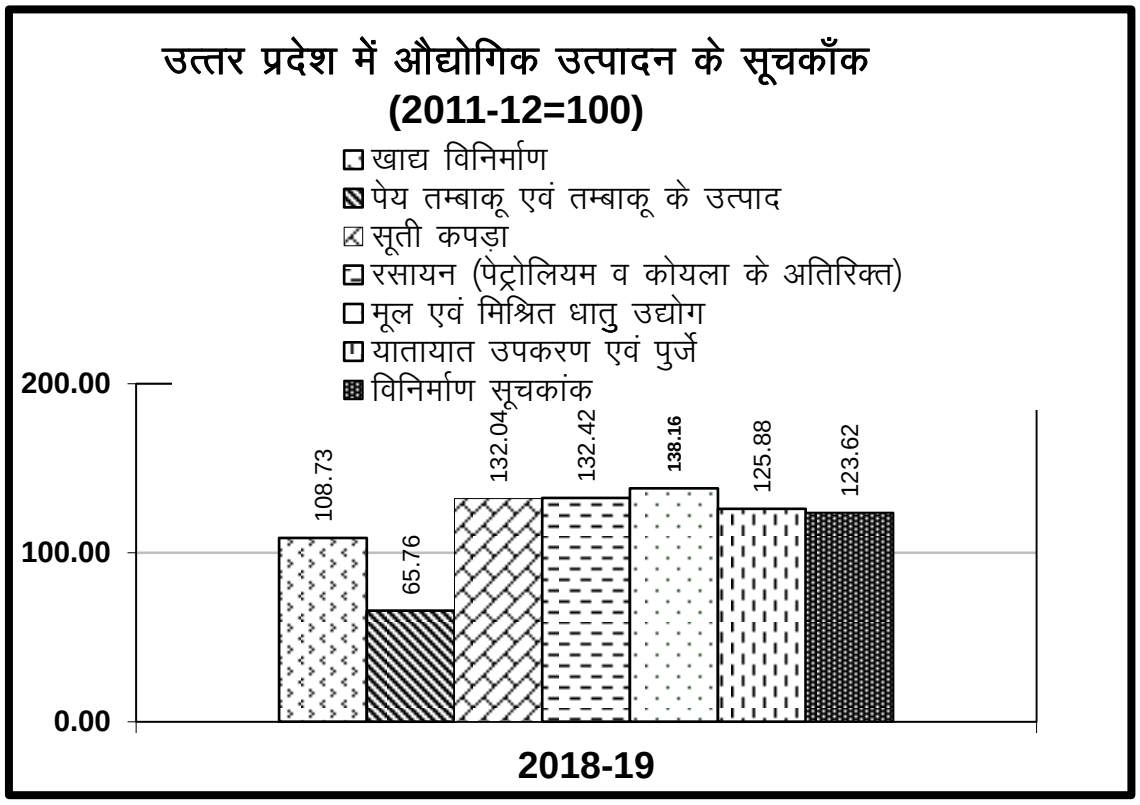

उ0 प्र0 द्वारा औद्योगिक विकास से संबधित संचालित योजनायें–

प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनका प्रदेश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध हो रहा है।

भारत सरकार के सहयोग से संचालित योजनाएं

1—प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

भारत सरकार की यह योजना 18 वर्ष से अधिक आयु के कम से कम आठवीं पास बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अन्तर्गत रू0 25.00 लाख तक की परियोजना लागत की इकाइयों को बैंकों से वित्त पोषण प्रदान कराकर सरकारी सहायता के रूप में 15 से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। योजना में विशेष श्रेणी के लाभार्थियों यथा— अनु0जा0/ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक व महिलाओं इत्यादि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले उद्यमों पर 35 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था है तथा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं पर 25 प्रतिशत तक के मार्जिन मनी की व्यवस्था है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में स्थापित होने वाली परियोजनाओं के लिए सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए 15 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थियों हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था है।

प्रदेश में योजना का कियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत **वित्तीय वर्ष 2018—19** में भारत सरकार से 608 इकाइयों की स्थापना हेतु रू0 1518..00 लाख मार्जिन मनी के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 608 लाभार्थियों को रू0 1518.96 लाख मार्जिन मनी वितरित की गई।

वित्तीय वर्ष 2019—20 में भारत सरकार से 3487 इकाइयों की स्थापना हेतु रू0 10788.00 लाख मार्जिन मनी के लक्ष्य के सापेक्ष जिलों को लक्ष्य आवंटित किया गया है। माह अगस्त, 2019 तक 124 लाभार्थियों को रू0 413.40 लाख मार्जिन मनी वितरित की गई।

2—सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना—

योजनान्तर्गत भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित क्लस्टर विकास योजना के माध्यम से क्षेत्र विशेष/क्लस्टर विशेष को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र में कॉमन फैसिलिटी सेन्टर स्थापित कराने हेतु (कम से कम 20 सदस्य) एस0पी0वी0 के माध्यम से सहायता उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्र्तगत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित डी0पी0 आर0 भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। सामान्यतः वित्त पोषण परियोजना लागत के 70 प्रतिशत तक अनुदान अनुमन्य हैं।

योजनान्तर्गत अब तक भारत सरकार द्वारा 8 कॉमन फैसिलिटी सेन्टर (सीएफसी) के प्रस्ताव (कुल लागत धनराशि रू0 5737.60 लाख) स्वीकृत हुए हैं। सीएफसी पाटरी क्लस्टर खुर्जा, सीजर्स क्लस्टर मेरठ संचालित है। औद्योगिक अवस्थापना से संबंधित आगरा, शिकोहाबाद एवं मेरठ से संबंधित तीन प्रस्ताव (कुल लागत धनराशि रू0 1755.51 लाख) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हुए हैं।

3—एस्पायर योजना—

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एस्पायर योजनान्तर्गत संस्थाओं को एल.बी.आई.(लिवलीहुड बिजनेस एक्यूबेशन सेन्टर) एवं टी.यू.आई.(टेक्नालॉजी एक्यूबेशन सेन्टर) स्थापित करने हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है। यह अनुदान मात्र मशीनरी के मद में

अधिकतम रू0 एक करोड़ तक अनुमन्य है। सरकारी संस्था को रू0 एक करोड़ की सीमा तक शत–प्रतिशत अनुदान देय है। प्राइवेट संस्था को मशीन की कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 50.00 लाख का अनुदान अनुमन्य है। शेष 50 प्रतिशत प्राइवेट संस्था को मैचिंग ग्रान्ट उपलब्ध कराना होगा।

भारत सरकार को एल0बी0आई0 के प्रेषित कुल 6 प्रस्ताव (लागत रू0 381.65 लाख) स्वीकृत हुए हैं। उक्त स्वीकृति प्रस्तावों के सापेक्ष भारत सरकार से धनराशि रू0 157.845 लाख प्राप्त हो गई हैं, जिसे सम्बन्धित एल0बी0आई0 के खातों में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से दिनाँक 11.07.2017 को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 हेतु महत्वपूर्ण नई योजनाओं में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की योजना लागू की जा रही है। प्रदेश में संचालित कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नवत हैं :

1–मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रू0 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रू0 10.00 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराये जाने का भी प्रविधान है जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु 2.50 लाख है। इस हेतु हाई स्कूल उत्तीर्ण 18–40 वर्ष आयु वर्ग के उ0प्र0 के ऐसे मूल निवासी पात्र हैं जो किसी भी वित्तीय संस्थान से चूककर्ता (डिफाल्टर) न हों। योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र बैंको को प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही करायी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में 10000 इकाइयों को स्थापित करने के लक्ष्य के अनुरूप रू0 100.00 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। 4509 लाभार्थियों के आवेदन–पत्र बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये जिनमें से 3362 लाभार्थी लाभान्वित हुए एवं 17433 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन हुआ।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में 10000 इकाइयों को स्थापित कराने हेतु रू0 100.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है। माह अगस्त, 2019 तक 424 लाभार्थियों के आवेदन–पत्र बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये जिनमें से 82 लाभार्थी लाभान्वित हुए एवं 394 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन हुआ।

2–औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण

प्रदेश के वृहद् औद्योगिक आस्थानों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न अवस्थापना सुविधाएं (जैसे–सड़क, नाली, ड्रैनेज आदि) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं की उच्चीकरण योजना संचालित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत **वित्तीय वर्ष 2018–19** में रू0 700.00 लाख के बजट से प्रदेश के 14 औद्योगिक आस्थानों/मिनी औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास कराया जा रहा है। **वित्तीय वर्ष 2019–20** में इस योजना हेतु रू0 700.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

3–उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति–2017 में प्रदेश सरकार की वर्तमान तकनीकी उन्नयन योजना को पुनर्निर्मित करते हुए सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किए जाने की व्यवस्था की गई है जिससे महत्तम ढंग से उच्चीकृत तकनीक को विभिन्न क्षेत्रों जैसे–उत्पाद गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण सुधार, ऊर्जा दक्षता, गुणात्मक पैकेजिंग, परीक्षण सुविधाएं एवं कम्प्यूटरीकृत गुणवत्ता नियंत्रण में बढ़ावा मिल सके। इस योजना का कियान्वयन निम्नवत् किया गया है :–

- पूंजी उपादान सहायता– तीन वर्ष से संचालित एवं कार्यरत ऐसी सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयां जो तकनीकी उन्नयन हेतु इच्छुक होंगी। उन्हें 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 5.00 लाख तक पूँजी उपादान प्लांट मशीनरी एवं उपकरण खरीद हेतु देय होगा।
- ब्याज उपादान सहायता– मशीनों के क्रय हेतु लिए गये ऋण पर अधिकतम 05 वर्ष तक ब्याज का 50 प्रतिशत ब्याज उपादान के रूप में दिया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 1.00 लाख (प्रतिवर्ष) होगी।
- इसके अतिरिक्त सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए मानक, प्रकिया, अनुरूपता एवं अन्य प्रमाणीकरण सहायता, उद्यम स्रोत योजना (ई0आर0पी0) व्यवस्था सहायता, कन्सल्टेंसी/ब्राण्डिंग सहायता एवं बौद्धिक सम्पदा प्रमाणीकरण सहायता आदि सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 2.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी जिससे 102 इकाइयों को लाभान्वित कराया गया। **वित्तीय वर्ष 2019–20** में रू0 200.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

4–एक जनपद एक उत्पाद

प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2018 को ''एक जनपद एक उत्पाद'' नाम से एक महत्वाकाँक्षी योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा हस्तशिल्पी इकाईयों के माध्यम से प्रदेश के समावेशी एवं सतत् आर्थिक विकास हेतु प्रत्येक जनपद से विशिष्ट पहचान रखने वाले उत्पादों का चयन करते हुए उनके कुशलतापर्वूक उत्पादन एवं विपणन हेतु आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

इस हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के समन्वय से वित्त पोषण, कौशल विकास, उत्पादन पद्धति/तकनीक/डिजाइन में सुधार, अवस्थापना एवं विपणन सुविधाओं का विकास, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी आदि से सम्बन्धित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उत्पादों की उन्नति एवं अनुकूल वातावरण बनाने के लिये कई योजनायें जैसे वित्त पोषण हेतु सहायता योजना, विपणन प्रोत्साहन योजना, कौशल विकास और टूल किट वितरण योजना और सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना का संचालन किया है।

एक जनपद–एक उत्पाद योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कम पूंजी निवेश से बेहतर रोजगार की भरपूर सम्भावना है। इस महत्वाकांक्षी योजना से प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने के साथ ही स्थानीय रूप से रोजगार में भी बढ़ोत्तरी होगी। योजना से राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों, दुकानदारों, पढें–लिखे युवाओं व प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित कामगारों समेत 25 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

योजनान्तर्गत **वित्तीय वर्ष 2018–19** में 16965 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुये रु0 3835.89 करोड़ का ऋण वितरण किया गया, जिसमें लगभग 85000 व्यक्तियों का रोजगार

सृजन हुआ है तथा 1610 लाभार्थियों को टूल किट वितरित किये गये। **वर्ष 2019–20** हेतु रु0 250.00 करोड़ का आय व्ययक प्रावधान किया गया है।

5–हस्तशिल्प पेंशन योजना

योजनान्तर्गत भारत सरकार के शिल्पगुरू के रूप में चयनित अथवा राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार/दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार अथवा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पियों को प्रति माह रू0 2,000/– पेंशन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। यह पेंशन हस्तशिल्पी को चयनोपरान्त शेष जीवनकाल तक उपलब्ध करायी जाती है।

इस हेतु शिल्पकार की न्यूनतम आयु 50 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र कार्यालय में आवेदन किया जाना होगा।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 70.00 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 221 हस्तशिल्पियों को रू0 69.68 लाख की धनराशि पेंशन के रूप में उपलब्ध करायी गयी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में हस्तशिल्पियों को पेंशन उपलब्ध कराने हेतु रू0 57.60 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। 218 विशिष्ट हस्तशिल्पियों को त्रैमासिक माह अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक की पेंशन दी जा रही है।

6– हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना

उ0प्र0 में विभिन्न हस्तशिल्प जैसे– कालीन, चूड़ी, ताला, जरी, जरदोजी, हैण्डलूम, चिकन कारीगरी, स्टोन कार्विंग, बुड कार्विंग, ब्लैक पाटरी, बेंतवास, लकड़ी के खिलौने, टेराकोटा, पीतल की कला, जूटवॉल हैगिंग, पतंगकासा, पंजादरी पाटरी आदि क्षेत्रों में लगभग 25 लाख हस्तशिल्पी हैं। इनमें अधिकांशतः हस्तशिल्पी हुनरमन्द होते हुए भी अत्यन्त गरीब हैं। हस्तशिल्पियों द्वारा तैयार किये गये माल के विपणन में सहायता के लिए इस योजना को संचालित किया गया है।

प्रदेश के हस्तशिल्पियों को अपने उत्पादों के विपणन हेतु विभिन्न मेलों में भाग लिये जाने के क्रम में परिवहन व्यय एवं स्टाल के किराये में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रू0 20,000/– की धनराशि राज्य सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 350.00 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 344.62 लाख की धनराशि व्यय कर 3557 हस्तशिल्पियों को लाभान्वित कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस योजनान्तर्गत रू0 200.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। माह अगस्त, 2019 तक रू0 8.17 लाख का व्यय करते हुए 206 हस्तशिल्पियों को लाभान्वित कराया गया।

7–मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना

प्रदेश के हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने एवं परम्परिक कलाओं को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनाँक 13.12.2017 से मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजनान्तर्गत चयनित हस्तशिल्पी को रू0 500/– प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। पात्र हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है। (महिला हस्तशिल्पियों एवं शारीरिक रूप से विकलांग हस्तशिल्पियों को न्यूनतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।) शिल्पकार के परिवार की वार्षिक आय रू0 1.00 लाख से अधिक न हो।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में 825 हस्तशिल्पियों को पेंशन दी जा चुकी है। **वित्तीय वर्ष 2019–20** हेतु रू0 100.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी। माह अगस्त, 2019 तक 21.29

लाख रू0 व्यय करते हुए 1227 हस्तशिल्पियों को त्रैमासिक माह अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक की पेंशन दी जा चुकी है।

8–हस्तशिल्प कौशल विकास उन्नयन योजना एवं निर्यात बाजार हेतु डिज़ाइन वर्कशॉप योजना–

हस्तशिल्प क्षेत्र में परम्परागत विधा से हो रहे कार्य को धीरे–धीरे बेहतर तकनीकी से कराना एवं इस हेतु उनको कौशल विकास की दर से प्रशिक्षित कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना प्रदेश के हस्तशिल्प बाहुल्य जिलों में संचालित है, जिसके अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होते हैं। इस प्रशिक्षण में नवीनतम तकनीकी एवं उन्नत किस्म के औजारों/उपकरणों का उपयोग सिखाया जाता हैं। इस हेतु निम्न दो प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हैंः–

(अ) हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजनाः– यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरू की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के दिशा निर्देशन व संरक्षण में संचालित करायी जाती है।

(ब) निर्यात बाजार हेतु डिजाईन वर्कशाप योजनाः– यह योजना भी प्रदेश के हस्तशिल्प बाहुल्य जिलों में संचालित की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नियमित एवं स्पॉसर्ड वर्कशॉप आयोजित कराना है। यह योजना प्रदेश के ऐसे प्रमुख हस्तशिल्प क्षेत्रों में संचालित है, जहाँ हस्तशिल्पियों द्वारा निर्यात योग्य उत्कृष्ट कला कृतियाँ बनाई जा रही हैं। योजनान्तर्गत वही पात्र होते हैं जो हस्तकला/निर्यात से सम्बद्ध उत्पादों में अनुभव रखते हैं। इसमें किसी शैक्षिक योग्यता एवं आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं है, किन्तु वर्कशाप में ऐसे ही व्यक्तियों को लिया जाता है जो नई डिजाइनों के विकास एवं उन्हें अपनाने में रूचि रखते हैं अथवा जिन्हें निर्यातक प्रायोजित करते हैं।

योजनान्तर्गत हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिज़ाइन वर्कशॉप के माध्यम से हस्तशिल्पियों की क्षमता में अभिवृद्धि सुनिश्चित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु इस योजना में 1740 हस्तशिल्पियों के लक्ष्य को प्राप्त किए जाने हेतु रू0 198.76 लाख का व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु रू0 100.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी। माह अगस्त , 2019 तक 21.29 लाख रू0 व्यय करते हुए 1227 हस्तशिल्पियों को त्रैमासिक माह अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक की पेंशन दी जा चुकी है।

9– अनु0जाति/जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के युवक/युवतियों को चयनित कर उनके कौशल विकास हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की माँग के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को एक माह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों/सेवा केन्द्रों पर दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात प्रशिक्षार्थियों को सम्बन्धित ट्रेडों की टूल किट दी जाती है, ताकि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति सम्बन्धित ट्रेडों में से की जा सके। यह प्रशिक्षण विभिन्न ट्रेडों जैसे– बढ़ई, दुपहिया वाहन रिपेयरिंग, ट्रेक्टर रिपेयरिंग, विद्युत रिपेयरिंग, टेलरिंग, साड़ियों की कढ़ाई एवं छपाई, कालीन एवं दरी बुनाई आदि में दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 487.50 लाख की स्वीकृत धनराशि से 6771 प्रशिक्षार्थियों के लक्ष्य की शत–प्रतिशत पूर्ति की गयी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु इस योजना में 6771 प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रू0 487.50 लाख की बजट स्वीकृत प्रदान की गयी है।

10– विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि स्वरोजगारियों तथा पारम्परिक हस्तशिल्पियों की कलाओं के प्रोत्साहन एवं सम्वर्धन तथा उनकी आय में वृद्धि के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना संचालित है। इस योजना से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे तथा वे अपनी आजीविका सुगमता से चला सकेंगे।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु रू0 10.00 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया। जिससे 7474 लाभार्थियों को प्रशिक्षण व टूल किट वितरित कराये जाने में रू0 8.46 करोड़ का व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में 20000 पारम्परिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को लाभान्वित कराने हेतु रू0 3000.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। जनपदों को भौतिक लक्ष्य आवंटित कर दिए गये हैं।

11–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना

उद्यमियों द्वारा अपनी उद्यम स्थापना के क्रम में एम.एस.एम.ई.डी. ऐक्ट, 2006 की व्यवस्था के अनुसार उद्यम ज्ञापन भाग–1 व भाग–2 जिला उद्योग केन्द्रों में दाख़िल किये जाते थे। अब इस व्यवस्था में परिवर्तन कर भारत सरकार द्वारा नई **''उद्योग आधार मेमोरेण्डम''** (यूएएम) व्यवस्था सितम्बर, 2015 से लागू की गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा भी इस व्यवस्था को नवम्बर, 2015 में अंगीकृत कर दिया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उद्यमी **उद्योगआधार.जीओवी.इन** वेबसाइट पर जाकर एक पेज के प्रोफार्मे पर अपने उद्योग की जानकारियों को भरकर अपना उद्योग आधार मेमोरेण्डम ऑन–लाइन रूप से प्राप्त कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उद्योग आधार मेमोरेण्डम व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश में 122595 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हुई है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में उद्योग आधार मेमोरेण्डम व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश में माह अगस्त, 2019 तक 59511 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हुई है।

12–जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण

जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों की औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें आधुनिक रूप में विकसित कर उन्हें कार्पोरेट लुक देते हुए उद्यमियों को कॉन्सेप्ट से मार्केट तक हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट प्रदान किये जाने हेतु जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण की योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में आधुनिकीकृत एवं उच्चीकृत किये जाने वाले मेरठ, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी एवं गोरखपुर जनपदों के जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के लिए रु0 400.00 लाख बजट का प्राविधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना हेतु रू0 400.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया। वर्ष 2018–19 में इस योजना हेतु रू0 400.00 लाख का बजट आगरा, बरेली, सहारनपुर, आजमगढ़ एवं गाजियाबाद को आवंटित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस योजना हेतु रू0 400.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत फैजाबाद, झाँसी, मुरादाबाद, गोंडा एवं गाजियाबाद को सम्मिलित किया गया है।

13–एकल मेज व्यवस्था एवं उद्योग बन्धु

प्रदेश में उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण तथा उद्यमों की स्थापना को सुगम (फैसिलीटेट) करने हेतु त्रिस्तरीय उद्योग बन्धु की बैठकों की व्यवस्था प्रभाव में है।

इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाते हुए मई, 2013 में राज्य, मण्डल व जिला उद्योग बन्धु समितियों का पुनर्गठन करते हुए मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति का गठन किया गया है। मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु एवं जिले स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु की बैठकों को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।

एमएसएमई क्षेत्र की सुगमता के लिए आवश्यक विभिन्न स्वीकृतियों, अनापत्तियों तथा सहमतियों हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निवेश–मित्र पोर्टल की व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत उद्यमियों द्वारा वेबसाइट निवेशमित्र.यूपी.एनआईसी.इन पर स्वयं आवेदन कर विभिन्न विभागों से संबंधित एन0ओ0सी0 आदि प्राप्त कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उद्योग बन्धु की कुल 812 बैठकें हुई। एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत कुल 129863 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए, जिनमें 124036 आवेदन–पत्रों का निस्तारण किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में अगस्त, 2019 तक उद्योग बन्धु की कुल 227 बैठकें हुई हैं। एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत कुल 64952 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें 58083 आवेदन–पत्रों का निस्तारण किया गया।

14–उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक विकास को गति देने तथा बेरोजगार शिक्षित/प्रशिक्षित एवं तकनीकी (कुशल/अकुशल) व्यक्तियों को अपना उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं उन्हें स्वरोजगार युक्त बनाये जाने के दृष्टिकोण से यह योजना संचालित की जा रही है।

औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने तथा उनके सुगमतापूर्वक संचालन के लिए उद्यमियों को सभी प्रकार की जानकारी हो, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उद्यमकर्ता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर उद्योग स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जाता है। यह योजना जिला स्तर पर चलायी जा रही है। योजनान्तर्गत निर्धारित कार्यक्रमों का सम्पादन उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के माध्यम से तथा प्रशिक्षणदायी संस्था उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ द्वारा कराया जाता रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में 4800 प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त किए जाने हेतु 109 शिविरों का आयोजन कर 4750 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित कर रू0 05.99 लाख की धनराशि व्यय की गई ।

वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु इस योजना में 1200 प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रू0 06.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

15–अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह योजना वित्तीय वर्ष 2018–19 से विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए क्रियान्वित की जा रही है। इस समुदाय के अधिकांश व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को चयनित कर उनमें कौशल विकास हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की माँग के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाये ताकि वे प्रशिक्षणोंपरान्त स्वयं का उद्यम स्थापित कर रोजगारयुक्त हो सकें अथवा स्थानीय स्तर पर स्थापित/स्थापित होने वाले उद्योगों में सुगमता से रोजगार प्राप्त कर सकें।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र तथा जिले में स्थित सभी राजकीय पालीटेक्निक/आई0टी0आई0 के प्रधानाचार्यों की समिति गठित है। समिति द्वारा उक्त प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त राजकीय/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जिला मुख्यालय पर अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों में कुशलता बढ़ाने हेतु सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं। यह प्रशिक्षण विभिन्न ट्रेडों जैसे– बढ़ई, दुपहिया वाहन रिपेयरिंग, ट्रैक्टर रिपेयरिंग, विद्युत रिपेयरिंग, टेलरिंग, साड़ियों की कढ़ाई एवं छपाई, कालीन एवं दरी बुनाई आदि में दिया जाता है।

योजनान्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को एक माह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों/सेवा केन्द्रों पर दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् प्रशिक्षार्थियों को सम्बन्धित ट्रेड्स की टूलकिट भी उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा स्थानीय स्तर पर स्थापित उद्योगों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की सम्बन्धित ट्रेड्स में आवश्यकता की पूर्ति हो पाती है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु इस योजना में 1050 प्रशिक्षार्थियों के लक्ष्य को प्राप्त किए जाने हेतु रू0 75.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई जिसके सापेक्ष रू0 73.21 लाख का व्यय किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु इस योजना में 1200 प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रू0 6.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, उ0प्र0 द्वारा संचालित योजनाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जहाँ एक ओर कम पूँजी एवं कम स्थान में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजित करते हुए उद्यम स्थापना की सुविधा प्रदान करते हैं वहीं दूसरी ओर पर्यावरणीय दृष्टि से भी अधिक अनुकूल होते हैं। इस प्रकार इन उद्यमों के विकास से जहाँ प्रदेश का समावेशी एवं बहुआयामी विकास होता है वहीं रोजगार सृजन की असीम सम्भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं।

- प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्व को ध्यान में रखते हुए इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने हेतु प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा ''उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति–2017'' घोषित की गयी है। नीति–2017 के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार सृजन की वार्षिक दर का लक्ष्य 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। नीति का **विजन** 'उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है, जिससे रोजगार सृजित हो सके एवं प्रदेश के स्थायी, समेकित तथा संतुलित आर्थिक विकास को बल मिले। वर्तमान उद्योगों को स्थिरता प्रदान करने एवं अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ ही साथ औद्योगिक विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार करना होगा जो लोगों को

सशक्त बनाए एवं रोजगार उत्पन्न करे, जिसके फलस्वरुप अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो।'

- प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं निवेश को बढ़ावा देने हेतु 21 एवं 22 फरवरी, 2018 को **इन्वेस्टर समिट–2018** का आयोजन किया गया, जिसमें 7000 से अधिक देश और विदेश के बड़े–बड़े उद्यमियों ने प्रतिभाग किया। समिट के दौरान 4.28 लाख करोड़ के 1045 एमओयू प्रस्ताव आए जिनसे 40 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। समिट में राज्य के 10 खण्डों विशेषतया कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध, हैण्डलूम एवं वस्त्र, एमएसएमई, आई टी/स्टार्टअप, इलेक्ट्रानिक्स निर्माण, फिल्म, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, नवीनीकृत ऊर्जा आदि में निवेश पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इन एम0ओ0यू0 को निरन्तर फालोअप किया जा रहा है।
- तत्क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी एव द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। प्रथम जी0बी0सी0 में 81 परियोजनाओं हेतु लगभग रू0 61000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आये। इस निवेश से राज्य में 2.06 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। उपर्युक्त परियोजनाओं में से 26 प्रतिशत भारी उद्योगों में, 17 प्रतिशत खाद्य प्रसंस्करण में, 11 प्रतिशत आई0टी0 सेक्टर में, 8 प्रतिशत आवास, 6 प्रतिशत एम0एस0एम0ई0, 5 प्रतिशत दुग्ध उद्योग एवं 5 प्रतिशत पर्यटन क्षेत्र में निवेश करेंगी।
- द्वितीय जीबीसी में 250 से अधिक परियोजनाओं हेतु लगभग 65000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आये। उपर्युक्त निवेश परियोजनाओं में से 54 प्रतिशत पश्चिमांचल में, 19 प्रतिशत मध्यांचल, 15 प्रतिशत पूर्वांचल और 4 प्रतिशत बुन्देलखण्ड में शेष 10 प्रतिशत प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित होंगी। कुल निवेश का 31 प्रतिशत इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण, 16 प्रतिशत नवीनीकृत ऊर्जा, 12 प्रतिशत अवस्थापना, 10 प्रतिशत आवास, 8 प्रतिशत कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, 8 प्रतिशत निर्माण, 5 प्रतिशत आई0टी0 एवं 2 प्रतिशत बायो ईंधन क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश होगा।

तालिका–8.04

द्वितीय जीबीसी के निवेश प्रस्ताव

क्षेत्र	निवेश का आकार (करोड़ रू0 में)	कम्पनियों की संख्या
जैव ईंधन	1657	6
इलेक्ट्रानिक विनिर्माण	18981	33
कृषि संवर्ग एवं खाद्य प्रसंस्करण	4590	54
स्वास्थ्य रक्षा	1200	2
पयर्टन	1638	38
आवास	6402	17
अवस्थापना	7217	11
आई टी	3112	20
निर्माण	5926	58
फार्मास्यूटिकल	500	2

ऊर्जा	1401	2
नवीनीकृत ऊर्जा	10600	31
वस्त्र	1636	14
कुल योग	**64860**	**290**

- निवेश प्रस्तावों के लागू होने की प्रगति को निरीक्षण करने हेतु एक **आन लाइन एम0ओ0यू0 ट्रैकर** तैयार किया गया है। उद्योगों से परामर्श के उपरान्त उनकी निवेश आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेकों सेक्टोरल नीतियां लांच की गयी हैं यथा रक्षा एवं एयरोस्पेस नीति, खाद्य प्रसंस्करण नीति, दुग्ध नीति, जैव ईधन नीति, फार्मास्युटिक्ल नीति आदि। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सुधारों की श्रृंखला आरम्भ करने के कारण उत्तर प्रदेश वर्ष 2017–18 में देश का सर्वाधिक (89.99 लाख) एस0एस0एम0ई0 वाला राज्य बना। देश की कुल एस0एस0एम0ई0 का 14.2 प्रतिशत प्रदेश में कार्यरत थे।
- देश में सर्वाधिक मैन्यूफैक्चरिंग करने वाले शीर्ष के 5 राज्यों में सम्मिलित उत्तर प्रदेश उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। सर्वाधिक युवा आबादी वाला यह प्रदेश देश की 16.7 प्रतिशत जनसंख्या के साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। प्रदेश में कई एग्रो पार्क एवं मेगा फूड पार्कों की स्थापना की जा रही है।
- उद्यमियों की विभिन्न विभागों से सम्बन्धित उनकी समस्या के निराकरण हेतु त्रिस्तरीय उद्योग बन्धु व्यवस्था संचालित है। एमएसएमई क्षेत्र की सुगमता के लिए आवश्यक विभिन्न स्वीकृतियों, अनापत्तियों तथा सहमतियों हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निवेश–मित्र पोर्टल की व्यवस्था की गयी है, जिसमें उद्यमी वेबसाइट निवेशमित्र.यूपी.एनआईसी.इन पर स्वयं आवेदन कर विभिन्न विभागों से संबंधित एन0ओ0सी0 आदि प्राप्त कर सकते हैं।
- प्रदेश में उत्पादित उत्पादों के विपणन की व्यवस्था सुचारू–रूप से करने हेतु केन्द्रीय दर अनुबन्ध की व्यवस्था तथा मात्रा एवं दर अनुबन्ध में क्रय वरीयता नीति लागू की गयी है। भारत सरकार द्वारा संचालित गवर्नमेन्ट ई–मार्केट प्लेस (जेम पोर्टल) को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश को देश में सबसे अधिक सरकारी विभागों द्वारा जैम पोर्टल पर क्रय किये जाने पर भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। अब सरकारी विभागों के लिए जेम पोर्टल पर मौजूद उत्पादों को खरीदना अनिवार्य हो गया है।
- प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018–19 में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण की योजना लागू की गयी है, प्रशिक्षणोंपरान्त स्वयं का उद्यम स्थापित कर रोजगारयुक्त हो सकें अथवा स्थानीय स्तर पर स्थापित/स्थापित होने वाले उद्योगों में सुगमता से रोजगार प्राप्त कर सकें।
- डी0आई0पी0पी0 ईज आफ डूईंग बिजनेस सुधारों में 92.8 प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ।
- निर्यातकों की सुविधा हेतु एक्सपो मार्ट, लखनऊ एवं ग्रेटर नोयडा की स्थापना की गयी है।
- भदोही के कारपेट निर्यात के दृष्टिगत भदोही कारपेट बाजार (एक्पो मार्ट) की स्थापना की गयी है।
- प्रदेश के प्रमुख हस्तशिल्प उत्पादों के ब्रान्ड प्रमोशन हेतु विश्व व्यापार संगठन के प्राविधानों के अनुसार जियोग्राफिकल इन्डीकेटर के अन्तर्गत उत्पादों को चिन्हित कर उन्हें जी0 आई0 पंजीकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

खनिज अन्वेषण

आर्थिक विकास में खनिजों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में उपलब्ध खनिज सम्पदा के यथासम्भव अधिकतम एवं लाभप्रद उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गयी है। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय भूगर्भ में छिपे खनिजों के अन्वेषण एवं मानचित्रण से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन कर खनन स्थलों का चयन एवं खनन कार्यों द्वारा अधिकतम खनिज राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व निभाता है। उत्तर प्रदेश में ज्ञात खनिजों का खनन, विपणन तथा खनिजों पर आधारित इकाइयों की संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

प्रदेश में अब तक किये गये खनिज अन्वेषण के अन्तर्गत प्रदेश में स्वर्ण, लौह अयस्क, ग्लूकोनाईट, पायरोफिलाइट, डायस्पोर व रॉक फास्फेट, पोटाश, सिलिका सैण्ड व चीनी मिट्टी के खनिज भण्डारों की पुष्टि हुई है। खनिज राजस्व एवं उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश के 12 जनपदों को खनिज बाहुल्य जनपदों के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रदेश में मुख्य खनिजों की खोज में निजी कम्पनियों द्वारा भी रूचि ली जा रही है।

प्रदेश में अवैध खनन की निगरानी अब ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार की कार्यदायी संस्थान अपट्रान पावरट्रानिक लि0 द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस युक्त साफ्टवेयर तैयार किया गया है। साफ्टवेयर के माध्यम से सेंट्रल कमांड सेंटर लखनऊ से ही प्रदेशों के सभी खनन क्षेत्रों पर नजर रखी जाएगी। जहां कहीं भी अवैध खनन करने की कोशिश होगी, इसकी सूचना तत्काल खनन मुख्यालय को मिल जाएगी। प्रदेश के सभी खनन क्षेत्रों की जीओ टैगिंग भी कराई गई है।

खनन और उत्खनन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन–

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी सकल मूल्य वर्धन के त्वरित अनुमानों के अनुसार खनन और उत्खनन क्षेत्र का जी0वी0ए0 वर्ष 2018–19 में 2011–12 कीमतों पर 18431.0 करोड़ रूपये तथा चालू कीमतों पर रू0 17757.7 करोड़ था। खनन और उत्खनन क्षेत्र का जीवीए में योगदान चालू कीमतों पर वर्ष 2018–19 के लिए लगभग 1.7 प्रतिशत रहा। प्रदेश में मुख्य खनिजों तथा उपखनिजों के खनन के फलस्वरूप प्रदेश को न केवल भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो रही है, अपितु बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहें हैं।

खनिज उत्पादन के कुल मूल्य में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का योगदान–

खनन मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018–19 के दौरान सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मध्य खनिज उत्पादन (ईंधन और परमाणु खनिजों को छोड़कर) के मूल्य का बड़ा हिस्सा लगभग 90.78 प्रतिशत दस राज्यों तक सीमित था। देश में खनिज उत्पादन के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में ओडिशा अग्रणी स्थिति में रहा।

राष्ट्रीय उत्पादन में इसकी 23.60 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इस क्रम में 17.27 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ अगला स्थान राजस्थान का रहा। तत्पश्चात् आन्ध्र प्रदेश 8.62 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ 8.49 प्रतिशत, कर्नाटक 8.37 प्रतिशत, तेलंगाना 6.73 प्रतिशत, गुजरात 5.20 प्रतिशत एवं उत्तर प्रदेश की 5 प्रतिशत हिस्सेदारी रही।

प्रदेश में खनिज उत्पादन–

प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थों के अन्तर्गत बाक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूने का पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकर (गेरू), फास्फोराइट, पायरोफाइलाइट, सिलिका सैण्ड, गन्धक, स्टीटाइट तथा कोयला आदि की गणना की जाती है, जबकि साधारण बालू, इमारती पत्थर, ईट बनाने की मिट्टी, मौरंग, बजरी, कंकड़ शोरा, संगमरमर तथा लाइमस्टोन की गणना उपखनिज पदार्थों के अन्तर्गत की जाती है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण से सम्बन्धित आंकड़े तालिका 8.05 में दिये जा रहे हैं:–

तालिका–8.05

उत्तर प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थो के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्र0सं0	खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य (लाख रु. में)		गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि	परिमाण ('000) मी.टन.		गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि
		2017–18	2018–19*		2017–18	2018–19*	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्टीटाइट	–	–	–	–	–	–
2	गन्धक	0	0	0	43016	46111	7.19
3	कोयला	–	–	–	16659	18884	13.36
4	चूने का पत्थर	5268	6244	18.53	2139	2388	11.64

*अनन्तिम

उप खनिज पदार्थों की भी अपनी महत्ता है। इन पदार्थों की उपलब्धता भी देश/प्रदेश के आर्थिक स्तर के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उप खनिज पदार्थो में साधारण बालू, इमारती पत्थर, मौरंग, बजरी तथा संगमरमर प्रमुख हैं। इनके उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े तालिका 8.06 में दिये जा रहें हैं–

तालिका–8.06

उत्तर प्रदेश में उप खनिज पदार्थो के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्र.सं0	उप खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य (लाख रू.में)			परिमाण (लाख घनमीटर)		
		2017–18	2018–19*	गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि	2017–18	2018–19*	गत वर्ष की अपेक्षा% वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	साधारण बालू	253689.00	130037.00	–48.74	845.63	451.98	–46.55
2	स्लैब स्टोन	1711.92	16440.60	860.36	1.05	42.33	3931.43
3	गिट्टी	189911.25	298759.75	57.32	272.01	33.34	–87.74
4	ग्रेनाइट	108421.42	10544.05	–90.27	52.50	10.71	–79.60
5	ईटों की सं0 (लाख में)	125858.25	91296.95	–27.46	466142	337712	–27.55
6	मौरंग	438990.00	621636.00	41.61	58.53	828.85	1327.75
7	बजरी	–	10215.25	–	–	17.46	–

*अनन्तिम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017–18 की अपेक्षा वर्ष 2018–19 में साधारण बालू , ग्रेनाइट तथा ईट की संख्या को छोड़कर शेष उप खनिज पदार्थो के उत्पादन के मूल्य में वृद्धि परिलक्षित हुई है। सर्वाधिक वृद्धि (860.60 प्रतिशत) स्लैब स्टोन के मूल्य में हुई है। इसी प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2018–19 में स्लैब स्टोन एवं मौरंग को छोड़कर शेष खनिज पदार्थो के उत्पादन में कमी हुई है।

****

अध्याय–9
सेवा क्षेत्र

मुख्य बिन्दु–

- प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12 में 45.5 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2018–19 में 47.2 प्रतिशत हो गया है।
- प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र के अर्न्तगत वर्ष 2018–19 में 7.6% की वृद्धि हुई है।
- स्थायी भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन के व्यापार, होटल एवं जलपान गृह खण्ड में वर्ष 2017–18 व वर्ष 2018–19 में क्रमशः 6.4 व 4.2 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है।
- प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में वित्तीय सेवाएं खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 3.7 प्रतिशत रहा जो वर्ष 2018–19 में 3.3 प्रतिशत हो गया है।
- प्रदेश में मार्च, 2018 में सेवा क्षेत्र में 12.59 लाख कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत थे।

अर्थव्यवस्था के तीन खण्डों प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र के अन्तर्गत तृतीयक खण्ड का जी0एस0डी0पी0 में सबसे बड़ा योगदान है। सेवा क्षेत्र जिसको त्रतीयक क्षेत्र भी कहते हैं, वह तीन परम्परागत आर्थिक क्षेत्रों में तीसरा है। इस सेक्टर का अंश 47.2 है। सेवा क्षेत्र वस्तु/सामग्री निर्माण के स्थान पर सेवाएं प्रदान करता है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन संग्रहण तथा संचार, व्यापार होटल एवं जलपान गृह, बैंक व्यापार तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन एवं अन्य सेवाए खण्ड सम्मिलित है। सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक क्रियाकलाप आते हैं जिनकी कई विशेषताएं तथा आयाम हैं। कुछ सेवाएं उच्च प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता की हैं तो कुछ सामान्य सेवाएं यथा बाल कटिंग तथा वस्त्र धुलाई आदि भी हैं। इसी प्रकार से कुछ सेवाएं संगठित तथा कुछ असंगठित हैं। इस कारण इस क्षेत्र के योगदान को आंकने हेतु प्रदेश स्तर पर आंकड़ों की उपलब्धता मुख्य चुनौती है।

सेवा खण्ड का निष्पादन

आधार वर्ष 2011–12 पर जारी प्रदेश के वर्ष 2018–19 के त्वरित अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र जो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के वर्गीकरण में तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, का प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में स्थायी भावों पर लगभग 47.3 प्रतिशत का अंशदान है जबकि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 23.0 प्रतिशत तथा 29.6 प्रतिशत है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र का महत्व स्वयं सिद्ध है। वर्ष 2017–18 व वर्ष 2018–19 में इस क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 8.3 प्रतिशत तथा 7.6 प्रतिशत रही है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12 में 45.5 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2018–19 में 47.2 प्रतिशत हो गया है।

तालिका–9.01

प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर तथा प्रतिशत वितरण

(स्थायी भावों पर)

मद	वर्ष					
	2011–12	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18*	2018–19#
1	2	3	4	5	6	7
वृद्धि दर	–	9.2	7.6	4.2	8.3	7.6
प्रतिशत वितरण	45.5	49.6	49.0	45.9	46.3	47.3

*अनन्तिम अनुमान # त्वरित अनुमान

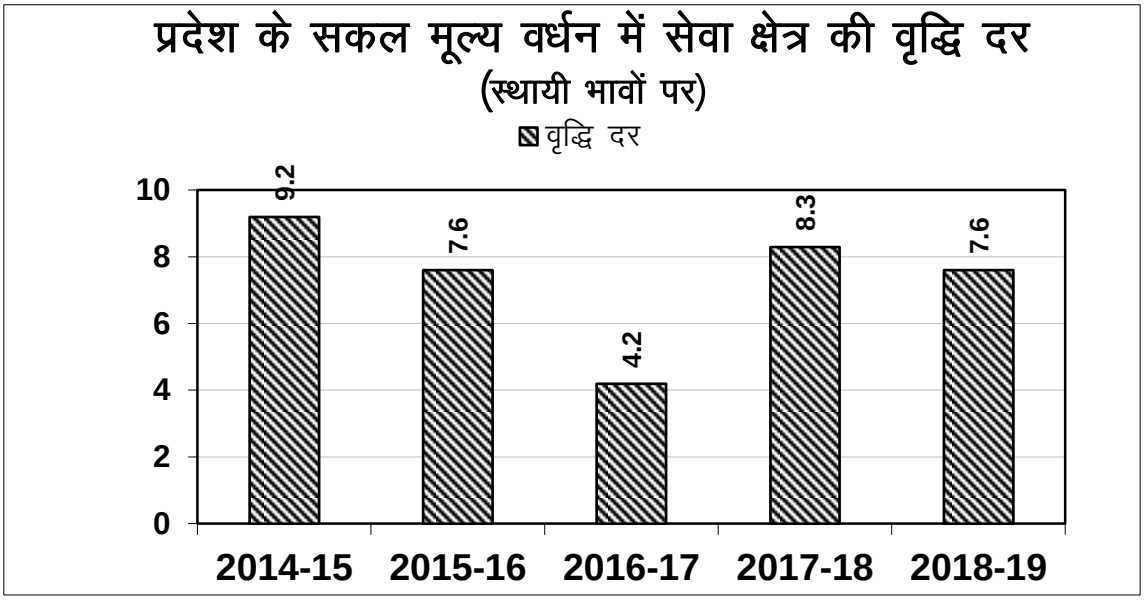

उप–खण्डवार सेवा क्षेत्र का विश्लेषण

(1) परिवहन, संग्रहण तथा संचार

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के वर्गीकरण के अनुसार परिवहन, संग्रहण तथा संचार के अन्तर्गत अधिसंरचनात्मक क्षेत्र यथा रेलवे, वायुयान परिवहन तथा वित्तीय सेवाएं आदि भण्डारण, सूचना एवं संचार संबन्धी सेवाएं, रेलवे के अतिरिक्त अन्य परिवहन सेवाएं शामिल की जाती हैं। इस खण्ड में वर्ष 2018–19 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में सकल मूल्य वर्धन रू० 40475 करोड़ था जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर रू० 88116 करोड़ हो गया है। वर्ष 2017–18 व वर्ष 2018–19 में इस खण्ड में क्रमशः 7.9 तथा 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रचलित भावों पर राज्य के सकल मूल्य वर्धन में इस खण्ड का योगदान वर्ष 2011–12 में 5.9 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2018–19 में 7.3 प्रतिशत हो गया है।

भण्डारण का वर्ष 2018–19 में सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर रू० 1337.40 करोड़, सूचना एवं संचार संबन्धी सेवाओं का मूल्य वर्धन रू० 20701 करोड़ था जो विगत वर्ष 2017–18 से क्रमशः 1.6 प्रतिशत तथा 8.4 प्रतिशत अधिक है। उल्लेखनीय है कि प्रसारण सम्बन्धी सेवाओं को नई श्रृंखला में शामिल किया गया है। प्रदेश में यह क्षेत्र एक विकास की प्रेरक शक्ति के रूप में सामने आया है।

तालिका–9.02

परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का सकल मूल्य वर्धन

(करोड़ रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	40474.68	40474.68	–
2013–14	61010.10	52325.24	12.8
2014–15	72438.56	63878.80	22.1
2015–16	81823.96	71703.02	12.2
2016–17	87281.37	73769.54	2.9
2017–18	93787.47	79619.18	7.9
2018–19	107192.01	88115.82	10.7

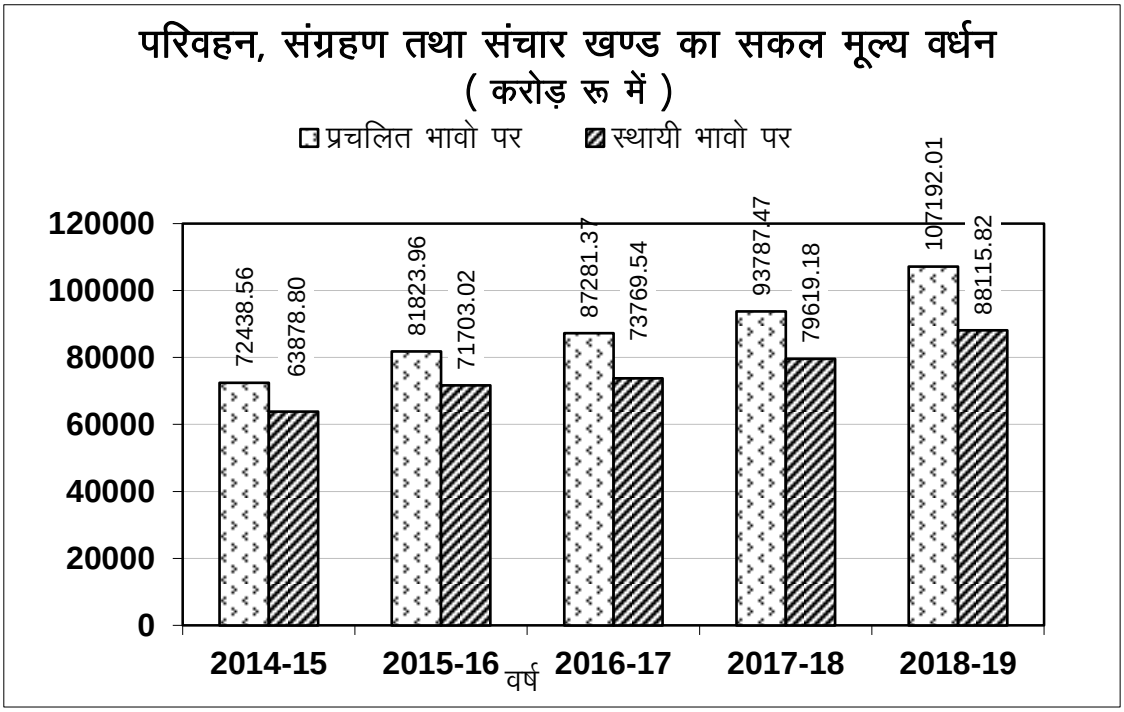

(2) व्यापार होटल एवं जलपान गृह

इस खण्ड में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह के साथ पर्यटन उद्योग भी शामिल है। वर्ष 2018–19 के त्वरित अनुमानों के अनुसार इस खण्ड का सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 मे रू० 69466 करोड़ था जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर रू० 105697 करोड़ हो गया है। वर्ष 2017–18 व वर्ष 2018–19 में इस खण्ड में क्रमशः 6.4 व 4.2 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 10.2 प्रतिशत था, जो घटकर वर्ष 2018–19 में 9.5 प्रतिशत रह गया है।

प्रदेश अपने पर्यटन क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का प्रयोग कर इस खण्ड की वृद्धि दर तथा योगदान को बढ़ा सकता है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा दर्शाये गये आंकड़ों के आधार पर भारत वर्ष में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में उत्तर प्रदेश को तृतीय स्थान तथा भारतीय पर्यटकों में द्वितीय स्थान दर्शाया गया है। प्रदेश में अनुमानतः वर्ष 2019 में कुल 3177.46 लाख पर्यटक आये जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 3135.88 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 41.58 लाख रही। पर्यटन उद्योग का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर अग्रगामी तथा पश्चगामी प्रभाव होता है तथा यह क्षेत्र विकास के उत्प्रेरक के रुप में कार्य कर सकता है। प्रदेश में पर्यटन में विकास एवं रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन क्षेत्र की महत्ता के दृष्टिगत प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने, निजी उद्यमियों को निवेश की सुगमता हेतु एवं पर्यटन उद्योग को नई ऊँचाईयों तक पहुंचाने हेतु ''**उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2018**'' लागू की गयी है।

तालिका–9.03

व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का सकल मूल्य वर्धन

(करोड़ रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	69465.88	69465.88	–
2013–14	86690.15	76796.66	10.1
2014–15	93256.22	81625.72	6.3
2015–16	105070.09	89447.99	9.6

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2016–17	115902.55	95364.78	6.6
2017–18	130597.85	101480.59	6.4
2018–19	140670.16	105697.24	4.2

(3) वित्तीय सेवाएं

इस खण्ड के अन्तर्गत समस्त वित्तीय सेवाएं सम्मिलित हैं। इस खण्ड में वर्ष 2018–19 के त्वरित अनुमानों के साथ सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में रू० 25182 करोड़ था जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर रू० 34424 करोड़ हो गया है। इस खण्ड में वर्ष 2017–18 में 8.2 प्रतिशत तथा वर्ष 2018–19 में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 3.7 प्रतिशत रहा जो वर्ष 2018–19 में 3.3 प्रतिशत हो गया है। उल्लेखनीय है कि इस खण्ड के अनुमान हेतु प्रदेश स्तर पर आंकड़ों की उपलब्धता नहीं है, ये आंकड़े केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त होते हैं जो रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

तालिका–9.04

वित्तीय सेवायें खण्ड का सकल मूल्य वर्धन

(करोड़ रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	25181.98	25181.98	–
2013–14	31396.89	30274.42	9.1
2014–15	35209.22	33662.47	11.2
2015–16	39376.60	36534.12	8.5
2016–17	39487.80	30630.48	(–)16.2
2017–18	44324.85	33155.07	8.2
2018–19	48358.41	34423.70	3.8

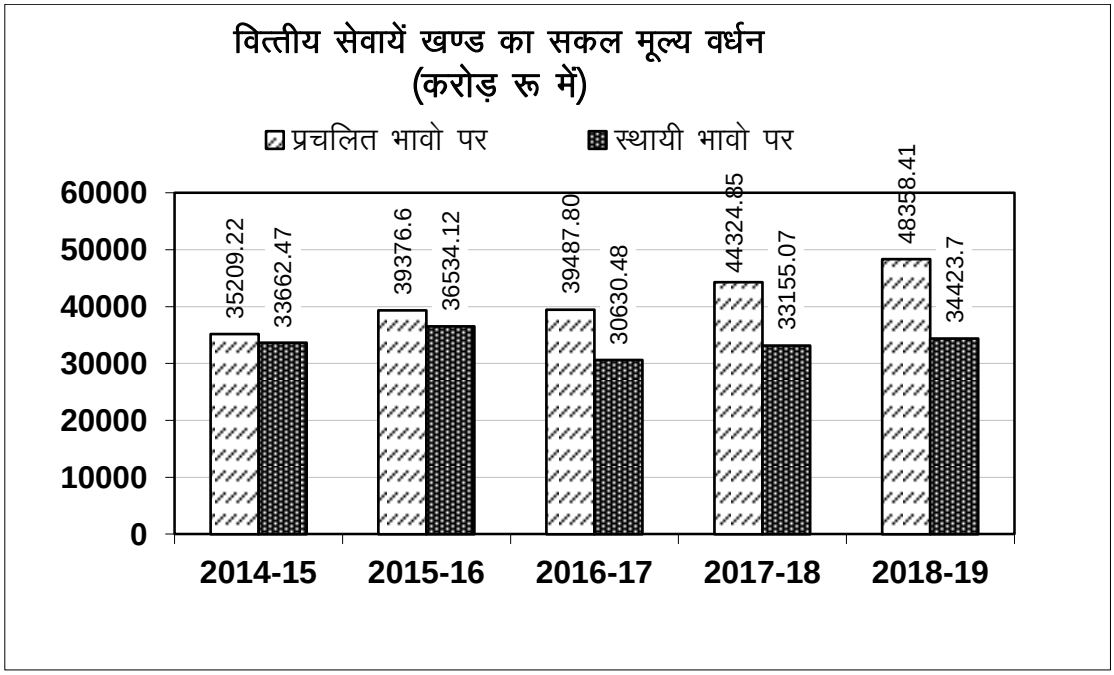

(4) स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं

इस खण्ड के अन्तर्गत स्थावर संपदा, कम्प्यूटर तथा सूचना सम्बन्धी सेवाएं, व्यवसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां, शोध एवं विकास गतिविधि सहित, प्रशासनिक तथा सहायक सेवाओं सम्बन्धी गतिविधियां, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इस खण्ड में वर्ष 2018–19 के त्वरित अनुमानों के अनुसार सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में रू० 97454 करोड़ था जो बढ़कर वर्ष 2018–19 में रू० 144007 करोड़ हो गया है। इस खण्ड में वर्ष 2017–18 व वर्ष 2018–19 में क्रमशः 6.5 प्रतिशत व 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 14.3 प्रतिशत था जो वर्ष 2018–19 में 14.5 प्रतिशत रहा है। सेवा खण्ड के अन्तर्गत इस उपखण्ड का योगदान सर्वाधिक है।

तालिका–9.05

स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें खण्ड का सकल मूल्य वर्धन

(करोड़ रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	97454.17	97454.17	–
2013–14	130184.73	109552.19	4.8
2014–15	145156.38	116096.88	6.0
2015–16	157674.96	121739.11	4.9
2016–17	173476.68	128181.13	5.3
2017–18	192206.55	136533.80	6.5
2018–19	214056.63	144007.37	5.5

(5) सार्वजनिक प्रशासन

सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं के अन्तर्गत प्रदेश सरकार, प्रदेश की समस्त ग्रामीण तथा नगरीय स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्थाएं तथा छावनी परिषद को सम्मिलित किया जाता है। इस खण्ड में वर्ष 2018–19 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर रू० 42348 करोड़ था जो कि वर्ष 2018–19 में बढ़कर रू० 75984 करोड़ हो गया है। वर्ष 2017–18 व वर्ष 2018–19 में इस खण्ड में क्रमशः 15.8 प्रतिशत तथा 13.0 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। वर्ष 2018–19 में प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में इस खण्ड का योगदान 6.9 प्रतिशत रहा है।

तालिका–9.06

सार्वजनिक प्रशासन खण्ड का सकल मूल्य वर्धन

(करोड़ रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	42348.30	42348.30	–
2013–14	54834.64	48467.72	2.6
2014–15	59737.24	50806.04	4.8
2015–16	63177.00	52421.76	3.2
2016–17	72494.04	58068.93	10.8
2017–18	87089.73	67215.15	15.8
2018–19	101205.00	75983.55	13.0

(6) अन्य सेवाएं

इस खण्ड के अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के साथ ही मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक, खेल–कूद गतिविधियां, संघों की सदस्यता सम्बन्धी गतिविधियां, व्यक्तिगत सेवाएं यथा वस्त्र उत्पाद की साफ–सफाई, बालों की कटिंग तथा अन्य ब्यूटी सैलून, दर्जी आदि की सेवाएं भी सम्मिलित है। इस प्रकार इस खण्ड में ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं, जिनकी कई विशेषताएं और आयाम हैं। इस खण्ड में वर्ष 2018–19 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर रू० 35401 करोड़ था जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर रू० 58388 करोड़ हो गया है। वर्ष 2017–18 व वर्ष 2018–19 में इस खण्ड में क्रमशः 8.3 प्रतिशत तथा 10.9 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुयी है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान 5.2 प्रतिशत था जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर 5.7 प्रतिशत हो गया है।

तालिका–9.07

अन्य सेवाएं खण्ड का सकल मूल्य वर्धन

(करोड़ रू० में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	35401.15	35401.15	–
2013–14	43180.07	37429.02	4.9
2014–15	50350.71	41349.88	10.5
2015–16	57526.31	45092.82	9.1
2016–17	65351.70	48605.18	7.8
2017–18	73936.82	52650.07	8.3
2018–19	84763.83	58387.68	10.9

सेवा क्षेत्र एवं रोज़गार

प्रदेश में सेवा क्षेत्र प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार मार्च, 2018 में सेवा क्षेत्र में 12.59 लाख कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत रहे।

तालिका–9.08

प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
"एच"	परिवहन एवं भण्डारण	229074
"आई"	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	345
"जे"	सूचना एवं संचार	21367
"के"	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	103183

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
"एल"	रियल स्टेट क्रियायें	0
"एम"	व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	20272
"एन"	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	450
"ओ"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	542691
"पी"	शिक्षा	235563
"क्यू"	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	100081
"आर"	कला, मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें	2171
"एस"	अन्य सेवा कार्य	3388
योग		**1258585**

****

अध्याय–10

अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार

मुख्य बिन्दु–

- उत्तर प्रदेश में 31 मार्च, 2018 तक राष्ट्रीय मार्गों की कुल लम्बाई 10981 कि0मी0 थी जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर 11384 कि0मी0 हो गयी।
- उत्तर प्रदेश में गत वर्ष 2017–18 की अपेक्षा वर्ष 2018–19 में सड़क पर चल रही कुल मोटर गाड़ियों की संख्या में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 में सड़कों एवं सेतुओं हेतु गत वर्ष की अपेक्षा 12.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 19.8 हजार करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद में ''विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति'' खण्ड का योगदान वर्ष 2017–18 में स्थायी (2011–12) भावों पर 1.6 प्रतिशत रहा जो वर्ष 2018–19 में 1.5 प्रतिशत हो गया है।
- वर्ष 2018–19 में उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन हेतु कुल अधिष्ठापित क्षमता 5999 मेगावाट रही।
- वर्ष 2018–19 में उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन 306269 लाख़ कि. वाट घंटा तथा विद्युत उपभोग 879455 लाख कि. वाट घंटा रहा ।
- उत्तर प्रदेश में एल.टी.मेन्स द्वारा विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या वर्ष 2018–19 में 97814 थी।
- उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 2018–19 में 25979 लाख थी।
- उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018–19 में कुल डाकघरों की संख्या 17672 थी जिनमें 1927 डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15745 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत् थे।

अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत परिवहन, संचार, ऊर्जा, पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधाओं का विकास शामिल है। इन सुविधाओं की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था के बिना समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। अवस्थापना सुविधाओं पर किया जा रहा निवेश, कृषि, उद्योग तथा व्यापार के विकास हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है।

परिवहन एवं संचार–

राज्य में परिवहन एवं संचार व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाने की दृष्टि से प्रदेश में सड़क मार्गों, रेल मार्गों, वायु मार्गों, जल मार्गों एवं मेट्रो रेल के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है। परिवहन एवं व्यापार सम्बंधी क्रिया–कलापों का विकास एवं विस्तार सड़कों के विकास पर भी निर्भर करता है। कृषि एवं औद्योगिक विकास में सड़क एवं संचार जैसी अवस्थापनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कच्चे मालों की आपूर्ति तथा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिये सड़क एवं परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

प्रदेश में रोड नेटवर्क–

सड़क नेटवर्क अर्थव्यवस्था के निरन्तर और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक है। यह देश भर में यात्री की आवाजाही और माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करता है। परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सड़क परिवहन अपनी लास्टमाईल कनेक्टीविटी की भूमिका की वजह से महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत मार्गों की कुल लम्बाई सम्बन्धी आंकड़ें तालिका–10.01 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–10.01

रोड नेटवर्क की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	मार्ग का वर्गीकरण	31.3. 2014 तक	31.3.2015 तक	31.3. 2016 तक	31.3.2017 तक	31.3.2018 तक	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राष्ट्रीय मार्ग (कि0मी0)	7550	7572	7572	8328	10981	11384
2	राज्य मार्ग (कि0मी0)	7543	7597	7147	7202	6810	6859
3	प्रमुख जिला मार्ग (कि0मी0)	7338	7338	7637	7486	7277	7388
4	अन्य जिला मार्ग (कि0मी0)	42434	43512	46006	47576	49037	49138
5	ग्रामीण मार्ग (कि0मी0)	141593	149193	163035	169051	168694	175437
	योग–	**206458**	**215212**	**231397**	**239643**	**242799**	**250206**

स्रोतः– लोक निर्माण विभाग, उ.प्र.।

प्रदेश में विश्वस्तरीय गुणवत्ता युक्त अनेक हाईवे एवं एक्सप्रेस वे विकसित किये जा रहे हैं।

डिफेंस कॉरिडोर–

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बहुप्रतीक्षित परियोजना डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की लागत 454.89 करोड़ रूपये है। इससे लाखों रोजगार सृजित होंगे और रक्षा उत्पादों का निर्माण होगा। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई नीति में दी गई रियायत के बाद डिफेंस कॉरिडोर में 50 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा। मेड इन इंडिया के तहत अत्याधुनिक तकनीक के रक्षा उत्पाद भी देश में बनने शुरू होंगें। सरकार का दावा है कि रक्षा उत्पादों के आयात में खर्च होने वाली 3.60 बिलियन डॉलर की बचत होगी। डिफेंस कारिडोर से पांच वर्ष में 2.50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

गंगा एक्सप्रेस वे–

सरकार ने हाल ही में यूपी के पश्चिमी भाग (मेरठ) को पूर्वी भाग (प्रयागराज) से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस–वे के निर्माण के नये प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। करीब छह सौ किमी लम्बा यह एक्सप्रेस वे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक बनेगा। यह संभवतः दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा।

गंगा के किनारे ऐसा एक्सप्रेस वे बनेगा जो न केवल पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल से जोड़ेगा, बल्कि रोजगार, उद्योग व पर्यटन में भी सहायक होगा। यह एक्सप्रेस वे मेरठ, अमरोहा, बुलन्दशहर, बदायूँ, शाहजहांपुर, फर्रूखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज पर समाप्त होगा। इसके लिए 6556 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की जायेगी। इस परियोजना में 8 आरओबी (ओवर ब्रिज) और 18 फ्लाई–ओवर्स बनेंगें। इस पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण पर लगभग 36 हजार करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है। इस हेतु वर्ष 2019–20 के बजट में जरूरी धन का प्रबंध किया जा रहा है।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे–

बेहतर कनेक्टीविटी की सुविधा 21वीं सदी में विकास की पहली शर्त है। इसीलिए गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे से जोड़ने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे के निर्माण का निर्णय सरकार ने लिया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे को मंजूरी भी मिल गई है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे 91.352 किमी लंबा होगा और 988 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। इस परियोजना की लागत 5,555.16 करोड़ रूपये हैं।

फोर लेन का यह लिंक एक्सप्रेस वे गोरखपुर से शुरू होकर आजमगढ़ तक बनेगा। आजमगढ़ के जरिए यह एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा। इसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे व यमुना एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएगा। एक्सप्रेस–वे न केवल प्रदेश के अवध और पूर्वांचल क्षेत्रों को जोड़ेगा, बल्कि इसके निर्माण से पूर्वी क्षेत्र प्रदेश की राजधानी के साथ आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे तथा यमुना एक्सप्रेस–वे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से भी जुड़ जाएगा। इस तरह गोरखपुर से दिल्ली तक चार एक्सप्रेस वे के जरिए कम वक्त में पहुॅचा जा सकेगा और लगभग दस हजार रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे की कार्ययोजना

कुल लागत	रू0 5555.16 करोड़।
भूमि क्रय खर्च	रू0 1563.90 करोड़।
सिविल कार्य की लागत	रू0 3253.46 करोड़।

निर्माण लागत– 70% (रू0 2275 करोड) ऋण बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से तथा 30 प्रतिशत शासकीय बजट से मिलेगा। दोनो ही स्तर से पैसे की व्यवस्था आगामी तीन वर्षो में क्रमश 20, 50 व 30 प्रतिशत के अनुपात में होगी।

यूटिलिटी शिफ्टिंग क्वालिटी कंट्रोल व रोड सेफ्टी ऑडिट, सुपरविजन व एजेंसी चार्ज, एक्केलेशन चार्ज–रू0 501 करोड़ (आगामी तीन वर्षो में शासकीय बजट से)

प्रदेश सरकार के बजट से हिस्सेदारी	रू0 2495 करोड़
बैक ऋण	रू0 2275 करोड़

नोट– एक्सप्रेस वे बनने के बाद 5 वर्षो की मैंटीनेंस की राशि अलग से होगी।

पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे–

प्रदेश में 341 किमी लम्बे पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण तीन साल (2021 तक) से कम वक्त में पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य है। एक्सप्रेस वे 340.824 किमी लम्बा 6–लेन चौड़ा (एक्सपेन्डेवल टू 8 लेन प्रवेश नियंत्रित पूर्वाचल एक्सप्रेस–वे) होगा। एक्सप्रेस–वे लखनऊ–सुल्तानुपुर रोड (एन0एच–56) के ग्राम चॉद सराय से गाजीपुर में यूपी बिहार सीमा से 18 किमी पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर हैदरिया ग्राम पर समाप्त होगा। एक्सप्रेस वे पर यातायात संचालन, नियंत्रण व निगरानी के लिए आटोमैटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा।

परियोजना की सम्पूर्ण लागत 23349 करोड़ रूपए तथा अनुमानित निर्माण लागत 11,836.02 करोड़ रूपए है। इसके सापेक्ष कुल 11,216.10 करोड़ रूपए की न्यूनतम बिड्स प्राप्त हुई जो अनुमानित लागत से लगभग 5.24 प्रतिशत कम है। बजट में 1194 करोड़ रूपये पूर्वाचल एक्सप्रेस वे हेतु दिये गये।

परियोजना हेतु लगभग 93 प्रतिशत भूमि का क्रय कर एवं कब्जा प्राप्त कर आठ पैकेजों में निर्माण होगा। परियोजनान्तर्गत 7 रेलवे ओवर ब्रिज, 7 दीर्घ सेतु, 110 लघु सेतु, 11 इन्टरचेन्ज, 2 टोल प्लाजा, 5 रैम्प प्लाजा, 20 टोल बूथ, 220 अन्डरपास तथा 492 पुलियों का निर्माण होगा। आपात कालीन स्थिति में लड़ाकू विमानों की लैण्डिंग/टेक ऑफ के लिए सुल्तानपुर में 32 किमी लम्बी हवाई पट्टी का भी निर्माण होगा। परियोजना के आस–पास के गांवों की जनता को सुगम आवागमन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सर्विस लेन बनेगी।

बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे– बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे चित्रकूट में भरतपुर के निकट, झांसी, मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया होते हुए इटावा में आगरा–लखनऊ एकसप्रेस–वे पर समाप्त होगा। इसकी दूरी 296.264 किमी और प्रभावित क्षेत्रफल 3641.63 हेक्टेयर अनुमानित है। इसके निर्माण में 14716.26 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे की कार्य योजना

कुल लागत रू0 14716.26 करोड़।

भूमि क्रय खर्च रू0 2415 करोड़।

2018–19 में रू0 640 करोड़ शासन से स्वीकृत।

हुडकों से ऋण रू0 1775 करोड़

सिविल कार्य की लागत रू0 9959.32 करोड़।

निर्माण लागत 70% (रू0 7000 करोड) ऋण बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से।

ऋण तीन वर्षो में क्रमशः 20, 50 व 30 प्रतिशत के अनुपात में होगी।

यूटिलिटी शिफ्टिंग क्वालिटी कंट्रोल व रोड सेफ्टी ऑडिट, सुपरविजन व एजेंसी चार्ज, एक्केलेशन चार्ज रू0 1644.79 करोड़ (आगामी तीन वर्षो में शासकीय बजट से)।

प्रदेश सरकार के बजट से हिस्सेदारी – रू0 4604.11 करोड़

बैक ऋण रू0 8775 करोड

प्रदेश में अवस्थापना विकास हेतु 2019–20 में सरकार के बजटीय प्राविधान–

- नाबार्ड वित्त पोषित ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों के नव निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण और सेतुओं के निर्माण हेतु 202 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट प्राविधान

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0 सं0	मद का नाम	वर्ष 2019–20 हेतु बजट प्राविधान अनुपूरक/पुनर्विनियोग सहित
1	2	3
योग आयोजनागत मद–		**15337.45**
(क)	ग्रामीण मार्गो का निर्माण/पुर्ननिर्माण	1796.80
(ख)	मार्गो का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण	8823.98
(ग)	इन्डो नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग परियोजना	193.18
(घ)	शहरों के बाईपास/फ्लाईओवर/रिंग रोड	250.00

क्र0 सं0	मद का नाम	वर्ष 2019–20 हेतु बजट प्राविधान अनुपूरक/पुनर्विनियोग सहित
1	2	3
(च)	सेतुओं का निर्माण	1689.91
(छ)	पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड विकास निधि	500.00
(ज)	लखनऊ आऊटर रिंग रोड/विविध मद	1457.20
(झ)	अन्य मद	626.38
योग आयोजनेत्तर मद–		**4690.63**
1	सड़कों, सेतुओं एवं भवनों का अनुरक्षण	4690.63
	योग आयोजनागत + आयोजनेत्तर	**20028.08**

सड़क निर्माण को अवस्थापना घटक मानते हुए प्रदेश में विभिन्न सड़क निर्माण/मरम्मत सम्बन्धी योजनायें संचालित की जा रही हैं, जिसका विवरण निम्नवत है–

1. तहसील मुख्यालय एवं विकास खण्ड को दो लेन मार्ग से जोड़ना–

(अ) उ0प्र0 में कुल 316 तहसील मुख्यालय हैं, जिनमें से 26 तहसील मुख्यालय दो लेन मार्ग से जुड़े नहीं थे। इन 26 तहसील मुख्यालयों को दो लेन मार्ग से जोड़ने हेतु रू0 387 करोड़ की लागत से रू0 269.66 किमी0 मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृतियां निर्गत की गई हैं। वर्ष 2019–20 में अगस्त, 2019 तक 7 तहसील मुख्यालय दो लेन मार्ग से जोड़े जा चुके हैं।

(ब) वर्तमान में प्रदेश के कुल 825 विकास खण्डों में से 149 विकास खण्ड दो लेन मार्ग से जुड़े हुए नहीं है, जिन्हें दो लेन मार्ग से जोड़ने के लिये 1216.40 किमी0 लम्बाई में चौड़ीकरण एंव सुदृढ़ीकरण हेतु, कुल रू0 2158.95 करोड़ की आवश्यकता है। 81 विकास खण्ड मुख्यालयों को दो लेन मार्ग से जोड़ने की स्वीकृतियां रू0 1137.00 करोड़ की लागत से लम्बाई 669.38 किमी0 हेतु निर्गत की जा चुकी है तथा शेष विकास खण्ड मुख्यालयों हेतु स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में निर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

2. अनुसूचित जाति सब प्लान/ट्राईबल सब प्लान–

अनुसूचित जाति सब प्लान/ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत ऐसी बसावटों जिनकी आबादी 250 अथवा उससे अधिक है एवं जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है, को पक्के सम्पर्क मार्गों से विभिन्न प्रचलित योजनाओं के अन्तर्गत जोड़ा जा रहा है। वर्ष 2018–19 में चालू कार्यो एवं नये कार्यो हेतु रू0 270.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया एवं बसावटों के सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुर्ननिर्माण किया गया है। वर्ष 2019–20 में चालू एवं नये कार्यो हेतु रू0 234 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

3. बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की वर्तमान स्थिति–

	1000+	500-999	250-499	<250	योग
कुल बसावटों की संख्या	41170	49319	55301	69307	215097
पूर्व से जुड़ी हुई बसावटों की संख्या	28232	20440	15060	13401	77133

	1000+	500-999	250-499	<250	योग
अनजुड़ी बसावटों की संख्या	12938	28879	40241	55906	137964
पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत जोड़ी गई बसावटों की संख्या	6815	4700	709	478	12702
अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जोड़ी गई बसावटों की संख्या	6123	24179	31420	30225	91947
अवशेष अनजुड़ी बसावटों की संख्या	0	0	8821	25203	34024

सबका साथ सबका विकास ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों का नव निर्माण कार्य–

1. 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी के अन्य जुड़े समस्त 1557 राजस्व ग्रामों/ बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु 1762 किमी0 लम्बाई के लिये रू0 1114.00 करोड़ वर्ष 2018–19 तक स्वीकृत किये गये एवं वर्ष 2019–20 में पूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

2. 7 मी0 या उससे अधिक चौड़ी सड़कों के दोनों ओर 5 किमी0 की परिधि के 250 से अधिक आबादी की समस्त बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य है जिसके सापेक्ष 2282 बसावटों हेतु रू0 1393.00 करोड़ की बनाई गई कार्ययोजना के सापेक्ष 2185 बसावटों हेतु रू0 1351.00 करोड़ की स्वीकृतियां वर्ष 2018–19 में निर्गत कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्ष 2019–20 में शेष बसावटों पर कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

3. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी के अवशेष कुल 1891 राजस्व ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की कार्ययोजना तैयार की गयी, जिन्हें सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु 1889 किमी0 लम्बाई में निर्माण कार्य किया जाना है। इस हेतु लगभग रू0 1315.00 करोड़ की लागत आंकलित है। 263 राजस्व ग्रामों हेतु लगभग रू0 172.00 करोड़ की स्वीकृतियां वित्तीय वर्ष 2018–19 में निर्गत कर कार्य प्रारम्भ किया गया है।

वर्ष 2019–20 में 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी के अनजुड़े बसावटों/मजरों में शेष राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए लगभग 9777 अनजुड़ी बसावटों/मजरों की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। समस्त ग्रामों को जोड़ने हेतु लगभग लम्बाई 8866 किमी0 एवं लगभग लागत रू0 5328 करोड़ की आंकलित की गई है। इन ग्रामों को दो चरणों में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण के कार्यो को वर्ष 2019–20 में प्रारम्भ कर दिया हैं जिसके अंतर्गत 64 कार्यो (लम्बाई 110.8 किमी0, लागत 67 करोड़) की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण के कार्य हेतु बजट व्यवस्था 2019–20 में उपलब्ध है।

4. मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में प्रथम चरण में चयनित 783 राजस्व ग्रामों एवं द्वितीय चरण में चयनित 355 राजस्व ग्रामो में 32 असंतृप्त राजस्व ग्रामों तथा 500 से अधिक आबादी 156 असंतृप्त मजरों की लागत रू0 117 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत कर कार्य किये जा रहे है। वर्ष 2019–20 में चालू कार्यो हेतु बजट व्यवस्था उपलब्ध है एवं पूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने का लक्ष्य है।

वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में लगभग 7948 किमी0 लम्बाई में ग्रामीण मार्गो का निर्माण किया जा चुका है जिसमें से लगभग 933 किमी0 लम्बाई का कार्य अगस्त, 2019 तक वर्ष 2019–20 में पूर्ण किया गया है।

5. विभिन्न बोर्डस में मेधावी छात्रों के ग्रामों में मार्गों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु योजना–

वर्ष 2018–19 में प्रदेश में पहली बार मेधावी छात्रों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने हेतु हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट छात्रों के निवास स्थल के मार्गों का निर्माण/मरम्मत कर डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम गौरव पथ के रूप में विकसित किये जाने की योजना लागू की गई। वर्ष 2017 में 24 एवं वर्ष 2018 में 89 मेधावी छात्रों के निवास स्थलों तक मार्ग निर्माण/मरम्मत का कार्य क्रमशः रू0 7.46 करोड़ एवं रू0 23.17 करोड़ की धनराशि से पूर्ण किया जा चुका है।

वर्ष 2019–20 में कक्षा 10 वीं एवं 12वी के लिये विभिन्न शिक्षा परिषदों/बोर्डस के अन्तर्गत टॉप–10 टापर्स के ग्रामों का निर्माण/मरम्मत का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। तद्नुसार कुल 159 छात्र/छात्राओं के ग्रामों के अंतर्गत लगभग 57 किमी0 लम्बाई के मार्गों का नवनिर्माण/मरम्मत इत्यादि हेतु लगभग लागत रू0 20 करोड़ आंकलित की गई है।

6. प्लास्टिक मार्ग के निर्माण हेतु पायलट प्रोजेक्ट–

वर्ष 2018–19 में जनपद बाराबंकी में कोठी औशानेश्वर हैदरगढ़ में रू0 483.29 लाख की लागत से 3.4 किमी0 लम्बे मार्ग का निर्माण प्लास्टिक वेस्ट द्वारा कराया गया है। प्लास्टिक वेस्ट के सड़क निर्माण में प्रयोग से लगभग रू 3.25 लाख प्रति किमी0 की बचत आती है। प्लास्टिक वेस्ट पर आधारित तकनीक द्वारा सड़क निर्माण का उद्देश्य निम्नलिखित है–

1. **प्लास्टिक वेस्ट की अत्याधिक मात्रा का सदुपयोग करना।**
2. **पर्यावरण संरक्षण।**
3. **भूमि की उत्पादन क्षमता को डिग्रीडेशन के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना।**
4. **सड़क निर्माण की लागत को कम करना।**

वर्ष 2019–20 में भी प्लास्टिक वेस्ट पर आधारित तकनीक द्वारा सड़क निर्माण हेतु विचार किया जा रहा है।

7. प्रत्येक मण्डल में एक मार्ग को ''हर्बलमार्ग'' के रूप में विकसित करने की योजना–

वर्ष 2018–19 में प्रदेश के सभी मण्डलों में एक–एक मार्ग को हर्बल मार्ग के रूप में विकसित करने हेतु चयनित किया गया है। हर्बल मार्ग हेतु चयनित मार्गों के किनारे मासपर्णी, सप्तपर्णी, जत्रोफा (रतनजोत), जल नीम, छोटीनीम, सहजन, मेंथा, लेमनग्रास, भृंगराज, आंवला, ब्राह्मी, तुलसी, अनन्तमूल, ग्वारापाठा, अश्वगंधा, हल्दी आदि पौधो को लगाया गया है। इन मार्गों के किनारे नवग्रह/नक्षत्रों के नाम से नवग्रह वाटिका विकसित की जा रही है। इसका शुभारम्भ लखनऊ मण्डल के जनपद लखनऊ में चंद्रिका देवी मार्ग से बी0के0टी0 मार्ग पर 15 अगस्त, 2018 को माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा हर्बल वृक्ष/पौधा लगााकर किया गया है।

वर्ष 2019–20 में प्रदेश के समस्त जनपदों में एक–एक मार्ग को हर्बल मार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि प्रदेश की जनता को हर्बल वृक्षों/पोधौं से मिलने वाली औषधि अपने स्वास्थ्य लाभ हेतु प्राप्त हो सके।

8. ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ना–

प्रदेश सरकार की सम्पर्क मार्गो से असंतृप्त समस्त बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़े जाने की प्राथमिकता है। वर्ष 2019–20 में ग्रामों, बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिए रू0 1796.8 करोड़ प्रदान किये गये।

तालिका–10.02

वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटन/व्यय/प्रगति

(धनराशि करोड़ में)

योजना का नाम	वर्ष 2018–19			वर्ष 2019–20				
	आवंटन	व्यय	उपलब्धि	बजट प्राविधान	आवंटन	व्यय	लक्ष्य	प्रगति
ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण/पुर्ननिर्माण	1492.52	1492.52	2027 कि0मी0	1796.8	35.63	17.46	3677 किमी0	24 किमी0
ग्राम/बसावटों को जोड़ा जाना			932 नं0				2101 नं0	17 नं0
विभिन्न श्रेणी के मार्गों का चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण	9217.21	8996.00	8269 कि0मी0	5894.98	2575.00	1073.33	5657 किमी0	1479 किमी0
नदी सेतुओं का निर्माण एवं रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य	1932.00	1932.00	132 नं0	2100.29	157.88	0.00	216 नं0	35 नं0
इन्डो नेपाल बार्डर मार्ग परियोजना	83.17	83.17	36 किमी0	60.48	60.48	0.00	27 किमी0	11 किमी0

इन बसावटों को निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है–

9. मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण–

समस्त एक लेन चौड़े राज्य मार्ग तथा महत्वपूर्ण मुख्य जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्गों को यातायात की मॉग के अनुसार 02 लेन किये जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त भारी यातायात के कारण क्षतिग्रस्त ऐसे प्रमुख/अन्य जिला मार्ग जो नवीनीकरण/विशेष मरम्मत योग्य नहीं हैं, उनका सुदृढ़ीकरण वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में जुलाई, 2018 तक कुल लगभग 9722 किमी0 लम्बाई में मार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया। वर्ष 2019–20 में माह जुलाई तक 1433 किमी0 लम्बाई का कार्य पूर्ण किया गया है। वर्ष 2019–20 में प्रदेश के 716 मार्गों को चार लेन चौड़ा बनाने एवं बाईपास निर्माण हेतु रू0 26355 करोड़ की लागत से लगभग 10658 किमी0 लम्बाई का कार्य किया जा रहा है।

10. एशियन डेवलेपमेन्ट बैंक परियोजना के अन्तर्गत कार्य–

उक्त परियोजना की कुल लागत रू0 2782 करोड़ है जिस पर 70 प्रतिशत धनराशि एशियन डेवलेपमेन्ट बैंक एवं 30 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। परियोजना के अन्तर्गत 08 मार्ग लम्बाई 431 किमी0 सम्मिलित है। वर्ष 2019–20 में माह जुलाई तक 06 मार्गो पर कार्य प्रगति पर है।

11. विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत कार्य–

उक्त परियोजना की कुल लागत रू0 3700 करोड़ है जिस पर 70 प्रतिशत धनराशि विश्व बैंक एवं 30 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। परियोजना के प्रथम चरण में 04 मार्ग चयनित है। जिनकी लम्बाई 335 किमी0 है। वर्ष 2019–20 में द्वितीय चरण के अन्तर्गत मार्ग चिन्हांकन प्रक्रियाधीन है एवं वर्ष 2019–20 में प्रथम चरण में चयनित 04 मार्गो पर कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

12. केन्द्रीय मार्ग निधि के अन्तर्गत महत्वपूर्ण मार्गों का निर्माण–

प्रदेश से जुड़ने वाले अन्य प्रदेशों की सीमाओं तक जाने वाले महत्वपूर्ण मार्गो को विकसित करने एवं सीमा पर स्वागत द्वार बनाने एवं अन्य सौन्दर्यीकरण कार्य करने तथा प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जन सामान्य को सुविधा देने के उद्देश्य से 54 सड़को को रू0 1333 करोड़ की लागत से निर्मित किया जा रहा है। जिसमें 09 कार्य वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में पूर्ण किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त रू0 3035 करोड़ की लागत से 117 प्रमुख जिला मार्ग/अन्य जिला मार्ग का दो लेन में चौड़ीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में माह जुलाई तक 52 कार्य पूर्ण किये जा चुके है।

13. पी0पी0पी0 माडल पर उपशा द्वारा मार्ग निर्माण

वर्ष 2004 में राज्यमार्ग एवं अन्य मार्गों के निर्माण व अनुरक्षण हेतु उपशा का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया था जिसके अन्तर्गत ट्रिपल पी0 माडल के माध्यम से विभिन्न कार्यो को कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राविधानित धनराशि रू0 40 करोड़ प्रदेश के पुखराया–घाटमपुर– बिन्दकी मार्ग हेतु अवमुक्त किया गया।

14. इण्डो नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना

उत्तर प्रदेश में भारत–नेपाल सीमा पर मार्ग निर्माण की परियोजना का सैद्धान्तिक अनुमोदन दि0 26.11.2010 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। प्रस्तावित मार्ग उत्तर प्रदेश के सात जनपदों क्रमशः पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्वार्थनगर तथा महाराजगंज से होकर गुजरता है। इस परियोजना की मूल अनुमोदित लम्बाई 640.00 कि0मी0 तथा लागत रू0 1621.00 करोड़ है।

इण्डो–नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में दो चरणों में क्रमशः रू0 350.00 करोड़, वर्ष 2016–17 में रू0 31.57 करोड़ एवं वर्ष 2017–18 में 200.92 करोड़ अर्थात् कुल रू0 582.49 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 50.00 करोड़ एवं वर्ष 2019–20 में रू0 18.30 करोड़ की धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी है। मार्च, 2019 तक रू0 523 करोड़ का व्यय कर 121 कि0मी0 लंबाई में मार्ग निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

परियोजनांतर्गत मार्च, 2019 तक रू0 202 करोड़ की धनराशि व्यय कर 153 कि0मी0 लम्बाई में भूमि क्रय किया जा चुका है।

15. सेतु व रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण

प्रदेश के विकास के लिये अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मार्गों एवं सेतुओं की भी विशेष भूमिका है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत 60 मीटर से अधिक लम्बाई के दीर्घ सेतुओं का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा तथा 60 मीटर से कम लम्बाई के लघु सेतुओं का निर्माण लो0नि0वि0 द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 70 लघु सेतु एवं वर्ष 2019–20 (जुलाई माह तक) में 26 लघु सेतुओं को पूर्ण कर सामान्यजन को आवागमन हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2019–20 में 296 लघु सेतुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में 47 दीर्घ सेतु एवं वर्ष 2019–20 (जुलाई माह तक) में 08 दीर्घ सेतुओं को सामान्यजन को आवागमन हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2019–20 में 186 दीर्घ सेतुओं में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2018–19 में 15 रेल उपरिगामी सेतुओं को पूर्ण कर सामान्यजन को आवागमन हेतु उपलब्ध करा दिया गया है एवं वर्ष 2019–20 (जुलाई माह तक) में 1 रेल उपरगामी का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2019–20 में 85 रेल उपरगामी सेतुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

तालिका–10.03

वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में पहुॅच मार्ग सहित पूर्ण सेतु कार्यो का विवरण

कार्य का नाम	स्वीकृत लगात (करोड़ रु0 में)
1	2
दीर्घ सेतु	
वर्ष 2018–19 में पूर्ण	79595.37
वर्ष 2019–20 में पूर्ण	23076.57
वर्ष 2018–19 में पूर्ण रेल उपरिगामी सेतु	49948.25
वर्ष 2019–20 में पूर्ण रेल उपरिगामी सेतु	9808.3
वर्ष 2018–19 में पूर्ण लघु सेतु	17085.63
वर्ष 2019–20 में पूर्ण लघु सेतु	4056.38

16. कुम्भ मेला का आयोजन–

वर्ष 2018–19 में कुम्भ मेला का आयोजन प्रयागराज में सफलतापूर्वक कराया गया। कुम्भ, 2019 हेतु रू0 1578.88 करोड़ की लागत के निर्माण कार्य 13 चरणों में किए गए, जिनकी लम्बाई लगभग 646.03 किमी0 है। इसके अतिरिक्त 9 सेतु/आर0ओ0बी0 तथा 22 पाण्टून पुलों का निर्माण भी कराया गया हैं।

17. प्रदेश में लोक निर्माण कार्यों का कम्प्यूटराईजेशन –

मार्गों एवं सेतुओं के निर्माण कार्य की समस्त गतिविधियों को पूर्णरूपेण पारदर्शी बनाने हेतु प्रदेश में निम्न कार्य किये जा रहे हैं–

1. रू0 10 लाख से अधिक समस्त कार्यों को ई–टेडिरिंग के माध्यम से करना।
2. सरकार द्वारा लोक निर्माण कार्य के बजट, पंजीकरण, ई–एम0बी0, ई–बिलिंग, ई–डिमांड एवं ई–एलोटमेंट ऑनलाइन करने के लिए **'चाणक्य' एवं 'विश्वकर्मा'** नाम से 2 बड़े साफ्टवेयर लागू किए गए हैं।

चाणक्य साफ्टवेयर की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नवत है–

1. ई–रजिस्ट्रेशन–

विभिन्न श्रेणियों में ठेकेदारी के कार्य हेतु पंजीकरण के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवदेन करने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यह मॉड्यूल गठित किया गया है। यह प्रक्रिया पूर्णरूपेण पारदर्शी है तथा समस्त गतिविधियां ससमय देखी जा सकती है। इससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में समय, रजिस्ट्रेशन की वैधता की समाप्ति तथा नवीनीकरण संबंधी पूर्व सूचना प्रेषित की जाएगी।

2. ई–एम0बी0–

कार्य के अनुबंध गठन का डाटा प्रविष्टि के साथ कार्य की बिल ऑफ क्वान्टिटी की प्रविष्टि/अपलोड की जाएगी तदोपरान्त मदवार किए गए कार्य की मात्रा की प्रविष्टि वर्तमान के प्रचलित एम0बी0 के फॉरमेट में ऑनलाइन की जा सकती है।

3. ई–बिल –

ई–एम0बी0 में प्रविष्टि बिल ऑफ क्वान्टिटी के सापेक्ष संपादित कार्य का बिल जनरेट होगा।

4. ई–मॉनिटरिंग–

ई–एम0बी0 की प्रविष्टियों के आधार पर कार्य की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। कार्यस्थल के फोटों गुणवत्ता परीक्षणों की रिपोर्ट अपलोड की जा सकेगी। कार्य सम्पादन में विलम्ब के सम्बन्ध में ई–मेल/एस0एम0एस0 के एलर्ट निर्गत होंगे।

5.''विश्वकर्मा'' सॉफ्टवेयर की महत्वपूर्ण विशेषतायें निम्नवत हैः–

इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्माण कार्य सम्बंधी पूरी प्रक्रिया पेपरलेस करने हेतु सभी अनुमोदन ऑनलाइन प्रदान किए जायेंगे। इस सॉफ्टवेयर के प्रयोग से बेहतर नियोजन, कार्यान्वयन व अनुश्रवण के उद्देश्य की पूर्ति होगी।

6. निगरानी ऐप–

प्रदेश की समस्त सड़कों पर जनता की नजर रखने के लिए **'निगरानी ऐप'** भी लॉन्च किया गया है। इस सॉफ्टवेयर सिस्टम को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड करने के पश्चात किसी भी नागरिक द्वारा गड्ढा, मार्ग क्षति, पुलिया आदि का फोटो अपने मोबाईल से लेने पर यह स्वतः गूगल–मैप प्लेटफार्म पर दर्शित होने लगेगा। क्षति की भौगोलिक स्थिति ज्ञात होने पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही की जायेगी। इससे क्षतियों के ससमय निराकरण से न केवल जन–सामान्य को सुविधा प्राप्त होगी, अपितु व्यय भी कम आयेगा।

सामान्य जनता की सुविधा के लिए सरकार द्वारा एक **टोल फ्री हेल्पलाइन नं0 1800 121 5707 तथा व्हाटसप नं0 7991995566** जारी किया गया है जिसके माध्यम से जनता से प्राप्त निर्माण कार्य संबंधी प्रकरणों/शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है।

परिवहन

पिछले कुछ वर्षों में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में भारत में यात्री और माल की आवाजाही तेज़ी से सड़क परिवहन क्षेत्र की ओर स्थानान्तरित हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेशवासियों को सस्ती एवं सुगम परिवहन सेवायें सुलभ कराने के उददेश्य से उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गयी हैं। इन सेवाओं से सम्बंधित आंकड़े तालिका–10.04 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–10.04

उत्तर प्रदेश में राजकीय सड़क परिवहन परिचालन के आंकड़े

मद	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2017–18 की अपेक्षा 2018–19 में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6
1–औसत परिचालित बसे (सं0)	9269	10526	11862	11615	–2.1
2–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्ग (संख्या)	2357	2711	2933	2979	1.6

मद	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2017–18 की अपेक्षा 2018–19 में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6
3–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गो की औसत लम्बाई **(कि0मी0)**	224	251	258	257	–0.4
4–वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की कुल लम्बाई **(हजार कि.मी.)**	529	681	757	765	1.1
5–दैनिक कुल परिचालित दूरी **(हजार कि0 मी0)**	3238	3703	4092	3972	–2.9
6–प्रतिदिन ले जाये गये यात्री **(लाख)**	15.19	15.47	17.15	16.48	–3.9
7–दुर्घटनायें **(प्रति लाख कि0मी0)**	0.07	0.06	0.06	0.07	16.7
8–कुल दुर्घटनायें **(संख्या)**	630	648	741	751	1.4

स्रोतः– उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। ***अनन्तिम**

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के कारण आवागमन एवं यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरुप मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में राजकीय एवं निजी क्षेत्रों के गाड़ियों से सम्बंधित आंकड़े तालिका 10.05 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–10.05

उत्तर प्रदेश में सड़क पर चल रही मोटर गाड़ियां

मद	मोटर गाड़ियों की संख्या (31 मार्च को)		2017–18 की अपेक्षा 2018–19 में प्रतिशत वृद्धि	गाड़ियों का प्रतिशत अंश	
	2017–18	2018–19*		2017–18	2018–19
1	2	3	4	5	6
1–मोटर साईकिल	23911791	26597000	11.2	81.3	81.3
2–कार	2777553	3089250	11.2	9.4	9.4
3–बस	89699	98836	10.2	0.3	0.3
4–टैक्सी	524393	606307	15.6	1.8	1.9
5–ट्रक	609225	691908	13.6	2.1	2.1
6–ट्रैक्टर	1339980	1447604	8.0	4.6	4.4
7–अन्य	154252	193596	25.5	0.5	0.6
कुल	**29406893**	**32724501**	11.3	100.0	100.0

स्रोतः–परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 एवं उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम। ***अनन्तिम***

प्रदेश में रेलमार्गों का विकास

भारतीय रेलवे का राज्य में 160 से अधिक वर्षों का इतिहास है और इसके भीतर उच्चतम मार्ग किलोमीटर–9100 मार्ग किलोमीटर है। यह पूरे भारतीय रेल नेटवर्क का 14 प्रतिशत है। उत्तर मध्य रेलवे एन0सी0आर0 के साथ उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व और पूर्व मध्य जोनल रेलवे का राज्य में नेटवर्क है। उत्तर मध्य रेलवे की लाइन क्षमता उपयोग लगभग 150 प्रतिशत है। यह आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, झांसी, चित्रकूट, विंध्याचल और अलीगढ़ जैसे उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों, औद्योगिक शहरों और शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। प्रदेश में रेलमार्गों की लम्बाई निम्नवत् है–

तालिका–10.06

प्रदेश में रेलमार्गों की लम्बाई

वर्ष	योग	बड़ी लाइन (ब्राड गेज)	छोटी लाइन (मीटर गेज)	संकरी लाइन (नैरो गेज)
2010–11	8762	7570	1190	2
2011–12	8800	7684	1114	2
2012–13	8832	7851	979	2
2013–14	8920	8051	867	2
2014–15	8950	8065	883	2
2015–16	9077	8297	778	2

भारतीय रेल का आधुनिकीकरण–

भारतीय रेल अत्याधुनिक रेलगाड़ियों से लेकर नई हाई–टेक तकनीक के माध्यम से मेक इन इंडिया के प्रति प्रतिबद्धता और उत्साह के साथ बढ़ रही है। आज परिकल्पना, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और निर्माण की नई तकनीकें अपनाकर रेलवे न केवल भारत को गौरवान्वित कर रहा है, बल्कि पूरे देश में रोजगार के अवसर सृजितकर विकास की गति को भी बढ़ा रहा है। भारतीय रेलवे राज्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और माल, यात्रियों एवं अंतर्राष्ट्रीय पयर्टकों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करता है। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन **गतिमान एक्सप्रेस** देकर गौरवान्वित किया है, जो शुरू में आगरा और दिल्ली के बीच चलती थी। अब इसे झांसी तक बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पिछले चार वर्षो (2014–18) में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास के प्रयासों को 376 प्रतिशत अधिक निवेश के साथ तेज किया गया है। इतने बड़े पैमाने पर निवेश के परिणाम उन्नत बुनियादी ढांचे और आधुनिक यात्री सुविधाओं के रुप में दिखाई दे रहें हैं। जल्द ही भीड़ और असुविधा का युग अतीत की बात हो जाएगा और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक नया रेलवे नागरिकों की बेहतर तरीके से सेवा कर सकेगा।

1. भारत की पहली स्वदेशी–हाई स्पीड ट्रेन **वंदे भारत एक्सप्रेस** की शुरूआत। सेमी–हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच कारखाना चेन्नई ने किया।

2. **4 अक्टूबर, 2019** से लखनऊ से नई दिल्ली के बीच आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण भारतीय रेल की पहली निजी रेलगाड़ी **तेजस एक्सप्रेस** का परिचालन रेलवे की कंपनी आईआर सीटीसी कर रही है। ये ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के बीच का सफर सिर्फ सवा 6 घंटे में पूरा करेगी।

रेल नेटवर्क का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण स्वीकृत। वर्ष 2017–18 में सर्वाधिक 4,087 रूट कि0मी का विद्युतीकरण किया गया।

- सबसे अधिक रोड ओवर ब्रिजों/रोड अंडर ब्रिजो/सबबे का निर्माण 2014–18 की अवधि के दौरान हुआ।

प्रदेश में रेल सुविधाओं पर बढ़ा हुआ पूंजी निवेश

क्र0सं0	औसत वार्षिक परिव्यय		% वृद्धि
	2009–14	2014–19	2009–14 से 2014–19
बजट अनुदान	1109 करोड़	5278 करोड़	376
रोड ओवर ब्रिजों/रोड अंडर ब्रिजों का निर्माण	20	138	590

स्रोत– उत्तर प्रदेश उत्तम रेल (2014 से अब तक)

प्रदेश में विगत् चार वर्षों (2014–18) में पूर्ण कार्य–

नयी लाइनें–	409 किमी
ट्रैक का दोहरीकरण–	576 किमी
विद्युतीकरण–	2156 किमी
लाइन (गेज) परिवर्तन–	293 किमी

वर्ष 2018–19	
निर्माण हेतु स्वीकृत रोड ओवर ब्रिज	29
निर्माण हेतु स्वीकृत रोड अंडर ब्रिज	87
योग	**116**

भारतीय रेल द्वारा रोजगार सृजन–

भारतीय रेल विकास और रोजगार सृजन करने वाली सहायक इकाइयों का आर्थिक हब बन रही है। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी नियोक्ता है। इसमें विभिन्न ग्रेड और संवर्गो में अनेक कर्मचारी कार्यरत हैं। भारतीय रेल ने 2014–18 के दौरान 2.4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया।

मेट्रो रेल

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना (एल0एम0आर0सी0)

प्रदेश की राजधानी में तीव्र, सुखद, सुरक्षित तथा मितव्ययी मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को निर्मित किये जाने का निर्णय लिया गया।

इस हेतु लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन वर्ष 2013 में हुआ है, जोकि भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में विशेष प्रयोजन साधन उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरणवार निष्पादन के दायित्व के साथ स्थापित की गई है।

लागत एवं वित्त पोषण–

तालिका–10.07

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना लागत

परियोजना लागत	
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	रू0 5590 करोड़
अनुमोदित समापन लागत	रू0 6928 करोड़
परियोजना की अनुमानित समापन लागत	रू0 6928 करोड़

तालिका–10.08

केन्द्र तथा उ0प्र0 सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशियों का विवरण

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	उ0प्र0 सरकार	भारत सरकार
2016–17	750	1140.0
2017–18	233	1648.0
2018–19	128	1873.08
2019–20(27–05–2019 तक)	16.95	

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना की वर्तमान अवस्थिति

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण (फेज–1ए)– नार्थ–साउथ कॉरिडोर (चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया) की लम्बाई 22.878 किमी. है।

शहर के व्यस्त व्यवसायिक तथा आवासीय क्षेत्रों हेतु चिन्हित इस कॉरिडोर में भूमिगत मेट्रो की दूरी 3.440 किमी. है जो कि चारबाग से लेकर के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम तक है तथा शेष 19.438 किमी. मेट्रो भूमि से ऊपर एलिवेटेड के रूप में है। इसमें स्टेशनों की संख्या 21 (17 एलिवेटेड, 4 भूमिगत) है। नार्थ–साउथ कॉरिडोर के प्राथमिकता सेक्शन (8.5 किमी) का व्यवसायिक संचालन 5 सितम्बर, 2017 से आरम्भ हो चुका है।

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज–1ए के अन्तर्गत 22.878 किमी लम्बे नार्थ–साउथ कॉरिडोर (चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से मुंशीपुलिया) पर जनता के लिए मेट्रो 08 मार्च, 2019 से शुरू हो गयी है। मेट्रो ट्रेन में चार कोच हैं। एक मेट्रो ट्रेन में एक साथ 1310 लोग यात्रा कर सकते हैं।

लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया तक कुल 18 ट्रेनें चला रहा है। इन 18 ट्रेनों में एक साथ 23580 लोग यात्रा कर सकते हैं। मेट्रो अभी सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक के लिए संचालित है।

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज–1बी (ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर)

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर फेज–1बी (लम्बाई– 11.165 किमी) के संशोधित डी.पी.आर. के अनुसार परियोजना में शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराने का प्रयास किया जा रहा है।

लखनऊ के अतिरिक्त कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर तथा इलाहाबाद मे भी मेट्रो परियोजना प्रस्तावित है। लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन (एल0एम0आर0सी0) को ही इन शहरों में भी मेट्रो की डीपीआर तैयार करने हेतु समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत 2 कॉरिडोर्स (लम्बाई–32.385 किमी) का डी.पी. आर. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.03.2016 को केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया था।

भारत सरकार द्वारा माह सितम्बर, 2017 में जारी नयी मेट्रो नीति के अन्तर्गत परीक्षण करने हेतु राज्य सरकार को डी.पी.आर. को वापस प्रेषित किया गया था। संशोधित डी0पी0आर0 पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए भारत सरकार द्वारा विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं के आधार पर की गई बेंचमार्किंग के अनुरूप अनुपूरक डी0पी0आर0 को दिनांक 08.01.2019 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया।

इन परियोजनाओं पर पी0आई0बी0 की बैठक दिनांक 06.02.2019 में अनुमोदन प्रदान किया गया। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के स्वीकृत डी.पी.आर. के अनुसार परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 11076.48 करोड़ है। परियोजना का क्रियान्वयन 'इक्विटी शेयरिंग मॉडल' के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार की 50:50 भागीदारी से किया जाना है, जिसमें भारत सरकार व उ0प्र0 सरकार की समान इक्विटी के अतिरिक्त अवशेष वित्त पोषण हेतु बाईलेटरल/मल्टीलेटरल अन्तर्राष्ट्रीय संस्था से वाह्य ऋण प्राप्त किया जाना है।

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ''इक्विटी शेयरिंग मॉडल'' के अन्तर्गत कानपुर मेट्रों रेल परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा रू0 1967.33 करोड़ का अंशदान, उ0प्र0 सरकार द्वारा रू0 3359.70 करोड़ का अंशदान व रू0 5551.99 करोड़ वाह्य ऋण बाईलेटरल/मल्टीलेटरल अन्तर्राष्ट्रीय संस्था से प्राप्त किया जाना होगा। इसी प्रकार आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा रू0 1459.53 करोड़ का अंशदान, उ0प्र0 सरकार द्वारा रू0 2602.96 करोड़ का अंशदान व रू0 4178.59 करोड़ का वाहृय ऋण बाईलेटरल/मल्टीलेटरल अन्तर्राष्ट्रीय संस्था से प्राप्त किया जाना होगा।

इस ऋण को यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ई0आई0बी0) से प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में निर्धारित प्रकिया के अनुरूप माह जून, 2019 में ऑन–लाइन ''प्रिलिमनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट'' (पी0पी0आर0) प्रेषित की गयी।

कानपुर व आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं का कार्य 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण कराया जाना है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में लगभग 9 किमी0 तथा आगरा मेट्रों रेल परियोजना में लगभग 6 किमी0 के प्राथमिक सेक्शन्स का चयन किया गया है। इन सेक्शन्स पर जुलाई, 2021 तक कार्य पूर्ण कर मेट्रो की ट्रेन के ट्रायल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा नवम्बर, 2021 में इन प्राथमिक सेक्शन्स पर कॉमर्शियल ऑपरेशन प्रारम्भ कराया जाना प्रस्तावित है।

आगरा मेट्रो रेल परियोजना

आगरा मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत 2 कॉरिडोर्स (लम्बाई–30 किमी) का डी.पी.आर. भारत सरकार द्वारा माह मई, 2016 में तैयार किया गया था, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ माह जून, 2016 को प्रेषित किया गया था।

भारत सरकार द्वारा माह सितम्बर, 2017 में जारी नयी मेट्रो पॉलिसी के अन्तर्गत इस डी.पी. आर. का पुनर्परीक्षण परियोजना का संशोधित डी.पी.आर. तैयार कर राज्य सरकार के स्तर से अनुमोदित करते हुए केन्द्र सरकार को माह जनवरी, 2018 में अग्रिम स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया।

स्वीकृत डी.पी.आर. के अनुसार परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 8379.62 करोड़ है। परियोजना का क्रियान्वयन 'इक्विटी शेयरिंग मॉडल' के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार की 50:50 भागीदारी से किया जाना है, जिसमें भारत सरकार का अंशदान परियोजना लागत (भूमि एवं राज्य करों को छोड़ते हुए) का 20% है।

उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर व आगरा के अलावा मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने की दिशा में काम चल रहा है।

विद्युत

सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया में विद्युत की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में अभिवृद्धि करने के लिए विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान है वहीं हमारे दैनिक जीवन की समृद्धि के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग भी विद्युत की उपलब्धता पर ही निर्भर है। यही कारण है कि आज के युग में विद्युत विकास का पर्याय हो गया है। राज्य सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।

तालिका–10.09

उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2017–18	2018–19	
1	2	3	4	5
1	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	5999*	5999	0
2	उपभोग (मिलियन यूनिट)	88110	87945	–0.19
3	कुल उत्पादन (मिलियन यूनिट)	30073*	30627	1.84
4	उपभोक्ताओं की संख्या (हजार में)	19922.2	25979.1	30.40

स्रोत– उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नियोजन स्कन्ध, लखनऊ। ***संशोधित**

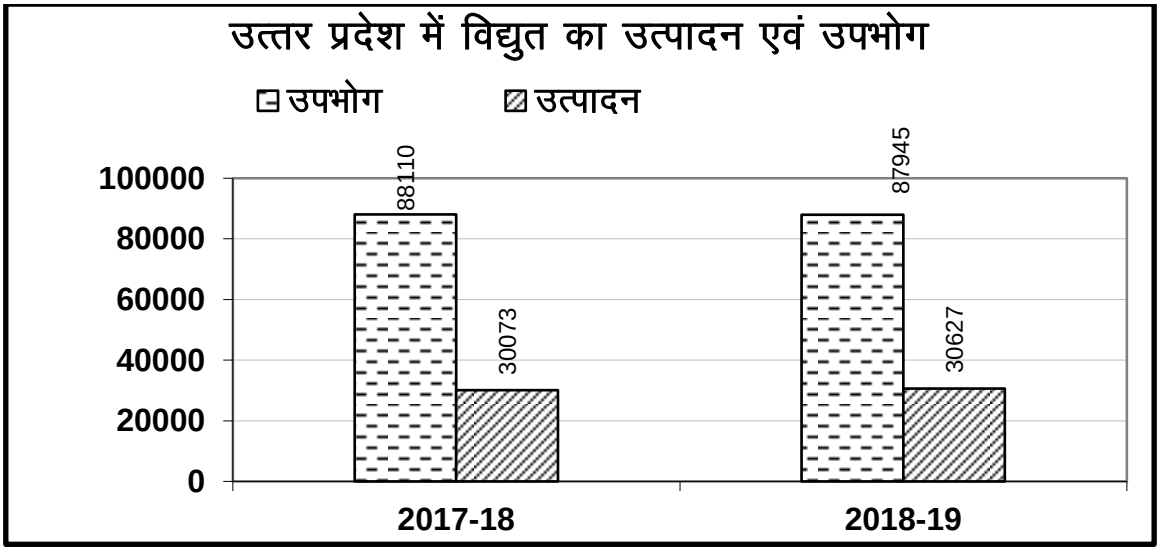

प्रदेश में विद्युत की मांग– प्रदेश में विद्युत की सर्वाधिक मांग ग्रीष्म ऋतु में होती है जिसमें विद्युत की पीक मांग मई–अगस्त माह के मध्य होती है। विद्युत की पीक मांग सम्बंधी आंकड़े तालिका 10.10 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–10.10

आंकलित पीक मांग (मई–अगस्त के मध्य)

(मेगावाट में)

क्र.सं.	वर्ष	आंकलित पीक मांग (मई–अगस्त के मध्य)
1	2019–20	22500
2	2020–21	24500

स्रोत– पावर मैनेमजमेन्ट सेल, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

तालिका–10.11

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग की संख्या सम्बन्धी आंकड़े–2017–18

क्र.सं.	राज्य	प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन (कि.वा.घंटा)	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (कि.वा.घंटा)
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	1174	1388
2	बिहार	3	280
3	झारखण्ड	409	927
4	गुजरात	1377	2321
5	हरियाणा	1039	1990
6	कर्नाटक	736	1356
7	केरल	167	766
8	मध्य प्रदेश	748	1020
9	छत्तीसगढ़	2418	2003
10	महाराष्ट्र	991	1371
11	ओडिशा	464	1593
12	पंजाब	1541	2049
13	राजस्थान	792	1178
14	तमिलनाडु	792	1834
15	पश्चिम बंगाल	419	699
16	उत्तर प्रदेश	329	628
17	उत्तराखण्ड	1077	1450
18	हिमांचलप्रदेश	1616	1393
19	असम	45	330
20	गोवा	0	2229
भारत		1009	1149

स्रोत–केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार।

विद्युतीकृत ग्राम–

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के गांवों और अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाता है। प्रदेश में कुल आबाद ग्रामों में से वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के अन्त तक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या बढ़कर क्रमशः 87207, 87489, 97804 रही। जो 2017–18 एवं 2018–19 के अन्त तक 97814 अर्थात शत–प्रतिशत हो गयी।

अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण

प्रदेश में अनुसूचित जाति बस्तियों की दशा सुधारने के लिये उनके विद्युतीकरण हेतु यथोचित प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में विद्युतीकृत अनुसूचित जाति बस्तियों की संख्या 99462 रही।

नलकूप/पम्प सेट्स का ऊर्जीकरण

सिंचाई के सुनिश्चित साधनों के प्रसार हेतु प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक से अधिक नलकूल/पम्प सेट्स का ऊर्जीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 के अन्त तक ऊर्जीकृत नलकूपो/पम्पसेटों की संख्या बढ़कर क्रमशः 10.57, 10.86, 11.20 लाख, 11.63 एवं 12.16 लाख हो गई।

पारेषण लाइनों का विस्तार

प्रदेश में विद्युत उपभोग की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पारेषण लाइनों का विस्तार किया जा रहा है।

वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में पारेषण लाईनों की लम्बाई क्रमशः 29105 सर्किट कि0मी0, 35381 सर्किट कि0मी0, 38309 सर्किट कि0मी0, 39797 सर्किट कि0मी0 एवं 42390 सर्किट कि0मी0 हो गयी।

उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं आपूर्ति मे सुधार हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण

1. प्रदेश में समुचित एवं सुचारू विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2018–19 में पारेषण तंत्र के 400 के0वी0 के एक, 220 के0वी0 के 11, एवं 132 केवी के 15 उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य किया गया हैं।

2. विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 236 नग नये 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों एवं 3770 कि0मी0 संबंधित 33 केवी लाईनों का निर्माण किया जा चुका है।

3. उ0प्र0 सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से **24X7 पावर फार आल** योजना का क्रियान्वयन किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत सभी को 24 घण्टे बिजली दिये जाने हेतु **दीन दयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सौभाग्य योजना, उजाला योजना** एवं अन्य विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

4. नगरों/शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति देने, लाईन हानियों में कमी लाने, उपभोक्ताओं की संतुष्टि तथा नगरों के सौन्दर्यीकरण हेतु 35 नगरों में अण्डरग्राउन्ड केबलिंग का कार्य लक्षित था जिसमें अधिकतर स्थानों पर कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

5. प्रदेश की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु विद्युत उत्पादन बढ़ाया जाना लक्षित है। इसके लिए कई बड़े विद्युत गृहों की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 की कुल वाणिज्यिक उत्पादन क्षमता 6000

मेगावाट है। केन्द्रीय सेक्टर में राज्य का अंश लगभग 6000 मे0वा0 तथा निजी विद्युत परियोजनाओं में राज्य का अंश लगभग 12000 मे0वा0 है।

6. वर्ष 2022 तक हरदुआगंज विस्तार ताप विद्युत गृह से 660 मे0वा0, ओबरा सी तापीय विद्युत गृह से 1320 मे0वा0, पनकी तापीय विद्युत गृह से 660 मे0वा0, जवाहरपुर तापीय विद्युत गृह से 1320 मे0वा0, मेजा तापीय विद्युत गृह से 1320 मे0वा0 एवं घाटमपुर तापीय विद्युत गृह से 1980 मे0वा0 विद्युत का उत्पादन शुरू होने की सम्भावना है।

वैकल्पिक ऊर्जा

प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए ऊर्जा की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों में निरंतर कमी होने एवं उनके अधिकाधिक उपयोग से बढ़ती पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या के निदान हेतु ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्रोतो के उपयोग को प्रभावी बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1983 में प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण (यू0पी0नेडा) का गठन किया गया।

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अभिकरण द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, एवं ऊर्जा सरंक्षण जैसे अनेकों ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकी के विकास एवं प्रचार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सौर ऊर्जा नीति–2017

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिये जाने के उददे्श्य से सौर ऊर्जा नीति–2017 प्रख्यापित की गयी। इस नीति में थर्ड पार्टी सेल, ओपन एक्सेस एवं सोलर पार्क के विकास का प्राविधान किया गया है। नीति में वर्ष 2022 तक कुल 10700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य का निर्धारण किया गया है जिसमें से 6400 मेगावाट के यूटिलिटी स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट और 4300 मेगावाट के रूफटाफ पावर प्लाण्ट प्रोजेक्ट हैं।

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन (ग्रिड संयोजित)

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में कुल 25 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनायें स्थापित की गयी।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उ0प्र0 द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

1. मिनी–ग्रिड सोलर पावर प्लान्ट परियोजना कार्यक्रम–

विद्युत ऊर्जा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। विद्युत की पर्याप्त एवं विश्वसनीय उपलब्धता के बिना कोई भी क्रियाकलाप संभव नही हैं। प्रदेश में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र विद्युतीकरण से वंचित है तथा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रिड अत्यंत सीमित मात्रा में उपलब्ध हो पा रही है जिसके समाधान हेतु मिनी ग्रिड सोलर पावर प्लांट के माध्यम से स्थानीय एवं विकेन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध अक्षय ऊर्जा स्रोतो से विद्युत ऊर्जा उत्पादित कर उस क्षेत्र को विद्युतीकृत कर ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। वर्ष 2019–20 में 2 मिनी ग्रिड सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

2. रूफटाप ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर प्लाण्ट का क्रियान्वयन–

प्रदेश सरकार द्वारा कैपटिव उपयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना की जानी थी जिसके सापेक्ष प्रदेश में विभिन्न निजी

आवासों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सरकारी/अर्द्धसरकारी एवं निजी संस्थानों व अन्य भवनों के रूफटाप पर वर्ष 2018–19 में कुल 1675 किलोवाट क्षमता की ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना की गयी। रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट योजना पर वर्ष 2019–20 में रु0 1000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है।

3. सोलर स्ट्रीट लाइट योजना–

मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना करायी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2018–19 में 30 जून, 2018 तक 2707 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना करायी गयी। इस योजना पर वर्ष 2019–20 में रु0 30 करोड़ का निवेश किया जा रहा है।

4. प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में आर.ओ.वाटर संयंत्र कार्यक्रम–

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु अभिकरण द्वारा सोलर आर.ओ.वाटर संयंत्रों की परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में 1.1 किलोवाट के सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित कराकर उससे पंखे, सबमर्सिबल पम्प तथा आर0ओ0 वाटर संयंत्र संचालित कराया जाता है। आर.ओ.वाटर संयंत्रों की स्थापना हेतु वर्ष 2019–20 में रु0 26 करोड़ का निवेश किया जाना है।

5. ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम–

प्रदेश सरकार द्वारा इनर्जी कन्जर्वेशन एक्ट–2001 के प्राविधान को प्रदेश में क्रियान्वित कराये जाने हेतु उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण (यूपीनेडा) को स्टेट डेजिगनेटेड एजेन्सी (एसडीए) नामित किया गया है जिसके अन्तर्गत अभिकरण द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं। अभिकरण द्वारा ईट भट्ठों में ऊर्जा संरक्षण के उपाय, डिमान्ड साइड मैनेजमेंट, ऊर्जा संरक्षण हेतु स्टीम कुकिंग, इनर्जी एफीशिएन्सी टेक्नालाजी फार कोल्ड स्टोरेज जैसे विषयों पर कार्यशाला आयोजित की गयी।

प्रदेश में जनसामान्य के मानस पटल पर ऊर्जा संरक्षण की महत्ता को प्रभावी रूप से अंकित करने हेतु जागरूकता अभियान के रूप में वेबसाइट– **डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. यूपीएसएवीईएसएनर्जी.कॉम** प्रारम्भ की गयी जिसमें ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपाय दिये गये हैं।

उज्जवला योजना

प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक रूप से कमजोर 5 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उज्जवला योजना का शुभारम्भ प्रदेश के बलिया जनपद से मई, 2016 में किया था। सरकार द्वारा 3 वर्ष में इन लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे निर्धारित अवधि के 8 माह पूर्व पूरा कर लिया गया। इस योजना के अन्तर्गत मई, 2019 तक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लगभग 8.7 लाख कनेक्शन वितरित किए गए हैं। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल में 6.7 लाख व तीसरे स्थान पर बिहार में 6.1 लाख कनेक्शन वितरित किये गये।

साइबर क्राइम में यूपी कॉप एप से बड़ी राहत–

प्रदेश सरकार पुलिस सेवाओं के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दे रही है। इस दिशा में आम नागरिकों को 27 पुलिस सुविधाएं मुहैया कराकर सीधी राहत पहुँचाने हेतु यू0पी0 कॉप ऐप लॉच किया गया है। पुलिस विभाग के अनुरोध पर सरकार द्वारा प्रदेश के सभी 1533 थानों में इस मोबाइल ऐप की खूबियों के संबंध में होर्डिग लगवा कर इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

यू0पी0 कॉप एप तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। फरवरी, 2019 तक एक लाख से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके थे। पहली जनवरी, 2019 से 13 फरवरी, 2019 के बीच इसके माध्यम से 353 ई–एफ.आइ.आर भी दर्ज कराई गई।

ई– प्रिजन व ई–कोर्ट पोर्टल–

यू0पी0 देश का पहला राज्य बन गया है, जहां ई–कोर्ट, ई प्रिजन व ई प्राक्जीक्यूशन व्यवस्था लागू है। ई– प्राक्जीक्यूशन पोर्टल की शुरूआत 16 जनवरी, 2019 को की गई। यू0पी0 के थाने अब देश में सबसे ज्यादा हाइटेक हो गए हैं।

ई कोर्ट, ई प्रिजन व ई प्राक्जीक्यूशन को सीसीटीएनएस से लिंक कर न्यायालय, कारागार एवं अभियोजन से संबंधित सूचनाएं थाने पर ही कंप्यूटर पर एक क्लिक पर उपलब्ध हो जांएगी। ई–प्राक्जीक्यूशन पोर्टल के माध्यम से विवेचकों द्वारा आनलाइन विवेचना के सम्बंध में सीधे अभियोजन अधिकारी (एस0पी0ओ0) से विधिक राय समेत अन्य सेवाएं ली जा रही हैं। प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीएनएस व्यवस्था प्रभावी है, जिसमें अपराध एवं अपराधियों से संबंधित सभी सूचनाएं अपलोड होती हैं और सर्वर के माध्यम से किसी भी समय कहीं से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

संचार

डाकघर

संचार माध्यमों के अन्तर्गत डाकघरों का अत्यधिक महत्व है, क्योकि इनके माध्यम से जनसामान्य को सस्ती एवं सुलभ संदेशवाहन सेवा उपलब्ध होने के साथ ही अल्पबचत कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायता मिलती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015–16 में कुल डाकघरों की संख्या 17662 थी जिनमें 1933 डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15729 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत् थे। वर्ष 2018–19 में इनकी संख्या बढ़कर 17672 हो गयी, जिनमें 1927 डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15745 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध थे। उत्तर प्रदेश में डाकघरों की स्थिति तालिका–10.12 में दर्शायी गयी है–

तालिका–10.12

उत्तर प्रदेश में डाकघरों की संख्या

(31 मार्च को)

मद	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1	**2**	**3**	**4**	**5**
डाकघरों की संख्या	17662	17670	17671	17672
(क) नगरीय	1933	1935	1924	1927
(ख) ग्रामीण	15729	15735	15747	15745

दूरभाष

दैनिक जीवन में तथा व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक क्रिया–कलापों में दूरभाष सेवाओं का बड़ा महत्व है। वर्ष 2017–18 में उत्तर प्रदेश में कुल 568962 बेसिक टेलीफोन तथा 3068 टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत् थे। वर्ष 2018–19 में बेसिक टेलीफोन कनेक्शन तथा टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या घटकर क्रमशः 530540 एवं 3061 हो गयी। मोबाइल सेवा के वृहद् विस्तार के परिणामस्वरूप ही बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या में कमी होना प्रतीत होता है। इसी प्रकार

वर्ष 2017–18 में उत्तर प्रदेश में इन्टरनेट सब्सक्राइवर की संख्या 180816 हजार थी जो वर्ष 2018–19 में घटकर 167728 हजार हो गयी। उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाईल कनेक्शन की स्थिति तालिका–10.13 में दर्शायी गयी है–

तालिका–10.13

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाईल कनेक्शन की स्थिति

वर्ष	बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या	टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या	इन्टरनेट सब्सक्राइवर की संख्या	मोबाईल कनेक्शन की संख्या (हजार)
1	2	3	4	5
2017–18	568962	3068	180816	11845*
2018–19	530540	3061	167728	16302

स्रोत :– चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य महाप्रबन्धक दूर संचार, भारत संचार निगम लि. उ.प्र. पूर्वी एवं पश्चिमी परिमण्डल।

*** भारत संचार निगम लि. उ.प्र. पश्चिमी परिमण्डल के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।**

****

अध्याय–11

उत्तर प्रदेश में पर्यटन

मुख्य बिन्दु–

- वर्ष 2019 में प्रदेश में भ्रमण करने वाले पर्यटकों में भारतीय पर्यटकों की अनुमानित संख्या 3135.88 लाख है जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 41.58 लाख है।
- वर्ष 2019 में 15 जनवरी से 04 मार्च के मध्य प्रयागराज में गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर कुम्भ, 2019 का आयोजन किया गया।
- इस 49 दिन की अवधि में चलने वाले धार्मिक महोत्सव में अनुमानतः 24 करोड़ पर्यटकों द्वारा प्रतिभाग किया गया जिसमें 10.30 लाख विदेशी पर्यटक शामिल हैं।
- हेरिटेज आर्क यात्रियों को आगरा, लखनऊ व वाराणसी क्षेत्रों में और इसके चारों ओर स्थित मनोहारी स्थानों की यात्रा कराता है।
- वर्ष 2019 में लगा प्रयागराज का कुंभ मेला आने वाले सालों में सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के महाकुंभ के रूप में भी जाना जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल, सोशल मीडिया ब्रैंडिंग, क्राउड मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग ट्रांजैक्शन समेत तमाम सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया।
- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने, निजी उद्यमियों को निवेश की सुगमता हेतु एवं पर्यटन उद्योग को नई ऊँचाईयों तक पहुँचाने हेतु "**उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2018"** लागू की गयी है।
- पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को सुविधा एवं मार्ग दर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत वन स्टाप ट्रैवल्स सोल्यूशन पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पर्यटकों को **24×7 ट्रैवल्स असिस्टेंस** प्राप्त हो सकेगा।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का भू–भाग 04 आर्थिक जोन, 18 मण्डल, 75 जनपद व 350 तहसील में फैला हुआ है तथा इसका क्षेत्रफल 241000 वर्ग किमी तथा प्रदेश की आबादी 199812 हजार है।

प्रदेश का प्रायः हर क्षेत्र व कोना पर्यटन के लिए देश व विदेश में विख्यात है तथा भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश एक आकर्षक स्थल के रूप में जाना जाता है।

उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखण्ड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश और उत्तर में नेपाल के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी हुई है। यह गंगा के मध्यवर्ती मैदान से बिछाये भू–भाग से उत्तर में हिमालय की निचली पर्वतमाला तथा दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला तक फैला हुआ है।

गंगा एवं उसकी सहयोगी नदियॉ क्रमशः यमुना नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी और गण्डक नदी को हिमालय के हिम से लगातार पानी मिलता रहता है। विंध्य श्रेणी से निकलने वाली चंबल नदी, बेतबा नदी और केन नदी यमुना नदी में मिलने से पहले राज्य के दक्षिण–पश्चिमी हिस्से में बहती है। विंध्य श्रेणी से ही निकलने वाली सोन नदी राज्य के दक्षिण–पूर्वी भाग में बहती है और राज्य की सीमा से बाहर बिहार में गंगा नदी से मिलती है।

प्रदेश की इन नदियों के किनारे यात्रा करना अपने आप में यादगार और रोमांचक अनुभव है।

हेरिटेज आर्क

''हेरिटेज आर्क'' की यात्रा का हर पल आनन्द उठाने का एक नया आयाम है। हेरिटेज आर्क यात्रियों को आगरा, लखनऊ व वाराणसी क्षेत्रों में और इसके चारों ओर स्थित मनोहारी स्थानों की यात्रा कराता है। ''हेरिटेज आर्क'' के तीन प्रमुख केन्द्रों व उनसे जुड़े दर्शनीय स्थल निम्नवत् हैं–

क्र0सं0	केन्द्र का नाम	जुड़े दर्शनीय स्थल
1.	आगरा	आगरा, फतेहपुर सीकरी, चंबल सेंचुरी, बरसाना, बटेश्वर, इटावा लायन सफारी, गोकुल, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन।
2.	लखनऊ	लखनऊ, अयोध्या, बिठूर, देवाशरीफ, दुधवा, कतरनियाघाट वन्य पशु प्रेक्षक, नैमिषारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य।
3.	वाराणसी	वाराणसी, सारनाथ, विंध्याचल, सोनभद्र, चुनार, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती।

प्रदेश के मशहूर तीर्थ स्थल

अगर घूमना आपका पेशा ही नहीं शौक है तो उत्तर प्रदेश पर्यटन के पास काफी कुछ मनोरम है। ताज की धरती, कथक नृत्य की उत्पत्ति स्थान, बनारस की पावन हिन्दू धरती, भगवान कृष्ण का जन्मस्थान, वह जगह जहॉ भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। यह सब उत्तर प्रदेश के अन्दर ही आता है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल व विवरण निम्नवत् हैंः–

क्र0सं0	जनपद का नाम	महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल
1.	मथुरा	कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, विश्राम घाट, केशी घाट, बांके बिहारी मंदिर, गोविन्द देव मंदिर, मदन मोहन मंदिर, रंगनाथ जी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, राधाकुण्ड संकेत, हरिदेव जी मंदिर, दानघाटी, ब्रह्माण्ड घाट, दाऊजी का मंदिर, प्रेम मंदिर।
2.	आगरा	ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, जोधाबाई का महल, सिकंदरा, जामा मस्जिद, एतमादुद्दौला का मकबरा, चीनी का रोजा, मेहताब बाग, दयाल बाग।
3.	लखनऊ	घंटाघर, छोटा इमामबाड़ा, जामा मस्जिद, बड़ा इमामबाड़ा, बनारसी बाग, मोती महल, रूमी दरवाजा, रेसीडेंसी संग्रहालय, कालका बिन्दादीन ड्योढ़ी, लाल बारादरी, बटलर पैलेस, लाल पुल, छतर मंजिल, अकबरी दरवाजा, शेर दरवाजा।
4.	वाराणसी	काशी विश्वनाथ मंदिर, भारत माता मंदिर, दूध का कर्ज मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, साक्षी गणेश मंदिर, काशी विशालाक्षी मंदिर, केदारेश्वर मंदिर, विष्णु चरणपादुका, भैरव मंदिर, सीता मंदिर, मारकण्डेय महादेव मंदिर, विंध्याचल मंदिर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, भारत कला भवन वाराणसी, धूतपापेश्वर मंदिर।
5.	प्रयागराज (इलाहाबाद)	संगम, गुरावली घाट, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद किला, कड़ा, अशोक स्तम्भ, स्वराज भवन, आनंद भवन, गढ़वा, हनुमान मंदिर, संग्रहालय।

क्र0सं0	जनपद का नाम	महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल
6.	जौनपुर	अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, झंझीरी मस्जिद, लाल दरवाजा, मस्जिद।
7.	मेरठ	पांडव किला, शहीद स्मारक, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, शाहपीर मकबरा, सेन्ट जॉन चर्च, नंगली तीर्थ, सूरज कुंड, जामा मस्जिद, आबू मकबरा, विक्टोरिया पार्क, कालीपलटन मंदिर, पंजाब रेजिमेन्ट गुरूद्वारा, कम्पनी बाग, माल रोड, शहीद स्मारक माल रोड, बीस शिलालेख, जैन श्वेताम्बर मंदिर, हस्तिनापुर तीर्थ, रोमन कैथोलिक चर्च, द्रौपदी की रसोई, हस्तिनापुर अभ्यारण्य, सरधना, बेगम का महल।
8.	गाजियाबाद	गणमुक्तिश्वर महादेव का मंदिर, गंगा मंदिर, मीराबाई की रेती, ब्रज घाट, झारखण्डेश्वर महादेव, कल्याणेश्वर महादेव का मंदिर।
9.	चित्रकूट	रामघाट, कामतानाथ, सती अनसूया, राम दरबार, तुलसी जी की जन्मभूमि, हनुमान धारा।
10.	सारनाथ	सारनाथ संग्रहालय, अशोक स्तम्भ धर्मराजिका स्तूप, मूलगंध कुटी विहार, चौखंडी स्तूप, डीयर पार्क, धमेख स्तूप।
11.	बहराइच	चित्तूर झील, जंगलीनाथ मंदिर, सीता दोहरी झील, कैलाशपुरी बांध, कतरनिया घाट एवं अभ्यारण्य।
12.	सीतापुर	नैमिषारण्य, हरगांव, ललिता देवी मंदिर, बिसवॉ, बाड़ी।
13.	गोंडा	जमदाग्निकुण्ड, दुखहरन नाथ मंदिर, पृथ्वीनाथ मंदिर।
14.	हरदोई	हरदोई पर्यटन, साण्डी पक्षी अभ्यारण्य, श्रवण देवी मंदिर, सर्वोदय आश्रम टडियांवा, विक्टोरिया भवन, सकहा शंकर मंदिर, गांधी भवन, हत्याहारण तीर्थ, सुनासीरनाथ मल्लावां, मां कलिका देवी मंदिर रायपुर कोथावां।
15.	कौशांबी	शीतला माता मंदिर।
16.	बुलन्दशहर	बेलोन मंदिर, कर्णवास, अहर, सिकंदराबाद।
17.	कानपुर	राधा कृष्ण मंदिर, शासकीय संग्रहालय, फूलबाग।
18.	अयोध्या (फैजाबाद)	गुलाबबाड़ी, कलकत्ता किला, गुप्तार घाट, ऋषभदेव राजघाट उद्यान, अयोध्या।
19.	मिर्जापुर	कंतित शरीफ दरगाह, विंध्याचल मंदिर, विंध्याचल काली खो, अष्टभुजा त्रिकोण यात्रा, सीता कुंड, मोतिया तालाब, टांडा फाल, विंढमफाल, लोअर खजुरी डैम, घंटाघर, पक्केघाट, संकटमोचन मंदिर, साई अंचल मंदिर, नारघाट, चुनार किला।
20.	कुशीनगर	निर्वाण स्तूप, परिनिर्वाण मंदिर।
21.	कासगंज (सोरों शूकर क्षेत्र)	भगवान वराह की मोक्षस्थली, तुलसीदास, अष्टछाप के जड़िया कवि नन्ददास व साध्वी रत्नावली का जन्मस्थान।

प्रयागराज कुम्भ– 2019

कुम्भ 2019 का आयोजन 15 जनवरी से 04 मार्च 2019 के मध्य प्रयागराज में गंगा, यमुना एवं सरस्वती के सुरम्य पावन संगम पर किया गया। इसमें मुख्यतः निम्न 05 तिथियों पर करोड़ों लोगों ने मोक्ष व पुण्य की आशा से संगम में स्नान किया।

क्र0सं0	स्नान	तिथि	दिन
1.	मकर संक्रान्ति	15.01.2019	मंगलवार
2.	पौष पूर्णिमा	21.01.2019	सोमवार
3.	मौनी अमावस्या (द्वितीय शाही स्नान)	04.02.2019	सोमवार
4.	बसंत पंचमी (तृतीय शाही स्नान)	10.02.2019	रविवार
5.	माघी पूर्णिमा	19.02.2019	मंगलवार
6.	महा शिवरात्रि	04.03.2019	सोमवार

इन दिवसों पर विशाल जनसैलाव हिलोरे लेने लगा। सम्पूर्ण क्षेत्र अखाड़ों के शाही स्नान से लेकर संत पण्डालों में धार्मिक मंत्रोच्चार, ऋषियों द्वारा सत्य ज्ञान एवं तत्व मीमांसा के उद्वगार, मुग्धकारी संगीत, संगम में डुबकी से आलोपित हृदय एवं अनेक देव स्थानों के दिव्य दर्शन प्रयागराज में आये भक्तों को कुम्भ का मनमोहक दर्शन कराता है।

इस 49 दिन की अवधि में चलने वाले धार्मिक महोत्सव में अनुमानतः 24 करोड़ पर्यटकों द्वारा प्रतिभाग किया गया जिसमें 10.30 लाख विदेशी पर्यटक शामिल हैं। यहॉ पर यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि वर्ष 2013 के कुम्भ में मात्र 7.86 करोड़ तीर्थयात्रियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया था जिसमें साढ़े तीन लाख विदेशी पर्यटक थे। इस अवधि में पर्यटन के क्षेत्र में कई विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किये गये।

कुंभ में आस्था के साथ टेक्नॉलाजी का संगम

वर्ष 2019 में लगा प्रयागराज का कुंभ मेला आने वाले सालों में सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि टेक्नॉलाजी के महाकुंभ के रूप में भी जाना जाएगा। कुंभ मेले में जहां इस बार श्रद्धालुओं के लिए अनेक नए इंतजाम देखने को मिले, वहीं तकनीकी के इस्तेमाल के कारण आम लोगों की तमाम समस्याओं को सुलझाने में भी काफी मदद मिली। स्वच्छता से लेकर कुंभ मेले के प्रबंधन तक करीब–करीब हर क्षेत्र में इस बार नई तकनीकी का खास इस्तेमाल किया गया।

प्रयागराज के कुंभ में इस बार कई नई तकनीकों का इस्तेमाल हुआ। ट्रैफिक कंट्रोल, सोशल मीडिया ब्रैंडिंग, क्राउड मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी समेत तमाम सेक्टर्स में टेक्नॉलाजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया। खास बात यह है कि इन इंतजामों के कारण इस बार आम लोगों को भी काफी मदद मिल सकी। प्रयागराज के कुंभ मेले में पहली बार बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल वॉलेट्स और ऑनलाइन पेमेंट ऐप्लिकेशंस का भरपूर इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कुंभ मेले में इस साल बने अनेक सेक्टर्स में सरकारी और निजी बैंकों की प्रचुर मोबाइल वैन के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं दी गईं।

कुंभ मेले में इस बार पहली बार पेटीएम और गूगल–पे जैसे ऐप्लिकेशंस के जरिये तमाम दुकानों पर पेमेंट की फैसिलिटी उपलब्ध रही। वहीं मेले में टेंट्स और डॉरमेट्री की बुकिंग के लिए भी तमाम ऑनलाइन प्लैटफार्म्स का इस्तेमाल किया गया। अब तक कुंभ के जिन टेंट्स को मेला प्राधिकरण में लंबी प्रक्रिया के बाद बुक कराया जाता था, पहली बार उनकी बुकिंग ऑनलाइन प्राइवेट वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप से भी की जा सकी।

360 वर्चुअल गैलरी और मोबाइल लाइव टेलिकास्ट

प्रयागराज में कुंभ मेले में इस बार पहली बार श्रद्धालुओं के लिए 360 डिग्री वर्चुअल रिऐलिटी कियॉस्क की व्यवस्था की गई। इसके लिए बकायदा कुंभ मेला क्षेत्र में अलग–अलग स्थानों पर कुल 6 वर्चुअल वीआर सेंटर बनाए गए। इसके अलावा पहली बार कुंभ मेले में आधिकारिक ट्विटर हैंडल और इन्स्टाग्राम पेजों पर मेले के शाही स्नान, पेशवाई और आरती का लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया।

पहली बार एरियल व्यू और कैमरों का इस्तेमाल

कुंभ मेले में पहली बार बड़ी संख्या में मोबाइल कैमरों का इस्तेमाल किया गया। मेले में इस बार फोन कैमरों की मदद से तमाम विडियों शेयरिंग साइट्स पर अखाड़ों और स्नान की वीडियोज शेयर होती रहीं। इसके अलावा शाही स्नान और अन्य स्नान तिथियों पर देश–विदेश से आए लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरों से ही कुंभ के मोमेंट्स को समेटने का प्रयास किया। इसके अलावा ड्रोन कैमरों और हेलिकॉप्टर्स की मदद से पहली बार कुंभ की एरियल व्यू तस्वीरें आम लोगों के सामने आईं।

सिविल इंजिनियरिंग का बेजोड़ प्रदर्शन

कुंभ मेले में इस बार करीब 3200 हेक्टेयर क्षेत्र में मेला क्षेत्र के 20 सेक्टरों का निर्माण किया गया। इन सेक्टर्स में 12 करोड़ लोगों के लिए 5000 से अधिक अस्थाई कैंप बनाए गए। इसके अलावा मेला क्षेत्र में 22 अस्थाई पुल और करीब 250 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया।

सर्विलांसिंग और पुलिसिंग की हाइटेक व्यवस्था

कुंभ मेले में पहली बार पुलिसिंग के लिए हाइटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निर्माण कराया गया। 240 करोड़ रूपये से ज्यादा की लागत में बने इन सेंटर्स के जरिये सीसीटीवी मॉनिटरिंग की गई। कुंभ मेले में पहली बार श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल खोया पाया केंद्र बनाया गया, जिससे आयोजन के पहले 20 दिनों में ही 10 हजार से अधिक लोगों को उनके परिजनों से मिलवाने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा पुलिस के अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर बाकायदा पेज बनाकर लोगों को कुंभ से जुड़े तमाम सर्कुलर, ट्रैफिक डायवर्जन और जरूरी जानकारियों को उपलब्ध कराया।

45 किमी के दायरे में 3200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस धार्मिक आस्था के महाकुंभ में 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल कर चप्पे–चप्पे पर नजर रखी गई। पहली बार आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (कृत्रिम मेधा) का प्रभावी उपयोग कर मेले को सुरक्षित बनाया गया।

कुंभ में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार

मेले में 50 करोड़ की लागत से 04 टेंट सिटी बसाये गये जिनके नाम क्रमशः– **कल्प वृक्ष, कुंभ कैनवास, वैदिक टेंट सिटी** व **इन्द्रप्रस्थम सिटी** है। इनमें एक लाख कॉटेज की व्यवस्था भी की गयी। मेला क्षेत्र में पीने के पानी के लिए 690 किमी पाइप लाइन बिछाई गयी, साथ ही साथ 800 किमी लम्बाई में बिजली की सप्लाई पहुँचाई गयी। मेले को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए समूचे मेले में 40700 एलईडी लाइटे भी लगाई गयी। 5 लाख व्हीकल के लिए पार्किंग एरिया बनाया गया, 600 रसोईघर, 48 मिल्क बूथ, 4000 हॉट स्पॉट की व्यवस्था की गयी।

अग्रेतर पर्यटकों की सुविधाओं के लिए मा0 प्रधानमंत्री द्वारा 4048 करोड़ की लागत से 366 परियोजनाओं का लोकापर्ण कर प्रयागराज में निम्न बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कराया गया जिससे मेले के आकर्षण में चार चाँद लगेंः–

1. 10 उपरिगामी सेतुओं (आरओबी) का निर्माण।
2. 06 अंडरपास का विस्तारीकरण एवं सभी 10 रेलवे स्टेशनों का उच्चीकरण।
3. बमरौली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का निर्माण।
4. 64 यातायात चौराहों का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण।
5. 05 स्थानों पर जेटी का निर्माण।
6. मेला क्षेत्र में एक लाख बाइस हजार पांच सौ शौचालयों का निर्माण।
7. पेंट माई सिटी के तहत पूरे शहर व मेला क्षेत्र में 15 लाख वर्ग क्षेत्र में आकर्षक कलाकृतियों का सृजन।
8. दस हजार व्यक्तियों की क्षमता वाले गंगा पंडाल, प्रवचन पंडाल, सांस्कृतिक पंडाल और बीस हजार लोगों के लिए रैन बसेरों का प्रबंध।
9. प्रयागराज में समस्त पर्यटन/धार्मिक स्थलों का सुदृढ़ीकरण।
10. अस्पतालों का नवीनीकरण, नए वार्डों का विकास और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था।
11. पुलिस थानों व अवस्थापनाओं का निर्माण व उच्चीकरण।
12. घाटों पर विकास व रिवर फ्रंट संरक्षण कार्य।
13. शटल बस व ई–रिक्शा का संचालन।
14. लेजर शो, लाइटिंग, फूड कोर्ट, टूरिस्ट वॉक आदि की सुविधा।
15. 500 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।

कुंभ में रेल परिवहन

700 करोड़ रूपये की लागत से रेलवे द्वारा पर्यटकों की सुविधाओं के लिए 40 परियोजनाएं पूर्ण की गयीं। इसके अन्तर्गत प्रयागराज जिले के समस्त रेलवे स्टेशन का सौन्दर्यीकरण कर सुविधाओं का विस्तार किया गया। इलाहाबाद जंक्शन पर 04 बड़े अहातों का निर्माण किया गया जिनमें एक साथ 10000 तीर्थयात्रियों को विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था प्रदान की गयी। इन सुविधाओं में वेडिंग स्टॉल, पानी के बूथ, टिकट काउंटर, एलसीडी टीवी, सीसीटीवी, महिलाओं व पुरूषों के लिए अलग–अलग शौचालयों की व्यवस्था की गयी। तीर्थयात्रियों के लिए इलाहाबाद जिले के विभिन्न स्टेशनों से 800 विशेष ट्रेन चलाई गयीं।

दीपोत्सव, 2019

श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित –प्रसारित करने एवं पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के सहयोग से पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अयोध्या में दीपावली के अवसर पर दिनांक 26 अक्टूबर, 2019 को अयोध्या में **दीपोत्सव, 2019** का आयोजन कर 5 लाख दीये प्रज्जवलित करके विश्व कीर्तिमान बनाया गया। इस प्रकार यह वाराणसी की प्रसिद्ध देव दीपावली की भॉति विख्यात हो जाएगा।

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से गंगा तट से मंदिर तक डेडीकेटेड कॉरीडोर बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश में पर्यटक भ्रमण

प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों/स्मारकों पर सदैव भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। वर्ष 2019 में प्रदेश में भ्रमण करने वाले पर्यटकों में भारतीय पर्यटकों की अनुमानित संख्या 3135.88 लाख है जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 41.58 लाख है। निम्न सांख्यिकी से यह स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है कि प्रदेश में पर्यटन स्थलों पर भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इस क्रम में वर्ष 2018 में भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों द्वारा ऐतिहासिक स्थल/स्मारकों के भ्रमणों की संख्या निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	क्षेत्र/जोन	ऐतिहासिक स्थल/स्मारक	पर्यटको की संख्या		
			भारतीय	विदेशी	कुल
1.	आगरा परिक्षेत्र	ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर, सिकन्दरा, एतामदुद्दौला, महताब बाग, मरियम टाम्ब, राम बाग, राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय जैन संग्रहालय।	9116298	1788494	10904792
2.	लखनऊ परिक्षेत्र	बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, पिक्चर गैलरी, शाहनजफ इमामबाड़ा, रेजीडेन्सी, चिड़ियाघर, म्यूजियम, इन्दिरा गांधी नक्षत्रशाला, बौद्ध विहार शांति उपवन, मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन इको गार्डेन, मा0 श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से सम्बद्ध वाह्य क्षेत्र,	3877344	8554	3885898
3.	प्रयागराज परिक्षेत्र	स्वराज भवन स्मारक, आनन्द भवन, प्रयागराज संग्रहालय (चन्द्रशेखर आजाद पार्क), जवाहर प्लेनेटोरियम, गंगा गैलरी मम्फोर्डगंज, राजकीय उद्यान(चन्द्रशेखर आजाद पार्क)	3375712	3197	3378909
4.	बरेली परिक्षेत्र	रामनगर अहिच्छत्र जैन मंदिर, अहिच्छत्र के किले के पुरातात्विक अवशेष, बड़ी ज्यारत, पत्थरगढ़, रजा लाइब्रेरी, विदुरकुटी।	2595588	957	2596545
5.	मेरठ परिक्षेत्र	सरधना, हस्तिनापुर, गढ़मुक्तेश्वर, शुक्रताल	4609400	1269	4610669
6.	झांसी परिक्षेत्र	झांसी किला, रानी महल	376596	685	377281

क्र0 सं0	क्षेत्र/जोन	ऐतिहासिक स्थल/स्मारक	पर्यटको की संख्या		
			भारतीय	विदेशी	कुल
7.	वाराणसी परिक्षेत्र	ए0एस0आई0 संग्रहालय, ए0एस0आई0 उत्खनित क्षेत्र एवं धमेख स्तूप, चुनार किला, श्री सीता समाहित स्थल ट्रस्ट, रामनगर किला।	2500649	416671	2917320
8.	गोरखपुर परिक्षेत्र	कुशीनगर, कपिलवस्तु	207033	58603	265636
9.	अयोध्या परिक्षेत्र	श्रावस्ती	48919	96523	145442
		योग– उत्तर प्रदेश	**26707539**	**2374953**	**29082492**

पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं

प्रदेश के समस्त मण्डलों में पर्यटकों की सुविधाओं के लिए पर्याप्त संख्या में निजी सेक्टर व शासकीय सेक्टर में विभिन्न स्तर के होटल उपलब्ध हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान इनमें उपलब्ध शैय्याओं की संख्या निम्नानुसार हैः–

सहारनपुर मण्डल

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1.	सहारनपुर	1324
2.	मुजफ्फरनगर	1239
3.	शामली	131

मुरादाबाद मण्डल

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1.	बिजनौर	699
2.	मुरादाबाद	2490
3.	सम्भल	152
4.	रामपुर	620
5.	अमरोहा	680

मेरठ मण्डल

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1.	मेरठ	3774
2.	बागपत	113
3.	गाजियाबाद	7656
4.	हापुड़	316
5.	गौतमबुद्ध नगर	6032
6.	बुलन्दशहर	954

अलीगढ़ मण्डल

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1.	अलीगढ़	1096
2.	हाथरस	132
3.	एटा	494
4.	कासगंज	290

आगरा मण्डल

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1.	मथुरा	13804
2.	आगरा	21927
3.	फिरोजाबाद	259
4.	मैनपुरी	239

बरेली मण्डल

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1.	बदायूँ	434
2.	बरेली	3120
3.	पीलीभीत	340
4.	शाहजहांपुर	1320

लखनऊ मण्डल

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1.	खीरी	176
2.	सीतापुर	140
3.	हरदोई	177
4.	उन्नाव	100
5.	लखनऊ	5962
6.	रायबरेली	526

कानपुर मण्डल

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1.	फर्रूखाबाद	757
2.	कन्नौज	596
3.	इटावा	902
4.	ओरैया	310
5.	कानपुर देहात	233
6.	कानपुर नगर	7690

झांसी मण्डल

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1.	झांसी	2930
2.	ललितपुर	530
3.	जालौन	940

चित्रकूट मण्डल

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1.	हमीरपुर	493
2.	महोबा	1580
3.	बांदा	1165
4.	चित्रकूट	1760

प्रयागराज मण्डल

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1.	फतेहपुर	392
2.	प्रतापगढ़	325
3.	कौशाम्बी	140
4.	प्रयागराज	8910

अयोध्या मण्डल

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1.	बाराबंकी	315
2.	अयोध्या	3048
3.	अम्बेडकर नगर	276
4.	सुल्तानपुर	414

देवीपाटन मण्डल

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1.	बहराइच	632
2.	श्रावस्ती	591
3.	बलरामपुर	645
4.	गोण्डा	492

बस्ती मण्डल

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1.	सिद्धार्थनगर	480
2.	बस्ती	432
3.	सन्तकबीर नगर	229

गोरखपुर मण्डल

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1.	महराजगंज	320
2.	गोरखपुर	3694
3.	कुशीनगर	1420
4.	देवरिया	365

आजमगढ़ मण्डल

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1.	आजमगढ़	802
2.	मऊ	390
3.	बलिया	385

वाराणसी मण्डल

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1.	जौनपुर	806
2.	गाजीपुर	652
3.	चन्दौली	638
4.	वाराणसी	28699

विंध्याचल मण्डल

क्र0सं0	जनपद का नाम	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1.	सन्तकबीर नगर	410
2.	मिर्जापुर	1529
3.	सोनभद्र	832

पर्यटकों को स्थायी आकर्षण हेतु कार्यवाहीः–

पर्यटकों को स्थायी रूप से आकर्षित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर ठोस व सार्थक कार्यवाही की गई है। इसके कतिपय उदाहरण निम्नवत् हैः–

1. उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2018ः– प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने, निजी उद्यमियों को निवेश की सुगमता हेतु एवं पर्यटन उद्योग को नई ऊँचाईयों तक पहुँचाने हेतु ''**उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2018**'' लागू की गयी है।

2. वन स्टाप ट्रैवल्स सोल्यूशन पोर्टलः– पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को सुविधा एवं मार्ग दर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत वन स्टाप ट्रैवल्स सोल्यूशन पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पर्यटकों को सूचना एवं मार्गदर्शन, होटल बुकिंग, टैक्सी एवं रेलवे बुकिंग, आकस्मिक (एम्बुलेन्स सेवा), पुलिस सहायता इत्यादि समस्त सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से पर्यटकों को **24×7 ट्रैवल्स असिस्टेंस** प्राप्त हो सकेगा।

3. पर्यटन पुलिस बलः– पर्यटन पुलिस बल का गठन किया गया है, जिसमें 130 पर्यटन पुलिस कर्मी कार्यरत हैं, जिनके द्वारा पर्यटकों को सुरक्षा एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। पर्यटन पुलिस बल के गठन में सेना के भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त किया गया है। पर्यटन पुलिस बल की आवश्यकताओं एवं पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए 130 से बढ़ाकर 500 पर्यटन पुलिस बल की नियुक्ति का प्रस्ताव विचाराधीन है, इसमें 200 महिला सुरक्षा कर्मी हैं।

4. हेलीकॉप्टर सेवा का संचालनः– प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने हेतु कार्यक्रम पर्यटन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वाराणसी, मथुरा, आगरा, इलाहाबाद एवं लखनऊ में हेलीपोर्ट/हेलीपैड/एअरस्ट्रिप के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों यथा– वाराणसी दर्शन, प्रयाग (इलाहाबाद) दर्शन, लखनऊ दर्शन, मथुरा के पवित्र तीर्थ स्थल, गोवर्धन परक्रिमा, गोवर्धन तीर्थ एवं आगरा दर्शन का कार्यक्रम प्रारंभ कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त अयोध्या में भी पर्यटकों को हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

5.''यू0पी0 नहीं देखा, तो इण्डिया नहीं देखा'' यू0पी0 नही देखा, तो इण्डिया नही देखा की थीम पर व्यापक कार्य योजना तैयार कर उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों का प्रचार–प्रसार प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक, डिजिटल, आउटडोर, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यमों से किया जा रहा है। इसके

अतिरिक्त प्रदेश में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को पर्यटन सम्बंधी जानकारी सुलभ कराए जाने हेतु पर्यटन स्थलों पर बुकलेट, फोल्डर, पोस्टर इत्यादि प्रचार सामग्री का प्रकाशन किया जायेगा तथा पर्यटन सम्बंधी मार्ट/सेमिनार इत्यादि विभिन्न आयोजनों में प्रदर्शनी लगाकर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

6. महोत्सवों का आयोजन– क्षेत्रीय पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा प्रदेश सरकार के सहयोग से कतिपय महोत्सवों का आयोजन किया जाता है यथा– मगहर महोत्सव (संत कबीर नगर), ताज महोत्सव (आगरा), गोरखपुर महोत्सव (गोरखपुर) तथा लखनऊ महोत्सव (लखनऊ) आदि।

पर्यटन विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं हेतु वित्तीय प्राविधान–

1. वार्षिक योजना वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत **कुल रू0 71702.09 लाख बजट** व्यवस्था की गई जिसमें राजस्व मद में रू0 12608.62 लाख एवं पूँजीगत मद के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में रू0 51593.47 लाख, जिला योजना में रू0 500.00 लाख तथा केन्द्रीय योजना के लिए रू0 7000.00 लाख सम्मिलित है।

2. वित्तीय वर्ष 2018–19 में राजस्व मद के अन्तर्गत रू0 6213.61 लाख तथा पूँजीगत मद के अन्तर्गत रू0 42731.98 लाख की स्वीकृतियाँ निर्गत की गयी। कुल बजट के सापेक्ष रू0 **48945.59 लाख की स्वीकृतियाँ** निर्गत की गई है तथा जारी स्वीकृतियों के सापेक्ष रू0 48123.42 लाख व्यय किया गया।

3. वार्षिक योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत कुल रू0 85962.05 लाख बजट व्यवस्था हुई जिसमें राजस्व मद में रू0 12671.89 लाख एवं पूँजीगत मद के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में रू0 65050.15 लाख, जिला योजना में रू0 500.00 लाख तथा केन्द्रीय योजना के लिए रू0 7740.01 लाख सम्मिलित है।

केन्द्रीय सेक्टर की योजना (वर्ष 2019–20)
स्वदेश दर्शन स्कीम

क्र0 सं0	सर्किट	योजना का नाम	प्रस्तावित राशि (करोड़ में)
1.	रामायण सर्किट	चित्रकूट एवं श्रृंगवेरपुर का पर्यटन विकास	रू0 69.45
2.	रामायण सर्किट	अयोध्या का पर्यटन विकास	रू0 133.30
3.	बुद्धिस्ट सर्किट	कुशीनगर, कपिलवस्तु एवं श्रावस्ती का पर्यटन विकास	रू0 99.97
4.	स्पिरिचुअल सर्किट–1	आहर, अलीगढ़, कासगंज, उन्नाव, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, मीरजापुर, गोरखपुर, डुमरियागंज, बस्ती, बाराबंकी, आजमगढ़, कैराना, बागपत एवं शाहजहांपुर का पर्यटन विकास	रू0 68.39
5.	स्पिरिचुअल सर्किट–2	बिजनौर, मेरठ, कानपुर, कानपुर देहात, बाँदा, गाजीपुर, सलेमपुर, घोसी, बलिया, अम्बेडकर नगर, अलीगढ़, फतेहपुर, देवरिया, महोबा, सोनभद्र, चन्दौली, मिश्रिख एवं भदोही का पर्यटन विकास	रू0 63.77
6.	हेरिटेज सर्किट	कालिन्जर किला (बांदा), मगहर धाम (सन्तकबीर नगर), चौरी चौरा, शहीद स्थल (फतेहपुर), महावर स्थल (घोसी) एवं शहीद स्मारक(मेरठ) का पर्यटन विकास	रू0 34.82

क्र0 सं0	सर्किट	योजना का नाम	प्रस्तावित राशि (करोड़ में)
7.	स्पिरिचुअल सर्किट	गोरखपुर, देवीपाटन, डुमरियागंज का पर्यटन विकास	रू0 21.16
8.	स्पिरिचुअल सर्किट	जेवर–दादरी–सिकन्दराबाद–नोएडा–खुर्जा–बांदा का पर्यटन विकास	रू0 14.52

प्रासाद स्कीम

क्र0 सं0	योजना नाम	प्रस्तावित राशि (करोड़ में)
1	सारनाथ में साउण्ड एण्ड लाइट शो योजना	रू0 7.70
2.	वाराणसी में क्रूज बोट संचालन की योजना	रू0 10.71
3.	वाराणसी के समेकित पर्यटन विकास (फेज–2)	रू0 44.60
4.	मथुरा स्थित गोवर्धन का पर्यटन विकास	रू0 39.73
5.	मथुरा स्थित 04 कुण्ड (थीम पार्क, अकबरपुर, जय कुण्ड, जैत, चन्द्र सरोवर, चौमुहा, कृष्ण सरोवर)	रू0 14.93

अन्य योजना

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रस्तावित राशि (करोड़ में)
1.	अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में डिजिटल गैलरी की अवस्थापना	रू0 13.48
2.	गोरखनाथ मन्दिर, गोरखपुर में संग्रहालय की स्थापना	रू0 9.37

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का विवरण (वर्ष 2019–20)

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रस्तावित राशि (लाख में)
1.	वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना	रू0 20000.00
2.	अयोध्या में पर्यटन सुविधा एवं सौन्दर्यीकरण	रू0 10000.00
3.	रामगढ़ताल में वाटर स्पोटर्स (गोरखपुर)	रू0 2500.00
4.	मा0 अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बटेश्वर–आगरा व अन्य स्थलों का विकास	रू0 1000.00
5.	ब्रज तीर्थ विकास परिषद (मथुरा)	रू0 12500.00
6.	विंध्याचल का पर्यटन विकास	रू0 1000.00

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रस्तावित राशि (लाख में)
7.	गढ़मुक्तेश्वर का समेकित विकास	रू0 2500.00
8.	गोरखपुर में स्थित पर्यटन स्थलों का विकास	रू0 1500.00
9.	इको टूरिज्म का विकास	रू0 500.00
10.	सीतापुर स्थित नैमिषारण्य का पर्यटन विकास	रू0 500.00
11.	आगरा ब्रज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में प्रो–पुअर पर्यटन विकास परियोजना	रू0 5000.00
12.	चित्रकूट में पर्यटन विकास	रू0 100.00

****

अध्याय–12

शिक्षा

मुख्य बिन्दु–

- शिक्षा पर वर्ष 2019–20 (आय व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 21.9 प्रतिशत तथा 3.4 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2017–18 में हा. से. विद्यालयों की संख्या 25896 थी जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर 26434 हो गयी।
- समग्र शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में लगभग 1.46 करोड़ छात्र–छात्राओं को एवं शैक्षिक सत्र 2019–20 में अब तक 137 लाख बच्चों को निःशुल्क यूनीफार्म वितरित की गयी है।
- वर्तमान में 2101 राजकीय, 310 स्थानीय निकाय, 4885 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 21671 वित्तविहीन कुल 28967 माध्यमिक विद्यालय संचालित है।
- प्रदेश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 16 राज्य विश्वविद्यालय, 164 राजकीय महाविद्यालय, 331 अनुदान सूची पर अशासकीय महाविद्यालय एवं 6531 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

शिक्षा, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, स्वच्छता सेवा, पेय जल सुविधा इत्यादि सामाजिक सेवा के प्रमुख अंग है। इनके विकास के बिना प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को वास्तविक गति प्रदान कर सकते हैं।

शिक्षा जहाँ एक ओर राष्ट्र की प्रगति एवं विकास का सर्वाधिक उपयोगी तथा प्रभावी माध्यम है, वहीं दूसरी ओर वह विद्यार्थी के व्यक्तित्व यथा–संस्कारों, नैतिक मूल्यों, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों तथा विशेष रूप से अन्तः प्रज्ञा की सृजनशीलता का निर्धारण करती है। राष्ट्रीय विकास, सामाजिक उत्थान, आर्थिक समृद्धि, स्वावलंबन, प्रौद्योगिकी तथा सूचना तंत्र के सम्वर्द्धन में शिक्षा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था अपेक्षित है, जो छात्र–छात्राओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के साथ ही उनमें मानवीय मूल्यों, सामाजिक समरसता, साम्प्रदायिक सौहार्द, आपस में सामंजस्य तथा सहयोग के गुणों के साथ–साथ उनको भविष्य में विशेषकर व्यवसाय के प्रति निश्चिन्त और आशावादी बनाये रख सके। अतएव राज्य की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को शिक्षण सुविधाएं प्रदान करे। उ0प्र0 सरकार इस दिशा में कृत संकल्प है।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर राजस्व व्यय–

प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर सरकार द्वारा किये जा रहे राजस्व व्यय तालिका–12.01 में दर्शाये गये है–

तालिका–12.01

उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर राजस्व व्यय

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	मद	2017–18 (वास्तविक अनुमान)	2018–19 (पुनरीक्षित अनुमान)	वर्ष 2019–20 (आय–व्ययक अनुमान)
1	2	3	4	5
1	प्राथमिक शिक्षा	3520563 (76.72%)	4215563 (76.43%)	4623518 (76.50%)
2	माध्यमिक शिक्षा	819583 (17.86%)	900818 (16.33%)	1093461 (18.09%)
3	उच्च शिक्षा	198449 (4.32%)	338508 (6.14%)	255970 (4.24%)
4	अन्य	50124 (1.09%)	60756 (1.10%)	70506 (1.17%)
	योग	4588719 (100.00)	5515645 (100.00)	6043455 (100.00)

स्रोत– उत्तर प्रदेश आय–व्ययक की रुपरेखा 2019–2020

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर किये गये कुल व्यय का सर्वाधिक अंश प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाता है।

प्रदेश में साक्षरता की स्थिति–

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 है जिसमें पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत 77.3 तथा महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत 57.2 है। इस प्रकार से महिला एवं पुरूष के साक्षरता प्रतिशत में भी 20.10 प्वॉइन्ट का अन्तराल है जबकि इसी अवधि में भारत का साक्षरता प्रतिशत 73.0 है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार देश में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक केरल राज्य में (94.0 प्रतिशत) रहा, जो भारत के साक्षरता प्रतिशत (73.0 प्रतिशत) से भी अधिक है। अन्य राज्यों हिमांचल प्रदेश (82.8 प्रतिशत), महाराष्ट्र (82.3 प्रतिशत), तमिलनाडु (80.1 प्रतिशत) एवं उत्तराखण्ड (78.8 प्रतिशत) आदि की तुलना में उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत (67. 7) कम है।

शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों के स्तर को प्राप्त करना प्रदेश के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। कुछ प्रमुख राज्यों के साक्षरता प्रतिशत के वर्ष 2001 एवं 2011 के आँकड़े तालिका–12.02 में दर्शाये गये हैं।

तालिका–12.02

कुछ प्रमुख राज्यों के साक्षरता प्रतिशत के आँकड़े–2001 एवं 2011

क्रमांक	राज्य	2001			2011		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हिमांचल प्रदेश	76.5	85.3	67.4	82.8	89.5	75.9
2	पंजाब	69.7	75.2	63.4	75.8	80.4	70.7
3	उत्तराखण्ड	71.6	83.3	59.6	78.8	87.4	70.0

क्रमांक	राज्य	2001			2011		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8
4	हरियाणा	67.9	78.5	55.7	75.6	84.1	65.9
5	राजस्थान	60.4	75.7	43.9	66.1	79.2	52.1
6	उत्तर प्रदेश	56.3	68.8	42.2	67.7	77.3	57.2
7	बिहार	47.0	59.7	33.1	61.8	71.2	51.5
8	अरुणाचल प्रदेश	54.3	63.8	43.5	65.4	72.8	57.7
9	मेघालय	62.6	65.4	59.6	74.4	76.0	72.9
10	असम	63.3	71.3	54.6	72.2	77.8	66.3
11	पश्चिम बंगाल	68.6	77.0	59.6	76.3	81.7	70.5
12	झारखण्ड	53.6	67.3	38.9	66.4	76.8	55.4
13	ओडिशा	63.1	75.3	50.5	72.9	81.6	64.0
14	छत्तीसगढ़	64.7	77.4	51.9	70.3	80.3	60.2
15	मध्य प्रदेश	63.7	76.1	50.3	69.3	78.7	59.2
16	गुजरात	69.1	79.7	57.8	78.0	85.8	69.7
17	महाराष्ट्र	76.9	86.0	67.0	82.3	88.4	75.9
18	आन्ध्र प्रदेश	60.5	70.3	50.4	67.0	74.9	59.1
19	कर्नाटक	66.6	76.1	56.9	75.4	82.5	68.1
20	केरल	90.9	94.2	87.7	94.0	96.1	92.1
21	तमिलनाडु	73.5	82.4	64.4	80.1	86.8	73.4
	भारत	**64.8**	**75.3**	**53.7**	**73.0**	**80.9**	**64.6**

उ0प्र0 में साक्षरता प्रतिशत में सुधार हुआ है– जहां वर्ष 1991 में उ0प्र0 में साक्षरता 40.07 प्रतिशत थी वहीं 15.06 प्वॉइन्ट बढ़कर वर्ष 2001 में 56.03 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में 67.7 प्रतिशत हो गई किन्तु अभी भी प्रदेश एवं राष्ट्र स्तर की साक्षरता में 5.3 प्रतिशत प्वॉइन्ट का अन्तर है।

प्रदेश के अन्दर भी विभिन्न जनपदों के मध्य साक्षरता की स्थिति एक समान नहीं है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जहां गौतमबुद्ध नगर की कुल साक्षरता 80.1 प्रतिशत है वहीं श्रावस्ती की मात्र 46.7 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की विशालता एवं अन्तर्जनपदीय विषमताओं को देखते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में एक समान शैक्षिक सुधार लाना अपने आप में एक चुनौती है। प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में (69.3) तथा सबसे कम पूर्वी क्षेत्र में (67. 4) है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत के आँकडे तालिका–12.03 में दर्शाये गये हैं।

तालिका–12.03

उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत

क्रम संख्या	आर्थिक क्षेत्र	साक्षरता प्रतिशत 2001			साक्षरता प्रतिशत 2011		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पूर्वी	54.3	68.6	39.1	67.4	78.1	56.2
2	पश्चिमी	57.4	68.8	44.0	67.5	76.5	57.2
3	केन्द्रीय	57.6	68.1	45.5	68.3	76.3	59.3
4	बुन्देलखण्ड	59.3	73.1	43.1	69.3	79.9	57.1
	उत्तर प्रदेश	**56.3**	**68.8**	**42.2**	**67.7**	**77.3**	**57.2**
	भारत	**64.8**	**75.3**	**53.7**	**73.0**	**80.9**	**64.6**

नोट– आर्थिक क्षेत्रवार आंकड़े जनपद स्तर पर दिये गये साक्षरता प्रतिशत के आंकड़ों पर आधारित हैं।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर व्यय

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के प्रकाशन उ0प्र0 के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण 2019–20 के अनुसार वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में सरकार का शिक्षा पर चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय निम्नवत है–

तालिका–12.04

उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर व्यय

(लाख रुपये)

वर्ष	चालू व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2017-18	5192329 (21.3%)	240245 (4.1%)	5432574 (17.9%)
2018-19	6336403 (22.0%)	397131 (3.1%)	6733534 (16.2%)
2019-20	6943949 (21.9%)	448422 (3.4%)	7392371 (16.5%)

नोट–कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है जो प्रदेश के चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय के सापेक्ष दिया गया है।

तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षा पर वर्ष 2019–20 (आय व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 21.9 प्रतिशत तथा 3.4 प्रतिशत रहा। वर्ष 2018–19 (पुनरीक्षित अनुमान) में शिक्षा पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 22.0 प्रतिशत तथा 3.1 प्रतिशत रहा। वर्ष 2017–18 (वास्तविक अनुमान) में शिक्षा पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 21.3 प्रतिशत तथा 4.1 प्रतिशत रहा। तालिका से

स्पष्ट है कि शिक्षा पर सरकार का चालू व्यय पूंजीगत व्यय की तुलना में अधिक है। शिक्षा के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

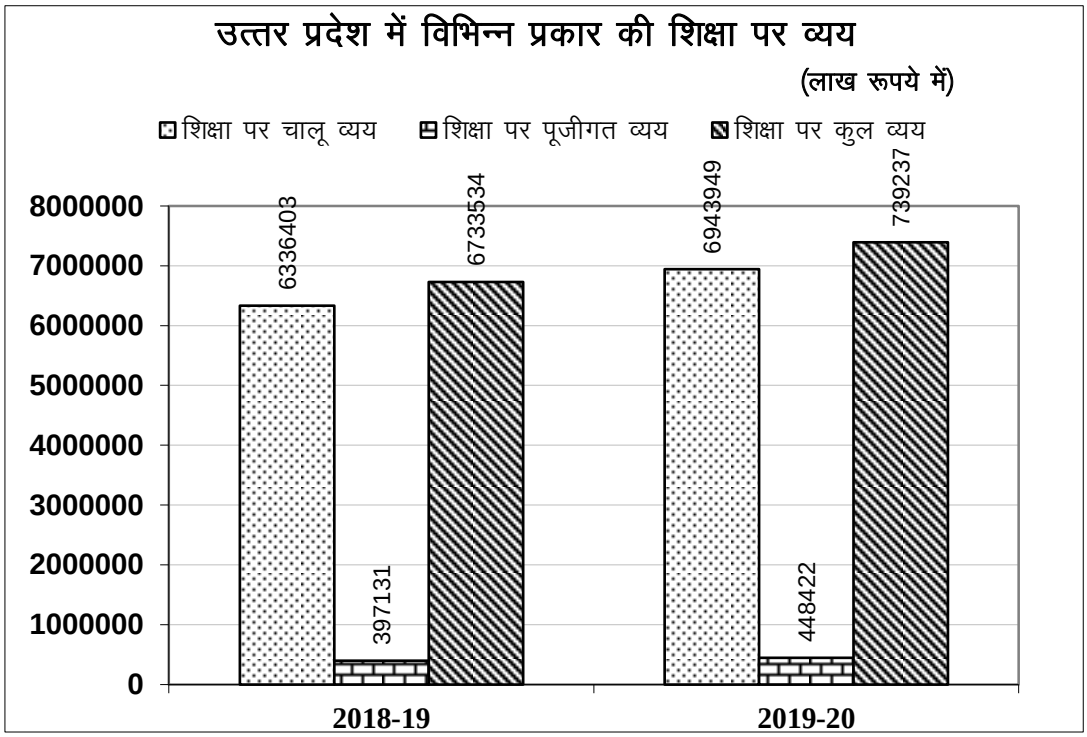

प्रदेश में शिक्षण सुविधायें

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017–18 में जू. बे. विद्यालयों की संख्या 164319 थी जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर 169689 हो गयी। इसी प्रकार सी. बे. विद्यालयों की संख्या वर्ष 2017–18 में 80583 थी जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर 84368 हो गयी। वर्ष 2017–18 में हा. से. विद्यालयों की संख्या 25896 थी जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर 26434 हो गयी।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017–18 में जू.बे. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 225 हजार थी जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर 632 हजार हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में सी.बे. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 128 हजार थी जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर 230 हजार हो गयी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017–18 में हा. से. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 296 हजार थी जो वर्ष 2018–19 में 5.07 प्रतिशत बढ़कर 311 हजार हो गयी।

प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विद्यालयों/विद्यार्थियों की संख्या–

वर्ष 2018–19 में प्रति लाख जनसंख्या पर जू.बे.वि. की संख्या उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वाधिक 92 थी, जबकि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में यह सबसे कम 73 थी और इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर जू.बे. विद्यालयों की संख्या 76 थी।

इसी प्रकार वर्ष 2018–19 में प्रति लाख जनसंख्या पर सी.बे. विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक 50 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम 34 केन्द्रीय क्षेत्र में रही जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 38 रही। वर्ष 2018–19 में प्रति लाख जनसंख्या पर हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों की संख्या पश्चिमी एवं पूर्वी क्षेत्र में 12 तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सबसे कम 10 रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 12 थी।

वर्ष 2018–19 में जू.बे. विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (31) पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम (28) बुन्देलखण्ड एवं केन्द्रीय क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में

यह संख्या 29 रही। सी.बे विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या वर्ष 2018–19 में सर्वाधिक (28) पूर्वी में तथा सबसे कम (23) पश्चिमी क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 26 रही। वर्ष 2018–19 में हा.से. विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (49) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम (43) पूर्वी क्षेत्र में रही, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 44 रही।

तालिका–12.05

उत्तर प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों/ विद्यार्थियों की संख्या

(2018–19)

आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों की संख्या			प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या		
	जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री	जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री
1	2	3	4	5	6	7
पूर्वी	76	37	12	31	28	43
बुन्देलखण्ड	92	50	10	28	25	49
पश्चिमी	73	38	12	29	23	44
केन्द्रीय	77	34	11	28	27	47
उत्तर प्रदेश	76	38	12	29	26	44

प्राथमिक शिक्षा

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके सुसंस्कृत एवं कुशल मानव संसाधन पर निर्भर हैं। सुसंस्कृत एवं कुशल नागरिकों के निर्माण एवं उनके उचित चौमुखी विकास एवं परिवर्द्धन हेतु बुनियादी शिक्षा अहम है।

तालिका–12.06

प्रदेश में संचालित समस्त विद्यालय (1 से 8) एवं उनमें नामांकन की स्थिति

वर्ष	कुल विद्यालय	कुल नामांकन
2013–14	240332	36726500
2014–15	243014	36838720
2015–16	246013	36425964
2016–17	237766	34707745
2017–18	244901	29737966
2018–19	241990	33401231

गत वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार परिलक्षित हुए हैं किन्तु जिस प्रकार उ0प्र0 में साक्षरता प्रतिशत में पर्याप्त अन्तरजनपदीय विषमतायें है। उसी प्रकार से शैक्षिक संकेतांकों में भी विभिन्न जनपदों में पर्याप्त अन्तराल है। उ0प्र0 जैसे क्षेत्रीय विशालता एवं अधिक जनसंख्या वाले तथा सीमित संसाधन वाले प्रदेश में सभी जनपदों में एक समान शैक्षिक सुधार लाना कड़ी चुनौती है।

प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

1.सर्व शिक्षा अभियान

प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1–8) के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को एक निर्धारित समय अवधि में प्राप्त करने के लिये उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्ष 2002–03 से सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है।

व्यापक रूप से सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य शिक्षा के स्थायी विकास के लिये प्रदेश, जनपद और उप जनपद स्तर पर प्रबन्धकीय और व्यवसायिक क्षमता का निर्माण करना, 6 से 14 आयु वर्ग (कक्षा 1 से 8) के सभी बालक एवं बालिकाओं को सार्थक व लाभदायक शिक्षा प्रदान करना, ड्रॉप आउट दर को कम करने के साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा की पहुंच में सुधार करना तथा विद्यालयों के प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक, क्षेत्रीय तथा जेण्डर गैप को समाप्त करना है।

भारत सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 द्वारा 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। उपरोक्त अधिनियम लागू हो जाने के पश्चात अब 6–14 वय वर्ग के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 1–8 तक की गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की संवैधानिक प्रतिबद्धता हो गयी है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में कुल उपलब्ध धनराशि रू0 748859.58 करोड़ के सापेक्ष रू0 663933.87 करोड़ व्यय किये गये।

2. समग्र शिक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 से समग्र शिक्षा लागू की गयी है जिसमें पूर्व से संचालित सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं टीचर एजूकेशन सम्मिलित किया गया है।

समग्र शिक्षा भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना है एवं राज्य के सभी जनपदों में संचालित है। वित्तीय पोषण का स्वरूप– भारत सरकार का अंश 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का अंश 40 प्रतिशत है।

तालिका–12.07

समग्र शिक्षा की वित्तीय प्रगति–2019–20

(रू0 करोड़ में)

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 की अनुमोदित कार्ययोजना	केन्द्रांश	राज्यांश	**योग**
	5451.49	**3634.33**	**9085.82**
राज्य सरकार से परियोजना को प्राप्त धनराशि का विवरण (31.10. 2019 तक की स्थिति)			
01.04.2019 को विगत वर्ष की अप्रयुक्त धनराशि (अनन्तिम)	509.55	339.70	**849.25**
वर्ष 2019–20 में प्राप्त धनराशि	2115.06	1410.05	**3525.11**
योग	**2624.61**	**1749.75**	**4374.36**

- **कुल परिव्यय के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि – रू0 4374.36 करोड़** (48.14%)
- **जनपदों एवं संस्थाओं को कुल अवमुक्त धनराशि – रू0 3436.74 करोड** (78.57%)
- **उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय –रू0 2550.46 करोड़** (58.30%)

3. ठहराव में सुधार

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों के विद्यालय में ठहराव में सुधार के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों में अतिरिक्त सुविधायें प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कार्य कराये जा रहें हैं :–

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019–20 में 07 **प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उच्चीकरण** हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्ष 2019–20 में कुल 770 प्राथमिक विद्यालयों हेतु **वृहद मरम्मत कार्य** की स्वीकृति प्रदान की गयी। ठहराव में सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में कुल 702 **अतिरिक्त कक्षा–कक्ष** एवं बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक विद्यालयों में नामांकन के आधार पर 468 **अतिरिक्त शौचालयों** का निर्माण कराया गया।

4. शिक्षा की पहुंच में सुधार

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने 'उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011' के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के संबंध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 01 किमी0 की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है। इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के संबंध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 03 किमी0 की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है। नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय उच्चीकृत प्राथमिक विद्यालय के रूप में स्थापित किया जाता है। नगर क्षेत्रों में आवासीय कालोनियों के निकट स्कूलों की पहुँच के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मिश्रित स्कूल स्वीकृत किये गये थे। यह बहुमंजिलें स्कूल भवन कक्षा 1 से 8 तक के लिये है।

विगत 15 वर्षो में 26299 नवीन प्राथमिक, 29231 उच्च प्राथमिक एवं 104 नगरीय क्षेत्रों में विद्यालयों के भवन निर्माण हुए।

5. आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन एवं विशेष प्रशिक्षण

आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान के लिए प्रतिवर्ष परिवार सर्वेक्षण कराया जाता है। शैक्षिक सत्र 2018–19 में 6–14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन हेतु हाउस होल्ड सर्वे सम्पादित किया गया। सर्वेक्षण बस्ती व मजरे वार अध्यापकों एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों के सहयोग से किया गया। सर्वे में 6–14 आयुवर्ग के कुल 33677 आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये, जिसके सापेक्ष 32976 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराया गया। वर्ष 2017–18 में 27695 तथा वर्ष 2018–19 में 33677 आऊट आफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये जिसमें से 32976 बच्चों का नामांकन कराया गया ।

विशेष प्रशिक्षण– हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को आयुसंगत कक्षा में नामांकित कराये जाने के उपरान्त विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने का प्रावधान है, जिसकी अवधि 06 माह है। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 20198 आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु 4729 विशेष प्रशिक्षण केन्द्र विद्यालय परिसर में संचालित किये गए। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सम्बन्धित विद्यालयों के 4287 अध्यापकों एवं 442 विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक) द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत से 18468 बच्चों को आयुसंगत कक्षा में नामांकित कराकर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया, जिसके सापेक्ष 17802 बच्चे शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े गये।

शैक्षिक सत्र 2019–20 में दिनांक 01 फरवरी, 2019 से 30 मार्च, 2019 एवं 21 मई से 30 जून, 2019 की अवधि में जनपदों द्वारा गाँव एवं मजरे में 06–14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे कराया गया। हाउस होल्ड सर्वे में 6–14 आयुवर्ग के 1,16,077 बच्चे चिन्हित हुए, जिसमें से 1,00,560 बच्चों का नामांकन कराया गया है। आयुसंगत कक्षा में नामांकित बच्चों को कक्षासंगत अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु विद्यालयों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

6. विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों हेतु समेकित शिक्षा कार्यक्रम–

- **बच्चों का चिन्हांकन एवं नामांकन–**विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन स्पेशल सर्वेक्षण के माध्यम से किया गया और विद्यालयों में नामांकित एवं विद्यालय से बाहर (आउट आफ स्कूल) दिव्यांग बच्चों के आंकडे एकत्र किये गये। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान हेतु सर्वेक्षणकर्ता को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। शैक्षिक सत्र 2018–19 में 237586 दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन किया गया जिनमें से 212979 विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का परिषदीय, राजकीय सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालय में नामांकन कराया गया।
- **मेडिकल एसेसमेण्ट कैम्प–**दिव्यांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं का पता लगाने तथा उनके प्रमाणीकरण हेतु ब्लाक/तहसील स्तर पर 451 एसेसमेण्ट कैम्प आयोजित किये गये। मेडिकल बोर्ड की टीम (ई0एन0टी0 सर्जन, आई0 सर्जन, आर्थोपैडिक सर्जन, साइक्लोजिस्ट व उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी) के द्वारा 28708 बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। चलन दिव्यांग, वाक–श्रवण दिव्यांग, दृष्टि दिव्यांग व बौद्धिक दिव्यांग कुल 15589 बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया। 504 बच्चों को मोतियाबिन्द, पोलियो व कटे होंठ/तालू की करेक्टिव सर्जनी के लिए चिहिन्त किया गया।
- **इटीनरेन्ट/रिसोर्स टीचर्स (स्पेशल टीचर्स)–** इटीनरेन्ट/रिसोर्स टीचर्स (एच0आई, वी0आई0 व एम0आर0) के द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अकादमिक व थेरेपिटिक सपोर्ट प्रदान किया गया। 2296 इटीनरेन्ट/रिसोर्स टीचर्स द्वारा अपनी सेवायें दी गयीं, जिनमें से 919 स्पेशल टीचर्स श्रवण दिव्यांगता के क्षेत्र में, 589 स्पेशल टीचर्स दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में तथा 788 स्पेशल टीचर्स बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षित थे। इटीनरेन्ट/रिसोर्स टीचर्स द्वारा विकास खण्ड के 6–8 विद्यलायों में 15–20 या उससे अधिक पंजीकृत विशिष्ट आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों को स्पेशल सपोर्ट प्रदान किया जाता है।
- **फिजियोथेरेपिस्ट–**चलन दिव्यांगता, प्रमस्तिष्कीय पश्चाघात, बौद्धिक व बहु दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों के थेरेपी प्लान/चाइल्ड प्रोफाइल तैयार कर फिजियोथेरेपी प्रदान की जाती है। वर्ष 2018–19 में 48 जनपद स्तरीय फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा 2750 विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को फिजियोथेरेपी सेवायें दी गयीं।
- **एक्सीलेरेटेड लर्निंग कैम्प–** विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सफल समावेशन तथा उनके पूर्व कौशलों को विकसित करने हेतु 08 माह की अवधि के 78 आवासीय एक्सीलेरेटेड लर्निंग कैम्प आयेाजित किये गये। इन कैम्प में 4508 विशिष्ट आवश्यकता वाले (2863 वाक श्रवण दिव्यांग व 1645 दृष्टि दिव्यांग) बच्चों का नामांकन कराया गया। कैम्प समापन के उपरान्त 57 वाक् श्रवण व दृष्टि दिव्यांग बालिकाओं का नामांकन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कराया गया।
- **सहायक उपस्कर/उपकरण का वितरण–**एडिप योजना के अन्तर्गत एलिम्को, कानपुर द्वारा 16807 विभिन्न प्रकार के सहायक उपस्कर/उपकरण यथा– ब्रेल किट्स, मोबिलिटी केन, स्मार्ट केन, डेजीप्लेयर, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, क्रचेज, कैलीपर्स, रोलेटर्स वाकिंग स्टिक, सी0पी0

चेयर, मल्टी सेन्सरी एजुकेशन किट एवं हियरिंग एड आदि 11359 दिव्यांग बच्चों को उपलब्ध कराये गये। उपकरणों की कुल धनराशि की 40 प्रतिशत सर्व शिक्षा अभियान तथा 60 प्रतिशत धनराशि एलिम्को, कानपुर द्वारा वहन की गयी। एक्सीलरेटेड लर्निंग कैम्प में अध्ययनरत 522 दिव्यांग बच्चों को 1120 सहायक उपस्कर/उपकरण यथा टेलर फ्रेम, एबेकस, मोबिलिटी कैम्प, ब्रेल स्लेट व हियरिंग एड आदि वितरित/फिटिंग किये गये। इस प्रकार 11881 दिव्यांग बच्चों को 17927 सहायक उपस्कर/उपकरण वितरित/फिटिंग किये गये।

- **करेक्टिव सर्जरी–**मेडिकल एसेसमेन्ट कैम्प व एलिम्को के द्वारा आयोजित मेजरमेण्ट कैम्प में करेक्टिव सर्जरी हेतु ऐसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन किया जाता है जो मोतिया बिन्द, पोलियो तथा तालू में छिद्र/कटे होंठ से प्रभावित होते हैं। ऐसे बच्चों को राजकीय चिकित्सालयों व अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा करेक्टिव सर्जरी करायी जाती है। वर्ष 2018–19 में 09 विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की करेक्टिव सर्जरी सर्व शिक्षा अभियान, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग व डॉ0 श्राफ चैरेटैबिल हास्पिटल, नई दिल्ली से समन्वय करते हुए करेक्टिव सर्जरी करायी गई।
- **दिव्यांग बच्चों की एक्सपोजर विजिट–**एक्सीलेरेटेड लर्निंग कैम्प में अध्ययनरत वाक् श्रवण व दृष्टि दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक विकास हेतु ऐतिहासिक इमारतों, म्यूजियम, आंचलिक विज्ञान केन्द्र, नक्षत्रशाला च चिड़ियाघर आदि का भ्रमण कराया गया। वर्ष 2018–19 में 65 ए0एल0सी0 में अध्ययनरत 3900 बच्चों की एक्सपोजर विजिट करायी गयी।
- **ब्रेल पाठ्यपुस्तकों का वितरण**– पूर्ण रूप से दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल पाठ्य–पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा राजकीय ब्रेल प्रेस, लखनऊ के साथ एम0ओ0यू0 किया गया। एक्सीलरेटेड लर्निंग कैम्प में अध्ययनरत 484 पूर्ण दृष्टि दिव्यांग तथा विद्यालयों में अध्ययनरत 2278 पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयीं। इस प्रकार वर्ष 2018–19 में कुल 2762 पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयीं।
- **एस्कार्ट एलाउन्स–** गंभीर रूप से ब्लाइण्ड, बौद्धिक दिव्यांग, सेरीब्रल पॉल्सी तथा जापानी इंसेफलाइटिस/एक्यूट इंसेफलाइटिस सिण्ड्रोम से प्रभावित बच्चें जो विद्यालय आने हेतु किसी सहायक व्यक्ति पर आश्रित होते हैं, ऐसे बच्चों की शिक्षा को निर्बाध जारी रखने हेतु एस्कार्ट एलाउंस प्रदान किया जाता है। वर्ष 2018–19 में 3700 दिव्यांग बच्चों को रू0 500/– की दर से एस्कार्ट एलाउंस उपलब्ध कराया गया।

7. स्कूल चलो अभियान

शैक्षणिक सत्र 2018–19 में प्रदेश में '' स्कूल चलो अभियान'' एवं ''उपस्थिति अभियान'' वर्ष में दो बार आयोजित किया गया। इसके तहत 6–14 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में नामांकन करने हेतु समुदाय को जागरूक किया गया। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के दौरान समुदाय को शत प्रतिशत नामांकन एवं बच्चों की शतप्रतिशत उपस्थिति के बारे में जागरूक किया गया।

8. निःशुल्क यूनिफार्म का वितरण

प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् सभी बालिकाओं (के0जी0बी0वी0 सहित), अनुसूचित जाति के बालकों, अनुसूचित जनजाति के बालकों, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के बालकों को निःशुल्क यूनीफार्म वितरण हेतु समग्र शिक्षा अभियान उपलब्ध करायी जाती है।

समग्र शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में लगभग 1.46 करोड़ छात्र–छात्राओं को एवं शैक्षिक सत्र 2019–20 में अब तक 137 लाख बच्चों को निःशुल्क यूनीफार्म वितरित की गयी है।

9. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण

प्रदेश में संचालित परिषद्‌ीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 8 तक के समस्त बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं हेतु समग्र शिक्षा अभियान उपलब्ध करायी जाती है।

वर्ष 2018–19 में शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में ही कक्षा 1–8 तक अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का वितरण किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका–12.08

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का वितरण	लक्ष्य	उपलब्धि
छात्र/छात्रा प्राथमिक स्तर के	11950546	11252721
छात्र/छात्रा उच्च प्राथमिक स्तर	5355651	5146753
योग	**17306197**	**16399474**

शैक्षिक सत्र 2019–20 में 173 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक वितरित की गयी है।

10. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्‌देश्य से आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारम्भ वर्ष 2004–05 में किया गया। यह योजना शैक्षणिक रूप से पिछड़े उन विकास खण्डों में संचालित है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत (46.12 प्रतिशत) से कम तथा जैण्डर गैप राष्ट्रीय औसत (21.59 प्रतिशत) से अधिक है।

01 अप्रैल 2008 से प्रभावी पुनरीक्षित गाइड लाइन्स के अनुसार 30 प्रतिशत से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले 79 विकास खण्ड तथा राष्ट्रीय औसत 53.67 प्रतिशत से कम महिला साक्षरता वाले अल्पसंख्यक बाहुल्य 52 कस्बे/शहर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना के लिए पात्र है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अनुसूचित जाति जनजाति, ओ0बी0सी0 अल्प संख्यक तथा बी0पी0एल0 परिवारों की ड्राप आउट गैर नामांकित बालिकाओं को कक्षा 6–8 तक की आवासीय सुविधा सहित शिक्षा दी जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ0बी0सी0 तथा अल्पसंख्यक वर्ग की 75 प्रतिशत बालिकाएं तथा बी0पी0एल0 परिवारों की 25 प्रतिशत बालिकाएं नामांकित की जाती हैं।

प्रदेश में कुल 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं जिनमें से 734 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय माडल–। एवं 12 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय माडल–।। प्रकार के है।

वर्ष 2019–20 में सभी संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 73681 बालिकाएं नामांकित की गयी है जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

श्रेणीवार नामांकन					योग
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओ0बी0सी0	बी0पी0एल	अल्संख्यक	
33680	1009	26858	4291	7843	73681

वर्ष 2019–20 में 404 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कक्षा–12 तक उच्चीकृत करने की योजना है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली मूलभूल सुविधाएंः–

- सी0सी0टी0वी0 कैमरा, बायोमेट्रिक एवं आर0ओ0।
- समस्त स्टाफ को पाक्सो, शिक्षा का अधिकार एवं बाल अधिकार तथा सुरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- समस्त विद्यालयों में सी0एम0ओ0 द्वारा बालिकाओं का स्वास्थ्य चेक अप तथा रिकार्ड का रख–रखाव।
- वार्डेन तथा शिक्षिकाओं का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा सुरक्षा एवं संरक्षा पर प्रशिक्षण।
- स्वच्छ पेयजल तथा वाटर प्यूरीफायर की व्यवस्था।
- यूनीफार्म, जूते, साबुन, तेल टूथपेस्ट, सेनेटरी नैपकिन एवं अन्य बालिकाओं के प्रयोग हेतु सामग्री की व्यवस्था।
- समुदाय को जोड़ने के लिए अभिभावक बैठक एवं विद्यालय प्रबन्धन समितियों का गठन।
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में गुणात्मक सुधार के लिए परफार्मेन्स इन्डीकेटर्स निर्धारित कर श्रेणीकरण की व्यवस्था लागू की गई है।

बालिकाओं का आत्म विश्वास बढ़ाने तथा कौशल विकास हेतु आयोजित की गयी गतिविधियां निम्नवत हैं–

- **एक्सपोजर विजिट–**बालिकाओं के ज्ञानवर्धन एवं बाहरी दुनिया से परिचित होने के लिए एक्सपोजर गतिविधि अत्यधिक सहायक है। एक्सपोजर विजिट के लिए बालिकाओं को पोस्ट आफिस बैंक बाजार, रेलवे स्टेशन व आस–पास के अन्य शैक्षिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। भ्रमण के दौरान बालिकायें अधिकारियों एवं भागीदारों से बातचीत करती हैं, डाटा इकट्ठा करती हैं तथा प्रोजेक्ट तैयार करती हैं।
- **एल्युमिनाई मीटिंगः–**कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से कक्षा 8 पास करने वाली बालिकाओं की एल्युमिनाई मीटिंग का आयोजन सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किया गया। एल्युमिनाई मीटिंग के दौरान बालिकायें आपस में कक्षा–8 पास कर आगे की पढ़ाई जारी रखने वाली बालिकाओं से वार्तालाप करती हैं तथा प्रेरणा प्राप्त करती हैं। इस दौरान विभिन्न प्रकार की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है।
- **आत्मरक्षा प्रशिक्षण–**बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए जूडो कराटे एक्सपर्ट के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- **बालिकाओं की सुरक्षा** हेतु स्थानीय पुलिस से सहयोग लिया जाता है। समस्त विद्यालयों की दीवारों पर हेल्पलाइन नम्बर लिखे गये तथा बालिकाओं को बाल अधिकार, समानता

का अधिकार, पाक्सो कानून, बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा आदि विषयों पर सत्र संचालित किये गये।

11. जेण्डर तथा इक्विटी हेतु संचालित कार्यक्रमः–

11.01 समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच का गठनः–प्रदेश के 45625 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किशोर–किशोरियों को अभिव्यक्ति के अवसर एवं नेतृत्व क्षमता विकसित करने, किशोरावस्था सम्बन्धी मुद्दो पर चर्चा एवं भ्रान्तियो का निराकरण करने, सेनेटरी पैड एवं इन्सीनेरेटर सम्बन्धी जागरुकता लाने, गुड टच, बैड टच एवं बाल अधिकार एवं आत्म रक्षा मुद्दों पर प्रशिक्षण देने, स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता की जानकारी एवं तत्सम्बन्धी गतिविधियों का आयोजन करने के लिए मीना मंचों का गठन किया गया है।

11.02 मीना कैम्पेन –

मीना मंच को सक्रिय व प्रभावी बनाने के लिए ''सभी बालिकाएं पढ़ें, सशक्त बने और बाल–विवाह की रोकथाम'' थीम पर आधारित मीना कैम्पेन का आयोजन पूरे प्रदेश में माह नवम्बर, 2019 से प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 1,58,919 परिषदीय विद्यालयों के छात्र–छात्राएं, समुदाय एवं शिक्षक सम्मिलित होंगे।

11.03 पावर एंजिल का प्रशिक्षण–

मीना मंच की चयनित सक्रिय बालिका को पावर एंजिल के रूप में जनपद स्तर पर तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें 6510 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। इस प्रशिक्षण से बालिकाओं में पावर एन्जिल के रूप में कार्य करने की क्षमता का संवर्द्धन हुआ।

12. गुणवत्ता कार्यक्रम–

12.01 पढ़े भारत– बढ़े भारत– कक्षा 1 व 2 के बच्चों में समझ के साथ पढने, लिखने के लिये बच्चों को अभिप्रेरित, स्वतंत्र एवं सक्रिय पाठक एवं लेखक बनने में सहयोग करने एवं संख्या, मापन और आकारों के विषय में बच्चों को तर्क को समझने योग्य बनाने के उददेश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नवाचार कार्यक्रम के अन्तर्गत ''पढ़ें भारत बढ़ें भारत'' कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के सीखने–सिखाने हेतु प्रिन्ट रिच वातावरण, पुस्तकालय, कक्षा–कक्ष के कार्यो को समुदाय के साथ जोड़ने हेतु मेलों के आयोजन इत्यादि गतिविधियां संचालित किया गया। उक्त योजना से 1,14,94,004 छात्र लाभान्वित हुए है।

12.02 रिमीडियल टीचिंग– नेशनल एचीवमेण्ट सर्वे 2017 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा–8) के गणित विषय में जिन जनपदों का परफारमेंस न्यून था, ऐसे 25 जनपदों रीमिडियल टीचिंग पर आधारित शिक्षकों का क्षमता संवर्द्धन किये जाने हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। उक्त कार्यक्रम वर्ष 2018–19 में 25 जनपद के 301 विकासखण्डों के 16122 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किया गया, जिससे 5,27,938 बच्चे लाभान्वित हुए।

12.03 राष्ट्रीय आविष्कार अभियान–वर्ष 2018–19 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोग करने, विवेकपूर्ण तार्किकता और परीक्षण के अवसर उपलब्ध कराने के साथ–साथ विद्यालयों में जिज्ञासा–आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने तथा विज्ञान, गणित एवं प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन उपरान्त राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम संचालित किया गया। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद एवं ब्लाक स्तर पर निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गयी :–

ब्लाक स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता–

I. निबन्ध लेखन प्रतियोगिताः–पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान–एक वरदान, जैव विविधता आदि विज्ञान विषय से संबंधित।
II. विज्ञान विषय सम्बन्धी चित्रकला/पोस्टर प्रतियोगिता।
III. विज्ञान व गणित क्विज प्रतियोगिता।
IV. विज्ञान/गणित मॉडल्स की प्रदर्शनी

12.04 आओ अंग्रेजी सीखेः रेडियो कार्यक्रम– उच्च प्राथमिक विद्यालयों व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बच्चों को रुचिकर तरीके से अंग्रेजी बोलना सिखाने के लिये यूनीसेफ व सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे के सहयोग से आओ अंग्रेजी सीखें रेडियो कार्यक्रम के अंतर्गत 40 एपिसोड का प्रसारण समय पूर्वान्ह 11:00–11:15 बजे आल इण्डिया रेडियो से किया गया।

12.05 प्रेरणा पोर्टल– समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में विभिन्न कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं डाटा एनालिसिस हेतु तकनीकी आधारित प्रणाली विकसित की गयी है। प्रेरणा पोर्टल प्रणाली पर 6 मॉडयूल यथा–1. गुणवत्ता मॉड्यूल 2. कायाकल्प मॉड्यूल 3. प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल 4. एस0एम0सी0 गतिविधियॉ मॉड्यूल 5. उपस्थिति मॉड्यूल 6. मध्यान्ह् भोजन मॉड्यूल पर सूचनाएं अपलोड कराकर उनका विश्लेषण किया जा रहा है।

13. शैक्षिक सुधार की प्रास्थिति–शैक्षिक सुधार के लिए संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का संज्ञान गत वर्षों के प्रदेश के मुख्य शैक्षिक संकेतांकों के अवलोकन से किया जा सकता है जो तालिका–12.09 में दर्शाये गये है–

तालिका–12.09

प्रदेश में शैक्षिक सुधार के मुख्य संकेतांक

वर्ष	सकल नामांकन अनुपात (जी0ई0आर0) प्राथमिक	शुद्ध नामांकन अनुपात (एन0ई0आर0) प्राथमिक	सकल नामांकन अनुपात (जी0ई0आर0) उच्च प्राथमिक	शुद्ध नामांकन अनुपात (एन0ई0आर0) उच्च प्राथमिक	ड्राप आउट	ट्रांजिक्शन दर	रिटेन्शन दर
2013–14	108.46	97.92	69.46	52.87	6.96	80.49	88.27
2014–15	108.79	98.35	76.50	67.23	6.0	80.96	88.22
2015–16	107.66	86.95	77.54	61.28	6.74	80.94	79.27
2016–17	94.12	91.62	87.48	80.07	9.48	79.76	76.29
2017–18	104.15	90.22	74.40	62.89	4.92	83.46	77.47
2018–19	100.21	89.98	74.19	61.73	–	80.83	77.35

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की एक मजबूत कड़ी है, जो देश के समृद्ध भविष्य का निर्माण करती है। प्रदेश सरकार ने बालक एवं बालिकाओं की शैक्षिक गुणवत्ता के सम्वर्द्धन हेतु प्रासंगिक पाठ्यक्रम तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनेक अभिनव प्रयास किये हैं, जिससे माध्यमिक शिक्षा उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित कर सके। माध्यमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा (आधारिक शिक्षा) एवं उच्च शिक्षा के बीच सेतु के रूप में कार्य करती है। यहाँ बालक

बालिकाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर समाज के विभिन्न क्षेत्रों हेतु सुशिक्षित, चरित्रवान सुयोग्य मानव संसाधन के रूप में विकसित कर आगे बढ़ाने का कार्य सम्पन्न किया जाता है। वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था अपेक्षित है, जो छात्र–छात्राओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के साथ ही उनमें मानवीय मूल्यों, सामाजिक समरसता, साम्प्रदायिक सौहार्द, आपस में सामंजस्य विकास के साथ ही उनमें मानवीय मूल्यों, सामाजिक समरसता, साम्प्रदायिक सौहार्द, आपस में सामंजस्य तथा सहयोग के गुणों के साथ–साथ उनको प्रदेश में भविष्य में विशेषकर व्यवसाय के प्रति निश्चिन्त और आशावादी बनाये रख सके।

वर्तमान में 2101 राजकीय, 310 स्थानीय निकाय, 4885 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 21671 वित्तविहीन कुल 28967 माध्यमिक विद्यालय संचालित है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने एवं शैक्षिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि कर सृजनात्मक विकास करने के उद्देश्य से अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। कुछ प्रमुख योजनायें निम्नवत् हैं–

माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

भारत सरकार की सहायता से 14–18 आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को माध्यमिक स्तर पर गुणात्मक योग्य शिक्षा उपलब्ध कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं की शिक्षा के विशेष उपाय किये जाने हेतु वर्ष 2009–10 से संचालित है। निर्धारित गाइड्लाइन के अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को प्रदेश में लागू किया जा रहा है। यह केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हाईस्कूल के छात्र/छात्राओं के लिये 5 किमी0 की परिधि में माध्यमिक स्तरीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना, माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता विकास के साथ पूर्व से चयनित विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि के भुगतान, शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन तथा निर्माणधीन विद्यालयों के अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 37377.91 लाख का बजट के सापेक्ष रू0 30383.61 लाख व्यय हुआ। वित्तीय वर्ष 2019–20 में वेतन मद में रू0 40023.87 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष रू0 7146.72 लाख का व्यय अक्टूबर, 2019 तक किया गया है।

2. बालिका विद्यालयों के छात्रावास भवन निर्माण

बालिका छात्रावास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 680 विकास खण्ड़ों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण का प्रावधान है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में स्वीकृत 191 छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। यह केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश है। वर्ष 2019–20 में योजना हेतु रू0 21693.82 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

3–व्यवसायिक शिक्षा के विभिन्न ट्रेडों का संचालनः–

यह योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में संचालित है। यह योजना 200 राजकीय विद्यालयों में संचालित है। इस योजना हेतु 05 नवीन ट्रेड (रिटेल, आटोमोबाइल, सिक्योरिटी, आई0टी0 हेल्थ) का प्रस्ताव किया गया है। इन ट्रेडों का पाठ्यक्रम एवं इन ट्रेडों में आमंत्रित अतिथि विषय विशेषज्ञों की शैक्षिक योग्यता का निर्धारण माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा किया जा चुका है। योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में रू0 1500.00 लाख का बजट प्रावधान है।

4–असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा कन्या मा0 विद्यालयों की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदानः–

वर्ष 1994–95 में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में बालिकाओं हेतु कम से कम एक हाईस्कूल स्तर का विद्यालय खोजने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1998 के बाद इस योजना के अन्तर्गत रू0 20.00 लाख की धनराशि (10–10 लाख की दो समान किस्तों में) अनावर्तक अनुदान के रूप में निजी प्रबन्ध तंत्रों को निर्धारित मानक के पूर्ण होने के पश्चात् कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए प्रदान की जाती है। वर्ष 2016–17 तक 297 विद्यालयों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त एवं 79 विद्यालयों को प्रथम किस्त दी जा चुकी है। वर्ष 2019–20 में उक्त योजनान्तर्गत रू0 10.00 लाख का बजट प्रावधान है।

5. एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा कन्या मा0 विद्यालयों की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदान

वर्ष 2000–01 में आरम्भ इस योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड को रू0 20.00 लाख की दर से (दो समान किस्तों में निर्धारित मानक को पूर्ण करने पर) अनुदान स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2016–17 तक 396 विद्यालयों को आच्छादित किया गया है। 258 विद्यालयों को प्रथम एवं द्वितीय एवं 140 विद्यालयों को प्रथम किश्त दी चुकी है। वर्ष 2019–20 हेतु रू0 50.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

6. नये सैनिक स्कूलों की स्थापनाः–

बच्चों में राष्ट्रीय भावना, शारीरिक विकास एवं दक्षता को बढ़ावा देते हुए उन्हें सैन्य सेवाओं हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से जनपद अमेठी, मैनपुरी एवं झांसी में सैनिक स्कूलों की स्थापना किये जाने हेतु रू0 2656.58 लाख का बजट प्राविधान वित्तीय वर्ष 2019–20 में किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा का आय–व्ययक प्रावधान एवं व्यय

(करोड़ रू0 में)

वर्ष	आय–व्ययक प्रावधान	व्यय
1	2	3
2017–18	9530.35	8583.88
2018–19	9852.63	9126.25
2019–20	12217.23	5484.47 (अनन्तिम)

माध्यमिक शिक्षा में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँः–

1– निजी विद्यालयों की फीस को विनियमित करने हेतु उ0प्र0 स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम–2018 लागू किया गया।

2– बेटी पढ़ाओ–बेटी बचाओ योजना के अन्तर्गत 100 टापर छात्राओं, 100 टापर एससी/एसटी छात्र–छात्राओं तथा डिप्लोमा सेक्टर की प्रवेश परीक्षा में प्रवेश लेने वाले 300 टापर छात्र/छात्राओं को लैपटाप दिये गये।

3– मान्यता प्राप्त वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों के अंशकालिक अध्यापकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार देने का निर्णय।

4– 193 नये इण्टर कालेज संचालित व 55 नये इण्टर कालेजों की स्वीकृति।

उच्च शिक्षा

सरकार का प्रयास है कि बदलते हुये वैश्विक परिवेश के अनुसार शैक्षिक संस्थाओं के गुणात्मक विकास पर बल दिया जाये, ताकि राष्ट्र निर्माण के उच्चतर लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इन आदर्शों को साकार करने की दिशा में सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा के संस्थानों में आधुनिकतम संसाधनों से परिपूर्ण उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध हो, साथ ही छात्र/छात्राओं को व्यवसाय–परक शिक्षा प्रदान की जाये जिससे प्रदेश का उच्च शिक्षित युवा वर्ग स्वावलम्बी बन सके एवं शिक्षित युवाओं की सरकारी सेवाओं पर निर्भरता में उत्तरोत्तर कमी आ सके और देश की समृद्धि एवं उन्नति में वह अपना अमूल्य योगदान दे सके। वर्तमान समय में सरकार एक ओर महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, सुयोग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति, भवन निर्माण/विस्तार, समृद्ध पुस्तकालय, सुसज्जित प्रयोगशाला तथा महाविद्यालयो के कम्प्यूटरीकरण जैसे कार्यों पर ध्यान दे रही है तो दूसरी ओर प्राथमिकता के आधार पर उच्च शिक्षा में निजी पूँजी निवेश एवं सहभागिता को आकृष्ट करते हुए असेवित क्षेत्रों में महाविद्यालयों की स्थापना जैसे कार्यों पर विशेष बल दे रही है प्रदेश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 16 राज्य विश्वविद्यालय, 164 राजकीय महाविद्यालय, 331 अनुदान सूची पर अशासकीय महाविद्यालय 6531 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

प्रदेश में स्नातक एवं परास्नातक स्तर की शिक्षण संस्थाएं एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित आंकड़े निम्नवत् है–

तालिका–12.10

उत्तर प्रदेश में डिग्री स्तर की शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या

क्रम संख्या	शिक्षण संस्थायें, छात्र/छात्रा एवं अध्यापकों की संख्या	2017–18	2018–19
1	2	3	4
1	**विश्वविद्यालयों की संख्या**		
	1–राज्य विश्वविद्यालय	16	16
	2–मुक्त विश्वविद्यालय	01	01
	3–डीम्ड विश्वविद्यालय	01	01
	4–निजी विश्वविद्यालय	27	27
2	**महाविद्यालयों की संख्या**		
	महिला	1114	1195
	सह शिक्षा	5567	5831
	योग	**6681**	**7026**
3	शासकीय महाविद्यालय	158	164
4	अनुदान सूची पर अशासकीय महाविद्यालयों की सूची	331	331
5	अनानुदादित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या	6192	6531

क्रम संख्या	शिक्षण संस्थायें, छात्र/छात्रा एवं अध्यापकों की संख्या	2017–18	2018–19
1	2	3	4
6	कुल महाविद्यालयों की संख्या	6681	7026
7	**महाविद्यालयों में छात्र संख्या**		
	छात्र	2797501	2074205
	छात्रायें	2777137	2308322
योग		**5574638**	**4382527**

उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनाएं

1. **प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सेमिनार तथा सिम्पोजियम–** सेमिनार तथा सिम्पोजियम ज्ञान के संवर्धन एवं परिवर्धन हेतु वे मंच हैं जहाँ विभिन्न विषयों एवं विचारों के आदान–प्रदान से ज्ञान को नई दिशा एवं विचार प्राप्त होते हैं। इनके माध्यम से विश्वविद्यालयों एवं संबंधित महाविद्यालयों में छात्र अकादमिक रूप से ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की नवीन धाराओं एवं विचारों से अवगत होते हैं तथा संस्था के प्राध्यापक एवं छात्र वैश्विक स्तर पर हो रहे नवीन शोधों से लाभान्वित होते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्ष 2018–19 में प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सेमिनार एवं सिम्पोजियम हेतु 30.00 लाख रूपये एवं प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय में सेमिनार एवं सिम्पोजियम हेतु 25.00 लाख रूपये तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 20.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 21.50 लाख, रू0 15.70 लाख एव रू0 2.70 लाख व्यय किया गया।
2. **इन्टरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल एवं उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद में मानीटरिंग सेल की स्थापना–**उच्च शिक्षा के मानकों के निर्धारण एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर **नैक** संस्था का गठन किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में आन्तरिक गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ गठित है जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय अपनी अकादमिक एवं आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन कर **नैक** संस्था से उच्च ग्रेड प्राप्त कर सकें। इस हेतु उ0प्र0 उच्च शिक्षा परिषद में मानीटरिंग सेल की स्थापना की गयी है। वर्ष 2018–19 में इस योजना हेतु 50.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष शत प्रतिशत व्यय कर लिया गया है।
3. **प्रदेश में निजी प्रबन्धतंत्रों/संस्थाओं द्वारा असेवित क्षेत्रों में महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान–** प्रदेश के उन विकास खण्डों में जहाँ वर्तमान में कोई भी महाविद्यालय नहीं है उनमें उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा निजी प्रबन्धतंत्रों को अनुदान प्रदान कर महाविद्यालय खोलने को प्रोत्साहित किया जाता है। इस हेतु वर्ष 2018–19 में 10.00 करोङ रूपये का बजट प्राविधान किया गया है।

इण्टर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल–भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत एवं संस्कृति से छात्र छात्राओं को युवा महोत्सवों द्वारा अवगत कराना तथा उनके भीतर छिपी हुई विभिन्न प्रतिभाओं को विकसित करने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं को खेल के प्रति जागरूक करने एवं उनकी प्रतिभा को तराशने के लिए **इण्टर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल** का आयोजन किया जाता है। आयोजन हेतु वर्ष 2018–19 में 20.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान(रूशा)–

1. **मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना–**राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े न्यून सकल नामांकन वाले 26 जनपदों में मॉडल राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में नामांकन दर को बढ़ाना एवं लिंग आधारित भेदभाव को कम करना तथा अल्पसंख्यक क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को प्रदान करना है। इस योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60 एवं 40 है। इस हेतु वर्ष 2018–19 में 4300.00 लाख रूपयें का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष रू0 3739.09 लाख व्यय कर लिया गया है।
2. **राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था–**प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों को अपनी आधारभूत सुविधाओं–नवनिर्माण, अनुरक्षण एवं उन्नयन तथा नये उपकरणों एवं लाईब्रेरी हेतु पुस्तकों एवं जनरलों का क्रय इस योजना का उद्देश्य है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में विश्वविद्यालयों को अपनी आधारभूत सुविधाओं की स्थापना हेतु रू0 7348.31 लाख एवं राजकीय महाविद्यालयों को रू0 8086.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 4209.18 लाख एवं रू0 2882.11 लाख व्यय किया गया।
3. **समस्त कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में वाई–फाई सुविधा–**सूचना प्रोद्योगिकी के इस युग में समस्त छात्र/छात्राओं को विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं वैश्विक संस्थाओं द्वारा किये जा रहे शोध एवं नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों से अवगत कराने हेतु समस्त कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में वाई–फाई की सुविधा प्रदान की जा रही है जिससे छात्र/छात्राएं आधुनिक तकनीकी द्वारा लाभान्वित हो सकें। इस हेतु वर्ष 2018–19 में रू0 5000.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
4. **विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम एवं अन्य व्यय–**राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य छात्र/छात्राओं को समाजिक विकास हेतु प्रेरित करना एवं उनमें मानवीय मूल्यों की स्थापना करना जिससे वे राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना योगदान दे सकें। इस हेतु वर्ष 2018–19 में 1585.95 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया था।
5. **राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना–**इस योजना का उद्देश्य शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना किया जाना है जिससे समाज के सभी वर्गों को समानता एवं उत्कृष्टता के साथ उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके। वर्ष 2018–19 में इस हेतु रू0 3500.00 लाख का बजट प्राविधान पुनर्विनियोग के माध्यम से किया गया है।
6. **प्रदेश में नये विश्वविद्यालय की स्थापना–**

   जनपद लखनऊ में अरबी–फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु वर्ष 2018–19 में 700.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष रू0 700.00 लाख व्यय कर लिया गया है। **सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना** हेतु वर्ष 2018–19 में 366.50 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष रू0 45.01 लाख व्यय कर लिया गया है। **बलिया में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना** हेतु वर्ष 2018–19 में 500.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष रू0 244.92 लाख व्यय कर लिया गया है। **जनपद सिद्धार्थनगर में विश्वविद्यालय की स्थापना** हेतु वर्ष 2018–19 में 2494.75 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया है। **जनपद प्रयागराज में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना** हेतु वर्ष 2018–19 में 2000.00 लाख रूपये का बजट प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष रू0 2000.00 लाख व्यय कर लिया गया है।

प्रावैधिक शिक्षा

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उत्कर्षकाल है। नित्य नई प्रविधियाँ विकसित हो रही हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्धा से श्रेष्ठता व गुणवत्ता के नवीन आयाम जन्म ले रहे हैं। विकास के ऐसे क्रान्तिक परिदृश्य में प्राविधिक शिक्षा की विशेष प्रासंगिकता प्रदेश में प्रावैधिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण–पत्र स्तर की त्रिस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

इसके अतिरिक्त दिव्यांगों एवं अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ राज्य के विभिन्न जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट प्लान (एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत केन्द्र के आर्थिक सहयोग से पालीटेक्निक स्थापित किये जा रहे हैं। प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी पालीटेक्निकों की स्थापना की जा रही है। ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए संस्थाओं में इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्टाफ, इक्विपमेन्ट एवं भवन) उपलब्ध कराये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

तालिका–12.11

उत्तर प्रदेश में डिग्री/डिप्लोमा स्तर के प्राविधिक संस्थाओं की प्रगति

संस्थायें	2016–17	2017–18	2018–19
1	2	3	4
1– इंजीनियरिंग कालेज की संख्या	12	12	12
(अ) प्रवेश क्षमता	3518	2777	3021
(ब) वास्तविक प्रवेश	3021	2758	2917
2– डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं की संख्या	145	155	160
(अ) प्रवेश क्षमता	37170	37170	36810
(ब) वास्तविक प्रवेश	34890	33157	30875

सत्र 2018–19 हेतु डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित राज्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बी0टेक0, बी0फार्मा, बी0आर्क0 तथा होटल मैनेजमेन्ट के पाठ्यक्रमों हेतु चयनित 2917 अभ्यर्थियों का प्रवेश कराया गया।

डिप्लोमा स्तर की संस्थाएं–

डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश सामान्यतः संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से कराये जाते हैं। सत्र 2018–19 हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में ऑन लाइन काउन्सलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों का प्रवेश कराया गया।

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 198 राजकीय एवं 19 अनुदानित अर्थात् कुल 217 पालीटेक्निकों को संचालित किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है जिसमें से 160 राजकीय/अनुदानित (पुरूष/महिला) पालीटेक्निक संचालित हैं एवं 51 डिप्लोमा स्तरीय राजकीय (पुरूष/महिला) संस्थायें अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं।

अति पिछड़े जनपदों में केन्द्रीय सहायता से स्वीकृत 41 पालीटेक्निक स्थापित किये गये हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक विकास हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत 19 पालीटेक्निक स्थापित किये गये हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ केन्द्र सरकार के आर्थिक सहयोग से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 23 राजकीय पालीटेक्निक स्थापित किये जा रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में वर्तमान में 21 महिला पालीटेक्निक संचालित हैं,

जिनकी सत्र 2018–19 में 4825 प्रवेश क्षमता निर्धारित थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न मण्डलों/जनपदों में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 07 महिला पालीटेक्निक अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं। महिलाओं के सुरक्षित शिक्षण–प्रशिक्षण के दृष्टिगत उन्हें छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से राजकीय(पुरूष/महिला) संस्थाओं में 60 सीटेड 52 महिला छात्रावासों के निर्माण कराये गये।

विगत पाँच वर्षों में प्रदेश में संचालित की गयी पालीटेक्निकों की संख्या में हुई अभिवृद्धि का विवरण निम्नवत् हैः–

पालीटेक्निकों की संख्या

वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18	वर्ष 2018–19
118	120	145	155	160

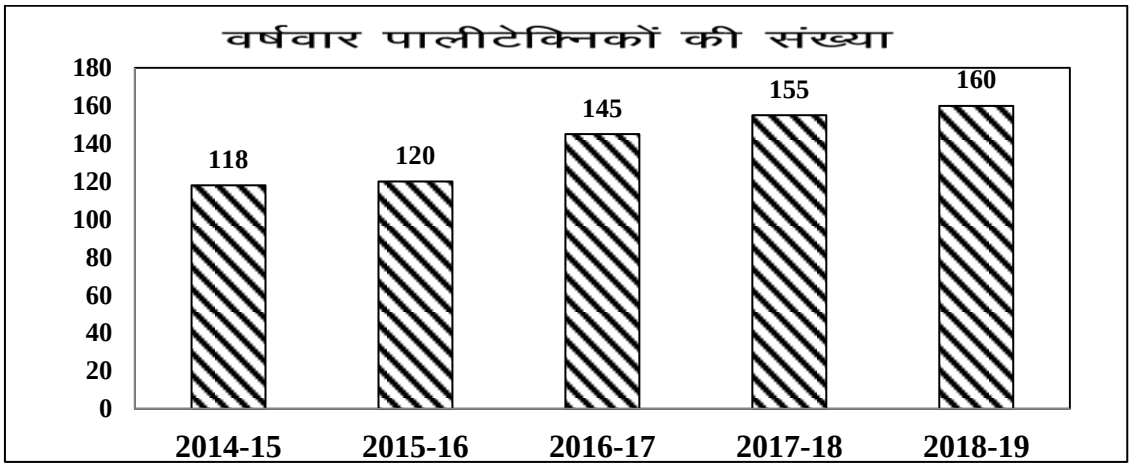

दिव्यांगजन हेतु प्रदेश में विशिष्ट संस्था डा0 अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी फार हैण्डीकैप्ड, उत्तर प्रदेश, कानपुर स्थापित है जिसकी प्रवेश क्षमता सत्र 2018–19 में 160 निर्धारित थी। इसके अतिरिक्त सभी पुरूष/महिला पालीटेक्निक संस्थाओं में दिव्यांगजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा अनुमन्य है।

भारत सरकार द्वारा शत्–प्रतिशत वित पोषित कम्युनिटी डेवलपमेन्ट थ्रू पालीटेक्निक स्कीम प्रदेश की 59 संस्थाओं में संचालित है। वर्ष 2018–19 में उक्त स्कीम के अन्तर्गत संचालित जनशक्ति विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में 31 दिसम्बर, 2018 तक 440 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया और 4355 प्रशिक्षार्थी विभिन्न अल्पकालीन रोजगारपरक व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणरत हैं।

वर्चुअल क्लासरूम/इलैक्ट्रानिक्स मीडिया रिसोर्स सेन्टर/स्टूडियो (ई0एम0आर0सी0) शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर एवं राजकीय पालीटेक्निक, गाजियाबाद के माध्यम से सत्र 2018–19 में प्रदेश की 47 संस्थाओं में स्थिति वर्चुअल क्लासरूम में आमंत्रित विषय–विशेषज्ञों द्वारा कुल 51 सजीव ई–व्याख्यान का प्रसारण कराया गया। सत्र 2019–20 में दोनों ई0एम0आर0सी0 स्टूडियो के माध्यम से प्रदेश की पालीटेक्निक संस्थाओं में स्थित वर्चुअल क्लासरूम में आमंत्रित विषय–विशेषज्ञों के माध्यम से 125 सजीव ई–व्याख्यान का प्रसारण किया जाना प्रस्तावित है।

रिलायंस जियो के सहयोग से प्रदेश में 96 राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क वाई–फाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु **एम0ओ0यू0 किया गया है** जिसके अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 66 संस्थाओं में वाई–फाई की सुविधा क्रियाशील हो गयी है।

विगत पाँच वर्षों में प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) में उपलब्ध कराये गये बजट प्राविधान एवं उसके सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः–

तालिका–12.12

डिप्लोमा सेक्टर में आय–व्ययक प्राविधान एवं व्यय की स्थिति

(रू0 लाख में)

वर्ष	बजट प्राविधान	स्वीकृत धनराशि	व्यय
2014-15	24253.83	18225.97	6027.86
2015-16	19503.26	14862.22	4641.04
2016-17	34043.75	30485.76	3557.99
2017-18	46094.78	39106.96	6987.82
2018-19	44621.96	39956.73	4665.23

इंजीनियरिंग संस्था में अभिवृद्धिः–

अ– प्रदेश में डिग्री स्तरीय अभियंत्रण संस्थाओं की संख्या में अभिवृद्धि हुई है। वर्तमान में जनपद मैनपुरी, कन्नौज, सोनभद्र, मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ में एक–एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना की गयी है।

ब– राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान(रूशा) के अन्तर्गत प्रदेश में जनपद गोण्डा एवं बस्ती में एक–एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जा रही है।

स– प्रदेश में एक उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थान(आई0आई0आई0टी0) की स्थापना लखनऊ के चकगंजरिया क्षेत्र में की जा रही है।

तालिका–12.13

प्रदेश में संचालित राजकीय एवं सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थाओं एवं डिग्री स्तरीय संस्थाओ के प्रवेश लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक प्रवेश की स्थिति

राजकीय एवं सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्था			डिग्री स्तरीय संस्था	
वर्ष	स्वीकृत प्रवेश क्षमता	वास्तविक प्रवेश	स्वीकृत प्रवेश क्षमता	वास्तविक प्रवेश
2014–15	37770	27412	4172	3683
2015–16	37170	29672	4744	4046
2016–17	37170	34890	3518	3021
2017–18	37170	33157	4133	3595
2018–19	36810	30875	3704	3393

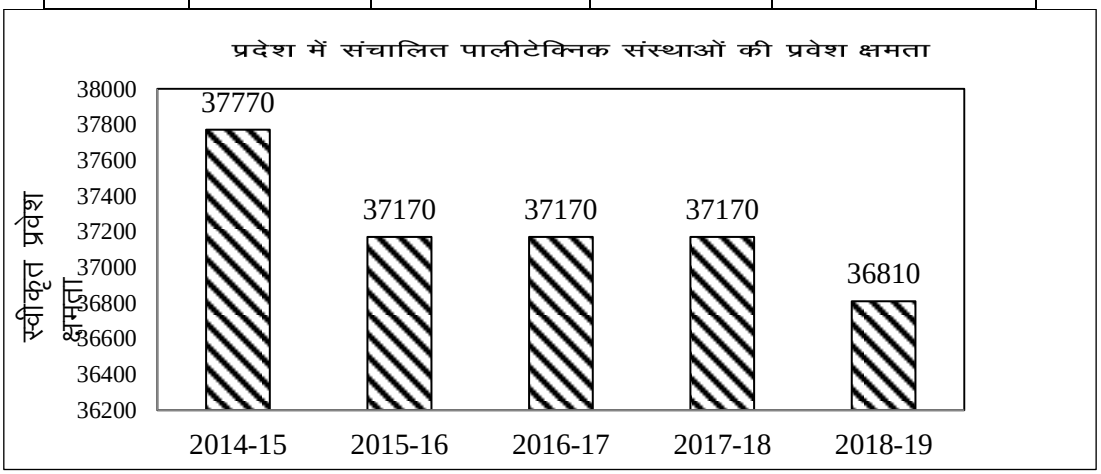

****

अध्याय–13

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

मुख्य बिन्दु–

- वित्तीय वर्ष 2019–20 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए 23. 9 हजार करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है जो गत् वर्ष से 10.3 प्रतिशत अधिक है जबकि वर्ष 2019–20 में भारत सरकार के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए रू0 64559 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है जो गत् वर्ष के रू0 54600 करोड़ से 19 प्रतिशत अधिक है।
- उत्तर प्रदेश राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है।
- प्रदेश में 13 नये मेडिकल कालेजों, 2 एम्स की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु रू0 1298 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है जिसके अन्तर्गत लाभार्थी के परिवार को प्रतिवर्ष रू0 5 लाख का बीमा कवर सूचीबद्ध राजकीय चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।
- राष्ट्रीय बघिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 56 जनपद आच्छादित है।
- प्रदेश के 38 जनपदों में जे0ई0/ए0ई0एस0 टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत 34 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया।
- प्रदेश में जुलाई, 2019 तक कुल 128.00 लाख लोगों को 108 एम्बुलेन्स सेवा से 1.21 लाख लोगों को एडवांस लाइफ सर्पोट सिस्टम युक्त एम्बुलेन्स सेवा से लाभान्वित किया जा चुका है।
- उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018–19 में महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत 49.01 लाख टी0टी0, 44.44 लाख डी0टी0पी0(पेन्टावैलेन्ट), 50.11 लाख पोलियो, 52.29 लाख बी0सी0जी0 एवं 45.79 लाख मीजिल्स के टीके लगाए गये।
- प्रदेश में वर्ष 2018–19 में 18.5 लाख एवं वर्ष 2019–20 में माह अगस्त, 2019 तक 11.9 लाख गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार की सुविधाएं प्रदान की गयी।
- प्रदेश में वर्ष 2018–19 में पेयजल सुविधायुक्त नगरों की संख्या 652 तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 492 लाख थी।
- प्रदेश में मातृ मृत्यु अनुपात को वर्ष 2020 तक 170 प्रति एक लाख जीवित जन्म तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत उन समस्त प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है जिससे मानव की जीवन प्रत्याशा, शारीरिक शक्ति व योग्यता तथा कार्यक्षमता आदि की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं आवास की दशाएं मानव विकास को प्रभावित कर अंततः आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं।

सितम्बर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अगले 15 वर्षों अर्थात 2030 तक के लिए एक नया वैश्विक एजेंडा–**सतत विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स)** तय किया गया, जिनमें विश्व की बेहतरी के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है। इसमें लक्ष्य–3 सभी के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और आजीवन तंदुरूस्ती को बढ़ावा देने हेतु है।

लोक कल्याणकारी राज्य की मुख्य प्राथमिकता जनसाधारण को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का निरन्तर विस्तार हो रहा है।

प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं

प्रदेश वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़ें तालिका–13.01 में दर्शाए गए हैं–

तालिका–13.01

उत्तर प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों का विवरण

क्र0 सं0	मद	एलोपैथिक		आयुर्वेदिक एवं यूनानी		होम्योपैथिक	
		1.1.18	1.1.19	2017–18	2018–19	2017–18	2018–19
1	चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या	5117	5119	2370	2360	1576	1576
2	शैय्याओं की संख्या	86881	87977	11077	11077	438	438
3	चिकित्सित रोगियों की संख्या (हजार में)	9675	10739	31772	16492	27896	26464

चिकित्सा हेतु बजट प्राविधान–

वर्ष 2019–20 के बजट में 47 करोड़ 50 लाख रूपये प्रदेश के जनपदों में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु प्राविधानित है। 908 करोड़ रूपये चिन्हित जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कालेजों में उच्चीकृत किये जाने हेतु प्राविधानित किये गये हैं। जनपद लखनऊ स्थित कैंसर संस्थान के लिए सरकार ने भवन निर्माण, मशीनें आदि हेतु 248 करोड़ रूपये का बजट प्राविधान किया है। संस्थान का पूरा प्रोजेक्ट 854 करोड़ रूपये का है। पहले चरण में 550 करोड़ रूपये का बजट पूर्व में ही जारी किया जा चुका है। लोहिया संस्थान को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 396 करोड़ रूपये का बजट प्राविधान किया गया है। संस्थान प्रशासन द्वारा 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार किये जाने का लक्ष्य है। के0जी0एम0यू0 को 908 करोड़ रूपये का बजट प्राविधान किया गया है, जिसमें गत वर्ष के सापेक्ष 71 करोड़ की वृद्धि की गयी है। बजट में मरीजों को आधुनिक इलाज उपलब्ध कराने के लिए उपकरणों की खरीद हेतु 40 करोड़ रूपये का प्राविधान है। 25 करोड़ रूपये बलरामपुर में केजीएमयू सेटेलाइट सेंटर हेतु प्राविधानित किये गये हैं। पी0जी0आई0 को बजट में 854 करोड़ रूपये मिले है। पी0जी0आई द्वारा ट्रामा सेंटर में 40 बेड के विस्तार के साथ ही मुख्य संस्थान में जरूरी उपकरण और संसाधनों की खरीद की जायेगी।

आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में 38.54 लाख रूपया स्वीकृत किया है। राजकीय आयुर्वेद कालेज में गठिया के इलाज एवं शोध के लिए केन्द्र स्थापित किया जायेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी बाजपेयी के नाम से जनपद लखनऊ में मेडिकल विश्वविद्यालय बनेगा। इसके निर्माण के लिए 50 करोड़ रूपये का बजट प्राविधान किया गया है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी इन्डिकेटर की दृष्टि में प्रदेश

वर्ष 2018–19 में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 3.11 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सब से कम 1.94 केन्द्रीय क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या सर्वाधिक 49.97 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सब से कम 35.13 पश्चिमी क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 2.84 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सब से कम 1.37 पश्चिमी क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या सर्वाधिक 6.99 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सब से कम 3.81 पश्चिमी क्षेत्र में रही जैसा कि तालिका 13.02 से स्पष्ट है–

तालिका–13.02

प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या

(2018–19)

आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या
1	2	3	4	5
पूर्वी	2.41	39.08	1.96	5.03
बुन्देलखण्ड	3.11	49.97	2.84	6.99
पश्चिमी	1.99	35.13	1.37	3.81
केन्द्रीय	1.94	45.32	1.81	4.95
उत्तर प्रदेश	2.20	39.24	1.75	4.65

प्रदेश में लिंगानुपात एवं बाल लिंग अनुपात–

वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में पिछले दशक 2001 की तुलना में वृद्धि हुई है जबकि बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र) में गिरावट आयी है। पिछले 03 दशकों के प्रदेश के लिंग अनुपात एवं बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र) का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :–

तालिका–13.03

प्रदेश में लिंग अनुपात एवं बाल लिंग अनुपात

क्र0सं0	वर्ष	उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात	उत्तर प्रदेश का बाल लिंग अनुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र)
01	1991	876	927
02	2001	898	916
03	2011	912	902

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के वर्ष 2011–12 व 2012–13 के आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात, 0–4 आयु वर्ग में लिंगानुपात व समस्त आयु वर्ग में लिंगानुपात में वृद्धि परिलक्षित हो रही है, जैसा कि तालिका–13.04 से स्पष्ट है –

तालिका–13.04

वर्ष	जन्म के समय लिंगानुपात	लिंगानुपात (0–4 आयु वर्ग)	लिंगानुपात (समस्त आयु वर्ग)
2011-12	908	914	944
2012-13	921	919	946

प्रदेश सरकार के सतत प्रयास से स्वास्थ्य एवं जनांकिकीय संकेतकों में पर्याप्त सुधार आया है, परन्तु अभी भी उ०प्र० इन संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से पीछे है जैसा कि तालिका–13.05 से परिलक्षित हो रहा है।

तालिका–13.05

प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े

मद	वर्ष			
	2016		2017	
	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत
जन्म दर	26.2	20.4	25.9	20.2
मृत्यु दर	6.9	6.4	6.7	6.3
शिशु मृत्यु दर	43	34	41	33

स्रोतः– एस.आर.एस. बुलेटिन, महारजिस्ट्रार, भारत सरकार

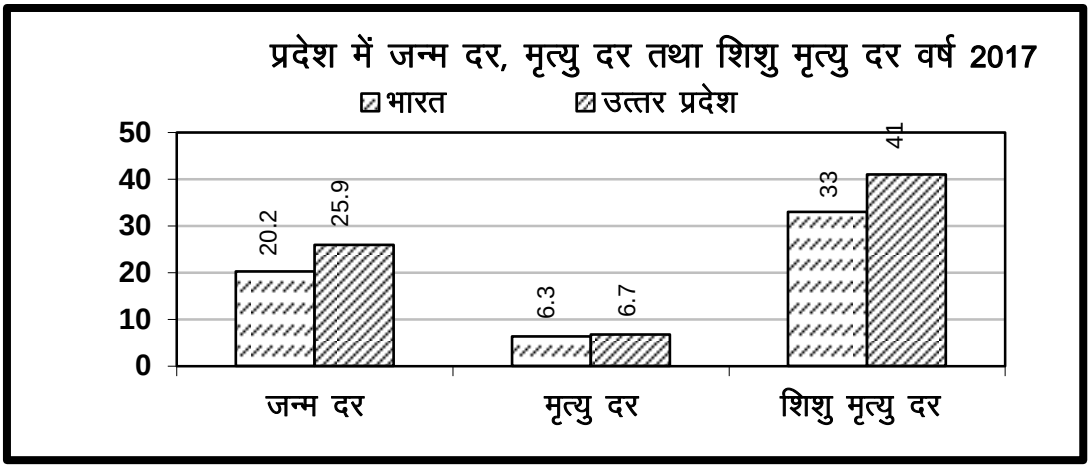

प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर–

प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर में कमी लाना सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मातृत्व मृत्यु दर से तात्पर्य प्रतिवर्ष एक लाख जीवित जन्म पर माताओं की मृत्यु दर से है।

मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में कमी लाने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अद्यतन सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2014–16 के सर्वे में यह निष्कर्ष उभरकर आया है कि उत्तर प्रदेश में एमएमआर में लगभग 30 प्रतिशत की कमी आई है। देश भर में हुए इस सर्वे में 62,91,101 गर्भवती महिलाओं को सम्मिलित किया गया था। इनमें से 556 की मृत्यु हुई थी। उत्तर प्रदेश ने मातृ मृत्यु दर में कमी के मामले में सभी राज्यों से उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। प्रसव पूर्व देखभाल के कारण इस दर में सुधार आया है। नियमित टीकारण, आयरन टैबलेट, ब्लड प्रेशर तथा रक्त की जांच, एंटी नेटल चेकअप आदि के आधार पर यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सका है।

एस0आर0एस0 बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर मातृत्व मृत्यु दर वर्ष **1997–98** में क्रमशः 606 एवं 398 थी जो घटते हुए वर्ष **2014–2016** में क्रमशः 201 तथा 130 हो गयी। स्पष्ट है कि प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

तालिका–13.06

प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े

वर्ष	मातृत्व मृत्यु दर	
	उत्तर प्रदेश	भारत
1997–98	606	398
1999–01	593	327
2001–03	517	301
2004–06	440	254
2007–09	359	212
2010–12	292	178
2011–13	285	167
2014–16	201	130

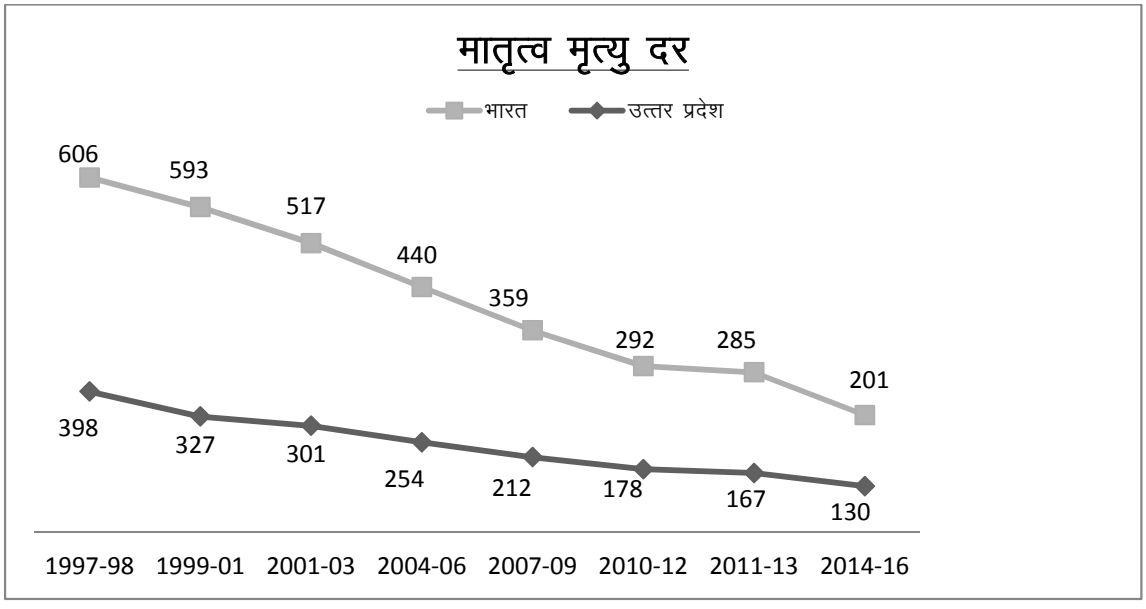

मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम संचालित है। एस.आर.एस सर्वे 2011–13 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात 285 प्रति एक लाख जीवित जन्म था। वर्ष 2014–16 की एस.आर.एस सर्वे में उ0प्र0 का मातृ मृत्यु अनुपात घटकर 201 प्रति एक लाख जीवित जन्म हो गया है। किसी भी प्रदेश में मातृ मृत्यु में कमी लाने के लिये मातृ मृत्यु समीक्षा एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो कि मातृ मृत्यु के विभिन्न कारणों एवं कारकों पर प्रकाश डालता है एवं उनको दूर करने में सहायता करता है।

(2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2020 तक इसे 170 प्रति एक लाख जीवित जन्म तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

(3) समस्त जनपदों में मातृ मृत्यु को कम करने के लिए पीपीएच प्रबन्धन प्रशिक्षण कराया गया जिसमें अब तक प्रदेश के 640 चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है।

(4) मातृ मत्यु समीक्षा (एम0डी0आर) कार्यक्रम में प्रत्येक मातृ मृत्यु के कारणों की गहन छानवीन की जाती है जिससे यह पता चलता है कि मातृ मृत्यु के मेडिकल कारण क्या थे तथा सामाजिक कारण क्या थे। इस प्रकार इस समीक्षा से क्षेत्र विशेष तथा समुदाय विशेष में होने वाली मातृ मृत्यु के विषय में जानकारी प्राप्त कर उसी के अनुसार योजना बनाकर कार्य किया जाता है। मातृ मृत्यु से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़ें तालिका–13.07 में दर्शाए गए हैं–

तालिका–13.07

मातृ मृत्यु से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़ें

वर्षवार	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20 (सितम्बर–2019 तक)
सम्भावित मृत्यु	16906	14620	14620	11055	11050
मातृ–मृत्यु	3861	4964	3592	4849	2315
प्रतिशत	**22.84**	**33.95**	**24.57**	**43.86**	**20.95**

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय

प्रदेश सरकार के वर्ष 2019–20 के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रू0 5482.50 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं पर चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय निम्नवत है–

तालिका–13.08

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय

(लाख रुपये)

वर्ष	चालू व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2017-18	1802099 (7.4%)	72059 (1.2%)	1874158 (2.8%)
2018-19	2217182 (7.7%)	111134 (0.9%)	2328316 (5.6%)
2019-20	2506249 (7.9%)	112838 (0.9%)	2619087 (5.8%)

स्रोतः– उ0प्र0 के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण 2019–20

नोट–कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है जो क्रमशः प्रदेश के चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय के सापेक्ष दिया गया है।

तालिका से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर वर्ष 2019–20 (आय व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 7.9% प्रतिशत तथा 0.9% प्रतिशत रहा। वर्ष 2018–19 (पुनरीक्षित अनुमान) में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 7.7% प्रतिशत तथा 0.9% प्रतिशत रहा। वर्ष 2017–18 (वास्तविक अनुमान) में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 7.4% प्रतिशत तथा 1.2% प्रतिशत रहा।

स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का चालू व्यय पूंजीगत व्यय की तुलना में अधिक है। स्वास्थ्य सेवाओं के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

1. राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत साठ वर्ष से अधिक के वृद्धजनों में दृष्टि पीड़ितों को मुफ्त चश्मा और मोतियाबिन्द आपरेशन के लिए आई0ओ0एल0 विधि द्वारा शल्य–क्रिया की जाती है। मोतिया बिन्द के अतिरिक्त होने वाले नेत्र रोगों (डायबेटिक, रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा मैनेजमेंट, लेजर टेक्नीक, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जरी तथा ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस) के आपरेशन एवं इलाज की सुविधा बड़ी स्वैच्छिक संस्थाओं के चिकित्सालयों के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए आने वाले व्यय को सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

2. राष्ट्रीय वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम–

कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा फिजियोथेरेपी एवं परामर्श प्रदान करना है। समस्त जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोगी सेवा केन्द्र और दस शैय्या वाले वार्ड स्थापित किये गये हैं।

3. आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना–

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की ओर से शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसकी शुरूआत एक योजना के रूप में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण (एस0ई0सी0सी0) 2011 के तहत पहचाने गए 10.74 करोड़ परिवारों की सहायता हेतु की गयी थी जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 05 लाख रू0 तक चिकित्सा बीमा कवर प्रदान किया जाता है। यह योजना अब वैश्विक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एक बेंचमार्क बन गयी है। योजना के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2025 तक सम्पूर्ण देश को रोगमुक्त करके विकास के पथ पर ले जाना है। नेशलन सैंपल सर्वे आर्गेनाइजेशन के 71 वें दौर में पाया गया कि 85.9 फीसदी ग्रामीण घरों में और 82 फीसदी शहरी घरों में स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा जैसी कोई सुविधा मौजूद नहीं है। 17 फीसदी भारतीय अपने घर के बजट का 10 फीसदी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करते हैं। इन्हीं आकस्मिक खर्चो की वजह से ग्रामीण भारत में 24 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 18 फीसदी लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के साझा प्रयास से आयुष्मान योजना का लाभ अब सभी गरीब और सुविधाओं से वंचित लोगों को मिल रहा है व चिकित्सा सुविधा अब बिना किसी भेदभाव के लोगों के लिए उपलब्ध है। आयुष्मान भारत पर आने वाले व्यय को केन्द्र एवं राज्य सरकारें 60–40 के

अनुपात में वहन करेंगी। वर्ष 2019–20 हेतु 1298 करोड़ रूपये आयुष्मान भारत–नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के लिए बजट प्राविधान किया गया है।

3.(I) उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना का क्रियान्वयन–

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल उत्तर प्रदेश के 1.18 करोड़ परिवारों के छह करोड़ लोगों को चुना गया है, साथ ही शहरी क्षेत्र की 11 कामगार श्रेणियों को भी योजना का लाभ मिलेगा। इन सभी परिवारों को पांच लाख रूपये तक प्रतिवर्ष चिकित्सा बीमा कवर दिया जाएगा। आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को चार जोन में बांटा गया है। हर जोन के लिए इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी का चयन किया गया है जो क्लेम की जांच करेगी। लाभार्थियों की सहायता हेतु **आरोग्य मित्रों** की तैनाती होगी। प्रत्येक आरोग्य मित्र को 5000 रूपयें प्रतिमाह मानदेय तथा प्रति रोगी 50 रूपये दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

आयुष्मान योजना में उत्तर प्रदेश के 1618 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें 434 सरकारी व 1184 निजी एवं अन्य अस्पताल के आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। जोड़े गए केन्द्रों में छह मेडिकल कॉलेज व सात संस्थान एनएबीएच से मान्यता प्राप्त हैं। योजना के तहत अस्पतालों को परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेटिव भी दिया जाएगा।

आयुष्मान योजना के तहत इलाज के लिए सरकार ने कुल 1425 सर्जिकल व मेडिकल पैकेज निर्धारित किए हैं जिसमें 67 तरह के उपचार केवल राजकीय अस्पतालों में मिलेंगे। अल्ट्रासाउंड व एमआरआई जैसी सुविधांए भी मुफ्त मिलेंगी।

3.(II) लाभार्थियों को मिलेगा गोल्डन कार्ड

योजना के लाभार्थियों को एक गोल्डन कार्ड दिया जायेगा जिसके माध्यम से वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस कार्ड के माध्यम से रोगी अस्पताल में भर्ती होकर हार्ट अटैक, कैंसर, गुर्दा, लीवर आदि रोगों का 5 लाख रूपये तक का इलाज करा सकेंगे।

3. (III) राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकरण का पुनगर्ठन–

पी0एम0जे0ए0वाई के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकरण का पुनगर्ठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में किया गया है।

4. मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना–

मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ ने आयुष्मान भारत योजना के दायरे में न आ पाने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की शुरूआत मार्च, 2019 में की। 2500 आरोग्य केन्द्र मार्च, 2019 तक शुरू होने थे। यहां पर हीमोग्लोबिन, मूत्र द्वारा गर्भ की जांच, यूरिन डिपेस्टिक द्वारा एल्बुमिन एवं ग्लूकोज, ग्लूकोमीटर द्वारा ब्लड ग्लूकोज आदि की जांच की सुविधा मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना में छूटे हुए 55 लाख लोग मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित हुए। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 हेतु 111 करोड़ रूपये का बजट प्राविधान किया गया है।

5. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यकम–

गम्भीर मानसिक विकारों में सीजोफ्रेनिया बाई पोलर विकार आरगेनिक साइकोसिस और गहन अवसाद से एक हजार की जनसंख्या में बीस व्यक्ति पीड़ित हैं, जिनके उपचार के लिए सभी जिला अस्पतालों में उपचार और सन्दर्भन की व्यवस्था की गयी है।

कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान, सामान्य स्वास्थ्य देखभाल में कुशलता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 75 जनपदों को

आच्छादित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 3,95,779 लाभार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी।

6. एनीमिया की रोकथाम–

साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सप्लिमेन्टेशन (WIFS)– आयरन फोलिक एसिड की गोली के साप्ताहिक वितरण की योजना सभी स्कूल जाने वाले और स्कूल न जाने वाले किशोर, किशोरियों को स्कूलों एवं आगंनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित है। यह योजना एनीमिया के उपचार हेतु एक महत्वपूर्ण योजना है।

7. टेलीमेडिसन केंद्र का लोकार्पण–

मुख्यमंत्री ने मार्च, 2019 में गोरखपुर, हमीरपुर, मीरजापुर एवं बहराइच में 15 टेलीमेडिसिन केन्द्रों का शुभारम्भ किया। इसके जरिए रोगियों को टोल फ्री नम्बर पर दूरभाष के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा।

8. पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश

भारत सरकार के दिशा निर्देश एवं आर्थिक सहयोग से उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में रोगियों के पंजीकरण, जांच से लेकर उपचार तक की सभी सुविधाएं समस्त सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क प्रदान की जा रही है। प्रदेश में क्षय नियंत्रण हेतु निम्न कार्य किये जा रहे हैं–

- वित्तीय वर्ष 2019–20 (जनवरी, 2019 से 04 अगस्त, 2019 तक) सरकारी क्षेत्र में 187015 एवं निजी क्षेत्र में 85944 कुल 272995 क्षय रोगी **निक्षय पोर्टल** पर पंजीकृत किये गये।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिनांक 10 जून से 22 जून, 2019 तक प्रदेश के समस्त जनपदों में आयोजित एक्टिव केस फाइडिंग अभियान में 7112 नये क्षय रोगी चिन्हित कर उपचार हेतु लाये गये।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में भारत सरकार द्वारा 5 मेडिकल मोबाइल वैन उ0प्र0 राज्य को आंवटित/उपलब्ध करायी गयी है, जो प्रदेश के समस्त जनपदों के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में जाकर क्षय रोगियों की जॉच करेंगे।
- प्रदेश के चार जनपद लखनऊ, आगरा, बदांयू एवं चन्दौली में पाइलेट प्रोजेक्ट के तौर पर 15 जुलाई, 2019 से क्षय रोगियों के नमूनों को माइक्रोस्कोपिक सेन्टर से जनपद मुख्यालय तथा कल्चर एवं ड्रग्स सेन्सटिविटी हेतु प्रयोगशाला तक डाक द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था की गयी है। पाइलेट स्टडी के अनुभव के आधार पर इस व्यवस्था को प्रदेश के समस्त जनपदों में विस्तारित किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- टी0बी0 केस नोटीफिकेशन दर में सुधार लाने हेतु प्रदेश के 60 जनपदों में जीत प्रोजेक्ट के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। आई0एम0ए0, केमिस्ट एसोसियेशन एवं अन्य व्यसायिक संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।
- दिनांक 01.04.2018 से भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना (न्यूट्रीशियन सपोर्ट) के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त क्षय रोगियों को डी0बी0टी0 के माध्यम से रू0 500/– प्रति माह की दर से दिनांक 4 अगस्त, 2019 तक 318756 क्षय लाभार्थियों को कुल धनराशि रू0 62.30 करोड़ का भुगतान किया गया।
- वर्ष 2018–19 में निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य टीबी नोटीफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2018 से डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डीबीटी)

के माध्यम से उनके खाते में प्रति टी0बी0 मरीज के नोटीफिकेशन पर रू0 500/– तथा मरीज का उपचार पूर्ण कराने पर रू0 500/– का भुगतान किया जा रहा है।

- 19 नोडल डी0आर0टी0बी0 सेन्टर में एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोगियों हेतु बीडाक्यूलीन का शुभारम्भ किया जा चुका है।

9. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश।

तम्बाकू का हर वर्ग में बढ़ता हुआ उपयोग एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य समस्या बन गया है। भारत में प्रतिवर्ष करीब 10 लाख लोग तम्बाकू के उपयोग के कारण असमय मृत्यु का शिकार हो जाते है। धूम्रपान का जितना गम्भीर प्रभाव धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, उतना ही प्रभाव उसके आस–पास रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है, जिसमें बच्चे एवं महिलाएं शामिल हैं। तम्बाकू के उपयोग के कारण कई घातक बीमारियां होती है, जिसमें हृदय रोग, श्वसन रोग तथा कैंसर प्रमुखता से है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा निम्न लक्ष्यों, उद्देश्यों, रणनीति के अनुसार प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 का संचालन किया जा रहा है–

लक्ष्य–

1– प्रदेश की सामान्य जनता को विशेषकर युवा पीढ़ी को तम्बाकू से होने वाली हानियों के प्रति जागरूक करना।

2– प्रदेश में सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुपालन कराना।

3– तम्बाकू सेवन करने वालों को तम्बाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना।

उद्देश्य एवं रणनीति

तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंर्तगत मुख्यतः पांच गतिविधियों पर अधिक बल दिया गया है–

- तम्बाकू नियंत्रण कानून का अनुश्रवण एवं रिपोर्टिग
- सूचना, शिक्षा एवं संचार
- विद्यालय गतिविधियां
- तम्बाकू नशा उन्मूलन केन्द्र
- सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।
- सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के समस्त धाराओं के प्रवर्तन हेतु राज्य एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण कराना।
- समस्त विभागों एवं शैक्षणिक संस्थानों के विभागाध्यक्षों को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों के प्रति जागरूक करना एवं उनके द्वारा सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के नियमों/उपनियमों/प्राविधानों को प्रत्येक स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन कराना एवं उसकी मासिक समीक्षा किया जाना।

प्रारम्भ एवं कवरेज :–

सामान्य जनता को तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007–2008 (11वी पंचवर्षीय योजना) में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम 21 राज्यो के 42 जनपदों में प्रारम्भ किया गया।

जिसका उद्देश्य तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभावों से सामान्य जनता को जागरूक करना एवं तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम को सुचारू रूप सें लागू करना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में क्रियाशील राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के अर्न्तगत् राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम लखनऊ एवं कानपुर दो ज़िलों में पाइलेट फेज में चलाया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों को आच्छादित किया जा चुका है।

उपलब्धियांः–

- कार्यक्रम के अर्न्तगत तम्बाकू के प्रति युवा पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में जनपदों में स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा प्रदेश में 1320 विद्यालय कार्यक्रम किये जा चुके है।
- कार्यक्रम के अर्न्तगत सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के अनुपालन के क्रम में जनपदों में इन्फोर्समेंट की कार्यवाही की जा रही है, जिसके अर्न्तगत चालू वित्तीय वर्ष में 3359 लोगों का चालान काटा गया तथा रू0–10,43,197.00 का जुर्माना वसूला गया।
- जनपद स्तर जिला उन्मूलन केन्द्र में 50,758 व्यक्तियों को काउन्सलिंग प्रदान की जा चुकी है तथा चालू वित्तीय वर्ष में तम्बाकू छोड़ने हेतु भारत सरकार की टोल फ्री नं0–1800112356 पर 6000 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा तम्बाकू छोड़ने हेतु फोन किया गया।
- जनपद–कानपुर नगर प्रशासन द्वारा 31 मई, 2015 को कानपुर नगर को देश का सर्वप्रथम **तम्बाकू मुक्त जनपद** घोषित किया गया।
- जनपद रामपुर प्रशासन द्वारा 12 नवम्बर, 2018 को रामपुर को **तम्बाकू मुक्त जनपद** घोषित किया गया।
- **प्रदेश के समस्त जनपदों में ''यलो लाइन कैम्पेन''** तथा दिनांक 15.08.2018 को 72 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों/विभागों में **''तम्बाकू से आजादी''** अभियान के क्रम में तम्बाकू न खाने/छोडनें हेतु शपथ ग्रहण कराये जाने हेतु राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में चरणबद्ध रूप में समस्त शैक्षणिक संस्थान, समस्त लोक स्वास्थ्य स्थापन (चिकित्सालय) एवं समस्त शासकीय कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाये जाने हेतु प्रयास किये जा रहें है। **''यलो लाइन कैम्पेन''** के अर्न्तगत जनपद–बरेली, रामपुर, फर्रूखाबाद, मऊ, सुल्तानपुर आदि जनपदों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है।

10. नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कन्ट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीसेस एंड स्ट्रोक (एन0पी0सी0डी0सी0एस0) –

इस कार्यक्रम का उद्देश्य जीवन शैली एवं व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा सामान्य गैर संचारी रोगों पर नियंत्रण एवं रोकथाम करना, उनका विभिन्न स्तरों पर उपचार एवं निदान हेतु आवश्यक प्रबंधन करना है। गैरसंचारी रोगों की बढ़ती हुई संख्या को नियंत्रित करने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे चिकित्सकों, परिचिकित्सकों एवं उपचारिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं प्रशामक उपचार एवं पुनर्वास हेतु क्षमता का विकास करना है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों एवं गर्भवती महिलाओं का उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्लुकोस्ट्रिप एवं ग्लुकोमीटर के द्वारा मधुमेह एवं रक्तचाप की जांच किया जाना, इन केन्द्रों से संदिग्ध मरीजों को उपचार एवं निदान हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भेजना तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सी0एच0सी0पर मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग एवं मस्तिष्क आघात रोगों का उपचार तथा गम्भीर मरीजों को सी0एच0सी0 से जिला चिकित्सालय

भेजा जाता है। जिला चिकित्सालय में वाह्य रोगी, अन्तःरोगी एवं गहन चिकित्सा रोगियों का चिकित्सा प्रबंधन अत्यन्त गम्भीर मरीजों को जिला चिकित्सालय से उच्च चिकित्सा केन्द्रों पर भेजना एवं कर्क रोग से गंभीर रूप से ग्रसित मरीजों को **''टर्सरी कैन्सर सेण्टर''** पर भेजना आदि कार्य किये जाते हैं।

एन0पी0सी0डी0सी0एस0 कार्यक्रम वर्ष 2016–17 से प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित किया जा रहा है। जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिला एन0सी0डी0 सेल एवं जिला अस्पताल में जिला एन0सी0डी0 क्लीनिक की स्थापना की जा रही है।

सितम्बर, 2019 तक प्रदेश के 52 जनपदों में जिला एन0सी0डी0 सेल एवं 55 जिला एन0सी0डी0 क्लीनिक एवं 234 सी0एच0सी0 एन0सी0डी0 क्लीनिक स्थापित की जा चुकी है तथा जल्द ही प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला एन0सी0डी0 सेल एवं जिला एन0सी0डी0 क्लीनिक की स्थापना की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।

कार्यक्रम के अर्न्तगत भौतिक प्रगतिः–

क्र0सं0	मद	वित्तीय वर्ष 2018–19	वर्ष 2019–20 अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक की कुल उपलब्धि
1	एन0सी0डी0 क्लीनिक में आने वाले व्यक्तियों की संख्या	3131976	846762
2	**नये चिन्हित रोगियों की संख्या**		
2.1	मधुमेह पीड़ित	402033	108042
2.2	उच्च रक्तचाप रोगी	340656	84131
2.3	सी0वी0डी0 रोगी	24597	4013
2.4	एच.टी.एन.एण्ड डी.एम. रोगी	167093	41398
2.5	हृदयाघात के रोगी	4253	1345
3	**उपचार हेतु लाये गये नये रोगियों की संख्या**		
3.1	मधुमेह पीड़ित	278865	70690
3.2	उच्च रक्त चाप रोगी	242110	60605
3.3	सी0वी0डी0 रोगी	18063	3346
3.4	एच.टी.एन.एण्ड डी.एम. रोगी	122255	30823
3.5	हृदयाघात के रोगी	3333	958
4	एन0सी0डी0 की रोकथाम के लिए परामर्श दिए गए कुल व्यक्तियों की संख्या	984201	254822
5	फिजियोथैरेपी के लिए आये रोगियों की संख्या	239940	58626
6	कुल किए गए एन0सी0डी0 चेकअप	6606881	504180

11.राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम–

वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम उ0प्र0 के 56 जनपदों में संचालित था। वर्ष 2019–20 में सितम्बर, 2019 तक कुल 56 जनपद इस कार्यक्रम से आच्छादित है।

12.ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण/स्थापना की नीति निर्धारित की गयी है जिसके अनुसार 30000 की आबादी पर प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं एक लाख की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण/स्थापना की नीति निर्धारित है। वर्ष 2018–19 में 4473 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील हैं।

13.जे०ई० अभियान

प्रदेश सरकार, प्रदेश के पूर्वान्चल में विद्यमान ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग की समस्या को दूर करने के लिये अत्यधिक गम्भीर एवं प्रतिबद्ध है। पूर्वी उ0प्र0 के ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग से सर्वाधिक प्रभावित गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के समस्त 7 जनपदों में वर्ष 2019 में माह फरवरी में एवं माह जुलाई 2019 में देवीपाटन एवं लखनऊ मण्डल के समस्त जनपद एवं जनपद बाराबंकी सहित 18 जनपदों में दस्तक अभियान के अन्तर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार की गतिविधियां सम्पादित की गई।

दिनांक 20.08.2018 के सापेक्ष दिनांक 20.08.2019 का तुलनात्मक विवरणः–

वर्ष	ए0ई0एस0			पुष्टि जे0ई0		जे0ई0 रोग का प्रतिशत
	ग्रसित	मृतक	रोग मृत्यु दर	पुष्टि जे0ई0 रोगी	मृतक	
2018	1417	108	7.62	75	4	5.29
2019	816	34	4.17	50	4	6.13

समस्त ज्वर रोगियों को (झटके आने से पूर्व ही) मस्तिष्क ज्वर उपचार केन्द्र (इन्सेफ्लाईटिस ट्रीटमेन्ट सेन्टर–ई0टी0सी0 तक पहुँचाने के लिये 108 एवं 102 एम्बुलेन्स के प्रशिक्षित कर्मियों के सहयोग से निःशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जे0ई0 टीकाकरण को नियमित टीकाकरण में सम्मिलित करते हुये 09–12 माह एवं 16–24 माह की आयु पर जे0ई0 वैक्सीन की दो डोज़ प्रदेश के 38 जनपदों में दी जा रही है। जेई से प्रभावित जनपदों में माह फरवरी, 2019 में जे0ई0 विशेष टीकाकरण अभियान चलाकर 01 से 15 वर्ष आयुवर्ग के अनाच्छादित बच्चों का टीकाकरण किया गया जिसमें लक्ष्य 2611155 के सापेक्ष 2682863 बच्चों को जे0ई0 वैक्सीन से प्रतिरक्षित किया गया।

14. 102 नेशनल एम्बुलेन्स सेवा

यह सुविधा पूरे प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष की आयु तक के शिशुओं को निःशुल्क घर से चिकित्सालय तथा चिकित्सालय से घर तक तथा एक चिकित्सा इकाई से दूसरे

चिकित्सा इकाई तक लाभार्थी को परिवहित करने में भी प्रयोग की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस पहुंचने का अधिकतम समय 30 मिनट तथा शहरी क्षेत्रों में 20 मिनट निर्धारित किया गया है। यह सुविधा प्रदेश के सभी जनपदों में पूरे 24 घंटे उपलब्ध है। गर्भवती और नवजात शिशुओं को अस्पताल लाने और ले जाने हेतु 102 मेडिकल एम्बुलेन्स की तादाद 2270 है। इनमें 1544 पुरानी पड़ चुकीं एम्बुलेन्स को भी नए में रिप्लेस किया जाएगा।

15. 108 ई.एम.टी.एस. एम्बुलेन्स सेवा

14 सितम्बर, 2012 से चलाई जा रही 108 मेडिकल एम्बुलेन्स मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में काफी लोकप्रिय हैं। रोगियों को आकस्मिक परिस्थितियों में अविलम्ब निकटवर्ती राजकीय चिकित्सा इकाई तक पहुंचायें जाने हेतु प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 2200 एम्बुलेंसों का संचालन पूर्णतया निःशुल्क टोल फ्री नम्बर ''108'' के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश के किसी भी कोने से निःशुल्क टोल फ्री नम्बर ''108'' पर कॉल करने पर शहरी क्षेत्र में 15 मिनट में तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट में एम्बुलेंस को रोगी तक पहुँचायें जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक लाख की आबादी पर एक एम्बुलेन्स और 15 मिनट के अन्दर एम्बुलेन्स पहुॅचने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार 108 एम्बुलेन्स के बेड़े में 712 मेडिकल वाहनों को और लगाएगी। 712 एम्बुलेन्स का यह नया बेड़ा जीपीआरएस सिस्टम से लैस होगा। इन एम्बुलेन्स का मूवमेंट निजी एजेन्सी के अलावा स्वास्थ्य महानिदेशालय में बने कंट्रोल रूम से भी देखा जा सकेगा। पुरानी एम्बुलेन्स को हटाकर नई 662 एम्बुलेन्स भी चलाई जाएंगी। **108 एम्बुलेन्स सेवा** आरम्भ की तिथि से माह जुलाई, 2019 तक कुल 12800849 रोगियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

16. एडवांस लाइफ सर्पोट(ए0एल0एस0) एम्बुलेन्स सेवा–

गम्भीर रोगियों को सुरक्षित उच्च स्तरीय चिकित्सा इकाई हेतु संदर्भित किये जाने के लिए दिनांक 13.04.2017 को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा का शुभारम्भ किया गया। ए0एल0एस0 में वेंटिलेटर, डिफिबिलेटर, फिटल डाप्लर, जीवन रक्षित दवायें, जरूरी उपकरण एवं प्रशिक्षित इमेरजेन्सी मेडिकल टेक्नीशियन की व्यवस्था की गयी है। इसके अन्तर्गत वर्तमान में प्रदेश में कुल 250 एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। उक्त सेवा के द्वारा दिल्ली और चंडीगढ़ से 200 किलोमीटर के अन्दर से आने वाले जनपदों के मरीजों को दिल्ली और चंडीगढ़ के चिकित्सालयों में भी भेजा जा सकता है। ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा द्वारा माह अप्रैल, 2017 से माह जुलाई, 2019 तक कुल एक लाख इक्कीस हजार तीन सौ इक्यावन रोगियों को सेवा प्रदान की गयी है।

17. नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा–

प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों को चिकित्सा सेवायें उनके द्वार पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा का शुभारम्भ दिनांक 18.02.2019 से किया गया है। प्रदेश के 53 जनपदों में 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन के अन्तर्गत वर्तमान में 136 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही प्रदेश के समस्त जनपदों में विस्तारित करते हुये कुल 214 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित कराये जाने की योजना है। रोगियों के उपचार हेतु प्रत्येक यूनिट में 143 प्रकार की औषधियों एवं जांच हेतु ई0सी0जी0, सेमीआटोएनालाइजर, ग्लूकोमीटर, माइक्रोस्कोप एवं ऑप्थेलमोस्कोप की सुविधा

उपलबध है। मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में माह फरवरी, 2019 से जुलाई 2019 तक कुल छः लाख पचपन हजार छः सौ बयालीस रोगियों को उपचारित किया गया है।

18. परिवार नियोजन कार्यक्रम

परिवार नियोजन कार्यक्रम पूर्णतया स्वैच्छिक कार्यक्रम है। प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1950 के दशक में प्रारम्भ किया गया था, जिसके अन्तर्गत नियोजन की स्थायी व अस्थायी विधियों की सेवायें निःशुल्क प्रदान की जाती है। स्थायी विधियों के अन्तर्गत महिला व पुरूष नसबन्दी की सेवायें प्रदान की जाती है एवं अस्थायी विधियों के अन्तर्गत लूप निवेशन, गर्भ निरोधक गोलियों व कण्डोम का वितरण सेवा केन्द्रों पर निःशुल्क दिया जाता है। प्रदेश के ग्रामीण अंचलो में गर्भ निरोधक सामग्री का वितरण "आशा कार्यकत्रियों" द्वारा लाभार्थियों के द्वार पर किया जाता है। वर्ष 2017–18, वर्ष 2018–19 एवं वर्ष 2019–20 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपलब्धियाँ निम्नवत हैः–

तालिका–13.09

क्र0सं0	मद	2017-18	2018-19	2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक)
1	पुरूष नसबन्दी	3886	4129	3272
2	महिला नसबन्दी	258182	279157	58683
4	आई0यू0सी0डी0 का प्रयोग	748774	533610	279736
5	पी0पी0आई0यू0सी0डी0 का प्रयोग	300035	305005	158138
6	सेंटक्रोमैन (चयन)	213237	260600	277471

19-आधुनिक गर्भनिरोधक तकनीकों/विधियों का प्रयोग

नसबन्दी

नसबन्दी उपरान्त मृत्यु/जटिलता/असफल नसबन्दी के मामलों में लाभार्थी को भुगतान हेतु अप्रैल, 2013 से "परिवार नियोजन आईडिमिनिटी योजना" लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण (असफल नसबन्दी) के केसों में रू० 30,000/– तथा नसबन्दी उपरान्त जटिलता के केसों पर अधिकतम् रू० 25,000/– की धनराशि मुआवजे के रूप में दी जाती है। नसबन्दी उपरान्त मृत्यु के केसों में मुआवजे की धनराशि मिलती है। ऐसे सेवा केन्द्र जिन पर प्रतिमाह 200 से अधिक प्रसव हो रहे हैं, पर लाभार्थियों की काउन्सिलिंग कर उन्हें परिवार नियोजन विधियों को अपनाने हेतु प्रोत्सहित किये जाने के उद्देश्य से ''फैमिली वेलफेयर काउन्सलर" की तैनाती संविदा के आधार पर की गयी है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018–19 में कुल 280.78 हजार व्यक्तियों ने नसबन्दी कराया जो वर्ष 2017–18 के 259.01 हजार की तुलना में 8.4 प्रतिशत अधिक था। इनमें वर्ष 2018–19 में नसबन्दी कराने वाले पुरुषों की संख्या 4.12 हजार थी जो गत वर्ष 3.96 हजार की तुलना में 4.04 प्रतिशत अधिक था। इसी प्रकार वर्ष 2018–19 में महिला नसबन्दी की संख्या 276.66 हजार थी जो गत वर्ष 255.05 हजार की तुलना में 8.47 प्रतिशत अधिक था।

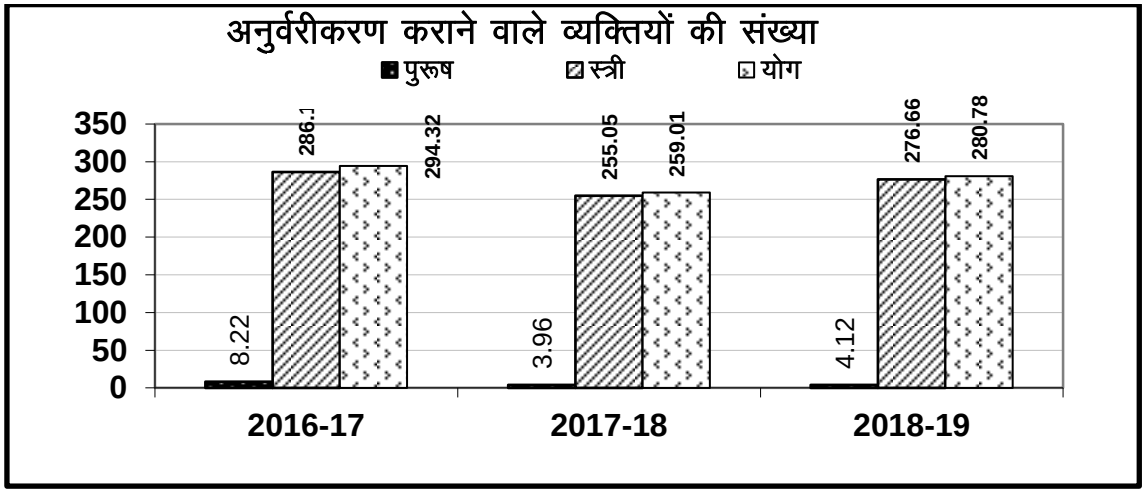

उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में वर्ष 2017–18 में लूप निवेशन तथा कापर टी, ओरल पिल्स एवं सी.सी का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमशः 1043.89 हजार, 537.23 तथा 267.00 हजार थी। वर्ष 2018–19 में लूप निवेशन तथा कापर टी, ओरल पिल्स एवं सी.सी का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमशः 830.75 हजार, 520.71 तथा 280.80 हजार हो गयी।

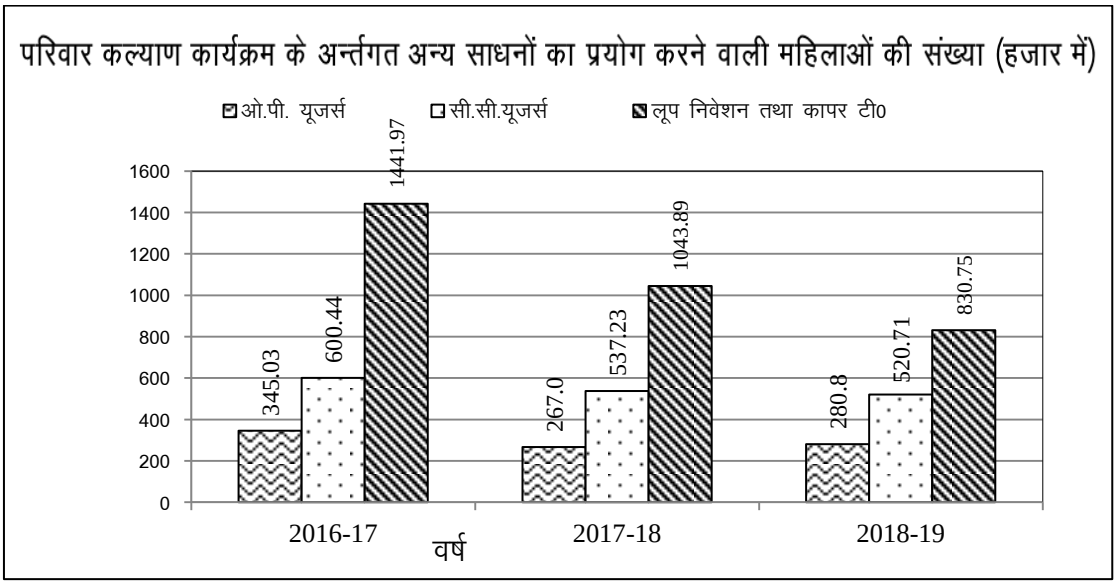

20. पूर्ण प्रतिरक्षण

महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को टिटनेस एवं बच्चों को काली खांसी, पोलियो इत्यादि के टीके लगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017–18 में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 48.47 लाख टी0टी0, 46.86 लाख डी0टी0पी0(पेन्टावेलेन्ट), 46.60 लाख पोलियो, 48.98 लाख बी0सी0जी0 एवं 46.02 लाख मीजिल्स के टीके लगाए गये। वर्ष 2018–19 में टिटनेस, डी0टी0पी0 (पेन्टावेलेन्ट), पोलियो, बी0सी0जी0 एवं मीजिल्स के टीकों की संख्या क्रमशः 49.01 लाख, 44.44 लाख, 50.11 लाख, 52.29 लाख एवं 45.79 लाख हो गयी जैसा कि तालिका–13.10 से स्पष्ट है–

तालिका–13.10

(लाख में)

क्र0 सं0	मद	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (सितम्बर–2019 तक)
1	टी0टी0 गर्भवती माता	66.13	45.77	66.86	48.47	66.08	49.01	33.26	25.89
2	पेन्टावेलेन्ट	57.11	40.71	57.86	46.86	57.49	44.44	28.99	23.69
3	पोलियो	57.11	43.95	57.86	46.60	57.49	50.11	28.99	23.47
4	बी0सी0जी0	57.11	49.57	57.86	48.98	57.49	52.29	28.99	24.94
5	मिजिल्स	57.11	45.46	57.86	46.02	57.49	45.79	28.99	24.26
6	हेप्टाइटिस बी	–	–	–	–	–	–		
7	जे0ई0 (38 जनपद)	32.25	22.12	32.68	24.04	32.47	18.61	17.38	14.36

नोट. वर्ष 2016–17 से पेन्टावेलेन्ट वैक्सीन लगने के कारण डी0टी0पी0 एवं हेप्टाइटिस बी का टीकाकरण बन्द हो गया है।

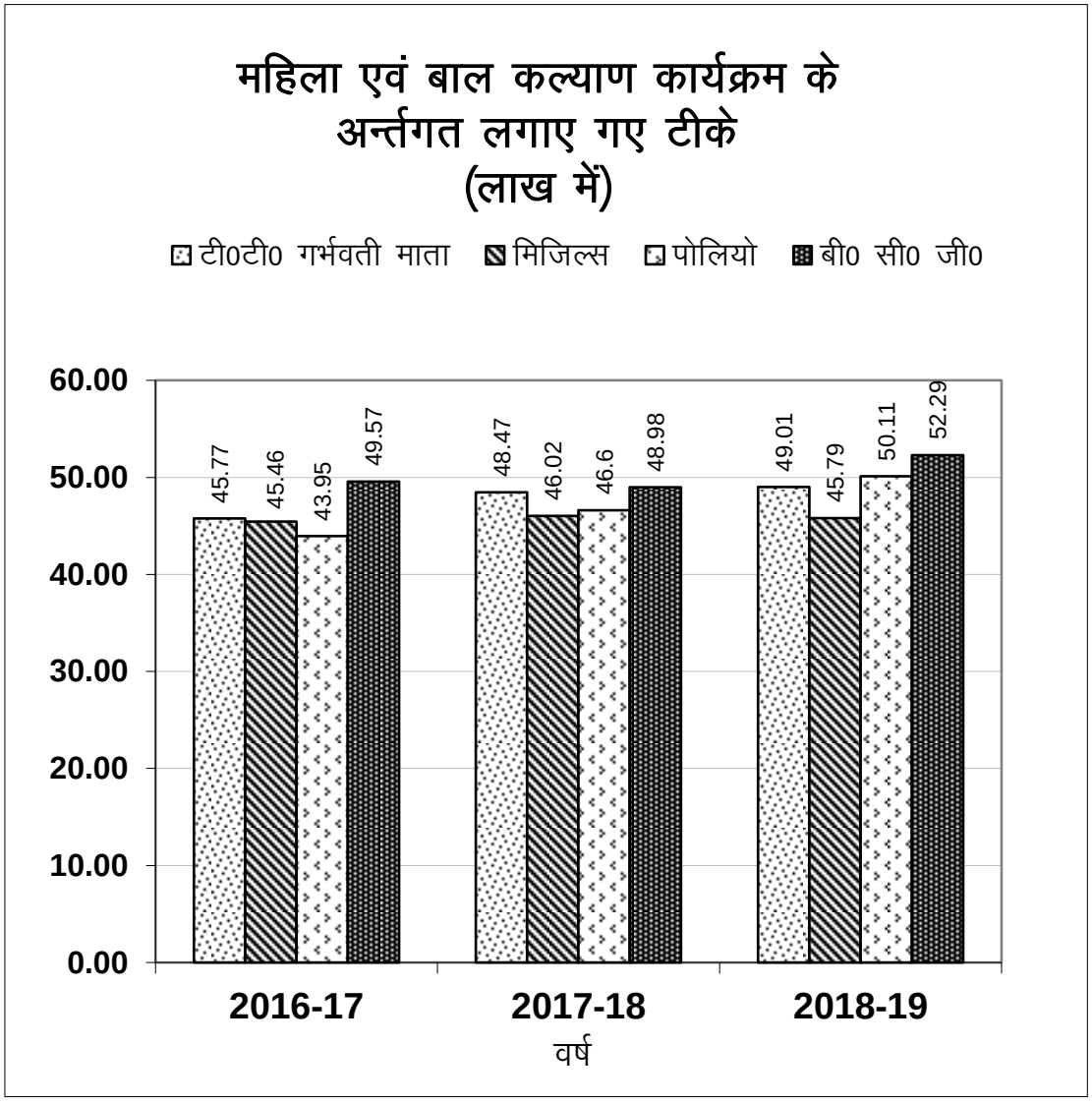

21. पोलियो कार्यक्रम

प्रदेश में 21 अप्रैल, 2010 के बाद से पोलियो का कोई केस प्रकाश में नहीं आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू०एच०ओ०) द्वारा साउथ ईस्ट एशिया रीजन के 11 देशों में, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, को मार्च, 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। प्रदेश के समस्त जनपदों में 15 सितम्बर, 2019 को पल्स पोलियो अभियान चलाकर 33362008 बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाई गयी।

पोलियों विसंक्रमण रोकने हेतु प्रदेश में एन0आई0डी0 (नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) तथा एस0एन0आई0डी0 (सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) चक्र चलाये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक से निःशुल्क आच्छादित किया जा रहा है साथ ही पोलियों विसंक्रमण रोकने हेतु प्रदेश के 06 जनपदों जो नेपाल सीमा से लगे है, में सीमा पर पोलियों के 30 बूथ संचालित किये जा रहे हैं, जो अगले वर्षो में भी संचालित रहेंगे।

22. मीजिल्स रूबेला (एम0आर0) टीकाकरण अभियान–

मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर मीजिल्स रूबेला (एम0आर0) टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ करते हुए कहा कि यह अभियान देश और दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। उन्होंने कहा मीजिल्स और रूबेला बीमारियां विषाणुजनित हैं, इसलिए समय रहते प्रभावी कदम उठाकर ही इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

योजनान्तर्गत 09 माह से 15 वर्ष आयु तक के लगभग 41 करोड़ बच्चों का टीकारण किया जाएगा। अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में सभी 75 जनपदों के लगभग 7.57 करोड़ बच्चों का टीकारण किया गया।

23. बाल स्वास्थ्य एवं पोषण माह

बच्चों में रतौंधी व रोगाणु से लड़ने की क्षमता बढ़ाने हेतु वर्ष में दो बार माह जून व दिसम्बर में 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन–'ए' की खुराक से आच्छादित किया जाता है। इसके अर्न्तगत जुलाई, 2019 के अभियान में लगभग 2 करोड़ 14 लाख बच्चों को विटाामिन ए की खुराक से आच्छादित किया गया।

24.जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदो में संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत गर्भावस्था में दी जाने वाली सेवायें, प्रसव के दौरान तथा प्रसवोपरान्त सेवाएं, महिला तथा उसके नवजात शिशु की देखभाल आदि समस्त सेवाओं का एकीकरण कर लिया गया है एवं यह सेवायें उस महिला के क्षेत्र की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री/आशा कार्यकर्त्री द्वारा अथवा उसकी सहायता से उपलब्ध करायी जा रही है। आशा कार्यकर्त्रियों को बडी सौगात देते हुए उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 3500 रूपये देने का ऐलान किया गया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को **गारन्टीड कैशलेस प्रसव सेवा** प्रदान करना है जो निम्नवत हैः–

1. प्रसव के दौरान उपयोग में लाये जाने वाली समस्त औषधियां निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।
2. सभी गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं (सामान्य एवं सिजेरियन प्रसव) को चिकित्सालय में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन प्रदान किया जा रहा है।
3. महिला से सामान्य अथवा सिजेरियन प्रसव हेतु किसी भी प्रकार का कोई भी यूजर चार्ज नही लिया जा रहा है।
4. सभी जांचे जैसे ब्लड, यूरिन, अल्ट्रासोनोग्राफी आदि निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
5. आवश्यकतानुसार ब्लड ट्रान्सफ्यूजन भी निःशुल्क किया जा रहा है।
6. इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व घर से चिकित्सा इकाई तक एवं प्रसवोपरान्त चिकित्सा इकाई से घर तक निःशुल्क एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है।

प्रसवों के उपरान्त माँ की 42 दिन तक और बच्चे की एक वर्ष तक पूरी देखभाल/टीकाकरण/बीमार होने पर निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, घर से चिकित्सा इकाई तक एवं चिकित्सा इकाई से घर तक पहुँचाने की निःशुल्क परिवहन सुविधा एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से दी जा रही है।

तालिका–13.11

प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को दी जा रही सुविधाएं

निःशुल्क सुविधाये	वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19		वर्ष 2019–20 (अगस्त–2019 तक)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
निःशुल्क भोजन	1745042	1775347	1966240	1182411	1966550	1517223	1966500	814457
निःशुल्क उपचार	5000000	4300387	5000000	2264973	5000000	1853491	5000000	1187851
निःशुल्क जाँच	5000000	4387210	5000000	3896591	5000000	3536497	2142846	949061

25.प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान–

प्रत्येक माह की 09 तारीख को प्रदेश के समस्त जनपदीय महिला एवं ब्लाक स्तरीय चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उपलब्ध निःशुल्क सेवाएं निम्नवत् हैः–

1. समस्त गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांचें–हीमोग्लोबिन, शुगर (ओ0जी0टी0टी0), यूरीन जॉच, ब्लड ग्रुप, एच0आई0वी0, सिफलिस, वजन, ब्ल्ड प्रेशर, अल्ट्रासाउण्ड एवं अन्य जॉचें।
2. टिटनेस का टीका, आयरन, कैल्शियम एवं आवश्यक दवाऐं।
3. समस्त गर्भवती महिलाओं के गर्भ की द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में कम से कम एक बार स्त्री रोग विशेषज्ञ अथवा एलोपैथिक चिकित्सक की देखरेख में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण।
4. हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान, प्रबन्धन एवं सुरक्षित संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करना।
5. पोषण, परिवार नियोजन तथा प्रसव स्थान के चयन हेतु काउन्सलिंग।
6. वर्ष 2019–20 में 291 करोड़ रूपये का बजट प्राविधान प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लिए किया गया है।

स्वच्छ पेयजल एवं जलोत्सारण सुविधा

जनसामान्य के स्वस्थ जीवन हेतु स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छ वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018–19 में पेयजल सुविधायुक्त नगरों की संख्या 652 तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 492 लाख थी। इसी प्रकार वर्ष 2018–19 में पेयजल सुविधा युक्त पूर्ण आच्छादित मजरों की संख्या 260118 आंशिक आच्छादित मजरों की संख्या शून्य तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 1723 लाख थी। प्रदेश में वातावरणीय स्वच्छता हेतु जलोत्सारण सुविधा का होना अत्यन्त आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018–19 में जलोत्सारण सुविधायुक्त नगरों की संख्या 63 तथा इनसे लाभान्वित जनसंख्या 85 लाख थी।

तालिका–13.12

उत्तर प्रदेश में हैण्डपम्प इण्डिया मार्क–2 तथा नल द्वारा पेयजल एवं जलोत्सरण सुविधायुक्त नगर एवं मजरे

मद		2017-18	2018-19
1		2	3
1.	पेयजल सुविधायुक्त–		
	(1) नगरों की संख्या	635	652
	(2) लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	445	492
	(3) पूर्ण आच्छादित मजरे	260018R	260018
	(4) आंशिक आच्छादित मजरे	0	0
	(5) लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	1723	1723
	(6) अनाच्छादित मजरों की संख्या	0	0
2.	जलोत्सारण सुविधायुक्त नगर–	58	63
	लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	44	85

स्रोतः– उत्तर प्रदेश, जल निगम। *R संशोधित*

****

अध्याय–14

समाज कल्याण

मुख्य बिन्दु–

- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर वर्ष 2019–20 (आय व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 9.4 प्रतिशत तथा 1.9 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2011 में भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16.63 प्रतिशत एवं उत्तर प्रदेश में 20.69 प्रतिशत थी।
- वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न विकलांगताओं से ग्रसित कुल व्यक्तियों की संख्या 4157514 है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है।
- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 की योजनान्तर्गत रू0 257900.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिव्यांगजनों हेतु रू0 62102.00 लाख धनराशि का प्राविधान किया गया है जिससे 1035000 दिव्यांगजनों को पेंशन दिये जाने का लक्ष्य है।

लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्बल वर्गो के चतुर्दिक विकास की योजनायें बनाना एवं उनको उक्त वर्ग के हितार्थ क्रियान्वित करना है ताकि समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर में सुधार लाते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा के समतुल्य लाया जा सके।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक न्याय का संदेश समाहित है, जिसे अनुच्छेद 46 में स्पष्ट किया गया है कि **''राज्य जनता के दुर्बल वर्गो के, विशिष्टतया अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य दुर्बल वर्गो की शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।''**

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) अपनाये गये जिसमें राष्ट्रों के अन्दर एवं उनके बीच असमानता को कम करना दसवें लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया। इस लक्ष्य के अन्तर्गत **''वर्ष 2030 तक हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त करना और बढ़ावा देना, चाहे वह किसी लिंग, अशक्तता, प्रजाति, मूल, धर्म अथवा आर्थिक व अन्य स्थिति के हो। समान अवसर सुनिश्चित करना तथा आय की असमानता को कम करना जिसके लिए उपयुक्त विधान, नीतियों और कार्यवाहियों को प्रोत्साहित करना भी लक्ष्य रखा गया है।''**

इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजनों तथा महिलाओं हेतु छात्रवृत्ति, छात्रावास, आश्रम पद्धति विद्यालय, पेंशन, शोषण के विरूद्ध सहायता एवं भरण पोषण सम्बन्धी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आदि का संचालन किया जा रहा है। ये योजनाएं समाज

कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, विकलांग कल्याण, महिला कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर व्यय

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के प्रकाशन उ0प्र0 के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण 2019–20 के अनुसार वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में सरकार का सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय निम्नवत है–

तालिका–14.01

उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर व्यय

(लाख रुपये)

वर्ष	चालू व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2017-18	1812349 (7.5%)	55069 (0.9%)	1867418 (6.2%)
2018-19	2801944 (9.7%)	184866 (1.5%)	2986810 (7.2%)
2019-20	2987294 (9.4%)	241945 (1.9%)	3229239 (7.2%)

नोट– कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है जो प्रदेश के चालू व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय के सापेक्ष दिया गया है।

तालिका से स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर वर्ष 2019–20 (आय व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 9.4 प्रतिशत तथा 1.9 प्रतिशत रहा। वर्ष 2018–19 (पुनरीक्षित अनुमान) में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 9.7 प्रतिशत तथा 1.5 प्रतिशत रहा। वर्ष 2017–18 (वास्तविक अनुमान) में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रमशः 7.5 प्रतिशत तथा 0.9 प्रतिशत रहा। तालिका से स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर सरकार का चालू व्यय पूंजीगत व्यय की तुलना में अधिक है।

तालिका–14.02

कुल जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

मद	भारत		उत्तर प्रदेश	
	2001	2011	2001	2011
ग्रामीण जनसंख्या	742617747	833463448	131658339	155317278
नगरी जनसंख्या	286119689	377106125	34539582	44495063
कुल जनसंख्या	1028737436	1210569573	166197921	199812341
अनुसूचित जाति(ग्रामीण)	133010878	153850848	30816596	35685227
अनुसूचित जाति(नगरीय)	33624822	47527524	4331781	5672381
कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या	166635700	201378372	35148377	41357608
अनुसूचित जनजाति(ग्रामीण)	77338597	94083844	95828	1031076

मद	भारत		उत्तर प्रदेश	
अनुसूचित जनजाति(नगरीय)	6987643	10461872	12135	103197
कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	84326240	104545716	107963	1134273
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत	16.19	16.63	21.15	20.69
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	8.19	8.64	0.06	0.57

उपरोक्त तालिका 13.02 के अनुसार जहॉ 2001 में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का भारत में 16.19 प्रतिशत एवं उत्तर प्रदेश में 21.15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमशः 8.19 एवं 0.06 थी वहीं वर्ष 2011 में भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16.63 प्रतिशत एवं उत्तर प्रदेश में 20.69 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमशः 8.64 एवं 0.57 है।

समाज कल्याण सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

समाज कल्याण विभाग का मूल उद्देश्य वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्बल वर्गो के चतुर्दिक विकास की योजनायें बनाना एवं उनको उक्त वर्ग के हितार्थ क्रियान्वित करना है। विभाग द्वारा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण सेक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/विमुक्त जातियों के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनायें चलायी जा रही है जिन्हें मुख्यतः शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

1. वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के समस्त पात्र वृद्धजनों को जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित है अथवा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/–एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460/– तक है, वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था है। इस योजना में 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के पेंशनरों को रू0 500/– प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, जिसमें राज्यांश रू0 300/– एवं केन्द्रांश रू0 200 प्रतिमाह देय है। 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों को रू0 500/– प्रति माह दी जाती है जो शत–प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। **प्रत्येक** वर्ष **माह अप्रैल, मई एवं जून में पात्र वृद्धजनों के सत्यापन का कार्य किया जाता है।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में 188635.83 लाख रूपये व्यय कर 40.71 लाख पात्र पेंशनरों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 की योजनान्तर्गत रू0 257900.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है जिसमें से माह अगस्त तक रू0 61707.81 लाख व्यय कर 41.57 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया गया है।

2. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे निवासरत् परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर रू० 30,000 की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा रू0 20,000 एवं राज्य सरकार द्वारा रू0 10,000/– की एक मुश्त अनुदान सहायता राशि के रूप में दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से यह योजना कम्प्यूटरीकृत करते हुए ऑन लाईन कर दी गयी है। योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 में 32668.28 लाख रू० व्यय कर 107154 परिवारों को लाभान्वित किया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में

रू0 50,000.00 लाख प्राविधान के सापेक्ष माह अगस्त, 2019 तक रू० 12840.45 लाख व्यय कर 44944 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

3. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना :–

समाज में सर्व धर्म–समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने एवं विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन एवं अपव्यय को समाप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न समुदाय एवं धर्मो के रीति–रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाता है। रू0 200000/ वार्षिक आय सीमा तक जीवनयापन करने वाले सभी वर्गो के जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों की कन्याओं एवं विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है।

योजनान्तर्गत गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में रू0 35,000/ की धनराशि एवं विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री यथा कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि रू0 10,000/ की धनराशि तथा प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर रू0 6,000/ की धनराशि इस प्रकार एक जोड़े के विवाह पर कुल रू0 51,000/ की धनराशि व्यय किये जाने की व्यवस्था है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 में रू0 19493.83 लाख व्यय कर 42317 परिवारों को लाभान्वित किया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में रू0 25,000 लाख का प्राविधान रखा गया है जिसमे से अगस्त, 2019 तक रू० 7073.19 लाख व्यय कर 13869 परिवारों को लाभान्वित किया गया जिसमें से अल्पसंख्यक वर्ग–1937, अन्य पिछड़ा वर्ग–4407, अनुसूचित जाति–6917 एवं सामान्य वर्ग–608 जोड़े सम्मिलित हुए।

4. पूर्वदशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग) वितरण योजना

कक्षा 9 व 10 के अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली पर आधारित ई–पेमेन्ट के माध्यम से कोर बैंकिंग सिस्टम द्वारा सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में किया जाता है। पूर्वदशम कक्षाओं(अनुसूचित जाति एवं सामान्य) तथा दशमोत्तर(अनुसूचित जाति) में अध्ययनरत छात्र/छात्रा जिनके अभिभावक/माता–पिता की वार्षिक रू0 2.50 लाख तथा दशमोत्तर (सामान्य वर्ग) कक्षाओं में अध्ययनरत जिनके अभिभावकों/माता–पिता की वार्षिक आय सीमा रू0 2.00 लाख तक है, को छात्रवृत्ति दी जाती है। निम्न तालिका 14.03 में छात्रवृत्ति वितरण योजना की विभिन्न वर्षो की प्रगति दी गयी है।

तालिका–14.03

छात्रवृत्ति वितरण योजना की प्रगति

क्र0 सं0	योजना का नाम	वर्ष	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (धनराशि रू0 लाख में)
1	2	3	4	5
1	पूर्वदशम् – अनु. जाति	2017–18	416860	8849.26
		2018–19	464288	12631.36
	पूर्वदशम् – सामान्य वर्ग	2017–18	77777	1664.00
		2018–19	62326	1664.00
2	दशमोत्तर– अनु. जाति	2017–18	1238307	181014.55
		2018–19	1078258	180991.72
	दशमोत्तर– सामान्य वर्ग	2017–18	571782	66626.38
		2018–19	600069	75000.00

पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (अनुसूचित. जाति/सामान्य वर्ग)

वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राविधानित बजट(अनु0 जाति)	रू0 20500.00 लाख
वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राविधानित बजट(सामान्य वर्ग)	रू0 2500.00 लाख

दशमोत्तर छात्रवृत्ति (अनुसूचित. जाति/सामान्य वर्ग)

वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राविधानित बजट(अनु0 जाति)	रू0 183000.00 लाख
31 अगस्त, 2019 तक व्यय धनराशि	रू0 12.39 लाख
वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राविधानित बजट(सामान्य वर्ग)	रू0 82500.00 लाख
31 अगस्त, 2019 तक व्यय धनराशि	रू0 0.40 लाख

5. पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों को आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति 25 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रवेश की व्यवस्था है। बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक विद्यालय खोले गये हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 94 राजकीय आश्रम पद्धतियों विद्यालयों में से 45 सी0बी0एस0सी0 बोर्ड से सम्बद्ध हैं एवं 49 माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा सम्बद्ध है जिन्हें सी0बी0एस0सी0 बोर्ड से सम्बद्धता की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में क्रमशः 31150 एवं 32429 छात्रों को योजना का लाभ दिया गया। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 24535.19 लाख का बजट प्राविधान रखा गया है। 31 अगस्त, 2019 तक रू0 4228.17 लाख व्यय किया गया है जिससे 32840 छात्र लाभान्वित हुए है।

6. उत्तर प्रदेश माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं वृद्धाश्रमों का संचालन

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007 के अधीन उ0प्र0 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली–2014 के अधीन भरण–पोषण के आदेश पर न्याय निर्णयन और विनिश्चयन करने के प्रयोजन से राज्य के प्रत्येक राजस्व जिलों की प्रत्येक तहसील में भरण–पोषण अधिकरण का गठन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में किया गया है। प्रत्येक तहसील में एक सुलह अधिकारी की तैनाती का प्राविधान किया गया है।

प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वृद्धाश्रमों की स्थापना पी0पी0पी0 माडल पर की गयी है, जिसमें निवासरत वृद्धों को निःशुल्क ढंग से भोजन, वस्त्र, औषाधि, मनोरंजन तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय अनुरक्षण समिति तथा प्रदेश स्तर पर मा0 मंत्री, समाज कल्याण की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुरक्षण समिति का गठन कर कार्यक्रम का अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। योजनानतर्गत वर्ष 2018–19 में 4905.00 लाख रू० व्यय कर 5634 वृद्धजन निवासरत हैं। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 5000.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष **31 अगस्त, 2019** तक रू0 881.27 लाख व्यय किये गये जिससे 5530 वृद्धजन को निवासरत किया गया।

7. अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु निदान योजना

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना संचालित है। निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की

शादी अनुदान योजना में रू0 20,000.00 (रू0 बीस हजार) का अनुदान आवेदक के खाते में सीधे भेजा जाता है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 56,460/– तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080/– होती है एवं वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष हो, पात्र होते है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जाति हेतु रू0 12100.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 11491.00 लाख व्यय कर 57455 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2019–20 में रू0 13321.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 31 अगस्त, 2019 तक रू0 1597. 20 लाख व्यय कर 7986 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

सामान्य वर्ग हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 8250 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 4776.80 लाख व्यय कर 23884 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2019–20 में रू0 8250. 00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 31 अगस्त, 2019 तक रू0 636.00 लाख व्यय कर 3181 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

8.विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण योजना

विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र 01 अप्रैल, 1986 से लालगंज, प्रतापगढ़ में चलाया जा रहा हे। इस केन्द्र में विमुक्त जातियों को तीन व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है:–

1– हैण्डलूम से सूती वस्त्रों की बुनाई,

2– सिलाई का प्रशिक्षण,

3– हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण।

प्रत्येक ट्रेड में 15–15 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान 150 रू0 प्रति माह की दर से प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 34.87 लाख का प्राविधान था तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 37.82 लाख का प्राविधान है।

9. निःशुल्क बोरिंग योजना

निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति गरीबी की रेखा के नीचे मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों के खेतों में बोरिंग करायी जाती है। अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त व्यय भार लाभार्थी/कृषक द्वारा स्वयं वहन किये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्राविधानित बजट रू0 1500.00 लाख है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग की लगभग 54 प्रतिशत (सामाजिक न्याय समिति के अनुसार) जनसंख्या के दृष्टिगत समाज के कमजोर और अन्य पिछड़ा वर्गो के लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु हेतु उत्तर प्रदेश सरकार क्रियाशील है। वर्तमान में पिछड़े वर्गों के विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत मुख्यतः पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति, छात्रावास निर्माण के साथ–साथ बेरोजगार युवक–युवतियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण की योजनायें संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उत्पीड़न से संरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सिफारिश की जाती है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण हेतु संचालित प्रमुख कार्य योजनाएं–

1–पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना

प्रदेश में स्थित समस्त राजकीय विद्यालयों, राजकीय सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.00 लाख या उससे कम हो, को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की भाँति उन्हीं दरों एवम् शर्तों पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसमें अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राएं सम्मिलित नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 के कक्षा 9 व 10 के 771988 छात्र एवं छात्राओं की छात्रवृत्ति की धनराशि कुल रू० 160.01 करोड़ एवं कक्षा 10 व 12 के 1813891 लाख छात्र एवं छात्राओं की छात्रवृत्ति की धनराशि कुल रू० 564.07 करोड़ तथा रू0 878.21 करोड़ से 15,41,230 छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति पी०एफ०एम०एस० प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में अन्तरित की गयी। वर्ष 2019–20 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु कुल रू0 175 करोड़ की धनराशि एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु रू0 740.97 करोड़ छात्रवृत्ति के लिए एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए रू0 600.00 करोड़ की धनराशि प्राविधानित है।

2–शादी अनुदान योजना

योजनान्तर्गत पिछड़े वर्ग की निःसहाय, निर्धन तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम आय सीमा क्रमशः रू0 56,460/– व रू0 46,080/–) अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु रू0 20000 की सहायता अनुदान के रूप में दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना में विधवा, विकलांग, दैवीय आपदा जनो एवं भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जाती है। शादी अनुदान योजना में लड़की की आयु 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है। यह योजना 2016–17 से पूर्णतया ऑनलाइन है, जिसमें लाभार्थी पुत्री की शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तक अथवा 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। वर्ष 2018–19 में कुल 96,907 लाभार्थियों को कुल धनराशि रू0 19381.40 लाख का अनुदान दिया गया।

वर्ष 2019–20 में इस योजना के अन्तर्गत कुल रू0 20,000.00 लाख धनराशि का व्यय प्राविधानित है जिसमें से अब तक रू0 652.00 लाख का व्यय कर कुल 3,261 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

3–कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना

अन्य पिछड़े वर्ग के इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार के सुअवसर प्रदान करने हेतु एक वर्षीय 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं त्रैमासिक सी.सी.सी. कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना भारत सरकार की डोयक सोसाइटी (नीलिट) से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से संचालित है। उक्त योजना हेतु भुगतान की जाने वाली धनराशि अधिकतम रू0 15000.00 प्रति प्रशिक्षणार्थी एवं सी.सी.सी. कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए भुगतान की जाने वाली धनराशि अधिकतम रू0 3,500.00 प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से संस्था को किये जाने का प्राविधान है। 'ओ'' लेवल एवं ''सी0सी0सी0'' कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु प्रदेश स्तर पर नीलिट से मान्यता प्राप्त कुल चयनित 143 संस्थाओं के माध्यम से जनपदवार चयनित लक्ष्य के सापेक्ष 7,832 लाभार्थी 'ओ'' लेवल एवं 8,302 लाभार्थी 'सी0सी0सी0' कम्प्यूटर प्रशिक्षण, इस प्रकार कुल 16,134 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराया गया, जिसमें रू0 1337.65 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

वर्ष 2019–20 में योजनान्तर्गत 192 कम्प्यूटर प्रशिक्षणदायी संस्थाओं का चयन किया जा चुका है, वर्ष 2019–20 में इस योजना हेतु कुल रू0 1500.00 लाख की धनराशि व्यय हेतु प्राविधानित है।

दिव्यांग कल्याण

दिव्यांग व्यक्ति का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो लम्बे समय से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा संवेदी (मस्तिष्क संबंधी) दुर्बलता का शिकार है, जिसके कारण अन्य लोगों के समान समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा पहुँचती है।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार संबंधी कानून, 2016 में दिव्यांग व्यक्तियों को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि दीर्घ काल से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा संवेदी(मस्तिष्क संबंधी) दुर्बलता जिससे दिव्यांग व्यक्ति को अन्य लोगों के समान समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा पहुँचती है।

भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न विकलांगताओं से ग्रसित कुल व्यक्तियों की संख्या 4157514 है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत दिव्यांग व्यक्तियों का विकलांगतावार वर्गीकरण निम्नवत हैः–

तालिका–14.04

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में श्रेणीवार दिव्यांगों की संख्या

विवरण	ग्रामीण	शहरी	कुल योग
दिव्यांगजन की कुल जनसंख्या	3166615	990899	4157514
दृष्टि विकलांगता	579182	184806	763988
वाक् विकलांगता	202152	64434	266586
श्रवण विकलांगता	753704	274131	1027835
अस्थि विकलांगता	543203	134510	677713
मानसिक मंदित	140097	41245	181342
मानसिक रूग्ण	57497	19106	76603
अन्य विकलांगता	720020	226416	946436
बहु विकलांगता	170760	46251	217011

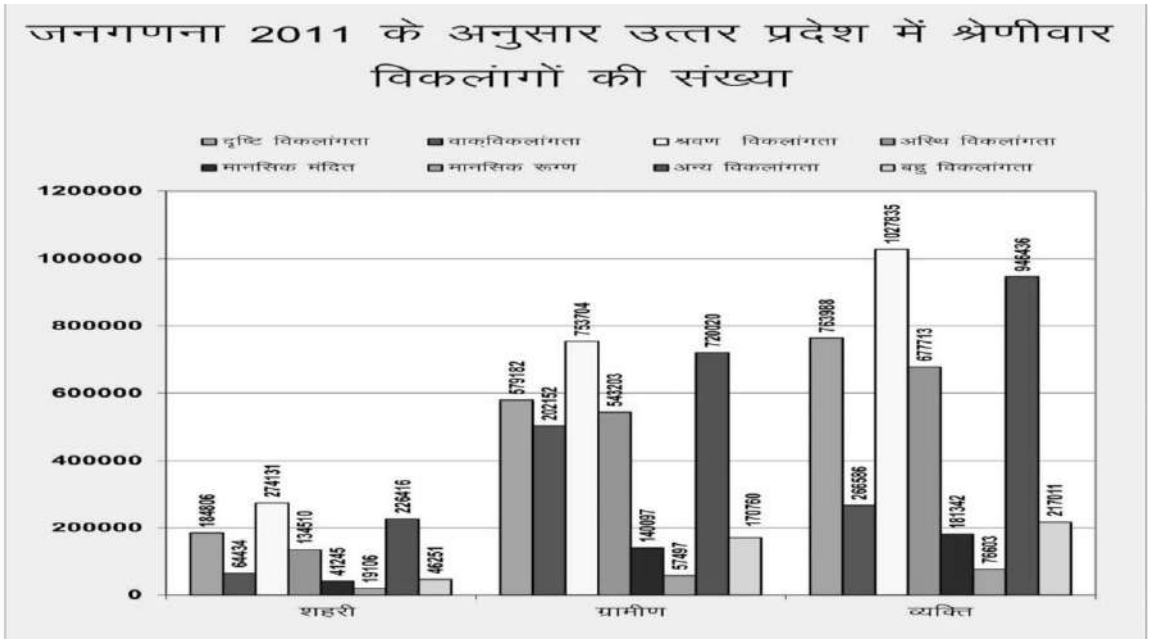

दिव्यांगों के कल्याण हेतु संचालित योजनायें

1. विभिन्न श्रेणी के निराश्रित दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन)

प्रदेश में 40 प्रतिशत या उससे अधिक के दिव्यांगता वाले दृष्टिबाधित, मूक–बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों जिनका जीवनयापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं के भरण–पोषण हेतु रू0 500/– प्रति माह की दर से अनुदान दिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में दिव्यांगजन हेतु कुल रू0 58557.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष रू0 58556.93 लाख का व्यय कर 984709 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में लाभार्थियों हेतु रू0 62102.00 लाख धनराशि का प्राविधान किया गया है जिससे 1035000 दिव्यांगजनों को पेंशन दिया जाने का लक्ष्य है। माह अगस्त, 2019 तक रू0 14886.79 लाख व्यय कर 1007644 दिव्यांगजनों का लाभान्वित किया गया है।

2. कुष्ठावस्था पेंशन योजना :–

कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजन पात्र होगें, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तथा बी0पी0एल0 सीमा के अन्तर्गत आते हो एवं शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन न प्राप्त कर रहे हो, को प्रदेश से सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) मान्य होगा को रू0 2500/– प्रति माह की दर से अनुदान अनुमन्य होगा।

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु कुल रू0 2270.70 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष रू. 2449. 75 लाख का व्यय कर 9304 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 3000.00 लाख के प्राविधान से लगभग 10,000 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। माह अगस्त, 2019 तक रू0 691.57 लाख व्यय कर 9304 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जा चुका है।

3. कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र क्रय हेतु अनुदान योजना

प्रदेश में 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन जिनकी आय गरीबी की रेखा के अन्दर हो को अधिकतम रू0 10,000/– तक का अनुदान कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु दिव्यांगजनों हेतु रू0 3330.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष रू0 3327.67 लाख का व्यय कर 63744 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में लाभार्थियों हेतु रू0 3740.00 लाख के प्राविधान से लगभग 62300 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। अगस्त, 2019 तक रू0 75 लाख व्यय कर 1125 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है।

4. दिव्यांग व्यक्तियों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाः–

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में दिव्यांगता वाले दम्पत्तियों में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000/– एवं युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000/– तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000/– की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 264.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष रू0 249.90 लाख का व्यय कर 1121 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2019–20 में रू0 264.00 लाख के

प्राविधान से लगभग 1320 दम्पतियों को लाभान्वित किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष अगस्त, 2019 तक रू0 44.85 लाख व्यय कर 160 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है।

उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम को दिव्यांगजन की निःशुल्क बस यात्रा हेतु क्षतिपूर्ति :–

दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों से निम्नानुसार निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही हैः–

(क) न्यूनतम् 40%दिव्यांगता वाले सभी दिव्यांगजन को।

(ख) 80% या उससे अधिक अथवा बहुदिव्यांगता से ग्रसित दिव्यांगजन को एक सहवर्ती के साथ। वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 3500 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष माह अगस्त, 2019 तक रू0 2862.39 लाख व्यय किया गया है।

5–विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों हेतु विशेष विद्यालय

विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं से ग्रसित बच्चों को आवासीय एवं अनावासीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रवणबाधित छात्र–छात्राओं हेतु **संकेत (राजकीय मूक बधिर विद्यालय)** लखनऊ, बरेली, फर्रूखाबाद, आगरा, गोरखपुर में एक–एक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में श्रवण यंत्र की सहायता से छात्रों को शिक्षा दिये जानें के साथ–साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

दृष्टिबाधित छात्र–छात्राओं हेतु **स्पर्श (बालक/बालिकाओं के लिये राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय)** लखनऊ/गोरखपुर में बालकों/बालिकाओं के लिए एक–एक, बांदा एवं मेरठ में बालकों हेतु एक–एक इण्टर कालेज संचालित है। इन विद्यालयों में ब्रेल पद्वति के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अनावसीय छात्र/छात्राओं को घर से विद्यालय तक आने जाने हेतु निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

मानसिक मंदित छात्र–छात्राओं हेतु **ममता (मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं का राजकीय विद्यालय)** लखनऊ तथा प्रयागराज में संचालित है। इन विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं को मनोवैज्ञानिक पद्धति से निःशुल्क शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए **प्रयास (शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये राजकीय विद्यालय)** प्रतापगढ तथा लखनऊ में एक–एक विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में हाईस्कूल स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रू0 1000/– तक होती है, उनको आवासीय सुविधा के साथ–साथ रू0 2000/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्रवेतन दिया जाता है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का वर्षवार विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	विद्यालय के नाम	विद्यालयों की संख्या	स्वीकृत क्षमता	2017–18	2018–19	2019–20 (लक्ष्य)
1	संकेत (राजकीय मूक बाधिर विद्यालय)	05	790	599	790	790
2	स्पर्श (बालक/बालिकाओं के लिये राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय)	07	1050	719	1050	1050

क्र0 सं0	विद्यालय के नाम	विद्यालयों की संख्या	स्वीकृत क्षमता	2017–18	2018–19	2019–20 (लक्ष्य)
3	ममता (मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/ बालिकाओं का राजकीय विद्यालय)	02	100	39	100	100
4	प्रयास (शारीरिक रूप से अक्षम बालकों का लिये राजकीय विद्यालय)	02	100	64	100	100

6. बचपन डे केयर की स्थापना एवं संचालनः–

सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त हुई धनराशि से जनपद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, झाँसी, बरेली, गौतमबुद्धनगर में संचालित बचपन डे केयर सेन्टर्स में 03 से 07 वर्ष तक के विकलांग बच्चों को शिक्षण/प्रशिक्षण के साथ–साथ आवागमन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराते हुये सामान्य विद्यालयों में शिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है।

स्थापित बचपन डे केयर सेन्टर्स के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू0 510. 67 लाख के प्राविधान के सापेक्ष कुल रू0 507.36 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 862.30 लाख के प्राविधान के सापेक्ष अगस्त, 2019 तक रू0 278.91 लाख धनराशि व्यय की गयी है।

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनान्तर्गत चयनित 08 जनपदों (सोनभद्र, चन्दौली, श्रावस्ती, बहराइच, चित्रकूट, बलरामपुर, फतेहपुर व सिद्धार्थनगर) में प्री–प्राइमरी स्तर पर विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग बच्चों के शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु बचपन डे–केयर सेन्टर की स्थापना कराया जाना है। इन 08 जनपदों में से चित्रकूट जनपद में पूर्व से बचपन डे–केयर सेन्टर स्थापित है। तद्नुसार इनकी स्थापना व संचालन हेतु रू. 1055.25 लाख का बजट प्राविधान वर्ष 2019–20 में किया गया है।

7. डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविधालय (लखनऊ) :–

देश में प्रथम बार विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों को बाधारहित वातावरण में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 'डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना वर्ष 2008 में की गयी। विश्वविद्यालय में वर्तमान में कुल 21 विभाग क्रियाशील हैं। प्रत्येक पाठयक्रम में विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित हैं जिसमें से 25 प्रतिशत सीटें केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। वर्तमान में विशेष शिक्षा संकाय में दृष्टिबाधितार्थ, श्रवणबाधितार्थ एवं मानसिक मन्दितार्थ बी0एड0 एवं डी0एड0 विशेष शिक्षा पाठयक्रमों के संचालन के साथ–साथ बी0ए0,एम0ए0, बी0काम0, एम0काम0, एम0एस0 डब्लू, एम0बी0ए0 तथा विधि संकाय के अर्न्तगत बी0काम0 एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में विश्वविद्यालय में विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण हेतु रू0 500.00 लाख तथा कृत्रिम अंग एवं पुनर्वासन केन्द्र की स्थापना हेतु रू0 500.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष माह अगस्त, 2019 तक क्रमशः रू0 500.00 लाख तथा रू0 449.89 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

8.कौशल विकास केन्द्र

विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से **दृष्टिबाधित व्यक्तियों** के लिए लखनऊ, गोरखपुर तथा बॉदा में एक–एक **राजकीय कर्मशाला,** मूक बधिरों के लिए जनपद आगरा में **आश्रित कर्मशाला** तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों/दिव्यांगों हेतु जनपद वाराणसी, प्रयागराज, उन्नाव में **राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र** संचालित हैं। इन कर्मशालाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को कुर्सी बुनाई, सिलाई, डिजाइनर मोमबत्तियों, कम्प्यूटर आदि बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं।

इस कर्मशालाओं में संवासियों की स्वीकृत क्षमता एवं पूर्ति का वर्षवार विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	कौशल विकास केन्द्र के नाम	संख्या	स्वीकृत क्षमता	2018–19	2019–20 (लक्ष्य)
1	दृष्टिबाधितों के लिए राजकीय कर्मशाला	03	275	275	275
2	शाारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र	03	100	100	100
3	मूक बधिरों के प्रशिक्षण के लिए आश्रित कर्मशाला	01	50	50	50

दिव्यांग कर्मशालाओं के संचालन पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राविधानित धनराशि कुल रू0 244.42 लाख के सापेक्ष कुल रू0 144.40 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू 259.29 लाख का प्राविधान है।

सभी श्रेणी के दिव्यांगजन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये मुरादाबाद एवं मेरठ जनपद में एक–एक **बहुद्देशीय कौशल विकास केन्द्र** की स्थापना की गयी है।

उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू0 23.01 लाख के प्राविधान के सापेक्ष कुल रू0 12.27 लाख का व्यय कर 100 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 100 दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने हेतु रू0 23.01 लाख का प्राविधान है।

9. मनोविकास केन्द्र, गोरखपुर :–

गोरखपुर मण्डल में जापानी इन्सेफलाइटिस से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के आरोग्य भवन में मनोविकास केन्द्र संचालित है। इस मनोविकास केन्द्र में जापानी इंसेफलाइटिस से ग्रसित दिव्यांगजन को आई0क्यू0 असेसमेन्ट, आक्यूपेशनलथिरेपी यूनिट, फिजियोथैरेपी यूनिट, आडियोलाजी यूनिट, व्यावसायिक प्रशिक्षण यूनिट, काउन्सिलिंग एवं सोशल एजूकेशनल यूनिट के माध्यम से पुनर्वास सेवायें एवं सुविधायें प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु कुल रू0 21.53 लाख के प्राविधान के सापेक्ष कुल रू0 15. 85 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 35.76 लाख का प्राविधान के सापेक्ष अगस्त, 2019 तक रू0 8.58 लाख व्यय किये गये।

10. निराश्रित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र बरेली, गोरखपुर एवं मेरठ–

प्रदेश के निराश्रित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र बरेली में महिलाओं हेतु तथा गोरखपुर एवं मेरठ में पुरूषों हेतु एक–एक आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

की गयी है। इन केन्द्रों में मानसिक मंदित दिव्यांग जन को प्रवेश देकर उनकों आश्रय प्रदान किये जाने के साथ साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलम्बी बना़ने का कार्य किया जा रहा है। इनके संचालन हेतु गत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु कुल रू0 125.52 लाख के प्राविधान के सापेक्ष कुल रू0 120.17 लाख का व्यय किया गया है जिससे 150 दिव्यांगजन लाभान्वित किये गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 मे रू0 153.09 लाख का प्राविधान है जिससे 150 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जायेगा। माह अगस्त, 2019 तक रू0 41.33 व्यय किये गये है।

इसके अतिरिक्त सभी श्रेणी के दिव्यांग जन हेतु जनपद वाराणसी में **अमरावती पुरूषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तीकरण संस्थान** संचालित है। इस संस्थान में मानसिक मंदित दिव्यांग जन को आवासीय सुविधा के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाने का कार्य किया जाता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू0 32.71 लाख के प्राविधान के सापेक्ष कुल रू0 21.63 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 73.20 लाख के प्राविधान के सापेक्ष अगस्त, 2019 तक रू0 5.36 लाख व्यय किये गये।

प्रदेश में दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं के पठन–पाठन हेतु ब्रेललिपि में पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए **ब्रेल प्रेस का संचालन** निशातगंज, लखनऊ में किया जा रहा है। ब्रेल प्रेस के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 19.34 लाख के प्राविधान के सापेक्ष रू0 19.08 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 217.85 लाख के प्राविधान के सापेक्ष अगस्त, 2019 तक रू0 1.74 लाख व्यय किये गये।

11. डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण :–

डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम जैसी छिपी हुई दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित करने उनके अभिभावकों को इस परिप्रेक्ष्य में जागरूक करने एवं समाज में जागरूकता का सृजन कर संवेदनशीलता उत्पन्न करने की एक नवीन एवं महत्वपूर्ण योजना विभाग द्वारा प्रारम्भ की गयी है। उक्त योजना अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 20.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष रू. 19.99 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 20.00 लाख का प्राविधान है।

12. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोट्राइज्ड ट्राई–साइकिल की योजना–

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के प्रतिपूर्ति में प्रदेश के समस्त प्रति लोकसभा क्षेत्र में 100–100 दिव्यांगजन को मोट्राइज्ड ट्राई–साइकिल निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी है। अतः रू. 3256.00 लाख का बजट के प्राविधान वर्ष 2019–20 में किया गया है।

13–दुकान निर्माण/संचालन योजना–

इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग जन के पुनर्वासन हेतु रू0 20000/ की धनराशि दुकान निर्माण हेतु अथवा रू0 10000/ की धनराशि दुकान संचालन हेतु देने की व्यवस्था है। रू0 20000/ में से रू0 15000/ की धनराशि तथा रू0 10000/ में से रू0 7500/ की धनराशि चार प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज की दर से ऋण के रूप में एवं क्रमशः रू0 5000/ एवं रू0 2500/ अनुदान के रूप में दी जाती है। दुकान निर्माण/संचालन योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राविधानित धनराशि रू0 1.06 करोड़ के सापेक्ष रू0 1.06 करोड़ व्यय कर 1052 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राविधानित धनराशि रू0 1.06 करोड़ के सापेक्ष 1060 दिव्यांगजन को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

अल्पसंख्यक कल्याण

भारत के संविधान में देश को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र घोषित किया गया है। संविधान जहां देश के नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, वहीं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, भाषा तथा संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार भी प्रदान करता है। प्रदेश शासन द्वारा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किया गया है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या की तुलना में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का प्रतिशत निम्नवत् हैः–

तालिका संख्या–14.05

विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का प्रतिशत

क्र0सं0	समुदाय का नाम	कुल जनसंख्या में समुदाय का प्रतिशत		अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व	
		भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
1.	मुस्लिम	14.23	19.26	70.42	95.02
2.	ईसाई	2.34	0.18	11.37	0.88
3.	सिक्ख	1.72	0.32	8.52	1.59
4.	बौद्ध	0.70	0.10	3.45	0.51
5.	जैन	0.37	0.11	1.82	0.53
6.	अन्य	0.84	0.30	4.41	1.47
कुल अल्पसंख्यक		20.20	20.27	100.0	100.0

देश के अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 20.20 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 20.27 है।

अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने तथा उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं।

विभाग का उद्देश्य अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल तथा कौशल विकास से जुड़ी सुविधाओं का सृजन करना, मदरसों का आधुनिकीकरण, मदरसों में व्यवसायिक शिक्षा व कम्प्यूटर शिक्षा को प्रभावी ढ़ंग से लागू करना है।

अल्पसंख्यक समुदाय हेतु संचालित मुख्य कार्यक्रम/योजनाएं

1– पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना–

पूर्वदशम्/दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित किये जाने के उददेश्य से ऑनलाईन आवेदन की व्यवस्था के

अन्तर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में किये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राजस्व पक्ष में रू0 2512.00 लाख तथा जिला योजना पक्ष में रु0 1053.00 लाख अर्थात् कुल रू0 3565.00 लाख की धनराशि के प्राविधान के सापेक्ष कुल 1,28,494 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में योजना के अर्न्तगत रु0 2512.00 लाख तथा जिला योजना पक्ष में रू0 1053.00 लाख अर्थात् कुल रु0 3565.00 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु रू0 14867.00 लाख के सापेक्ष 407,906 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया है तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु रू0 15,000.00 लाख के सापेक्ष 2,75,820 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में योजनान्तर्गत राजस्व पक्ष में छात्रवृत्ति हेतु रु0 14867.00 लाख एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु रू0 15000.00 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान है।

2– अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/निराश्रित अभिभावकों की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना

वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ इस योजना में किसी गरीब अभिभावक की अधिकतम् दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री रू0 20,000/ की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–2019 में योजनान्तर्गत रू0 7055.00 लाख का बजट में प्राविधान के सापेक्ष 35278 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में योजना के अर्न्तगत में रू0 7400.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 3700 लाख का आवंटन प्रदेश के जनपदों को किया जा चुका है।

3– प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0)

प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में परम्परागत शिक्षा के साथ–साथ अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0) प्रारम्भ की गयी है, जिसके प्रथम चरण में 140 मदरसों में मिनी आई0टी0आई0 की स्थापना कर मदरसा प्रबन्ध–तन्त्र को परम्परागत शिक्षा के साथ–साथ बालक/बालिकाओं को उनकी अभिरूचि के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के अर्न्तगत सम्बन्धित ट्रेडो की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से तीन वर्ष निर्धारित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 140 मदरसों में से वर्तमान में संचालित 129 पर माह दिसम्बर, 2018 तक रू0 1104.51 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 2117.31 लाख धनराशि की बजट में व्यवस्था की गई।

4–अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुद्देशीय हब की स्थापना

वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ यह योजना प्रदेश में सबसे अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले 20 जनपदों में लागू की जानी है। चयनित जनपद में एक बालक तथा एक बालिका राजकीय मॉडल इण्टर कालेज स्थापित किया जायेगा। प्रस्तावित मॉडल इण्टर कालेज के मानक केन्द्रीय विद्यालय के होंगे।

वर्ष 2018–19 में योजना के लिए रू0 2473.00 लाख की व्यवस्था की गयी। वर्ष 2019–20 में योजना के लिए रू0 2473.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में सघन क्षेत्र विकास योजना के अर्न्तगत केन्द्र सरकार द्वारा कई योजनाओं में शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान में संचालित योजनायें निम्नवत् हैंः–

1–अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना

योजनर्न्तगत धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि) को पढ़ाने के लिये भारत सरकार द्वारा स्नातक शिक्षक को रू0 6,000/ प्रतिमाह तथा परास्नातक/बी0एड0 शिक्षकों को रू0 12,000/प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त बुक बैंक की स्थापना हेतु रू0 50,000/, विज्ञान एवं गणित किट हेतु रू0 15,000/, आलिया तथा उच्च आलिया स्तर के मदरसों के लिए कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु रू0 1.00 लाख प्रति मदरसा का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में केन्द्रांश एवं राज्यांश के मानदेय के रूप में कुल रू0 45907.47 लाख की बजट में व्यवस्था कराई गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में शासन से प्राप्त रू0 3250 लाख योजना से 4291 मदरसों के 21228 शिक्षकों को 5 माह हेतु मानदेय भुगतान किये जाने के लिए जनपदों को धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

2– भारत सरकार द्वारा संचालित मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति योजना

वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रदेश स्तर पर लागू यह योजना शत् प्रतिशत केन्द पुरोनिधानित है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अध्ययनरत पात्र छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम रू0 2.50 लाख है, जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के 80 व्यवसायिक एवं तकनीकी निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हों तथा गत् परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, अर्ह माने जायेंगे। इस योजना के अर्न्तगत छात्रावासीय छात्रों को रू0 10000/– एवं दिवा छात्रों हेतु रू0 5000/– वार्षिक डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैक खातों में दिये जाने की व्यवस्था है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 2620.57 लाख व्यय कर 9899 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रशासनिक व्यय के मद में रू0 322.65 लाख धनराशि की बजट में व्यवस्था है।

3– प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेंन्ट प्लान)

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के अन्तर्गत 21 जनपदों में लागू की गयी। वर्तमान में प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के नाम से यह योजना प्रदेश के 47 जनपदों के 145 विकास खण्डों तथा 89 नगर पंचायत/नगर पालिका एवं 15 जिला मुख्यालयों में लागू है। अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा, रोजगार और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अन्तर को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के सृजन पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य सरकार द्वारा कुल रू0 40410.00 लाख की धनराशि के बजट में प्राविधान के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा रू0 27100.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य सरकार द्वारा कुल रू0 50660.00 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान किया गया है।

4–उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों हेतु व्यवस्था–

प्रदेश में हज यात्रियों को हज यात्रा हेतु सऊदी अरब भेजने तथा हज सम्बन्धी कार्यों के लिए उ0प्र0 राज्य हज समिति का गठन किया गया है।

वर्ष 2018–19 में कुल रू0 258.20 लाख का प्राविधान के सापेक्ष 31679 हज यात्रियों को सऊदी अरब भेजा गया था। वर्ष 2019–20 में कुल रू0 313.67 लाख का प्राविधान के सापेक्ष लगभग 30237 हज यात्रियों का कोटा निर्धारित किया गया है जिन्हें हज यात्रा पर भेजा जायेगा।

महिला कल्याण

हमारे संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति–निर्देशक–तत्व में भी नागरिकों की समानता निहित है जिसके फलस्वरूप इस देश में लैंगिक भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है परन्तु वास्तविकता यह है कि सदियों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण अभी भी अधीनस्थ अवस्था में संविधान न केवल महिलाओं को समानता का अधिकार देता है, बल्कि राज्यों को भी यह अधिकार देता है कि समानता लाने के लिए वह महिलाओं के प्रति सकारात्मक विभेदीकरण की योजनायें बना सकते है।

तालिका–14.06

जनगणना 2011 में महिलाओं की नगरीय, ग्रामीण एवं कुल जनसंख्या

मद	भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3
कुल जनसंख्या	1210569573	199812341
महिलाओं की ग्रामीण जनसंख्या	405830805	74324283
महिलाओं की नगरीय जनसंख्या	181616925	21007548
महिलाओं की कुल जनसंख्या	587447730	95331831

सतत विकास लक्ष्य 5 में लैगिंक समानता हासिल करने और सभी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सुदृढ़ नीतियों और प्रवर्तनीय विधान को अपनाना और उनका सुदृढीकरण करना शामिल है। इसी उद्देश्य से महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने में मदद करने के लिए शासन द्वारा अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं।

1. कन्या सुमंगला योजना

महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। उक्त के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा ''कन्या सुमंगला योजना'' दिनांक 01.04.2019 से लागू की गयी है। कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनकी वार्षिक आय अधिकतम रू0 3 लाख हो, ऐसे दो बच्चे वाले परिवार योजनांतर्गत पात्र हैं।

प्रथम श्रेणी	बालिका के जन्म होने पर	रू0 2000 एक मुश्त
द्वितीय श्रेणी	बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त	रू0 1000 एक मुश्त
तृतीय श्रेणी	कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 2000 एक मुश्त
चतुर्थ श्रेणी	कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 2000 एक मुश्त
पंचम श्रेणी	कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 3000 एक मुश्त
षष्ठम श्रेणी	ऐसी बालिकायें जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अविध के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो।	रू0 5000 एक मुश्त

योजनान्तर्गत लाभार्थी को देय धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से उसके खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 120000.00 लाख का बजट का प्राविधान किया गया है।

2. महिला समाख्या कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश में महिला समाख्या कार्यक्रम विगत 27 वर्षो से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत है। वर्तमान में 19 जिलों में संचालित महिला समाख्या कार्यक्रम अन्तर्गत 5923 महिला संघों का निर्माण किया गया है। ये संघ समुदाय स्तर पर महिलाओं को संगठित करनें, गतिशील करनें, सरकारी योजनाओं के प्रति उन्हें जागृत करनें और घरेलू हिंसा व महिलाओं के प्रति अन्य प्रकार के उत्पीड़न को रोकनें व उन्हें राहत पहुॅचाने के लिये सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। इन संघों में 1,50,000 महिलाएं एवं 30,000 किशोरियों का जुड़ाव है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 500 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2019–20 में रूपयें 200.00 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

3 .उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष–

महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए संवेदनशील बनाना, एवं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना तथा सभी क्षेत्रों, विशेष रुप से आर्थिक स्वावलंबन में महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा **"उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष"** की स्थापना वर्ष 2015 में की गयी है। इस कोष का उपयोग जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/बालिकाओं के लिए तात्कालिक आर्थिक और चिकित्सकीय राहत सुनिश्चित करने हेतु, पीडिताओं के भरण–पोषण, शिक्षा और स्वास्थ, पुर्नरुद्धार के साथ–साथ यदि परिस्थितिवश ऐसा अपेक्षित हो, ऐसी पीड़िताओं के अवयस्क बच्चों के भरण–पोषण एवं शिक्षा के लिये भी किया जाएगा।

रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्रदेश की महिलाओं व बालिकाओं को बहादुरी के कार्य तथा खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली 20 महिला प्रधानों को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 3638.16 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में रूपये 10370.83 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

4. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना बाल लैंगिग अनुपात की दर में वृद्धि एवं बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने हेतु समेकित प्रयास के उद्देश्य से वर्तमान में प्रदेश के 17 जनपदों में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 212.50 लाख का आय–व्ययक का प्राविधान है।

5.स्वाधार आश्रय गृह–

केन्द्र पुरोनिधानित इस योजना में 60 प्रतिशत केन्द्र एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार का अंश है। जनपद मथुरा में स्वाधार आश्रय गृह के अन्तर्गत ऐसी महिलाओं को रखे जाने की व्यवस्था है जो पति/बच्चे/परिवार से बेघर, घरेलू हिंसा से पीड़ित अथवा किसी दैवीय आपदा के चलते निराश्रित हो गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 328.48 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्ष 2018–19 में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी। वर्ष 2019–20 में रूपये 500.00 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

6. महिला हेल्पलाइन

महिलाओं को हिंसा से संरक्षण, चिकित्सा सुविधा, विधिक सहायता, आश्रय प्रदान करना तथा पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं के पुर्नवासन संबंधी योजना से लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्कीम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ बुमेन हेल्पलाइन 181 की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 1289.40 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में रूपये 2500 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

वन स्टाप सेन्टर

भारत सरकार के दिशा निर्देशों में वन स्टाप सेन्टर पर पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता, पुलिस सहायता, चिकित्सकीय सहायता, काउन्सिलिंग एवं 05 दिन के अल्पावास की सुविधा आदि उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी हैं। वर्तमान में प्रदेश के 10 जनपदों आगरा, बरेली, प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, कानपुर नगर, कन्नौज, लखनऊ, गोरखपुर तथा गाजीपुर में अस्पताल परिसर में स्थायी भवनों में तथा 07 जनपदों गाजियाबाद, मिर्जापुर, झांसी, बांदा, पीलीभीत, शाहजहॉपुर व मुजफ्फर नगर में अस्थायी भवनों में वन स्टाप सेन्टर का संचालन किया जा रहा है, शेष 58 नवस्वीकृत जनपदों के वन स्टाप सेन्टरों का संचालन स्थायी भवनों के निर्माण होने तक जनपद मुख्यालय के किसी अस्पताल के परिसर में संचालित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजनान्तर्गत रू0 29.28 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 15.26 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

7. पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान

योजना के अन्तर्गत पति की मृत्यपरान्तु निराश्रित महिलायें जिनकी जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46080/एवं शहरी क्षेत्र में रु0 56460/ है, जिनके बच्चे नाबालिग अथवा बालिग होने के बावजूद भरण पोषण में असमर्थ हैं, को रु0 500/ प्रतिमाह का अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 102366.04 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्ष 2019–20 में सामान्य जाति के लिए रू0 1177765.48 लाख एवं अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 22826.04 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

8. निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान

योजनान्तर्गत विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु एक मुश्त रु0 10,000/सहायता/अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 21.70 लाख धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 70.0 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

9. पति की मृत्युपरान्त महिलाओं से पुनर्विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार

35 वर्ष से कम आयु की पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने हेतु उनसे विवाह करने पर उस दम्पति को विवाह के लिए रु0 11,000 का पुरस्कार दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 07.15 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में रूपये 45.00 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

10. दहेज से पीड़ित महिलाओं की आर्थिक एवं कानूनी सहायता

योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं जिनके द्वारा पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो, को रु0 125/– प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 3.36 लाख धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 9.00 लाख का बजट उपलब्ध है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली दहेज से उत्पीड़ित महिलाओं जिनके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो, को विधिक वाद की पैरवी हेतु रू0 2500/– की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। कानूनी सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 1.82 लाख धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 8.00 लाख का बजट उपलब्ध है।

11. आशा ज्योति केन्द्र की स्थापना–

प्रदेश के 17 जनपदों में हिंसा से ग्रस्त, असहाय एवं आपातकालीन स्थितियों का सामना कर रही महिलाओं उनके बच्चों एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे समन्वित सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन जनपदों में स्थित केन्द्रों में उल्लिखित श्रेणी की महिलाओं, उनके बच्चों एवं जरूरतमंद बालिकाओं को आकस्मिक चिकित्सीय सेवाएं, कानूनी सहायता, अल्पकालिक आश्रय, रोजगार प्रशिक्षण, पुलिस एफ0आई0आर0 में सहयोग, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक परामर्श बैकों से समन्वय कर उनका सर्वांगीण सशक्तिकरण आदि कार्य किया जाता है। इसके साथ ही आकस्मिक परिस्थतियों में आपत्तियों का सामना कर रही महिलाओं एवं बालिकाओं को सेवाएं प्रदान करने हेतु 181 महिला हेल्पलाइन को भी इन केन्द्रों के साथ जोड़कर संचालित किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में रूपयें 2000.00 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

12. बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना–

बच्चे देश का भविष्य हैं। भारतीय संविधान नें बच्चों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किये हैं, जैसे न्याय के समक्ष समानता, 06 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देना, श्रम से रोकना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को करखानों, खानों तथा खतरनाक प्रकृति के उद्योगों में नियुक्त न करना आदि। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया गया। तदक्रम में वर्ष 2013 में राज्य आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य

बाल अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में विस्तृत कार्यवाही कर उनके संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों को संरक्षित किया जाये।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 51.97 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में रूपये 637.52 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

13. उज्ज्वला योजना

महिलाओं एवं बच्चों का यौन शोषण एक संगठित अपराध है जो मूल मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। उज्ज्वला योजना देह व्यापार रोकने, बचाव, पुर्नवास एवं पुनः एकीकरण के लिए एक व्यापक योजना है। यह एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इसमें 60 प्रतिशत केन्द्र एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार का अंश है। इस योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामाजिक प्रयास (लामबन्दी) एवं स्थानीय समुदायों की सहभागिता एवं वर्कशाप द्वारा जागरूकता की जा सकती है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में रूपये 150.00 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

बाल विकास हेतु संचालित योजनायें–

प्रदेश में 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के समुचित पोषण एवं प्रतिरक्षण के लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा 06 सेवायें क्रमशः अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण (टीकाकरण), स्वास्थ्य जॉच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा आदि सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

1. समेकित बाल विकास सेवा (आई0सी0डी0एस0) योजना

06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों के समन्वित विकास के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में कुल 897 परियोजनाओं के अन्तर्गत 188259 ऑगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से यह योजना संचालित है। योजना में 06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को साप्ताहिक रूप से टेक–होम–राशन के रूप में अनुपूरक पोषाहार दिया जाता है।

स्कूल पूर्व शिक्षा के अन्तर्गत केन्द्र पर 03 से 06 वर्ष के बच्चों को सभी विषय–वस्तु आधारित ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रतिदिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती/सहायिका शिशुओं को न्यूनतम 04 घंटे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शैक्षणिक व क्रियात्मक गतिविधियॉ करायी जाती है।

अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में रू० 99115.49 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2018–19 में रू0 280034.73 लाख आय–व्ययक अनुमान था एवं रू0 280034.73 लाख पुनरीक्षित अनुमान है। वर्ष 2019–20 में रू0 302400.00 लाख आय–व्ययक अनुमान रखा गया है।

2. किशोरी बालिकाओं के लिये योजना के अन्तर्गत 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल छोड़ चुकी किशोरी बालिकाओं के लिए स्कीम फॉर एडोल्सेन्ट गर्ल्स(एस0ए0जी0) योजना 14.01.2019 से संचालित है। इस योजना में किशोरी बालिकाओं को उन्हें जीवन कौशल, शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक–कानूनी मुद्दों तथा मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के बारे में जागरूक करना एवं औपचारिक स्कूली अथवा व्यवसायिक/कौशल प्रशिक्षण आदि गतिविधियों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण दिया जाना एवं अनुपूरक पोषाहार में प्रदेश के 22 जनपदों में एनर्जी डेन्स, मीठा दलिया, एनर्जी डेन्स नमकीन दलिया एवं एनर्जी डेन्स लड्डू प्रीमिक्स दिया जायेगा तथा अन्य 53 जनपदों में मोटा अनाज (रागी/बाजरा/ज्वार/मक्का/कोदो/ कठिया गेहूँ) देशी काला चना एवं अरहर दाल तथा देशी घी उपलब्ध कराया जायेगा। इससे प्रदेश में कुल 5.13 लाख किशोरी बालिकाएं

लाभान्वित होंगी। परियोजना में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वीरांगना दल गठित किये जायेंगे जिसमें 01 वीरांगना सखी तथा 02 वीरांगना सहेली सहित कुल 25–30 लक्षित किशोरियां होंगी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में गैर पोषण घटक के लिए रू0 9.87 करोड़ तथा पोषण घटक में रू0 146.20 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

3. राज्य पोषण मिशन

राज्य में कुपोषण की रोकथाम हेतु मातृ–शिशु मृत्यु दर व मातृ–बाल कुपोषण में कमी लाते हुये ''कुपोषण–मुक्त गांव'' बनाने का निर्णय लिया गया हैं। इस प्रयास के अन्तर्गत पोषण विशिष्ट (गर्भावस्था के दौरान देखभाल, स्तनपान, एनीमिया आदि) तथा पोषण संवेदनशील (स्वच्छता, शिक्षा, आजीविका) हस्तक्षेपों को समाहित किया जायेगा ताकि मां एवं बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में समग्र सुधार परिलक्षित हो सके।

वित्तीय वर्ष 2019–20 मेंरू0 1400.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान प्रस्तावित है।

लाभार्थियों की संख्या

वर्ष 2018–19

श्रेणीवार लाभार्थी		**औसत संख्या (लाख में)**
06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चें	–	83.35
03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चें	–	40.57
गर्भवती/धात्री महिलाएं	–	35.48
किशोरी बालिकायें	–	5.13
कुल योग	–	**164.53 लाख**

****

अध्याय–15

श्रम शक्ति एवं सेवायोजन

मुख्य बिन्दु–

- वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश में 15–59 आयु वर्ग की जनसंख्या 1114.42 लाख थी जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का अंश 55.77 प्रतिशत था।
- बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में 106 सेवायोजन कार्यालय स्थापित है।
- प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक 1220 कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर 142134 प्रतिभागियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों, रोजगारपरक पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की गयी।
- प्रदेश में मार्च, 2018 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में 1599522 कर्मचारी कार्यरत थे।
- प्रदेश में मार्च, 2018 में महिला कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की अपेक्षा 2.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के हितार्थ वित्तीय वर्ष 2018–19 में 13965.69 लाख रु0 व्यय किये गये तथा वर्ष 2019–20 में 24872.71 लाख रु0 का बजट प्राविधान किया गया।
- उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना' अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में 106 तथा वर्ष 2019–20 में माह सितम्बर, 2019 तक 4153 पंजीकृत महिला कर्मकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी।

श्रम शक्ति का अभिप्राय 15–59 आयु वर्ग की जनसंख्या से लगाया जाता है और इसी वर्ग के व्यक्तियों से रोजगार हेतु उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश में 15–59 आयु वर्ग की जनसंख्या 1114.42 लाख थी जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का अंश 55.77 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 658.15 लाख कुल कर्मकर थे, जिनमें 190.58 लाख कृषक, 199.39 लाख कृषि श्रमिक, 38.99 लाख पारिवारिक उद्योगों तथा 229. 19 लाख अन्य कार्यों में लगे कर्मकर थे। कुल कर्मकरों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या क्रमशः 446.35 लाख तथा 211.80 लाख थी। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों में 28.96 प्रतिशत कृषक के रूप में, 30.3 प्रतिशत कृषि श्रमिक के रूप में, 5.92 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग धन्धों में तथा 34. 82 प्रतिशत अन्य कार्यों में कर्मकर लगे हैं। कुल कर्मकरों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या से सम्बंधित आंकड़े तालिका–15.01 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–15.01

उत्तर प्रदेश में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकर

(लाख में)

मद	कुल मुख्य कर्मकर	सीमान्त कर्मकर	कुल कर्मकर
1	2	3	4
ग्रामीण	335.38	184.13	519.51
नगरीय	110.97	27.67	138.64
उत्तर प्रदेश	446.35	211.80	658.15

प्रदेश की श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। इस हेतु सेवायोजन कार्यालयों द्वारा मुख्य रूप से बेरोजगार अभ्यर्थियों का रोजगार हेतु पंजीयन तथा उन्हें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में वैतनिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सम्यक एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना, कॅरियर काउन्सिलिंग का कार्य, स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना एवं ऋण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करना, समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवानियोजकता तथा कौशल में वृद्धि करना आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में 106 सेवायोजन कार्यालय स्थापित है। सेवायोजन से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े तालिका 15.02 में दिये जा रहे हैं–

तालिका–15.02

उत्तर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार सृजन सम्बन्धी आंकड़े

क्रम–संख्या	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2017	2018	
1	2	3	4	5
1.	पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	326280	422430	(+)29.47
2.	अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	931	237	(–)74.54
3.	अधिसूचित रिक्तियों में सम्प्रेषण	7386	4483	(–)39.30
4.	सवेतन रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	47930	113910	(+)137.66
5.	स्वतः रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	426	91	(–)78.64
6.	वर्ष के अन्त में सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या (हजार में)	2647	2112	(–)20.21

स्वतः रोजगार/नियोजन कार्यक्रम

वैतनिक रोजगार के सीमित अवसरों को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अनेक योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजन के लिये बनायी गयी विभिन्न योजनाओं की भली–भांति जानकारी कराकर उन्हें स्वतः रोजगार के क्षेत्र में अपना रोजगार आरम्भ करने के लिये उत्प्रेरित किया जाता है। वित्तीय सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बेरोजगार अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र, वित्तीय संस्थाओं को सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से भी अग्रसारित किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में 426 एवं वर्ष 2018 में 91 अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजित कराया गया। स्वतः नियोजन कार्यक्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण तालिका–15.03 में दर्शाया गया हैः–

तालिका–15.03

उत्तर प्रदेश में स्वतः नियोजन कार्यक्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति

क्रम–संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2017	2018	
1	2	3	4	5
1.	स्वतः नियोजन हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	1376	974	(–)29.22
2.	स्वतः नियोजन हेतु प्रार्थना पत्रों का अग्रसारण	788	595	(–)24.49
3.	स्वतः नियोजन कराये गये व्यक्तियों की संख्या	426	091	(–)78.64
4.	स्वतः नियोजन हेतु आयोजित सामूहिक वार्ताएं	705	545	(–)22.70
5.	स्वतः नियोजन हेतु आयोजित गोष्ठियों/बैठकों की संख्या	196	115	(–)41.33

प्रदेशवासियों को सवैतनिक रोजगार सुलभ कराने में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों से सम्बन्धित आंकड़ा तालिका 15.04 में दर्शाया गया है –

तालिका–15.04

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

क्षेत्र	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
	मार्च, 2017	मार्च, 2018	
1	2	3	4
1.केन्द्र सरकार	727	725	(–)0..28
2.राज्य सरकार	8456	8371	(–)1.01
3.अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	5621	5595	(–)0.46
4.अर्द्ध सरकार (राज्य)	1608	1600	(–)0.50
5.स्थानीय निकाय	1332	1311	(–)1.58
योग	**17744**	**17602**	(–)0.80

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में मार्च, 2017 से मार्च, 2018 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल अधिष्ठानों की संख्या में 0.80 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई। प्रदेश में मार्च, 2017 के अन्त में 17744 अधिष्ठान सेवायोजक पंजिका पर उपलब्ध थे, जो मार्च, 2018 में 17602 हो गये।

रोजगार सुलभ कराने में निजी क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के सेवायोजकों से संबंधित आंकड़े तालिका 15.05 में दिये जा रहे है–

तालिका–15.05

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

क्रमांक	अधिष्ठान वर्ग	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2017	मार्च, 2018	
1	2	3	4	5
1	एक्ट अधिष्ठान	5589	5581	(–)0.14
2	नान एक्ट अधिष्ठान	3455	3379	(–)2.20
	योग	**9044**	**8960**	(–)**0.93**

तालिका संख्या 15.06 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में मार्च, 2017 से मार्च, 2018 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 1.05 प्रतिशत की कमी हुई है। सर्वाधिक कमी 2.16 प्रतिशत अर्द्वसरकार (केन्द्र) के क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में हुई है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या तालिका–15.06 में दी जा रही है:–

तालिका–15.06

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2017	मार्च, 2018	
1	2	3	4	5
1.	केन्द्र सरकार	307718	302877	(–)1.57
2.	राज्य सरकार	705319	699952	(–)0.76
3.	अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	162500	158989	(–)2.16
4.	अर्द्धसरकार (राज्य)	333192	330335	(–)0.85
5.	स्थानीय निकाय	107731	107369	(–)0.34
योग		1616460	1599522	(–)1.05

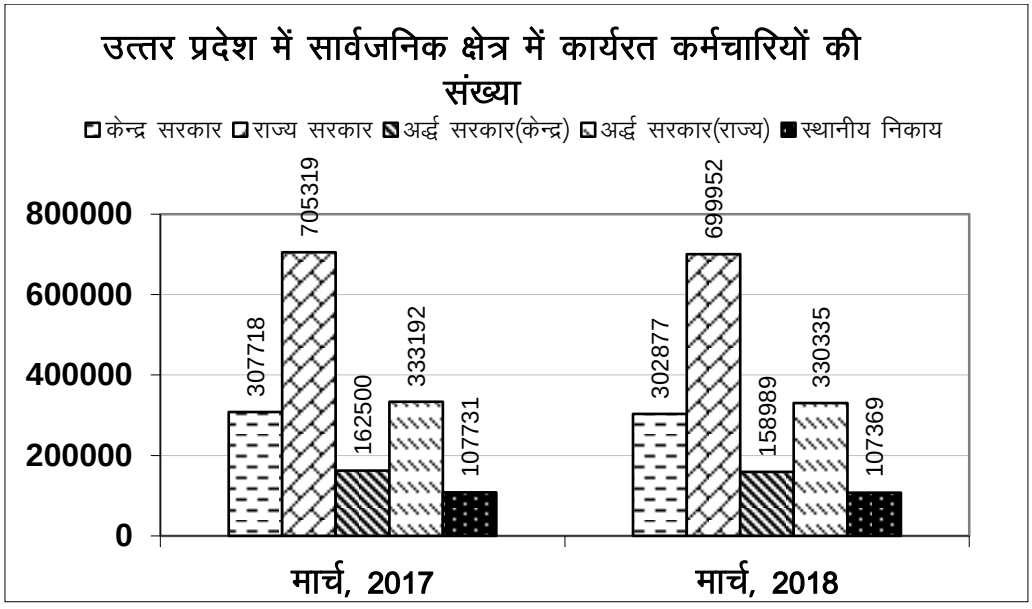

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में मार्च, 2018 में गत वर्ष की अपेक्षा 1.32 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। निजी क्षेत्र में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े तालिका 15.07 में दिये गये हैं–

तालिका–15.07

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष कीअपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2017	मार्च, 2018	
1	2	3	4	5
1	एक्ट अधिष्ठान	658083	667671	1.46
2	नानएक्ट अधिष्ठान	49874	49657	(–)0.44
योग		707957	717328	1.32

औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में मार्च, 2018 में गत वर्ष की अपेक्षा कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में 1.05 प्रतिशत की कमी हुई है। इन कर्मचारियों का विस्तृत विवरण तालिका 15.08 में दिया गया है–

तालिका–15.08

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2017	मार्च, 2018	
1	2	3	4	5
"ए"	कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य	39303	37768	(–)3.91
"बी"	खान एवं उत्खनन	4616	4643	0.58
"सी"	उत्पादन	92486	90520	(–)2.13
"डी"	विद्युत, गैस, वाष्प एवं वातानुकूलन आपूर्ति	47209	46126	(–)2.29
"ई"	जल आपूर्ति	20554	20476	(–)0.38
"एफ"	निर्माण	128725	126006	(–)2.11
"जी"	थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटरगाड़ी एवं मोटर साइकिल की मरम्मत	16304	15398	(–)5.56
"एच"	परिवहन एवं भण्डारण	233463	229074	(–)1.88
"आई"	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	394	345	(–)12.44
"जे"	सूचना एवं संचार	22839	21367	(–)6.45
"के"	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	104278	103183	(–)1.05
"एल"	रियल स्टेट क्रियायें	0	0	0.00
"एम"	व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	20277	20272	(–)0.03

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2017	मार्च, 2018	
1	2	3	4	5
"एन"	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	513	450	(–)12.28
"ओ"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	542848	542691	(–)0.03
"पी"	शिक्षा	234769	235563	0.34
"क्यू"	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	102435	100081	(–)2.30
"आर"	कला,मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें	2153	2171	0.84
"एस"	अन्य सेवा कार्य	3294	3388	2.85
"टी"	नियोजक के रूप में घरेलू क्रियायें	0	0	0.00
"यू"	एक्स्ट्रा टेरीटोरियल संगठनों एवं बॉडीस की क्रियायें	0	0	0.00
योग		**1616400**	**1599522**	(–)1.05

तालिका–15.08 से स्पष्ट है कि खान एवं उत्खनन, शिक्षा, कला, मनोरंजन एवं आमाद–प्रमोद, एवं अन्य सेवा कार्य वर्गो में मार्च, 2018 में कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि सर्वाधिक 2.85 प्रतिशत अन्य सेवा कार्य वर्ग में हुई।

औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार निजी क्षेत्र में मार्च, 2018 में गत वर्ष की अपेक्षा कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में 1.32 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। इन कर्मचारियों का विस्तृत विवरण तालिका–15.09 में दिया गया है–

तालिका–15.09

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत् कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2017	मार्च 2018	
1	2	3	4	5
"ए"	कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य	528	459	(–)13.07
"बी"	खान एवं उत्खनन	108	113	4.63
"सी"	उत्पादन	344532	354717	2.96
"डी"	विद्युत, गैस, वाष्प एवं वातानुकूलन आपूर्ति	5812	5819	0.12

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	सेवारत् कर्मचारियों की संख्या		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2017	मार्च 2018	
1	2	3	4	5
"ई"	जल आपूर्ति	0	0	0
"एफ"	निर्माण	430	431	0.23
"जी"	थोक एवं फुटकर व्यापार, मोटरगाड़ी एवं मोटर साइकिल की मरम्मत	12543	13336	6.32
"एच"	परिवहन एवं भण्डारण	2966	2734	(–)7.82
"आई"	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	11656	11600	(–)0.48
"जे"	सूचना एवं संचार	27746	27484	(–)0.94
"के"	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	10429	10474	0.43
"एल"	रियल स्टेट क्रियायें	26351	26355	0.02
"एम"	व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	379	457	20.58
"एन"	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	42984	42967	(–)0.04
"ओ"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	0	0	0
"पी"	शिक्षा	207338	205543	(–)0.87
"क्यू"	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	12103	12793	5.70
"आर"	कला, मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें	741	738	(–)0.41
"एस"	अन्य सेवा कार्य	1311	1308	(–)0.23
"टी"	नियोजक के रूप में घरेलू क्रियायें	0	0	0
"यू"	एक्स्ट्रा टेरीटोरियल संगठनों एवं बॉडीस की क्रियायें	0	0	0
योग		**707957**	**717328**	**1.32**

तालिका 15.09 को देखने से स्पष्ट होता है कि कृषि, वन सम्पदा एवं मत्स्य, परिवहन एवं भण्डारण, कला, मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें, सूचना एवं संचार, प्रशासकीय एवं सहायतित सेवाये, शिक्षा तथा अन्य सेवा कार्य वर्ग को छोड़कर शेष सभी वर्गो में मार्च, 2018 में कर्मचारियों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और सर्वाधिक वृद्धि व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें में 20.58 प्रतिशत हुई।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या मार्च, 2018 में गत वर्ष की अपेक्षा 2.34 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र में 2.79 प्रतिशत अधिक रही जबकि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर देखने से इनमें उक्त अवधि में गतवर्ष की अपेक्षा 2.50 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। गतवर्ष की अपेक्षा निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या से तुलनात्मक रुप से अधिक वृद्धि परिलक्षित हुई। इन्हें तालिका 15.10 से देखा जा सकता हैः–

तालिका–15.10

उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत् महिला कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2017	मार्च, 2018	
1	2	3	4	5
1	सार्वजनिक क्षेत्र	206884	211734	2.34
2	निजी क्षेत्र	107848	110854	2.79
योग		**314732**	**322588**	**2.50**

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा सेवायोजन हेतु संचालित कार्यक्रम

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा प्रदेश के बेरोजगार अभ्यार्थियों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु निम्न महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं–

1.रोजगार मेलों का आयोजन–

निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। रोजगार मेलों के आयोजन हेतु सेवायोजन वेब पोर्टल : **सेवायोजन.यूपी.एनआईसी.इन** पर आनलाइन व्यवस्था विकसित की गयी है।

2.कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम :

रोजगार बाजार में रोजगार के अवसरों तथा उपलब्ध जनशक्ति में असंतुलन को दृष्टि में रखते हुए सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कॅरियर काउन्सिलिंग का कार्य भी किया जा रहा है। प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों, रोजगारपरक पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाती है।

तालिका–15.11

कॅरियर काउन्सिलिंग एवं रोजगार मेला की प्रगति रिपोर्ट

वर्ष	रोजगार मेला		कॅरियर काउन्सिलिंग	
	मेलों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5
2018–19	685	103202	2487	298149
2019–20 दिसम्बर, 2019 तक	278	31267	1220	142134

3.माडल कैरियर सेन्टर (केन्द्र पुरोनिधानित योजना)–:

महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत शत प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में प्रदेश में माडल कैरियर सेन्टर की स्थापना की जा रही है। माडल कैरियर सेन्टर का कार्य क्षेत्र पूरे प्रदेश के अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं तथा प्रशिक्षण संस्थानों के अध्ययन कर रहे प्रशिक्षार्थियों से संबंधित है। इस सेन्टर द्वारा वर्तमान परिवेश में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार के नए उभरते व्यवसायों की जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ उनकी सेवायोजकता में वृद्धि किए जाने की भी व्यवस्था है।

वर्तमान में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, लखनऊ, जिला सेवायोजन कार्यालय, गाजियाबाद में माडल कैरियर सेन्टर स्थापित किये गये हैं। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, मेरठ, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, मुरादाबाद एवं प्रयागराज विश्वविद्यालय, प्रयागराज में माडल कैरियर सेन्टर स्थापित किये गये हैं।

4.शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र–

प्रदेश के 52 जनपदों में स्थापित शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों द्वारा समाज के निर्बल वर्गों यथा अनुसूचित जाति–जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को मार्ग दर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी सेवायोजकता में अभिवृद्धि का प्रयास किया जाता है। इन शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों में सामान्य केन्द्रों एवं अंग्रेजी भाषा, सचिवीय पद्वति, हिन्दी टंकण, आशुलिपि हिन्दी एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं।

तालिका–15.12

शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की प्रगति रिपोर्ट

वर्ष	सेवायोजित	स्वतः नियोजित	कुल
1	2	3	4
2017	68	34	102
2018	43	55	98

प्रदेश में श्रम कल्याण हेतु किये जा रहे प्रयास–

प्रदेश में श्रमिकों की कार्यदशाओं में सुधार एवं उनके हित–संवर्धन के साथ ही उद्योगों हेतु अनूकूल वातावरण तैयार करने के लिए श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

असंगठित क्षेत्र से सम्बन्धित योजनाओं पर बजट प्राविधान एवं व्यय

(धनराशि रु0 लाख में)

क्रम सं0	योजना का नाम	वर्ष 2018–19		वर्ष 2019–20		वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रस्तावित योजना
		प्राप्त धनराशि	व्यय	प्राप्त धनराशि	व्यय	असंगठित क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों हेतु दिनांक 22 जुलाई, 2019 से भारत सरकार द्वारा **प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना प्रारम्भ की गयी है।**
1.	असंगठित कर्मकारों का पंजीयन	09.77	–	92.00	–	
2.	दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना	125.00	–	125.00	–	
3.	अटल पेंशन योजना	1252.00	–	1252.00	–	
4.	असंगठित कर्मकार कल्याण निधि का गठन	200.00	200.00	200.00	200.00	
5.	अन्य	–	–	8.00	–	
योग		**1586.77**	**200.00**	**1677.00**	**200.00**	

बाल एवम् बंधुआ श्रम उन्मूलन

इस हेतु सरकार द्वारा जन मानस में जन जागरूकता लाने व योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु निम्न प्रकाशन/कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं:–

कार्यक्रम ब्रोशर	इस वर्ष योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु एक 10 पृष्ठ का ब्रोशर तैयार किया गया है, जिसकी 2000 प्रतिया प्रिन्ट कराकर जनमानस की जानकारी हेतु वितरित करायी गई है।
नया सवेरा न्यूज लेटर	प्रदेश के बाल श्रम से सर्वाधिक प्रभावित 20 जिलों में नया सवेरा योजना संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत यूनीसेफ से प्राप्त वित्तीय सहयोग के माध्यम से प्रत्येक तिमाही एक न्यूज लेटर तैयार किया जाता है।
अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम	12 जून, 2019 को अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष एक भव्य जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष लखनऊ के इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 700 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
बाल श्रम उन्मूलन हेतु जनजागरण रथ यात्रा।	12 जून, 2019 को अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश में बाल श्रम के प्रति जन जागरण हेतु श्रम एवम् सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्या द्वारा एक रथ यात्रा का शुभारम्भ किया गया। रथ यात्रा 35 दिनों में 22 बाल श्रम प्रभावित जिलों में जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किये गए। इस रथ यात्रा से एक लाख से अधिक लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया।

बाल एवम् बंधुआ श्रम हेतु संचालित योजनाओं के अन्तर्गत वितरित की गई धनराशि एवं प्रगति

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 में वास्तविक प्रगति	वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल वास्तविक व्यय	वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रस्तावित लक्ष्य
कण्डीशनल कैश ट्रान्सफर	106 बाल श्रमिक	8.44 लाख	2000 बाल श्रमिक
नया सवेरा	20900 बच्चे	–	34700 बच्चे
पुरानी बंधुआ श्रम पुनर्वासन योजना	626 बंधुआ श्रमिक	125.20 लाख	556 बंधुआ श्रमिक
नवीन बंधुआ श्रम पुनर्वासन योजना, 2016	446 बंधुआ श्रमिक	89.20 लाख	माह सितम्बर, 2019 तक 140 बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन पैकेज प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 209 बंधुआ श्रमिकों को 20.40 लाख कार्पस निधि के द्वारा तात्कालिक सहायता उपलब्ध करायी गयी।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित योजनाओं का विवरण

1. मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना

उद्देश्यः– उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत पात्र लाभार्थियों के नवजात शिशुओं को उनके जन्म से 02 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक एवं पंजीकृत महिला कर्मकारों एवं पंजीकृत पुरूष कर्मकारों की पत्नियों को प्रसव के उपरान्त पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाना है।

पात्रता :– वे सभी कर्मकार जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो, को अधिकतम 02 बच्चों तक ही देय होगा।

बालिका मदद योजना का लाभ परिवार में जन्मी पहली बालिका को मिलेगा। दूसरी बालिका को योजना का लाभ तभी मिलेगा जब दोनों संतान बालिका हों। कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका को प्रथम बालिका मानते हुए (एक बालिका तक) अन्य शर्तों के यथावत रहने की स्थिति में योजना का लाभ अनुमन्य होगा। बालिका के जन्म का पंजीकरण, जन्म–मृत्यु पंजिका पर होना अनिवार्य है।

18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व संबंधित बालिका का निधन हो जाने पर उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत हितलाभ अनुमन्य नहीं होगा और सावधि जमा की धनराशि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कोष में वापस हो जायेगी।

हितलाभः– (1) लाभार्थी पुरूष कर्मकार द्वारा प्रसव के उपरान्त उसकी ओर से निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पुरूष कामगारों को उनकी पत्नियों के मातृत्व हितलाभ के रूप में रू0 6,000/– दो किश्तों (रू0 3,000/– प्रत्येक) में दिये जायेंगे।

(2) लाभार्थी महिला कर्मकार के संस्थागत प्रसव के उपरान्त उसकी ओर से निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं संस्थागत प्रसव सत्यापित हो जाने की दशा में संबंधित महिला कर्मकार को मातृत्व हितलाभ के रूप में उसकी श्रेणी के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से तीन माह के वेतन के समतुल्य धनराशि देय होगी। महिला निर्माण श्रमिक को उपरोक्त के अतिरिक्त रू0 1,000/– की धनराशि चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगी।

(3) प्रसव के उपरान्त शिशु के लड़का होने पर धनराशि रू0 बारह हजार तथा लड़की होने की स्थिति में धनराशि रू0 पन्द्रह हजार वर्ष में एक बार एक मुश्त, दो वर्षों तक प्रति शिशु की दर से देय होगा।

(4) परिवार में पहली बालिका के जन्म होने पर एक मुश्त धनराशि रू0 25,000/– बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। जन्म से दिव्यांग बालिकाओं के संदर्भ में यह धनराशि रू0 50,000/– बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत माता–पिता को बालिका के जन्म के एक वर्ष के अंदर समीपस्थ आँगनबाड़ी के केन्द्र पर आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2018–19	106	18.2
2019–20 (माह सितम्बर, 2019 तक)	4153	827.20

2. मातृत्व हितलाभ योजना

योजना के अन्तर्गत पंजीकृत महिला कर्मकारों को दो प्रसव तक 03 माह के वेतन के समतुल्य धनराशि तथा रू0–1,000/– चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरूष कामगारों की पत्नियों को रू0–6,000/– दो किश्तों में दिये जाने का प्राविधान है।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2016–17	14801	773.00
2017–18	32040	2368.05
2018–19	17339	1452.16
2019–20 (माह सितम्बर 2019 तक)	3673	388.01

3. शिशु हितलाभ योजना

योजना के अन्तर्गत दो सन्तानों हेतु लड़की के पैदा होने पर रू0–15,000/– व लड़का होने पर रू0–12,000/–की धनराशि प्रति वर्ष दो वर्ष तक दी जाती है।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2016–017	23834	2614.83
2017–2018	51866	5538.15
2018–2019	31655	4303.11
2019–20 (माह सितम्बर 2019 तक)	6725	900.43

उल्लेखनीय है दिसम्बर, 2018 में मातृत्व हितलाभ, शिशु हितलाभ एवं बालिका मदद योजना को एकीकृत करते हुए नयी योजना ''**मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना**'' आरम्भ की गयी है।

4. निर्माण कामगार बालिका मदद योजना

योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण–श्रमिकों के यहाँ जन्मी पहली बालिका होने पर रू0 25,000/– की धनराशि तथा जन्म से दिव्यांग बालिकाओं के संदर्भ में रू0 50,000/– की धनराशि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक सावधि जमा के रूप में दी जाती है।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2016–2017	2039	382.20
2017–2018	5081	942.66
2018–2019	2242	535.80
2019–20 (माह सितम्बर 2019 तक)	229	56.60

5. सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना

इस योजना के अन्तर्गत बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो बालक, बालिकाओं को कक्षा 1 से प्रारंभ कर उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

पात्रताः– पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के ऐसे बालक एवं बालिका पात्र होंगे जिनकी आयु 01 जुलाई को 25 वर्ष या इससे कम हों तथा वे ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत् हो जो कि सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

हितलाभः– योजनान्तर्गत देय हितलाभ कक्षा 1 से कक्षा 05 तक रू0 150/– प्रतिमाह, कक्षा 06 से कक्षा 10 तक रू0 200/– प्रतिमाह, कक्षा–11 से 12 तक रू0 250/– प्रतिमाह, पाठ्यक्रम आईटीआई/वोकेशनल कोर्स/प्रोफेशनल कोर्स, सरकारी संस्थानों/कॉलेजों के वार्षिक शुल्क के समान, स्नातक में रू0 1000/– प्रतिमाह, स्नातकोत्तर में रू0 2000/– प्रतिमाह दिये

जाने का प्राविधान, इस शर्त के साथ किया गया है कि लाभ पाने हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत की उपस्थिति शिक्षा संस्थान के प्रधानाचार्य/सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होने पर ही देय होगी।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2017–2018	27309	147.53
2018–2019	3976	75.31
2019–20 (माह सितम्बर 2019 तक)	1227	14.37

6. मेधावी छात्र पुरस्कार योजना

उद्देश्यः– उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी श्रमिकों के मेधावी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना एवं उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ना है।

पात्रताः– इस योजना के लिए वह सभी पंजीकृत कर्मकार पात्र होंगे जिनके पुत्र एवं पुत्रियों ने कक्षा 05 से 09 तक 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों तथा कक्षा 10 से 12 तक 50 प्रतिशत या उससे अधिक, आई0टी0आई0 (व्यवसायिक प्रशिक्षण)/बी0ए0/बी0कॉम/बी0एस0सी0, एम0ए0/एम0कॉम/एम0एस0सी, एल0 एल0बी0 तक 60 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांकों पर तथा पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिग्री, चिकित्सा डिग्री हेतु राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लिया हो।

हितलाभः–

1. कक्षा 05 से 07 तक रू0 4,000/–(पुत्र को) तथा रू0 5,000/–(पुत्री को) दो किश्तों में।
2. कक्षा 08 व 09 तक रू0 5,000/–(पुत्र को) तथा रू0 6,000/–(पुत्री को) दो किश्तों में।
3. कक्षा 10 से 11 तक रू0 6,000/–(पुत्र को) तथा रू0 7,000/–(पुत्री को) दो किश्तों में।
4. कक्षा 12 हेतु रू0 10,000/–(पुत्र को) तथा रू0 12,000/–(पुत्री को) दो किश्तों में।
5. आई0टी0आई0 (व्यवसायिक प्रशिक्षण) हेतु रू0 8,000/–(पुत्र को) तथा रू0 10,000/–(पुत्री को) दो किश्तों में।
6. बी0ए0/बी0कॉम/बी0एस0सी0,एम0ए0/एम0कॉम/एम0एस0सी, एल0एल0 बी0 हेतु रू0 12,000/–(पुत्र को) तथा रू0 14,000/–(पुत्री को) दो किश्तों में।
7. पॉलीटेक्निक डिप्लोमा हेतु रू0 5,000/–(पुत्र को) तथा रू0 6,000/–(पुत्री को) प्रतिवर्ष।
8. इन्जीनियरिंग/चिकित्सा डिग्री हेतु राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लेने पर रू0 10,000/–(पुत्र को) तथा रू0 12,000/–(पुत्री को) प्रतिवर्ष।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2016–2017	15321	496.65
2017–2018	19510	658.36
2018–2019	7612	214.09
2019–20 (माह सितम्बर 2019 तक)	1519	46.55

7. आवासीय विद्यालय योजना

उद्देश्य– निर्माण–श्रमिकों के ऐसे बच्चे, जो माता–पिता के साथ कार्य स्थल पर ही रहते हैं, के लिए आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता अनुभव करते हुए आवासीय विद्यालय योजना प्रस्तावित की गयी है। योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण–श्रमिकों के 06 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है।

पात्रताः– उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत सभी निर्माण–श्रमिकों के ऐसे पुत्र/पुत्रियां, जिनकी आयु 06 से 14 वर्ष के मध्य हैं, आवासीय विद्यालयों में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2016–2017	2343	511.66
2017–2018	3464	1048.80
2018–2019	0	1115.71
2019–2020 (माह सितम्बर, 2019 तक)	0	643.76

8. निर्माण कामगार आवास सहायता योजना

उद्देश्यः– अधिकांशतः निर्माण श्रमिक गरीब होते हैं, परन्तु बी0पी0एल0 सूची में उनका नाम न होने से आवास लाभ नहीं मिलता हैं। योजना का मूल उद्देश्य पंजीकृत कर्मकारों को आवासीय सुविधा हेतु अनुदान उपलब्ध कराना है।

पात्रताः–

1. एक वर्ष के लिए अंशदान जमा करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होंगे।
2. लाभार्थी के पास स्वयं का अथवा परिवार का पक्का आवास न हो।
3. उन श्रमिकों को लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं अथवा परिवार के नाम समुचित भूमि उपलब्ध हो।
4. कार्य स्थान/निवास एक ही जिले में होने पर वरीयता प्रदान की जाएगी।
5. श्रमिकों को इस योजना का लाभ सम्पूर्ण जीवन में केवल एक बार ही मिलेगा।

हितलाभः– रू–1,00,000/– की धनराशि 02 किश्तों में।

मरम्मत हेतु रू0 15,000/– की धनराशि एक मुश्त मिलेगी।

परन्तु एक ही लाभार्थी को एक साथ दोनों लाभ नहीं दिया जाएगा।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2016–2017	47	9.85
2017–2018	96	0
2018–2019	1499	140.16
2019–2020 (माह सितम्बर, 2019 तक)	63	11.26

9. कन्या विवाह सहायता योजना

उद्देश्यः– उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों के विवाह संस्कार को सुगमता से सम्पन्न करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रताः–

1. सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक (महिला एवं पुरूष)।
2. श्रमिक का न्यूनतम 01 वर्ष तक नियमित सदस्य होना अनिवार्य है तथा नियमित अंशदान जमा हो। परन्तु पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के पुर्नविवाह की स्थिति में हितलाभ देय नहीं होगा।

हितलाभः– 1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में उसकी पुत्री के विवाह हेतु बालिकाओं के स्वजातीय विवाह की स्थिति में रू0– 55,000/– तथा अन्तर्जातीय प्रकरणों में रू0–61,000/– की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

सामूहिक विवाह की स्थिति में न्यूनतम 11 जोड़ों के विवाह एक साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में प्रति जोड़ा रू0 65,000/–(रू0 पैसठ हजार मात्र) की धनराशि तथा रू0 7,000/–(रू0 सात हजार मात्र) प्रति जोड़े की दर से आयोजन में होने वाले व्यय का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त वर एवं वधू को रू0 5000/–(रू0 पाँच हजार मात्र) प्रत्येक की दर से धनराशि विवाह से कम से कम एक सप्ताह पूर्व विवाह की पोशाक क्रय किये जाने हेतु दी जायेगी।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2016–2017	775	346.80
2017–2018	3570	1798.18
2018–2019	6747	3977.25
2019–2020 (माह सितम्बर, 2019 तक)	3918	2150.71

10. निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना

उद्देश्यः– पंजीकृत कर्मकार की स्वयं अथवा पारिवारिक सदस्य को गम्भीर बीमारी की स्थिति में सरकारी चिकित्सालय में कराये गए इलाज के उपरान्त किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति कराया जाना है।

पात्रताः– सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं एवं पारिवारिक सदस्य पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत हृदय आपरेशन, गुर्दा ट्रान्सप्लान्ट, लीवर ट्रान्सप्लान्ट, मस्तिष्क ऑपरेशन, रीढ़ की हड्डी ऑपरेशन, पैर के घुटने बदलना, कैंसर इलाज, एड्स, आँख की शल्य क्रिया, पथरी की शल्य क्रिया, अपेन्डिक्स की शल्य क्रिया, हाइड्रोसील की शल्य क्रिया, महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर की शल्य क्रिया, सर्विकल कैंसर की शल्य क्रिया बीमारी आदि की ही प्रतिपूर्ति होगी।

हितलाभः–

1–लाभार्थी स्वयं या पारिवारिक सदस्य की गम्भीर बीमारी में प्रदेश के किसी सरकारी स्वायत्तशासी चिकित्सालय में कराये गये इलाज पर व्यय की शत प्रतिशत पूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी।

2–लाभार्थी गम्भीर बीमारी की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत भारत सरकार (CGHS व ESI) द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज कराते हैं तो इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को दी जायेगी।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2016–2017	1	0.23
2017–2018	67	20.62
2018–2019	7	5.63
2019–2020 (माह सितम्बर, 2019 तक)	3	3.72

11. निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना

उद्देश्यः– उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु अथवा स्थाई, पूर्ण अपंगता/विकलांगता अथवा स्थाई आंशिक अपंगता/विकलांगता एवं सामान्य मृत्यु की स्थिति में तथा पंजीकृत कर्मकारों की दुर्घटना/बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थायी रूप से अक्षम हो जाने पर आर्थिक सहायता/पेंशन प्रदान करना भी योजना का उददेश्य है।

पात्रताः– इस योजना के लाभार्थी को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा–12 के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।

हितलाभः– पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक के किसी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु हो जाने की दशा में रू0 05 लाख (MIS के माध्यम से) पूर्ण (शत प्रतिशत) स्थायी अपंगता/विकलांगता की स्थिति में रू0 03 लाख, स्थायी आंशिक अपंगता विकलांगता की स्थिति में रू0 02 लाख, कार्यस्थल से इतर स्थायी अपंगता की स्थिति में रू0 02 लाख, अस्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में निर्माण श्रमिक को एक मुश्त रू0 01 लाख, सामान्य मृत्यु की स्थिति में रू0 02 लाख (MIS के माध्यम से) की सहायता प्रदान की जायेगी तथा लाभार्थी को दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण पूर्ण

एवं स्थायी रूप से अक्षम होने की दशा में अकुशल श्रमिकों के लिए रू0 1000/– एवं अर्धकुशल को रू0 1250/– तथा कुशल को रू0 1500/– प्रतिमाह अक्षमता पेंशन उसके जीवनकाल तक प्रदान की जायेगी।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2018–2019	184	416.00
2019–2020 (माह सितम्बर, 2019 तक)	58	130.00

12. अक्षमता पेंशन योजना

वर्तमान में निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों के कार्यस्थल पर दुर्घटनाग्रस्त होकर अक्षम होने की स्थिति में अकुशल श्रमिक की स्थिति में रू0 1,000/–, अर्द्धकुशल श्रमिक की स्थिति में रू0 1,250/– तथा कुशल को रू0 1,500/– प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का प्राविधान है।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2016–2017	2	0.36
2017–2018	15	1.88
2018–2019	8	1.13
2019–2020 (माह सितम्बर, 2019 तक)	3	2.41

13. मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की साधारण मृत्यु के अंर्तगत रू0 02 लाख की सहायता एवं दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की दशा में रू0 05 लाख की सहायता धनराशि MIS के माध्यम से दी जाती है। कार्यस्थल पर पूर्ण स्थायी विकलांगता होने पर रू0 03 लाख की धनराशि एवं आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर रू0 02 लाख की धनराशि एवं कार्यस्थल से इतर स्थायी अपंगता की स्थिति में रू0 02 लाख की धनराशि, अस्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में निर्माण श्रमिक को एक मुश्त रू0 01 लाख की धनराशि अनुग्रह राशि के रूप में दी जाती है।

दिनांक 01.01.2019 से निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना तथा अक्षमता पेंशन योजना को एकीकृत करते हुए नयी योजना ''निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना'' कर दिया गया है।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2016–2017	2136	3189.90
2017–2018	5079	8783.89
2018–2019	2049	4292.22
2019–2020 (माह सितम्बर, 2019 तक)	691	1410.50

14. चिकित्सा सुविधा योजना

उद्देश्यः– योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामान्य बीमारियों व चोट हेतु वर्ष में एक बार चिकित्सा सुविधा हेतु धनराशि उपलब्ध कराना है।

पात्रताः– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों जो अद्यतन वैध/नवीनीकृत हैं, पात्र होगें।

हितलाभः– योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के परिवार को इकाई मानकर एकमुश्त धनराशि रू0–3,000/– तथा अविवाहित पंजीकृत निर्माण श्रमिक को एकमुश्त रू0 2,000/– की धनराशि उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित किये जाने का प्राविधान है।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2016–2017	0	0
2017–2018	192936	5273.90
2018–2019	193629	4824.06
2019–2020 (माह सितम्बर, 2019 तक)	60523	566.24

15. महात्मा गाँधी पेंशन योजना

उद्देश्यः– बोर्ड के अन्तर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत 60 वर्ष की आयु पूर्ण किये हुए निर्माण श्रमिकों को एक निश्चित धनराशि ''पेंशन'' के रूप में उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है।

पात्रताः– योजनान्तर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होना, वार्षिक अंशदान अद्यतन जमा होना, 60 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं 10 (दस) वर्ष तक लगातार ''लाभार्थी'' के रूप में सदस्य बना रहना, किसी अन्य बोर्ड या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही किसी पेंशन योजना में लाभार्थी न हो तथा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते समय उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करना अनिवार्य है।

हितलाभः– प्रत्येक पात्र लाभार्थी को रू0–1,000/– प्रतिमाह उसके जीवित रहने तक उसे स्वयं और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी/पति को (जैसी भी स्थिति हो) देय होगी। पेंशन में प्रति दो वर्ष रू0–50/– (पचास रूपये मात्र) प्रतिमाह (अधिकतम रू0 1,250/–) की दर से वृद्धि करते हुऐ भुगतान किया जायेगा तथा पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन प्राप्तकर्ता के पति/पत्नी को रू0 1,000/– की पेंशन अनुमन्य होगी।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2016–2017	151	18.09
2017–2018	324	29.30
2018–2019	58	14.42
2019–2020 (माह सितम्बर, 2019 तक)	0	8.58

16. निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना

उद्देश्यः— उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसकी अन्त्येष्टि एवं अंतिम संस्कार को सुगमतापूर्वक सम्पन्न किए जाने हेतु तत्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना।

पात्रताः— 1. पंजीकृत मृतक निर्माण श्रमिक के आश्रित।

2. यह सहायता आत्महत्या जैसी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगी।

हितलाभः— रू0 25,000/— अंतिम संस्कार व्यय के रूप में।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
2016—2017	1886	516.84
2017—2018	4567	932.20
2018—2019	1975	478.45
2019—2020 (माह सितम्बर, 2019 तक)	735	181.85

****

अध्याय–16

सतत विकास

मुख्य बिन्दु–

- संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 25 सितंबर, 2015 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में 17 सतत विकास लक्ष्यों **(सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स–एसडीजी)** तथा 169 सहायक लक्ष्यों को अपनाया गया और 1 जनवरी, 2016 से यह प्रभाव में आ गया।
- एस0डी0जी0 के मुख्य सिद्धान्त 5पी–लोग, सम्पन्नता, शान्ति, साझेदारी एवं पृथ्वी पर आधारित हैं।
- प्रदेश में प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक नोडल विभाग नामित है।
- नोडल विभागों के प्रयासों से प्रदेश का विजन डाक्यूमेंट तैयार किया गया। प्रत्येक गोल में कई विभाग जुड़े हैं। इस तरह प्रदेश के 64 विभागों को सम्मिलित करते हुए विजन डाक्यूमेंट–2030 तैयार किया गया है।
- सतत विकास लक्ष्य के दृष्टिगत जिला एवं मण्डल स्तर पर मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक अनुश्रवण प्रक्रिया के अन्तर्गत 65 इंडीकेटर्स विकसित किये गये हैं।
- आलोच्य वर्ष में दिनांक 02–03 जनवरी, 2020 को एस0डी0जी0 पर विशेष चर्चा हेतु विधान मण्डल मे विशेष सत्र **महात्मा गांधी एवं सतत विकास** विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें मा0 सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रत्येक लक्ष्य हेतु विभिन्न समितियां बनायी गयी हैं। प्रदेश सरकार द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नोडल विभागो के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने 25 सितंबर, 2015 को आयोजित ''सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट'' में सतत विकास के लक्ष्य 'एजेंडा फॉर 2030' को स्वीकार किया। वर्ष 2030 तक गरीबी, असमानता व अन्याय के खिलाफ संघर्ष और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य राष्ट्रों द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्यों **(सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स–एसडीजी)** तथा 169 सहायक लक्ष्यों को दुनिया को बदलने के लिये अपनाया गया और 1 जनवरी, 2016 से यह पूरे विश्व में लागू किया गया।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) वर्ष 2030 तक गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने के लिए एक साहसिक और सार्वभौमिक समझौता है जिसंका उद्देश्य सबके लिए समान, न्यायसंगत, सुरक्षित, शंतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के तीनों पहलुओं सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है।

सतत विकास लक्ष्य के मुख्य सिद्धान्त–

एस0डी0जी0 के मुख्य सिद्धान्त (5पी–लोग, सम्पन्नता, शान्ति, साझेदारी एवं पृथ्वी) पर आधारित हैं।

सतत विकास लक्ष्य–

1. गरीबी उन्मूलन

सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत करना।

2 शून्य भुखमरी

. भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना।

3. उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली

स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन तंदुरूस्ती को बढ़ावा देना।

4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापुर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा–प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना।

5. लैंगिक समानता

लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना।

6. स्वच्छ जल और स्वच्छता

सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना।

7. सस्ती और प्रदूषण–मुक्त ऊर्जा

सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

8 उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि

सभी के लिए सतत, समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना।

9. उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं

समुत्थानशील अवसंरचना का निर्माण करना, समावेशी और संधारणीय औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना।

10. असमानताओं में कमी

राष्ट्रों के अंदर और उनके बीच असमानता को कम करना।

11. संवहनीय शहर और समुदाय

शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, समुत्थानशील और संधारणीय बनाना।

12. संवहनीय उपभोग और उत्पादन

सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना।

13. जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्यवाही करना।

14. जलीय जीवों की सुरक्षा

सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्रीय संसाधनों का संरक्षण करना और इनका संधारणीय तरीके से उपयोग करना।

15. थलीय जीवों की सुरक्षा

स्थलीय पारिस्थिकी–तंत्रों का संरक्षण और पुनरूद्धार करना और इनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत तरीके से प्रंबधन करना, मरूस्थल–रोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना और प्रतिवर्तित करना और जैव–विविधता की हानि को रोकना।

16. शांति, न्याय और सशक्त संस्थाए

सतत विकास के लिए शांति पूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलबध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।

17. लक्ष्य हेतु भागीदारी

कार्यान्वयन के उपायों का सुदृढ़ीकरण करना और सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी का पुनरूद्धार करना।

सतत विकास लक्ष्य–2030 उत्तर प्रदेश में अब तक किये गये कार्य–

प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की अपेक्षानुसार सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एस0डी0जी0 विजन–2030, स्ट्रेटेजी 2024 एवं तीन वर्षीय एक्शन प्लान 2017–18, 2018–19, 2019–20 तैयार किया जा चुका है जिसका भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनुश्रवण किया जा रहा है। इस विजन डाक्यूमेंट की ड्राफ्ट कापी फरवरी, 2017 में नीति आयोग को प्रेषित की गयी।

प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक नोडल विभाग एवं नोडल अधिकारी नामित है। प्रत्येक लक्ष्य कई विभागों से जुड़े हैं। नियोजन विभाग की समन्वय की भूमिका है। सतत् विकास लक्ष्यों के लिए प्रदेश में नामित नोडल विभागों का विवरण निम्नवत् है–

तालिका–16.01

लक्ष्य संख्या	लक्ष्य	नोडल विभाग
1	गरीबी उन्मूलन	ग्राम्य विकास
2	शून्य भुखमरी	खाद्य एवं रसद विभाग/कृषि विभाग
3	उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
4	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा
5	लैंगिक समानता	महिला कल्याण
6	स्वच्छ जल और स्वच्छता	सिंचाई/ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज विभाग
7	सस्ती और प्रदूषण–मुक्त ऊर्जा	ऊर्जा

लक्ष्य संख्या	लक्ष्य	नोडल विभाग
8	उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग
9	उद्योग,नवाचार और बुनियादी सुविधाएं	औद्योगिक विकास
10	असमानताओं में कमी	समाज कल्याण
11	संवहनीय शहर और समुदाय	नगर विकास
12	संवहनीय उपभोग और उत्पादन	पर्यावरण
13	जलवायु परिवर्तन	पर्यावरण
14	जलीय जीवों की सुरक्षा	उत्तर प्रदेश में लागू नहीं
15	थलीय जीवों की सुरक्षा	वन
16	शांति, न्याय और सशक्त संस्थाए	गृह
17	लक्ष्य हेतु भागीदारी	वित्त

नोडल विभागों के प्रयासों से प्रदेश का विजन डाक्यूमेंट तैयार किया गया। इस तरह प्रदेश के विभागों को सम्मिलित करते हुए विजन डाक्यूमेंट–2030 तैयार किया गया है जिसके मुख्य बिन्दु निम्न हैं–

- सबका सतत एवं स्थायी विकास
- कमजोर वर्गो को प्राथमिकता
- सुशासन–न्यायिक एवं सुरक्षित वातावरण
- अवसरों का सृजन
- शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण
- पर्यावरण

अद्यतन स्थिति–

- नोडल विभागों तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ परामर्श करते हुए एक सामान्य प्रारूप तैयार कर लक्ष्यवार 03 वर्षीय (2017–18, 2018–19 तथा 2019–20) कार्ययोजना तैयार की गयी है।
- समस्त एस0डी0जी0 गोल्स एवं उनके टार्गेट के सापेक्ष योजनाओं/कार्यक्रमों की मैपिंग की गयी है।
- प्रदेश हेतु एस0डी0जी0 बेसलाइन रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है।
- पंचायत स्तर पर एस0डी0जी0 लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु रणनीति का निर्धारण किया जा चुका है।
- सतत विकास लक्ष्य के दृष्टिगत जिला एवं मण्डल स्तर पर मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक अनुश्रवण प्रक्रिया के अन्तर्गत 65 इंडीकेटर्स विकसित किये गये हैं।
- लक्ष्यों के मुल्यांकन हेतु एन0आई0एफ0 द्वारा समग्र रूप में 306 इंडीकेटर्स राष्ट्रीय स्तर पर एम0 ओ0एस0पी0 द्वारा तय किये गये हैं।

****

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 13 आर्थिक बोध एवं संख्या–27–01–2020–(1423)–1200 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।